राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] तेरहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का चौथा दिवस [संख्या : 4

गुरुवार;

25 फरवरी, 2010

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़।

शेरगढ़ तहसील में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत विद्युत कनेक्शन

36. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील शेरगढ़ में 'मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना' के अन्तर्गत घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु मांग पत्र निकाले गए थे? यदि हां, तो क्या उक्त सब आवेदकों को विद्युत कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं? यदि हां, तो कितनों को? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विद्युत कनेक्शन करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(3) क्या सरकार भविष्य में भी उक्त योजना में कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस नीति के तहत व नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री, (डा. जितेन्द्र सिंह): (1) जी हां। तहसील शेरगढ़ में 'मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना' के अन्तर्गत 7904 घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु

(डा. जितेन्द्र सिंह)

मांग पत्र जारी किए गए थे। उनमें से 5794 आवेदकों द्वारा मांग पत्र की राशि जमा करवाई गई एवं 480 आवेदकों को विद्युत सम्बन्ध प्रदान किए गए, जिनका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। मांग पत्र की राशि जमा कराने वाले शेष आवेदकों को आगामी वित्तीय वर्ष 2010-11 में विद्युत कनेक्शन देना प्रस्तावित है।

(3) जी हां। उक्त योजना में 31.3.2010 तक प्राप्त आवेदकों को विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे क्योंकि यह योजना दिनांक 31.3.2010 तक प्रभावी है।

(4) जी नहीं। शेरगढ़ तहसील में यह योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत थी, वह समाप्त हो चुकी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि 'मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना' कब शुरू हुई? शेरगढ़ तहसील में इस योजना के अन्तर्गत कितने आवेदन आए और उनमें से कितने डिमाण्ड निकाले गए और कितने डिमाण्ड अस्वीकृत किए गए, प्रश्न एक?

नम्बर दो, इसमें आपने कहा है कि 480 आवेदकों की डिमाण्ड निकाली, जमा हुई और उनके कनेक्शन कर दिए गए। यह डिमाण्ड कब निकाली और इनके कनेक्शन कब हुए? तीसरा प्रश्न, क्या सरकार निरस्त किए गए डिमाण्ड को दुबारा अवसर देकर कनेक्शन करने का विचार रखती है?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है कि यह योजना कब शुरू हुई, यह योजना 2008 में प्रारम्भ हुई थी। माननीय सदस्य ने दूसरा जो पूछा है, शेरगढ़ में 7904 डिमाण्ड नोट जारी हुए थे, उनमें से 5794 का मनी डिपोजिट किया और उसमें 480 कनेक्शन हुए। बाकी जो निरस्त हुए वे 2110 थे, उनमें 1823 में मांग पत्र की राशि जमा नहीं कराई थी, बाकी 287 टैक्नीकल उनका जो स्टेटस था उस पर रिजैक्ट किए गये। शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि कब तक कनेक्शन हो जाएंगे, मैं उनको यह विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी पैंडिंग कनेक्शन हैं, वे अतिशीघ्र हो जाएंगे और फाइनेंशल ईयर 2010-11 से पहले सभी कनेक्शन जारी हो जाएंगे।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब आया नहीं। मैंने पूछा कुल कितने आवेदन आये, मंत्री महोदय ने बताया कि 7904 के डिमाण्ड निकाली है। जो मेरी जानकारी है, जनवरी, 2010 तक जो 2564 आवेदन आए उनकी अभी तक डिमाण्ड निकाली नहीं गई है। मैंने पूछा कि कुल आवेदन कितने हैं, उसमें 2564 आवेदकों की डिमाण्ड नहीं निकाली है, 7904 की निकाली है। उसमें से 480 आवेदकों की डिमाण्ड निकाल कर कनेक्शन आपने किए हैं, वे कनेक्शन मई, 2009 में किए गए थे। उसको करीबन 20 महीने हो गए। अब यह रफ्तार आपकी है, 20 महीने में 480 कनेक्शन किए हैं तो शेष जो कनेक्शन हैं, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि 5794 की डिमाण्ड जमा है? 20 महीने में 480 किए हैं तो 5794 कितने समय में होंगे, यह मुझे बताएं? डिमाण्ड जमा हुई हैं वह डिमाण्ड भी कई निकाली हैं। 2110 जो डिमाण्ड निरस्त की गई हैं उन आवेदकों को सूचना नहीं दी समय पर। जब वे डिमाण्ड की राशि जमा करवाने के लिए राशि पूछने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि हमारी डिमाण्ड आई ही नहीं, उनकी डिमाण्ड निरस्त हो गई। इसमें मैंने मंत्री महोदय से पूछा है कि क्या उनको अवसर देकर वापस कनेक्शन करने का विचार रखते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहले मूल प्रश्नकर्ता।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने फर्माया कि डिमाण्ड नोट जारी हुए थे, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि इसकी समय सीमा 31.3.2010 तक ही है, जिन्होंने अपने डिमाण्ड नोट किसी वजह से जमा नहीं कराये, निरस्त हो गये तो वे पुन: जमा करवा सकते हैं क्योंकि अभी भी एक माह शेष है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शेरगढ़ की जो ज्योग्राफी है उसमें बहुत डिस्टेंस पर ढाणियां हैं, रेतीला बहुत लम्बा-चौड़ा क्षेत्र है। यह निश्चित है कि इतना लम्बा-चौड़ा ज्योग्राफिकल फील्ड होगा तो इसमें जो इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है पोल वगैरह लगाने का, वह समय लेता है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस पूरी कार्य योजना पर हालांकि बोर्ड का बहुत अधिक खर्च आएगा-एक कनेक्शन पर करीबन 34 हजार रुपए खर्च आएगा और इसमें लगभग 20 करोड़ रुपए इन्वैस्ट होंगे, पर क्योंकि राज्य सरकार की योजना है, मुख्य मंत्री विद्युत सबके लिए, इसलिए इतना खर्च होने के बावजूद भी राज्य सरकार कृत संकल्प है कि सबको विद्युत मिले।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड 2 में इन्होंने कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष 2010-11 में सारे कनेक्शन कर दिए जाएंगे। एक तरफ 20 महीने में 480 कनेक्शन हुए हैं, सरकार हमको यह पूरा आश्वासन दे कि 20 महीने में 480 कनेक्शन हुए हैं तो क्या एक वर्ष में यह साढ़े दस हजार कनेक्शन के जो आवेदन आए हुए हैं, डिमाण्ड नोट, वे पूरे अगले वर्ष में कर देंगे। यह मैं सरकार से आश्वासन चाहता हूं, खण्ड 2 में यह मेरा निवेदन है।

दूसरा, जो डिमाण्ड जमा नहीं हो सकी, उसके लिए मैंने पूछा है, जिस प्रकार से कृषि कनेक्शनों में 16 फरवरी से 28 फरवरी तक जो डिमाण्ड जमा कराने से रह गए थे उनको भी समय दिया है, इसमें भी कोई रह गए हैं तो उनको भी आप समय दें जिससे वे वापस डिमाण्ड जमा करवाकर अपने कनेक्शन ले सकें।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा कहा है, मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युतीकरण योजना का ड्यू डेट 31.3.2010 है, हमारे पास पूर्ण समय है, जो निरस्त हो गए थे उनको पुन: एप्लीकेशन करके डिमाण्ड नोट जमा करवा दें, उसमें वे पूर्ण हो जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2010-11 के अन्दर मैंने बताया कि वहां की ज्योग्राफी काफी लम्बी-चौड़ी है, फिर भी करीबन 900 पोल इरैक्ट कर दिए गए हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में हम कम्प्लीट करने के लिए पूर्ण प्रयास करेंगे।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड चार में मैं जानना चाहता हूं कि डिमाण्ड निकालने की कोई समय सीमा होनी चाहिए, वह समय सीमा भी आप तय करें। खण्ड चार के अन्दर मैंने पूछा है कि क्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में कनेक्शन देने का विचार रखते हैं, आपने जवाब दिया है, जी नहीं। शेरगढ़ तहसील में यह योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत थी, वह समाप्त हो चुकी है। अब योजना को ही समाप्त कर दिया है जबकि भारत निर्माण और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत अगली पंचवर्षीय योजना में हमारे यहां से प्रस्ताव आए हैं। पहले वाली योजना में 300 तक की जनसंख्या तक के जो गांव थे, अब प्रस्ताव वापस बनाए गए हैं जो 100 से लेकर 300 तक के हैं। माननीय मंत्रीजी, मुझे यह बताएं कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में आप आगे कनेक्शन करेंगे या हमारी योजना को ही समाप्त कर देंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, स्पेसिफिक प्रश्न है उनका कि योजना आगे रखेंगे या समाप्त कर देंगे, बस इतना-सा जवाब दे दीजिए।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केन्द्र सरकार की योजना है और शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य की जो तहसील है, जिला है वह टैंथ प्लान में कवर हो चुका है। इलेवंथ प्लान चल रहा है आज, हमने इसके लिए अलग से भेजा है, अगर केन्द्र सरकार पैसा दे देती है। केन्द्र सरकार का प्रोजैक्ट है एक्चुवली यह टैंथ प्लान में है।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। श्री रामहेत सिंह, रामहेत सिंह। (व्यवधान) राजस्व मंत्रीजी ...(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शेरगढ़ का मामला है, कहां पूरे राजस्थान का है? (व्यवधान)...

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के बारे में था, दो मिनट तो बोलूंगा। पिछली विधान सभा में भी आपने बोलने नहीं दिया मुझे, दो मिनट लूंगा मैं।

अध्यक्ष महोदय, यह जो मुख्य मंत्री सबके लिए योजना है, यह हमारी सरकार लायी थी, यह कारण था क्योंकि RRGVY is a failure.

श्री अध्यक्ष: सवाल क्या है आपका? पूरक प्रश्न।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): प्रश्न यह है, आरआरजीवीवाई में माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि आप केन्द्र सरकार से जाकर यह तो बताएं, केन्द्र सरकार हमारी डेमोग्राफी ही नहीं समझती है कि ढाणियों के अंदर कितनी दूर पोल खींचने हैं, कितना क्या करना है। भारत निर्माण 2005 के अन्तर्गत जो स्कीम आयी थी राजीव गांधी विद्युतीकरण स्कीम, A Time Bound Plan for Rural Infrastructure by the Government of India in Partnership with the State Governments and Panchayati Raj Institutions, इसके अन्दर 90 प्रतिशत सब्सिडी केन्द्र सरकार दे रही है। इसका उद्देश्य है टाइम बाउंड, यह कह रहे हैं कि 2012 तक देश के अन्दर हर घर में बिजली के लट्टू जलने चाहिए, access to eletricity। लेकिन राजस्थान के अन्दर अगर आप यह कार्यक्रम करना चाहेंगे तो 42 हजार करोड़ रुपया खर्च होगा। और केन्द्र सरकार ने कितना दिया है राज्य सरकार को? केवल 2 हजार

(डा. गजेन्द्र सिंह खींवसर)

करोड़, तो यह सम्भव कैसे है? आप बताएं, how are you going to achieve it, जब इनको हमारी डेमोग्राफी ही नहीं समझ में है? अटल बिहारी वाजपेयीजी ने पीएमजीएसवाई वाली स्कीम करके उसके अंदर स्पेसिफाई ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है? मूल प्रश्न के बाद सप्लीमेन्ट्री क्या है?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): इनके पास विभाग था तब ही इन्होंने इतनी बात नहीं की ...(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): पीएमजीएसवाई और यह रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम है ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): जब माननीय सदस्य के पास विभाग था तब ही इतने विस्तार में बात नहीं हुई ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: छोड़िये इसको। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): It is on the same pattern. रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यह है, सड़कों को भी लिया है, बिजली को भी लिया हुआ है। जब एक स्कीम बनायी थी कि 250 के गांवों को सड़कों से जोड़ा जाए, Special status was accorded to Rajasthan and Himachal Pradesh. आप कैसे देंगे बिजली, आप कैसे कनेक्शन देंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपकी बात आ गयी, चर्चा समाप्त करें कृपया। श्री रामहेत सिंह ...(व्यवधान)

अलवर-भरतपुर के पुनर्वास भूमि के कृषकों को खातेदारी

37. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अलवर व भरतपुर में पुनर्वास भूमि के कितने खातेदारी कृषक हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पुनर्वास की भूमि सिवाय चक में ही समायोजित कर दी गयी है ?

(3) क्या सरकार उक्त गैर खातेदारों को खातेदारी दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त पुनर्वासित गैर खातेदारी कृषकों को खातेदारी प्रक्रिया सिवाय चक भूमि के गैर खातेदारों की तरह की जाएगी ? यदि हां, तो इसके लिए किस स्तर के अधिकारी को अधिकृत किया गया है ?

श्री अध्यक्ष: राजस्व मंत्रीजी।

राजस्व मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) पुनर्वास (कस्टोडियन) भूमि पर आबंटी/काबिज काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देने के बाद उनका अलग से रिकार्ड संधारित नहीं किया जाता है, अत: अलवर और भरतपुर में पुनर्वास भूमि के खातेदार कृषकों की संख्या बताना सम्भव नहीं है।

जहां तक गैर-खातेदार कृषकों का प्रश्न है, जिला अलवर में पुनर्वास भूमि के 13577 गैर खातेदार कृषक हैं। इसी प्रकार जिला भरतपुर में पुनर्वास भूमि के 6489 गैर खातेदार कृषक हैं। अलवर एवं भरतपुर जिलों में गैर खातेदारों की तहसीलवार संख्या परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

(2) जी हां। ऐसी समस्त कस्टोडियन कृषि भूमि, जिसका आबंटन नहीं किया गया था, को मंत्रिमंडल की आज्ञा संख्या 69/2008 दिनांक 22.05.2008 द्वारा सिचाय चक दर्ज करने का निर्णय किया गया है।

(3) जी हां। कस्टोडियन भूमि के आबंटियों को राजस्थान भू-राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमियों के स्थायी आबंटन) नियम, 1963 के नियम 5 में वर्णित शर्तों की पूर्ति करने पर खातेदारी अधिकार संबंधित तहसीलदार द्वारा प्रदान किये जाते हैं। राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1(15) राजस्व/पुनर्वास/2009 दिनांक 06.10.2009 द्वारा समस्त जिला कलक्टर्स को इस संबंध में विस्तृत निर्देश दिये जा चुके हैं। खातेदारी अधिकार प्रदान करना एक सतत प्रक्रिया है।

(4) जी नहीं। कस्टोडियन भूमि के गैर खातेदार कृषकों को राजस्थान भू-राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमियों के स्थायी आबंटन) नियम, 1963 के नियम 5 में वर्णित शर्तों की पूर्ति करने पर खातेदारी अधिकार संबंधित तहसीलदार द्वारा प्रदान किये जाते हैं।

(संख्या सूची के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, एक तरफ तो आप कहते हैं कि रिकार्ड सम्भव नहीं है खातेदारी का और दूसरी तरफ परिशिष्ट 'अ' और 'ब' लिखा है इसमें खातेदारों की सूची दी गयी है, तो इनको खातेदार मानें या गैर खातेदार मानें? पहला प्रश्न तो मेरा यह है।

(श्री रामहेत सिंह)

अध्यक्ष महोदय, दूसरा, आपने यह जो बात कही है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कस्टोडियन भूमि जिनको दी गयी थी, वे पाकिस्तान से आने वाले पुरुषार्थी, रिफ्यूजी थे उनके पुनर्वास के लिए आबंटित की गयी थी और 650 रुपये प्रति बीघा जो भारत सरकार ने पाकिस्तान जाने वाले लोगों को भुगतान किया था भूमि के बदले, उनसे वह राशि वसूल की गयी थी जिनको कस्टोडियन भूमि अलॉट की गयी। राजस्थान में जब पुनर्वास किया था, यह सूची है, माननीय मंत्रीजी इस बात को छिपा रहे हैं, मैं यह पूछना चाहता हूं कि अलवर जिले और भरतपुर जिले में कितने पुनर्वास केन्द्र स्थापित किये हैं, वह सूची सरकार के पास है, इसका स्पष्टीकरण चाहिए? दूसरी बात तो यह है।

अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अलवर जिले में 13577 का आंकड़ा बताया है और परिशिष्ट 'ब' में भरतपुर में भी 13577 का जो आंकड़ा है, यह खातेदार का है या गैर खातेदार का बताया है? यह क्या आंकड़ा हो सकता है, क्या दोनों जिलों में इतना ही है?

अध्यक्ष महोदय, चौथी बात मैं कहना चाहूंगा कि 40 साल कांग्रेस का राज राजस्थान में रहा, 40 साल पहले जो पाकिस्तान से आये थे रिफ्यूजी, जिनको कस्टोडियन भूमि पर स्थापित किया गया था, आज तक उन्हें खातेदारी राइट नहीं दिये गये। न तो वे बैंक से लोन ले सकते हैं, न किसान कार्ड बनवा सकते हैं, न उस जमीन पर जो गैर खातेदारी अलाट की गयी थी उस पर कृषि कनेक्शन ले सकते हैं। यह उनका सीधा अपमान है। दूसरी बात, उद्योगपति के लिए सरकार ने नियम बना दिया कि अगर उद्योगपति पैनल्टी की किश्त नहीं जमा कराए तो आरएफसी, फाइनेन्सियल इंस्टीट्यूट मूल से ज्यादा ब्याज नहीं ले सकती है। आपने जो सर्कूलर भेजा है उसमें कहा है डीएलसी का 25 प्रतिशत, इसमें माननीय मंत्रीजी स्पष्ट करें कि यह डीएलसी कौनसी, जिस दिन अलाट हुई थी वह डीएलसी या आज की? अगर यह डीएलसी आज की लगती है तो उस किसान का अपमान है। मैं मंत्री महोदय से इन बातों का जवाब चाहता हूं।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने खातेदारी की संख्या की बात कही, यह 13577 अलवर में बतायी है, यह गैर खातेदार की है।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): आपने इसमें खातेदार लिखा है, सूची में परिशिष्ट 'अ' देखें।

श्री अध्यक्ष: आप सुनें भी, उत्तर सुन लीजिये।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): मैं स्पष्ट करूं, यह संख्या जो 13577 की दी है यह गैर खातेदारी की है। खातेदारी जिनको जमीन मिल गयी है, खातेदारी अधिकार मिल गये कस्टोडियन भूमि के, उनका अलग से कोई रिकार्ड संधारित नहीं किया जाता है। जो खातेदार हैं उनके साथ वे भी खातेदार शामिल हो गये, उनका अलग से कोई रिकार्ड नहीं है। खातेदार अलग-अलग खातेदार नहीं हैं। खातेदार होने के बाद में फिर वह भी वैसा ही खातेदार हो गया जैसे कि दूसरी भूमियों के खातेदार हैं, इसलिए उनका अलग से उत्तर दे पाना सम्भव नहीं था। गैर खातेदारों की संख्या मैंने इनको बता दी। यह भरतपुर की कह रहे हैं, भरतपुर में 6489 गैर खातेदार हैं और 6 जिलों में ये मामले हैं। 6 जिलों की अलग से बता दूं- अलवर में 13577, बारां में 2, भरतपुर में 6489, हनुमानगढ़ में 1332, करौली में 1 और श्रीगंगानगर में 2529 हैं, कुल 23930 गैर खातेदार हैं। गैर खातेदारों को खातेदारी अधिकार देने के लिए 6.10.2009 को हमने एक सर्कुलर निकालकर सभी कलक्टर्स को लिख दिया है, उस पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही करके उनको खातेदारी अधिकार दे दिये जायेंगे। उसके बाद में अभी तक कार्यवाही नहीं होने का कारण है कि अधिकांश प्रकरण नियमन व खातेदारी देने के हैं, उनमें आबंटन सलाहकार समिति की भूमिका होती है। नगर पालिका, पंचायत चुनावों के कारण आबंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित नहीं की गयी जिसकी वजह से गैर खातेदारों को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सके हैं। अब इसके बाद में किसी प्रकार की आचार संहिता नहीं है तो जल्दी से जल्दी इन गैर खातेदारों को खातेदारी अधिकार दे दिये जायेंगे। पिछली बार भी आपने प्रश्न पूछा था उसके बाद में तत्काल बैठक बुलाकर इसका परीक्षण करवाकर कि इनको किस प्रकार से खातेदारी अधिकार दिये जा सकें क्योंकि यह मामला लम्बे समय से पैंडिंग है और काश्तकार भी बहुत परेशान हैं, इनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इनको किसी प्रकार का ऋण नहीं मिलता, यह बात जब मेरे ध्यान में लायी गयी तो उसके बाद में यह सर्कुलर 6.10.2009 को यहां से सरकार ने जारी किया है और सभी कलक्टर्स को लिख दिया है। अभी हमने कलक्टर्स से पूछा भी तो उन्होंने यही बताया कि आबंटन सलाहकार समिति की बैठकें नहीं हो सकीं, इसकी वजह से इसमें आगे प्रगति नहीं हो सकी है। इसमें अलग-अलग कैटेगरी के जो मामले हैं, कई तरह के मामले हैं उन सबको चिह्नित करके, उन सब पर त्वरित कार्यवाही करेंगे। अभी

(श्री हेमाराम चौधरी)

अप्रैल में राजस्व प्रशासन की ओर जो शिविर लगेंगे, उनमें इन सबका निस्तारण हो जाए, इस बात का भी प्रयास करूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री गुलाबचन्द कटारिया ......(व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं, साहब, मैं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, एक पाइंटेड क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, यह मेरे जिले से संबंधित है, अभी हमारे माननीय सदस्य ने भी बातें की हैं।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। अलवर, भरतपुर का मामला है, बात काफी विस्तार से हो गई, आगे प्रश्न भी लेने हैं। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): हम अलवर-भरतपुर को ही रिप्रजेंट नहीं कर रहे हैं, हम राजस्थान को कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि डीएलसी की रेट के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। काश्तकार इतने लम्बे समय से काश्त कर रहा है, आज तक भी कोई अधिकार उसके पास नहीं है। आज उसकी खातेदारी अगर आती है तो डीएलसी की रेट उस समय की लेनी चाहिए जब उसको गैर-खातेदार बनाया था। आज की अगर डीएलसी रेट से उससे पैसा वसूल किया गया तो मेरे खयाल से यह किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो, मंत्री महोदय, मैं चाहूंगा कि इसको एक बार और क्लैरिफाई कर दें कि डीएलसी रेट कौन सी आप किसान से वसूल करेंगे।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपके माध्यम से मंत्रीजी मैं पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: भरतपुर, अलवर से संबंधित प्रकरण है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अब सुन तो लो, साहब।

श्री अध्यक्ष: काफी चर्चा हो गई, प्रश्न और लेना चाहता हूं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): और होगा। यह महत्वपूर्ण

(श्री नरपत सिंह राजवी)

इसलिए है कि इन्होंने इसको गैर-खातेदार तो मान लिया। अलाटमेंट रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने किया है। सूचना यह है, एक बार अलाट होने के बाद उसके राइट्स तो एस्टिंग्विश नहीं होते और एस्टिंग्विश नहीं होते तो रैगुलर काश्तकार हैं और गैर-खातेदारी में आबंटन समिति की आवश्यकता नहीं होती। माननीय मंत्री महोदय, थोड़े तथ्य सही प्रस्तुत करें। ऐसा नहीं है।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, प्लीज। अगला प्रश्न, श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूरा हुआ ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब आया ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: आगे और प्रश्न लेने हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हुए हैं, आने दीजिए कृपया।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): मंत्रीजी ने नार्मल जवाब दे दिया। अध्यक्ष महोदय, जवाब आया ही नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हुए हैं, आने दीजिए कृपया। (व्यवधान) काफी चर्चा हो गई।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): और इसकी डेट फिक्स करवाई जाए जिनके जवाब ही नहीं आये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: केवल दो प्रश्न कवर नहीं हुए हैं और प्रश्नकाल में 21 मिनट खतम हो चुके हैं।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): अध्यक्ष महोदय, बिलकुल नार्मल जवाब दिया है, मंत्रीजी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई चर्चा नहीं होगी। श्री गुलाब चन्द कटारिया। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) श्री गुलाबा चन्द कटारिया। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

श्री अध्यक्ष: आपके वरिष्ठ सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं ......(व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, कोई चर्चा नहीं होगी, चर्चा समाप्त। कोई चर्चा नहीं होगी, अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

उदयपुर के राजकीय मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद महाविद्यालय का पुनर्संचालन

38. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय मदन मोहन मालवीय उदयपुर में संचालित है? यदि हां, तो अब तक उक्त महाविद्यालय से कितने वैद्य एवं आयुर्वेदाचार्य डिग्री लेकर सेवारत हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त महाविद्यालय की गत कुछ वर्षों से मान्यता समाप्त कर दी गई है? यदि हां, तो कब से एवं कितने वर्षों से यहां छात्रों का प्रवेश बन्द कर रखा है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त समस्या के समाधान हेतु सरकार का ध्यान वहां की जनता/विद्यार्थी/जन प्रतिनिधियों ने दिलाया है? यदि हां, तो उक्त समस्या के समाधान के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां): (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : (1) जी हां। अब तक इस महाविद्यालय से 1506 स्नातक विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। इनमें से अधिकांश विभिन्न स्थलों पर सेवारत हैं।

(2) जी नहीं। इस महाविद्यालय की मान्यता समाप्त नहीं की गई है। अपितु विगत दो सत्रों (वर्ष, 2008-09 एवं 2009-10) में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्/आयुष विभाग द्वारा छात्रों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है।

(3) जी हां। प्रवेश नहीं होने में मुख्य कारण शिक्षकों की आपूर्ति नहीं होना रहा है, इसके लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के मापदण्डों के अनुसार पदों का सृजन किया जाकर उनकी स्वीकृति दिनांक 22-2-2010 को जारी की जा चुकी है। उन पदों को सेवा नियमों में सम्मिलित करने की भी अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19-2-2010 को जारी की जा चुकी है। पदोन्नति से पदों की आपूर्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को डीपीसी की बैठक के लिए तिथि हेतु लिख दिया गया है, तिथि तय होते ही डीपीसी की

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

बैठक आयोजित कर पदोन्नति संबंधित कार्यवाही कर दी जाएगी। रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए अर्थना भेजने हेतु प्राचार्य को निर्देशित कर दिया गया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझ पाया। मान्यता समाप्त होने और दो साल से प्रवेश नहीं होने के बीच में क्या ऐसी थीम लाइन है जिसमें दोनों में अन्तर है, मैं शायद अपनी सामान्य बुद्धि से नहीं समझ पाया हूं। दो साल से एडमिशन नहीं होने और मान्यता के बीच में आपने कहा, जी नहीं, मान्यता समाप्त नहीं हुई, एडमिशन दो साल से रोक दिया, नम्बर एक। यह एकमात्र राजस्थान का आयुर्वेद कालेज है जो देश की आजादी के पहले बना है और एकमात्र कालेज आपका है, एक। दूसरा, आप यह बताएं कि यह जो आपकी भारतीय चिकित्सा परिषद् है इसके मापदण्ड के अनुसार कितने पद होने चाहिए, प्रोफेसर के, एसोशिएट प्रोफेसर के और लैक्चरार के और आज की तारीख तक कालेज में इन पदों के अगेंस्ट में कितने लोग काम कर रहे हैं? इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा, एक। दूसरा, पिछले पाँच वर्षों में रिटायर कितने लोग हुए हैं और उसकी जगह कोई नई नियुक्ति हुई क्या? फिर आप जो कह रहे हो, डीपीसी हो, वह बिलकुल गलत है। इसकी डीपीसी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसमें जितनी लैक्चरर की पोस्ट हैं उन पर सलैक्ट केवल 3 लोग हैं और ऊपर की जो एसोशिएट प्रोफेसर की पोस्ट है वह पदोन्नति से भरी जाती है। प्रोफेसर का जो पद है वह एसोशिएट प्रोफेसर से भरा जाता है। पर आपके पास आदमी ही नहीं हैं। अभी आप बताओगे संख्या, तो आपको स्वयं पता लग जाएगा कि इन पोस्टों पर कोई व्यक्ति ही नहीं लगा हुआ है। तो डीपीसी किसकी कराओगे और पद भरोगे कैसे? ये दोनों पद तो डीपीसी के द्वारा ही भरे जाने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): इस समस्या का समाधान बताएं।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जो आदरणीय हमारे कटारियाजी ने फर्माया, जब आयुष डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट आफ इण्डिया में इसकी हियरिंग की थी 22.7.2008 को, उसमें उन्होंने इस कालेज में क्या कमियां हैं, शार्टकमिंग हमें लिखी थी। यह 2008 की बात है, उसमें 12 एलिजिबल टीचर्स अगेंस्ट रिक्वायरमेंट आफ 48 टीचर्स की कमी थी। 9 टीचर्स थे जबकि 14 होने चाहिए थे। लाइब्रेरी का एरिया या

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

कुछ हास्पिटल और जो चीजें थीं मगर जो मेन इसमें मुद्दा था, टीचर्स का और डिपार्टमेंट्स का था, उसके बाद 20.8.2008 को ऑर्डर पास किये गये और उन्होंने कहा कि जब तक आप इसकी पूर्ति नहीं करते तो आप एडमिशन नहीं कर सकते। उसका रिप्रजेंटेशन 19.9.2008 को दिया गया। दूसरी हियरिंग की गई 16.7.2009 को उसमें भी कुछ शॉर्ट कमिंग्स पाई गईं। उन शॉर्ट कमिंग्स में भी वही था कि जो लेक्चरर्स काम करते हैं वह रेग्युलर पोस्ट पर नहीं हैं, डेपुटेशन पर हैं और वही 14 डिपार्टमेंट की बात थी और कुछ बाकी जो नार्मल यानी जो पहले के थे वही की गई थीं इसलिए दुबारा भी उन्होंने कहा कि आप एडमिशन इसमें नहीं कर सकते। अब जो लेटेस्ट इंस्पेक्शन सीसीआईएम सेंट्रल कौंसिल आफ इण्डियन मेडिशन का हुआ है, वह 3 और 4 फरवरी, 2010 को हुआ है और उन्होंने उस वक्त में यह कहा था कि अगर आप केवल यह डिपार्टमेंट का और यह लेक्चरर्स और यह वहां की जो पोस्ट हैं उनको अगर आप फिल-अप कर देते हैं तो हम आपको परमिशन एडमिशन की दे देंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने अपने एफर्ट करके और अमेंडमेंट लाये Service rules made in accordance with the norms of CCIM. और उसका नोटिफिकेशन हमने 19.2.2010 को कर दिया। साथ साथ, पोस्ट आफ एसोशिएट प्रोफेसर और लैक्चरर्स को एनकाडर करके उनके भी क्वालिफिकेशन मोडिफाई कर दिये एज पर द नार्म्स आफ सीसीआईएम। डीपीसी और डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए हमारा प्रयास है कि उसको हम जल्दी से जल्दी करा दें। यह तो हमने यों प्रयास किया है आपने जैसे फर्माया कि हमारा एक ही कालेज है और यह हमारे लिए एक प्रेस्टीज इश्यु है। मैं मानता हूं कि इसमें जो भी आज तक कमी हुई है, हमारा यही प्रयास रहा है कि हम उसकी जल्दी से जल्दी पूर्ति करके आगे आने वाले सैशन में इसको लागू करें, उसमें चालू करें। यह हमारा कमिटमेंट हमारे मेनिफेस्टो में भी है कि जो हमारी इंडियन मेडिसन हैं, ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन हैं- चाहे वह आयुर्वेद हो, चाहे यूनानी हो, उनको वापस बढ़ावा दें, उनका एक स्टेटस इस मुल्क में होना चाहिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विरासत है, हजारों साल की विरासत है और इसके कई फायदे हैं, वह आप मेरे से ज्यादा समझते हैं। इसको हम किस तरह से उस स्टेज पर लाएं जिस स्टेज का इसका हक है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा प्रयास पूरा यह रहेगा कि इस ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन को हम जितना बढ़ावा दे सकें, दें।

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

यह सब जो कार्यवाही हुई है, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कुछ महीनों पहले इसकी कमियां देखते हुए हमने आदरणीय मुख्य मंत्री जी से रिक्वैस्ट की थी कि अगर आप इसमें पर्सनल इंटरेस्ट लेंगे तो ये जितनी हमारी कमियां हैं, जो इंटर डिपार्टमेंट भी लिंक्ड हैं, उसमें हमें मदद मिलेगी। उसके लिए आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने खुद पूरे आयुर्वेद डिपार्टमेंट की मीटिंग की। और जो भी हम आज तक एफर्ट कर पाये हैं, चाहे वो सर्विस रूल्स के हों या दूसरी कोई चीज के हों वो उसके बाद ही हुए हैं। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारा यह प्रयास रहेगा कि जून से हम एडमिशंस की एप्लीकेशन इनवाइट कर लें और तीस अक्टूबर की जो एडमिशंस की लास्ट डेट है, उसमें हम ये एडमिशन पूरे कर लें।

अब रहा पोस्ट का सवाल, तो आपने जो फर्माया वह बिल्कुल सही है। टीचिंग स्टाफ में सीसीआई नार्म्स के हिसाब से प्रोफेसर के 11 पद होने चाहिए, जिसमें एडिजस्टिंग तीन ही हैं तथा न्यू पोस्ट जो सैंक्शन या क्रियेट की गई हैं, वो 8 हैं। इसी तरह से एसोशियेट प्रोफेसर की सीसीआई नार्म्स के हिसाब 17 पोस्ट हैं और आज की तारीख में एसोशियेट प्रोफेसर एक ही काम कर रहा है, मगर 14 क्रियेट की गई हैं। लैक्चरर हमारे पूरे हैं। अब अगर डीपीसी के प्रमोशन में कोई कमी रहती है, जो प्रमोशन हम नहीं कर सकते तो हम उनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर लेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी के एफर्टस के बारे में तो इनको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेहनत की है, परिश्रम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मुझे जो सम्भावना लग रही है, इसमें कमियां इतनी हैं कि उनकी समय पर पूर्ति नहीं हो सकती। जैसा अभी आपने बताया, 11 प्रोफेसर की पोस्टें हैं और आज की तारीख में तीन काम कर रहे हैं। 17 एसोशियेट प्रोफेसर के पद हैं और केवल एक काम कर रहा है। लैक्चरर भी आप जो बता रहे हो उसमें सलैक्टेड केवल तीन हैं 20 के अगेंस्ट में, बाकी सारे के सारे इधर-उधर से लाकर एडजस्ट किये हुए हैं। लैक्चरर संख्या की दृष्टि से पूरे हैं। डिमोंस्ट्रेटर आपने आज की तारीख में 20 के अगेंस्ट में 23 लगा रखे हैं पर जो सीसीआई नार्म्स हैं उसके अनुसार केवल तीन क्वालिफाइड हैं बाकी 17 क्वालिफाइड ही नहीं हैं, इसलिए इनकी भर्ती करना क्योंकि ये सारी प्रमोशन की पोस्टें हैं, इसमें सम्भव नहीं होगा क्योंकि जब आपके पास लैक्चरर ही नहीं हैं तो आप प्रमोशन करोगे किसका? एसोसियेट प्रोफेसर की पोस्ट पर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

या तो यह हो कि हम वन टाइम जितनी भी हमारी वेकेंट पोस्टें हैं इनका डायरेक्ट सलेक्शन का एडवरटाइजमेंट करें। डायरेक्ट सलेक्शन के एडवरटाइजमेंट से इस पद को भरें तो वह भरे। इसके लिए तो आपके नियमों में उसी प्रकार से बदल? करना पड़ेगा क्योंकि फिफ्टी परसेंट डायरेक्ट होगा। इसमें अभी तो हण्डरेड परसेंट डीपीसी से है- एसोशियेट प्रोफेसर डीपीसी से है, प्रोफेसर डीपीसी से है। जब आपके नीचे केवल तीन लैक्चरर हैं तो यह पोस्ट क्रियेट कैसे होगी और बनेंगे कैसे, यह सम्भावना लगती नहीं है। इसलिए इसमें एक ही रास्ता है कि जितना जल्दी हो सके, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आप आर्डर्स करें और उसमें एप्लीकेशन लेकर जो भी एलिजिबल लोग हों, उनको इस पर नौकरी पर लगाया जाए, तो हो।

इसके अलावा आपको एक समस्या दूसरी फेस करनी पड़ेगी, आज की तारीख में इस कालेज को रन करने के लिए जिन लोगों को आपने इधर-उधर से लाकर 23 लोगों को लैक्चरर की पोस्ट पर लगाया हुआ है, वो सारा का सारा संकट बनेगा। उसका भी मुकाबला आपको करना पड़ेगा, लेकिन यह कालेज चलना चाहिए। एकमात्र आयुर्वेदिक कालेज है और देश की आजादी के पहले का आयुर्वेदिक कालेज है जिसमें पिछले दो साल में एक का भी एडमिशन नहीं हुआ। 60 तो आपके अंडर ग्रेजुएट में होते हैं और तीन फैकल्टी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं जिनमें 5-5 पोस्टें हैं। आज की तारीख में कालेज बिलकुल ठप्प पड़ा है। करोड़ों रुपये के इन्वैस्टमेंट के बाद में भी परिणाम जीरो है। आपकी भावना को मैं समझ रहा हूं, आप कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर इसमें मुख्य मंत्रीजी, कोई न कोई रास्ता निकालें। एक मात्र गवर्नमेंट का आयुर्वेदिक कालेज है राजस्थान में, जिस आयुर्वेद को हम इतना पसंद करते हैं। उसके लिए कोई भी कानूनी जो पेचीदगी है उसको हल करेंगे तो अगला सत्र हमारा शुरू हो सकेगा, नहीं तो अगला सत्र शुरू नहीं होगा। यह कालेज लगभग बंद हो गया है और केवल वो बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर, सैकिण्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, बाकी आगे के सारे के सारे समाप्त हो गये।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कटारियाजी ने जो बात कही है, आप निश्चित रहें, यह आयुर्वेदिक कॉलेज चलेगा और आराम से चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे मंत्रीजी ने सारी बातें आपको बताईं और सरकार की प्रायोरिटी पर है, हमने आयुर्वेद विश्वविद्यालय इसीलिए बनाया था जिससे कि संबंधित

(श्री अशोक गहलोत)

कॉलेजेज ढंग से चल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम सब के लिए चिंता का विषय है, और खाली आयुर्वेद की बात नहीं है, आज मेडिकल कालेजेज के अन्दर भी चाहे उदयपुर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे और कोई कालेज हो, जब एमसीआई की टीम आती है तब हम जयपुर से भेजते हैं, जोधपुर से भेजते हैं कि टीम देख ले कि हमारे यहां पर पूरे प्रोफेसर्स लगे हुए हैं, रीडर्स लगे हुए हैं। टीम वापस चली जाती है तो वापस डाक्टर चले जाते हैं। डाक्टर्स की अपनी मजबूरी होती है, सिफारिश करवाकर जिस प्रकार से ट्रांसफर-पोस्टिंग चाहते हैं एसएमएस के अन्दर, जोधपुर में, अजमेर में, यह हमारे सब के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हम इस पाइंट को बहुत गम्भीरता से ले रहे हैं कि किस प्रकार से ऐसी पोस्टें क्रियेट हों, किस प्रकार से व्यवस्था हो जिससे कि यह नौबत नहीं आए। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि जब एमसीआई की टीम आए तब हम कालेज का रिकग्निशन खतम नहीं हो इसलिए वहां डाक्टर्स भेजते हैं और वापस बुला लेते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात हो नहीं सकती। मैं खुद इस बात को लेकर दु:खी हूं। मैं चाहूंगा कि इस बारे में हम जल्दी फैसला करेंगे ताकि आने वाले वक्त के अन्दर यह नौबत नहीं आए, यह मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं।

तारांकित प्रश्न संख्या-39

(स्थगित)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन से दी जाने वाली आपकी हर व्यवस्था हम सब सदस्यों के लिए शिरोधार्य है, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री अध्यक्ष: विराजें। आसन पांवों पर है, विराजें। माननीय सदस्य का जो प्रश्न आज अभी था उसको स्थगित इसलिए करना पड़ा कि जिस डिपार्टमेंट के पास वह गया था उस डिपार्टमेंट के बजाय दूसरे डिपार्टमेंट को स्थानांतरित हुआ है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। अगली बार जब टर्न आएगा तो उसमें आपका प्रश्न इनक्लूड कर लिया जाएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना आप स्पष्ट कर दें, आप पूछ लें कि डिपार्टमेंट को किस तारीख को गया और उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कितने दिन बाद में किया जिससे आपको स्थगित करना

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पड़ा। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार विधान सभा सचिवालय से डिपार्टमेंट में प्रश्न चला जाता है, उस डिपार्टमेंट में ही 10 दिन पड़ा रहता है और फिर विधान सभा को कहते हैं कि इसको ट्रांसफर करो और इसके कारण स्थगित करना पड़ता है। तो यह आप कृपा करें कि कब उस डिपार्टमेंट को गया और उस डिपार्टमेंट ने कब ट्रांसफर करने के लिए लिखा। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, कल देवनानीजी का प्रश्न भी स्थगित हुआ। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं और माननीय सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी कहना चाहता हूं......

श्री अध्यक्ष: मैं आपकी बात स्पष्ट कर देता हूं, कृपया विराजें। कृपया विराजें।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): मेरा प्रश्न जोधपुर से सम्बन्धित था।

श्री अध्यक्ष: मैंने इस सम्बन्ध में कि बार-बार स्थगन की परेशानी पैदा नहीं हो, लम्बा नहीं चले, इसके लिए मैंने इस बात के निर्देश दे दिये....

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी से हम अपेक्षा करेंगे, पूरा सदन अपेक्षा करेगा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष: सुन तो लीजिये आप। आप विराजें। कृपया विराजें।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): 15-15 दिन तक विभाग अगर यह तय नहीं कर पाता कि प्रश्न कौन से विभाग का है....

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजें। आसन पांवों पर है।

जब इस प्रकार के प्रश्न मेरे सामने आते हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट को स्थानांतरित करना पड़ा है, मुझे आपको स्थगित करने के लिए निवेदन करने के लिए बाध्य होना पड़ा है, तो मैंने इस प्रकार के निर्देश भिजवाने के आदेश दे दिये हैं कि जिस विभाग के पास ये प्रश्न पहुंचते हैं, यदि उस विभाग से सम्बन्धित नहीं हैं तो भविष्य में 24 घंटे में उस विभाग को सीधे स्थानांतरित करके हमको सूचित कर दें। श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

दैनिक उपयोग की जिंसों के मूल्यों में कमी लाने हेतु कार्य योजना

40. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में दैनिक उपभोग की जिंसों यथा गेहूं, बाजरा, चीनी, गुड़, चावल, मूंग दाल, मूंग मोगर, मोठ, मोठ दाल, चना दाल, अरहर दाल, तुअर दाल, मसूर दाल, तिल, घी, दूध आदि के सरकारी खरीद मूल्य क्या हैं? सरकारी खरीद मूल्य के साथ ही होल सेल एवं खुदरा दरों की अन्तर तालिका की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दरों में सरकारी नीति अनुसार अधिकतम कितना अन्तर हो सकता है तथा उक्त नियमों का कितना उल्लंघन हो रहा है? सरकार की नीति एवं नियमावली की प्रति के साथ ही तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नियमों से अधिक स्टाक संग्रहण इसका एक प्रमुख कारण है? यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है? अब तक की गई कार्यवाही का विवरण एवं आगामी कार्यवाही की योजना सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार दैनिक उपभोग की वस्तुओं की वर्तमान खुदरा मूल्य सूची से संतुष्ट है? यदि नहीं, तो सरकार उक्त मूल्यों में कमी लाने हेतु क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार गेहूं आटे के साथ ही चीनी, गुड़, घी, तेल एवं दालों को भी सरकारी स्तर पर विक्रय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री बाबूलाल नागर : (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति) : (1) भारत सरकार द्वारा प्रमुख कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा प्रति वर्ष की जाती है। वर्ष 2010 के लिए गेहूं की दर 1,100/-, बाजरा 840/-, चावल 950/-, मूंग 2,760/-, उड़द 2,520/-, चना 1,760/-, अरहर (तुअर) 2,300/-, तिल 2,850/- व मसूर 1,870/- प्रति क्विंटल घोषित की गई है। सरकारी खरीद मूल्य के साथ ही होल सेल एवं खुदरा दरों की अंतर तालिका की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। थोक एवं खुदरा दरों के अंतर के संबंध में कोई नीति अथवा नियमावली नहीं है।

(श्री बाबूलाल नागर)

(3) जी नहीं। मानसून वर्षा की कमी के कारण बुआई क्षेत्र घटने एवं उत्पादन कम होने की स्थिति में खाद्यान्नों एवं दलहनों की मांग-आपूर्ति में असंतुलन होना प्रमुख कारण रहा है। ऐसी स्थिति में स्टाक संग्रहण की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने तथा खाद्यान्नों की कम उपलब्धता की स्थिति में अनावश्यक लाभ उठाने से रोकने हेतु वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा कानूनी प्रावधान करते हुए लाइसेंसिंग प्रणाली, स्टाक सीमा एवं टर्नओवर अवधि का निर्धारण करने के लिए आदेश व अधिसूचनाएं जारी की गई हैं:-

1. चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने एवं जमाखोरी रोकने के लिए चीनी डीलर्स पर दिनांक 15.07.2009 से 30.09.2010 तक की अवधि के लिए लाइसेंस लागू कर दिया गया है। चीनी पर स्टाक सीमा एवं टर्नओवर अवधि के निम्नानुसार प्रावधान किये गये हैं:-

डीलर	स्टाक सीमा	टर्न ओवर अवधि
खुदरा डीलर	25 क्विंटल	30 दिवस
थोक डीलर	2,000 क्विंटल	30 दिवस

2. दालों की कीमतों को नियंत्रित करने एवं जमाखोरी रोकने के लिए दालों के डीलर्स पर दिनांक 12.08.2009 से 30.09.2010 तक की अवधि के लिए लाइसेंस लागू कर दिया गया है। दालों पर स्टाक सीमा एवं टर्नओवर अवधि का निम्नानुसार कानूनी प्रावधान किया गया है:-

डीलर	स्टाक सीमा	टर्न ओवर अवधि
खुदरा डीलर	30 क्विंटल	30 दिवस
थोक डीलर	1,000 क्विंटल	30 दिवस
मिलर्स के लिए साबुत दाल	30 दिन की उत्पादन क्षमता के बराबर	30 दिवस
दली हुई दाल	15 दिन की उत्पादन क्षमता के बराबर	30 दिवस

3. राज्य में उपरोक्त लाइसेंस व्यवस्था, स्टाक सीमा एवं टर्नओवर की अवधि के प्रावधानों के अन्तर्गत 8,164.71 क्विंटल चीनी एवं 16,152 क्विंटल दाल जब्ती की कार्यवाही की गई है।

(श्री बाबूलाल नागर)

खाद्यान्नों की मांग एवं आपूर्ति के संतुलन को बनाये रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त मात्रा में गेहूं के आबंटन के साथ-साथ दालों एवं खाद्य तेल का आयात भी किया जा रहा है।

(4) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कमी लाने के लिए निम्नलिखित विशेष कदम उठाये गये हैं:- ए.पी.एल. श्रेणी में प्राप्त हो रहे 17,204 मै.टन प्रति माह गेहूं के आबंटन की मात्रा को राज्य सरकार के विशेष प्रयासों पर भारत सरकार द्वारा बढ़ाकर अब प्रति माह 64,360 मै.टन किया जा रहा है। इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को 6.80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं उपलब्ध कराने के लिए लगभग चार गुना आबंटन मात्रा में वृद्धि की गई है। इसी प्रकार खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत माह अक्टूबर, 2009 से मार्च, 2010 तक छह माह की अवधि के लिए कुल 1,73,864 मै.टन गेहूं का आबंटन किया जाकर रु. 12.50 प्रति किलोग्राम की दर से उपभोक्ताओं को वितरण किया जा रहा है। इसी अवधि के लिए 78 मै.टन चावल भी आबंटित किया गया है, जिसका वितरण उपभोक्ताओं को किया जा रहा है। अकाल राहत योजना के अन्तर्गत माह अक्टूबर, 2009 से मार्च, 2010 तक की छह माह की अवधि में 1,52,124 मै.टन का आबंटन किया गया है, जिसे अकाल प्रभावित 26 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं में 11.60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वितरित किया जा रहा है। विशेष प्रयास कर माह जनवरी-फरवरी, 2010 के लिए 1,77,340 मै.टन गेहूं का विशेष अतिरिक्त आबंटन भी प्राप्त किया गया है, जो 11.60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सभी जिलों के उपभोक्ताओं को वितरित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा सात संभागीय मुख्यालयों की नगरीय सीमा में ए.पी.एल. श्रेणी के उपभोक्ताओं को आटा वितरण योजना लागू कर नौ रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम प्रति माह राशन कार्ड पर 47,790 मै.टन आटा उपलब्ध कराया गया है। खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलोग्राम की पैकिंग में सभी श्रेणी के संभाग लेवल के उपभोक्ताओं को 19,460 मै.टन आटा बिना राशन कार्ड के अभी तक भी उपलब्ध कराया जा रहा है। आटा वितरण योजना का विस्तार जिला मुख्यालयों पर भी किया जा रहा है।

इसी प्रकार 1,000 मै.टन मूंग की दाल का आयात कर सभी सात संभागीय मुख्यालयों की नगरीय सीमा में 47 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर राशन कार्ड के आधार पर वितरण किया गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उत्तर दे रहे हैं तो उन्हें बीच में कैसे रोक पाऊंगा? उत्तर तो देना ही पड़ेगा। जो भी है, उत्तर दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आप सब ही के जवाब दूंगा धीरे-धीरे, आप तसल्ली से सुन लें और जो जिसको पूछना हो, आराम से पूछिये। (व्यवधान)

... तथा दाल एसोसियेशन के समन्वय से 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर चने की दाल उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई गई है। दालों की भविष्य में मांग और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए 30,000 मै.टन मूंग दाल एवं 36,000 मै.टन पीली मटर दाल का आयात कर रियायती दर पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार द्वारा 15 रुपये की रियायती दर पर 4,040 मै.टन सोया तेल आयात कर 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया गया है।

श्री अध्यक्ष: उत्तर तो आने दो आप। (व्यवधान) कृपया व्यवस्था बनाये रखिये। (व्यवधान) मंत्रीजी, आप चालू रखें। आप अपनी बात कहें। व्यवस्था बनाये रखिये। कृपया व्यवस्था बनाये रखिये। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): ...खाद्य तेल के बढ़ते मूल्यों के मद्देनजर रियायती दर पर खाद्य तेल उपलब्ध कराने एवं भावों को नियंत्रित करने के लिए 10,000 मै. टन सोया तेल आयात करने के लिए भारत सरकार को एजेंसी नियुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवस्था बनाये रखिये। उत्तर तो आने दीजिये, फिर आपको सप्लीमेंट्री का अवसर दूंगा। (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खाँ (धौलपुर): वह कराया गया, वह कराया गया, क्या कराया जा रहा है, यह बताइये।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी का उत्तर आने के बाद सप्लीमेंट्री के लिए आपको समय दूंगा। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): आज की तारीख में सरकार क्या कर रही है मूल्यों पर नियंत्रण के लिए, यह बताइये। भारत सरकार जो कर रही है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये, कृपया विराजिये। (व्यवधान) कृपया विराजिये। माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। (व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

आसन पांवों पर है। देखिये, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसका मंत्रीजी सरकार की ओर से उत्तर दे रहे हैं। उनका उत्तर आने के पश्चात् आपको भी सप्लीमेंट्री का अवसर दिया जाएगा लेकिन प्रश्न के उत्तर में व्यवधान करने के लिए मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। (व्यवधान) आपको मंत्रीजी की परफार्मेन्स पर किसी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए। आप सुनिये। आप सुनिये। पूरी बात सुनिये। पूरा जवाब सुनिये, उसके बाद आपको अवसर दूंगा। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, मेरा क्रम तोड़ दिया, दुबारा से शुरु कर दूं? (व्यवधान) इन्होंने क्रम तोड़ दिया मेरा।

(5) जी हां। राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्तर पर गेहूं आटे के साथ-साथ दालों एवं खाद्य तेल का भी विक्रय किया गया है।

1,000 मै.टन मूंग की दाल का आयात कर सभी सात संभागीय मुख्यालयों की नगरीय सीमा में 47 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर राशन कार्ड के आधार पर वितरण किया गया है, जो एक माह ही किया है तथा दाल एसोसियेशन के समन्वय से 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर चने की दाल उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई गई है। 4,040 मै.टन सोया तेल आयात कर 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया गया है। लेवी चीनी की वितरण बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को 13.50 रुपये की दर से किया जा रहा है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): भारत सरकार को पत्र लिख देने से मूल्यों पर नियंत्रण नहीं होगा। आपका घोषणा-पत्र था कि तीन रुपये किलो गेहूं देंगे और आज 14 रुपये किलो में आटा दे रहे हैं। 14 रुपये किलो की बात मंत्रीजी यहां सदन में बोल रहे हैं और आप बाहर तीन रुपये किलो में गेहूं देने की बात करते हैं। (व्यवधान) यह कहां गया अन्तर आपका? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हो गया। मूल प्रश्नकर्ता। मूल प्रश्नकर्ता। मूल प्रश्नकर्ता। (व्यवधान) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो-जो मैंने सवाल पूछे हैं, उसके जो उत्तर दिये हैं...

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवस्था बनाये रखिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): कोई एक भी उत्तर उन्होंने सही नहीं दिया है। (व्यवधान) ये मेरे दिये हुए आंकड़े नहीं हैं, ये आपके दिये हुए आंकड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर इजाजत हो तो एक-एक लाइन पढ़कर सुना दूं? आपने खुद ही दिये हैं।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): पढ़ दो, पढ़ दो।

श्री अध्यक्ष: अगर आपके समझने में दिक्कत हो तो वापस दिला दूं? (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, नहीं, ये सारे ही गलत दिये हैं मंत्रीजी ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई मजाक की बात नहीं है। यह महंगाई का मामला है और मंत्रीजी ने जो उत्तर दिये हैं, वे सही उत्तर नहीं दिये हैं। इन्होंने तो बहुत लम्बी-चौडी अपनी सरकार की योजना बताई है, मगर यह योजना कोई योजना नहीं है। खुद मेरे स्वर्गीय पति सप्लाई आफिस में रहे हुए हैं और मैं जानती हूं कि सप्लई आफिसर के क्या हाल हैं। ये खाद्य मंत्री हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: ऐसा है, आप बहुत वरिष्ठ सदस्या हैं और आपकी सीनियोरिटी को और आपके कद को देखते हुए इन्होंने विस्तार से जवाब दिया है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, वह तो मैं इनको बहुत धन्यवाद दूंगी, विस्तृत जवाब तो दिया है, मगर जवाब कम से कम सही तो दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उनके डील-डौल को देखते हुए, जितना बड़ा उनका सिर और शरीर है, उतना ही बड़ा ये प्रश्न पूछेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूछो तो, पूछो तो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजिये। मूल प्रश्नकर्ता। कृपया आप विराजिये। मूल प्रश्नकर्ता।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो इन्होंने खुद दिया है दूध का मूल्य कि दूध यह भाव है। दूध आज की

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

तारीख में 16 रुपये किलो से कम कहीं भी नहीं है। अगर है तो इनको ईमानदारी से कह दो कि ये सही बात कह रहे हैं।

सबसे पहला तो प्रश्न यह है। मैं एक-एक पर जाऊं तो अभी समय हो जाएगा और मेरी बात नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, कोई खड़ा नहीं होगा, आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने खुद दिया है सोलह रुपये किलो दूध, कहां है सोलह रुपये किलो दूध? कहां है सोलह रुपये, कौन दे रहा है सोलह रुपये किलो दूध। डेयरी का दूध बता रहे हैं यह... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: व्यवधान नहीं। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): यह आपका ही दिया हुआ पढ़ा है, मेरा नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: डेयरी, डेयरी, डेयरी।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): कौन से समय का है, कौन से सन् का है, कौन से महीने का है, उसको पढ़ो आप। आप पहले पढ़ो उसको।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे तो मैं...

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछने दीजिये, प्रश्न पूछने दीजिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ऐसे तो मैं मेरे जमाने का बता दूं, चार आने किलो दूध मिलता था उससे क्या मतलब होता है? बात आज की चल रही है। विधान सभा में सवाल-जवाब आज हो रहा है, कोई पुरानी बात थोड़े ही हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछिये आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): यह बता रहे हैं कि हम आटा दे रहे हैं नौ रुपये किलो, बारह रुपये किलो और राशन, किसको दे रहे हैं आप, कौन से राशन की दुकान पर दे रहे हैं, कितना-कितना दे रहे हैं? एक राशन के ऊपर दस किलो, पांच किलो गेहूं दे रहे हैं या एक व्यक्ति के ऊपर दे रहे हैं। सारा विवरण दे रहे हैं, अपना सारा एक पाठ गीता के पाठ की तरह पढ़कर सुना दिया, ऐसे थोड़े ही होता है कोई। (व्यवधान) एक-एक बात बताइये आप।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

ऐसे नहीं बताया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब विधान सभा के अन्दर सवाल आता है उसका कोई उत्तर सही नहीं आवे तो हमारा पूछना बेकार जाता है। (व्यवधान) अगर अधिकारी कोई सही जवाब नहीं दें माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछिये कृपया। पूरक प्रश्न।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): एक प्रश्न पूछा नहीं इन्होंने।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): एक मिनट माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने दालों का सबका जो विवरण दिया है, वह 10 का दिया है, आप पहले का बताओ न। आप आज से आठवें सन् का बताओ न, क्या था और आज दसवें महीने में क्या है, सातवें महीने में। आज तो आप करो पुरानी बात, यह तो ऐसे नहीं चलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो शक्कर दी है, शक्कर का वैट किया क्या, क्या वैट था शक्कर का, यह बताइये मेरे को? आपकी शक्कर का वैट क्या था? आपने शक्कर कर दी, वैट क्या था? आप राजस्थान सरकार को...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): शक्कर पर राजस्थान सरकार के द्वारा कितना वैट (VAT) है?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आप यूं किसी को भी घुसाया मत करो, आप अपनी बात स्पष्ट करो। आपने अपनी बात शुरू करके ऐसे विस्तार की तरह कर दिया, लेकिन खोदा भाकर और निकला चूहा। और है कुछ नहीं, गरीब जनता को तो कुछ भी नहीं मिला। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है, मूल प्रश्न। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): प्रश्न एक नहीं पूछा अभी तक। एक प्रश्न नहीं पूछा। आप पूछिये न, मैं जवाब दूंगा। (व्यवधान) आपने क्या प्रश्न किया है, पूछिये आप।

एक माननीय सदस्य: यह चूहा कौन है? (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): चीनी पर आप ही की सरकार ने कितना वैट रखा है, यह बता दो। चलो एक ही बात बता दो, हम सब बात मान लेंगे।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): चीनी पर

(श्री बाबूलाल नागर)

हटा दिया है, हमने सारा हटा दिया। चीनी पर सारा हटा दिया, कोई वैट नहीं है। कोई वैट नहीं है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): यह बताओ न आप? यह बताओ न आप, कितना वैट लग रहा है?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): चीनी पर कोई वैट नहीं है, हटा दिया हमने। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय बिरलाजी, बैठिये। मूल प्रश्नकर्ता। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जो मूल प्रश्न करे...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, आयातित चीनी पर यह गलत सूचना दे रहे हैं, गलत सूचना दे रहे हैं यह। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता। मूल प्रश्नकर्ता। कृपया विराजें। मूल प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं, आप डिस्टर्ब न करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मूल प्रश्नकर्ता ने एक प्रश्न पूछा, उसका जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: तो आप विराज जाइये। वह जवाब मैं दिला रहा हूं, आप विराजें। मूल प्रश्नकर्ता केवल प्रश्न पूछ रहे हैं, आप विराजें। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): चीनी पर कितना वैट है?

श्री अध्यक्ष: केवल मूल प्रश्नकर्ता को मैंने इजाजत दी है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो इतना ही बता दें कि एक राशन पर कितना आटा देते हैं? या एक व्यक्ति पर कितना देते हैं, यह बता दें, चलो। बताइये आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुनिये, सुनिये। सुनिये भाई, सुनिये, माननीय सदस्य।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा मुख्य मंत्रीजी के प्रयास पर हमारी सरकार आई थी तब 17 हजार मैट्रिक टन गेहूं एक महीने का मिलता था एपीएल में, अब 64 ...(व्यवधान) मैं जवाब दे रहा हूं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): हम यह नहीं पूछ रहे हैं, हम यह पूछ रहे हैं कि राशन कार्ड पर कितना देते हैं।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): तो जवाब तो लीजिये। जवाब लीजिये। आप जवाब लीजिये, सुनिये मुझे। (व्यवधान) 64 हजार मैट्रिक टन है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आटा पूछा है...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): हमने तो एक राशन पर कितना देते हैं यह पूछा। हां, आटा बताओ, चलो।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं निवेदन करना चाहूंगा, हम एपीएल को...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पूछा है राजस्थान में चीनी पर कितना वैट है, इस सवाल का जवाब दो। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): कितना वैट है, वह भी नहीं बता रहे हैं। रेट है तो बताओ।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आप जवाब तो सुनें। (व्यवधान) आप इनको जवाब सुनने दो। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका कोई जवाब संतुष्ट नहीं है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): एक मिनट, आप जवाब सुनने दो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): राज्य सरकार द्वारा चीनी पर कितना वैट है? (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आप जवाब तो सुनने दो, उनका मैं जवाब दे दूं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): साथ ही दे देना। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): एक प्रश्न नहीं है आपके पास और सदन की कार्यवाही को सही नहीं चलने दे रहे हैं। आप तसल्ली से जवाब लीजिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): हमारे पास सारे प्रश्न हैं, आप जवाब दो न, बोलो। (व्यवधान) आप चीनी का यह वैट बता दो, चलो मान गये अब बहुत सारी बात। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं सीधी तरह बता रहा हूं, अध्यक्ष महोदय...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): राजस्थान की जनता को बेवकूफ बनाया, राजस्थान में चीनी पर वैट नहीं है और मुख्य मंत्रीजी घोषणा कर रहे हैं...(व्यवधान) यह घटाई महंगाई इन्होंने इस तरीके से। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, यह खड़े हो जाते हैं आठ-दस, किस-किस का जवाब देगा मंत्री? मंत्री जब इतना विस्तारित दे रहे हैं, यह सुनना नहीं चाहते और हर चीज को गोलमोल कर रहे हैं। आप क्यों नहीं आसन से व्यवस्था देते? जब मूल प्रश्नकर्ता का आपने नाम पुकार दिया, यह क्यों खड़े होकर बीच में बोल रहे हैं और व्यवधान पैदा कर रहे हैं? पूरा विस्तारित जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी कि राजस्थान सरकार में मुख्य मंत्रीजी के प्रयास से कितना एपीएल गेहूं का कोटा बढ़ा है। हर चीज का जवाब दे रहे हैं, उसके बावजूद भी यह व्यवधान पैदा करके सुनना नहीं चाहते इस सदन को और मीडिया के अन्दर छाये रहते हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं है इनका, विपक्ष का। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इनको इजाजत दी है क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): मंत्री जवाब दे रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, आपने कहा है कि यह राशन हमने डिवीजनल हैडक्वार्टर पर दिया है...

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता के प्रश्न का तो उत्तर आ जाने दीजिये, आप बीच में ही। मूल प्रश्नकर्ता का प्रश्न है उनका उत्तर तो दे रहे हैं मंत्रीजी। प्लीज, बाद में आप, पहले मूल प्रश्नकर्ता का।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के 27 जिले अकाल और महंगाई से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहले मूल प्रश्नकर्ता को। नहीं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, पहले मूल प्रश्नकर्ता का उत्तर आ जाने दीजिये, विराजें आप, विराजें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे दो बात चाहती हूं, एक तो चीनी के ऊपर वैट की बात, एक मैं यह चाहती हूं कि राशन एक व्यक्ति को कितना दे रहे हैं, पूरा राशन, यह बता दो।

श्री अध्यक्ष: चलिये, दो बात का जवाब दे दीजिये। (व्यवधान) आपका जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) व्यवधान नहीं, कृपया विराजें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): दोनों बात बता दें।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आटा पूछा है एक राशनकार्ड पर।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): चीनी का वैट भी पूछा है। वैट भी पूछा है मैंने। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं बता रहा हूं, भई। अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में एक राशनकार्ड पर दस किलो आटा.. (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): एक राशनकार्ड पर दस किलो आटा। आप खिला सकते हैं क्या दस किलो आटा? क्या बात कर रहे हैं आप?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): राजस्थान का बता देता हूं भई, (व्यवधान) और यह राजस्थान का बताऊं? अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में एक करोड़ बाईस लाख एपीएल परिवार हैं और हमें चौंसठ हजार मैट्रिक...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या पूछ रहे हैं? सवाल सिर्फ पूछा है चीनी पर वैट कितना है...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, मुझे सुनना नहीं चाह रहे हैं यह। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): और एक राशनकार्ड पर आटा कितना दे रहे हैं, सवाल इतना-सा है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): एक राशन पर दस किलो गेहूं। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सम्भागीय मुख्यालय पर हम प्रति राशनकार्ड दस किलो, एपीएल राशनकार्डधारियों को दस किलो आटा नौ रुपये किलो के हिसाब से दे रहे हैं और पूरे राजस्थान में...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): एक महीने का दे रहे हैं। एक महीने का दे रहे हैं। एक महीने का आटा फिर क्या होगा, यह क्या बात कर रहे हैं आप? (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, चीनी के संबंध में चार प्रतिशत वैट था, वह भारत सरकार ने डाइरेक्शन दिये, हमने चीनी के वैट को हटा दिया है। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं हटा दिया, क्या बात कर रहे हो आप। एक व्यक्ति को दस किलो गेहूं, एक व्यक्ति को दस किलो गेहूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या होगा? (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न था, सदन को इससे लाभ मिलता, सदन को लाभ मिलता लेकिन...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार केवल सात सम्भागीय...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): एपीएल को जीरो और बीपीएल को केवल पांच किलो..(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सात सम्भागीय मुख्यालयों के अलावा राजस्थान के 27 जिले अकाल में हैं और अकाल और महंगाई की दोनों मार झेल रहे हैं, क्या वे राशन के हकदार नहीं हैं इस सरकार की नजर में? और दूसरा मैं जानना चाहूंगा कि बारह रुपये पचास पैसे जो गेहूं दिया गया है विशेष आवंटन में....

श्री अध्यक्ष: यह मूल प्रश्नकर्ता तो खड़े हैं प्रश्न पूछने के लिए और आप बीच में शुरू हो गये। मैंने उनको इजाजत दे रखी है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नहीं, बैठी हैं वह तो। वह तो विराजे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं विराजे हैं, आपकी वजह से बैठना पड़ा है। उनको पूछने दीजिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, तो आप तो बोल रहे हैं बीच में, क्या करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): और बारह रुपये पचास पैसे में सरकार ने उसमें कितनी मदद देकर राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में एक भी आपने... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: केवल मूल प्रश्नकर्ता को मैंने निवेदन किया है। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: केवल मूल प्रश्नकर्ता को मैंने निवेदन किया है स्पेसिफिक कोई प्रश्न आप कृपया हो तो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ दो-चार बात की जानकारी चाहती हूं...

श्री अध्यक्ष: दो-चार बात नहीं, एक कोई स्पेसिफिक प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): अच्छा, एक ही चलो। एक तो यह कह रहे हैं कि एक राशनकार्ड पर दस किलो गेहूं दे रहे हैं...

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आटा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। दस किलो गेहूं से क्या होगा? अगर पांच आदमी होंगे तो क्या वे दस किलो गेहूं इनके बहुत हैं? आप इसका फैसला करिये। यह आटा देंगे, गेहूं नहीं, आटा दे रहे हैं और आटे की पिसाई क्या है, वह भी बताएं? आटा दे रहे हैं तो पिसाई तो होगी। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पिस गया है। आटे की पिसाई कितनी है, उसके टेण्डर कब हुए और कहां-कहां आटा पहुंच रहा है और उसकी कौन मानिटरिंग कर रहा है? सारे कुर्सियां ही तोड़ते हैं वह। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को इस बात की सारी जानकारी दिलाएं आप। एक राशन का दस किलो गेहूं, आटे से क्या होगा? आटे की पिसाई कितनी है, आटा पिसाई का कितना मूल्य है और उसके टेण्डर कब किये और कब हुए, यह सारी जानकारी दें।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा....

(समय : 12.00 बजे)

माननीय सदस्य ने कहा एक राशन कार्ड पर दस किलो गेहूं दे रहे हैं...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैंने नहीं कहा है, आपने कहा है।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, दस किलो गेहूं तो हम एपीएल राशन कार्ड वालों को दे रहे हैं। इसके अलावा राशन कार्ड वाला अगर ज्यादा गेहूं लेना चाहता है तो बिना सीमा के साढ़े बारह रुपए किलो, अनलिमिट गेहूं ...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): अध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): उसको दे रहे हैं, पूरे राजस्थान में दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा 11 रुपए 60 पैसे किलो के हिसाब से भी एक राशन कार्ड पर हम इन दस किलो के अलावा बीस किलो गेहूं प्रति माह पूरे राज्य में उपलब्ध करवा रहे हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): पिसाई का बताओ, पिसाई का बताओ?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): यह हमने आबंटन कर दिया है, काम शुरू हो गया है पूरे राज्य में। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आटे की पिसाई का बताइए, पिसाई का?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आटे की पिसाई बताओ?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, इनको सुनना है नहीं, एक प्रश्न उठाया नहीं ...(व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त, प्रश्नकाल समाप्त।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री अमराराम एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में हरियाणा निर्मित शराब की तस्करी से राजकोष को हो रही हानि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

2. श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं 17 अन्य माननीय सदस्यों की ओर से खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं पर लगाये गये कर व वैट को तुरन्त कम कर महंगाई से त्रस्त राज्य की जनता को शीघ्र राहत प्रदान करने के संबंध में।

3. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से गुलाबी नगर जयपुर की पहचान जलमहल को पूंजीपतियों को बेचे जाने की योजना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित

(श्री अध्यक्ष)

कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। वैसे भी माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राठौड़ को अनुदान की मांगों पर चर्चा के समय प्रस्ताव के विषय पर बोलने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध रहेगा तथा माननीय सदस्य श्री बेनीवाल आज सदन में पर्ची के माध्यम से इसी विषय पर अपने विचार रखेंगे।

4. श्री ओटाराम देवासी एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिरोही के किसानों की फसल को सुअरों से हो रहे नुकसान को रोकने के संबंध में।

5. सुश्री सिद्धि कुमारी, सदस्य की ओर से बीकानेर-जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग के गजनेर रोड पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने के संबंध में।

6. श्री हरिसिंह रावत एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से दिनांक 21.02.2010 को जयपुर में आयोजित अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में तो असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री ओटाराम देवासी, सुश्री सिद्धि कुमारी एवं श्री हरिसिंह रावत को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री पवन दुग्गल, सदस्य की ओर से बीकानेर अरबन को-आपरेटिव बैंक घोटाले में लिप्त अधिकारियों को दण्डित करने एवं खाताधारियों तथा कर्मचारियों को भुगतान कराने के संबंध में।

2. श्री अर्जुन लाल गर्ग, सदस्य की ओर से बिलाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने के संबंध में।

3. श्री बहादुर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र वैर में निर्मित 33 के.वी.ए. के ग्रिड सब स्टेशनों को प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में।

4. श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के बोरनडी, दादिया, राजोला में एक-एक ट्यूबवैल एवं 10-10 हैण्ड पम्पों की स्वीकृति जारी करने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

5. श्रीमती कमला कस्वां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की राशन वितरण व्यवस्था को तुरन्त व्यवस्थित करने के संबंध में।

6. श्री विजय बंसल, सदस्य की ओर से थाना मथुरा गेट, भरतपुर में दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 698/09 के अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

7. श्री जगसीराम कोली, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर में मवेशियों को बचाने हेतु चारा डिपो खुलवाने के संबंध में।

8. श्रीमती कमसा मेघवाल, सदस्य की ओर से जोधपुर जिले के किसानों को 15 हार्स पावर के स्थान पर 5 या 3 हार्स पावर के बिजली कनेक्शन देने के संबंध में।

9. श्री शाले मोहम्मद, सदस्य की ओर से पोकरण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में।

10. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाली के क्षतिग्रस्त फूटिया एवं लाटाडा बांध के जीर्णोद्धार का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाने के संबंध में।

11. श्रीमती निर्मला सहरिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के सहरिया परियोजना क्षेत्र में अधिकांश पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

12. श्री रामलाल गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के समस्त गांवों में अकाल की विकट समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

दलीय स्थिति

श्रीमती वसुंधरा राजे की नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता समाप्त

मुझे सदन को सूचित करना है कि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजस्थान विधान में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता पद से श्रीमती वसुंधरा राजे के त्याग पत्र को स्वीकार करने की सूचना दी गई है।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि राजस्थान विधान सभा में श्रीमती वसुंधरा राजे के भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के

(श्री अध्यक्ष)

नेता नहीं रहने की वजह से पूर्व में मेरे द्वारा श्रीमती वसुंधरा राजे को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता होने के नाते नेता प्रतिपक्ष के रूप में दी गई मान्यता को समाप्त किया जाता है।

माननीय सदस्य श्री ओटाराम देवासी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बढ़ती हुई मंहगाई पर चर्चा की अनुमति

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि स्थगन प्रस्तावों पर हमारे यहां व्यवस्थाएं भी होती रही हैं माननीय अध्यक्षों की और स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा भी बहुत व्यापक रूप से होती रही हैं। यह नियम-50 इसलिए रखा गया मूल रूप से कि ऐसे अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न जिससे आम जनता में असंतोष व्याप्त हो, उससे जुडा हुआ हो, उस विषय पर सदन में चर्चा हो। सदन की कार्यवाही रोकने का मतलब यह नहीं है कि सदन चले नहीं। सदन की जो निर्धारित कार्य सूची है उसके पहले उस विषय पर विचार हो और उस विषय पर विचार होने के बाद में उस पर निर्णय हो। अध्यक्ष महोदय, आज करीब-करीब सभी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने एक स्थगन प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत किया। उस स्थगन प्रस्ताव में बढ़ती हुई महंगाई के कारण से महंगाई को कम करने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है, इन बातों को जानने के लिए हम स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहते थे। अध्यक्ष महोदय, आज आपने व्यवस्था दी कि इस विषय पर आप अभिभाषण पर चर्चा कर सकते हैं, आप बजट पर चर्चा कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि लोक सभा का अधिवेशन चल रहा है, राज्य सभा का अधिवेशन चल रहा है, माननीय राष्ट्रपति महोदय ने लोक सभा में अपना भाषण पढ़ा है। अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, इसके बावजूद माननीय अध्यक्षों ने व्यवस्था की है कि चूंकि यह महंगाई का विषय है, आम जनता को त्रस्त किए हुए है इसलिए विशेष रूप से वहां चर्चा का प्रावधान किया गया है। हमारे पास नियम 50 का प्रावधान है जिसके अन्तर्गत हम आपके पास आ सकते हैं। आज अभी इस प्रश्न के जवाब में आया, जगह-जगह लोग गेहूं से त्रस्त हैं, दाल नहीं मिल रही है, तेल नहीं मिल रहा है, चीनी नहीं मिल रही है, आम जनता उद्वेलित है। राजस्थान अकाल से भी त्रस्त हो रहा है, सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

भारत सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है और वापस यह किया जा रहा है कि महंगाई से आम जनता को लाभ मिल रहा है। इन सारी स्थितियों में सारे राजस्थान में आक्रोश की स्थिति है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं, इस महंगाई के विषय पर आप व्यवस्था करें और इसको स्वीकार करें और स्वीकार करके सदन में इसकी चर्चा कराएं। अध्यक्ष महोदय, यह मेरा आपसे विनम्र आग्रह है।

श्री अध्यक्ष: विराजें, विराजें। कृपया विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) आसन पांवों पर है माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप तो मेरे ख्याल से अनुभवी हैं, सीनियर भी हैं, इतना ज्ञान तो आपको होगा कि आसन पांवों पर है। बड़ी कृपा होगी, विराजें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ...(व्यवधान) उस बात को हम सदन में पहुंचाएं, महंगाई से जनता त्रस्त है और आप उस पर समय नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: बड़ी कृपा होगी, विराजें। माननीय सदस्यों ने जो स्थगन प्रस्ताव महंगाई के सम्बन्ध में रखा है, उसके सम्बन्ध में मैं व्यवस्था दे चुका हूं और आपसे यही प्रार्थना करुंगा कि दी गई आसन की व्यवस्था के अनुसार आप सहयोग करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, आप पुनर्विचार करें ...(व्यवधान) आप इस पुनर्विचार करें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अध्यक्ष महोदय, हमें अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): लोक सभा में विचार हुआ है, राज्य सभा में विचार हुआ है, अन्य विधान सभाओं में विचार हुआ है, राजस्थान में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं कि विचार नहीं किया जा सके।

श्री अध्यक्ष: श्री ओटाराम देवासी। श्री ओटाराम देवासी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं पुन: आपसे आग्रह कर रहा हूं, महंगाई से आम जनता त्रस्त है और महंगाई पर आप विचार करने के लिए स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष: श्री ओटाराम देवासी।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ...(व्यवधान) इस पर चर्चा कराएं। सदन में चर्चा कराये (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री ओटाराम देवासी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि यह महंगाई का मामला है ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ...(व्यवधान) महंगाई से त्रस्त है, सरकार सोयी हुई है, हमारी यह ड्यूटी बनती है कि महंगाई को ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): महंगाई से आम जनता त्रस्त है और उस पर आप चर्चा कराना नहीं चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा, माननीय सदस्यगण, अंकित नहीं हो रहा है। श्री ओटाराम देवासी को उनके स्थगन प्रस्ताव पर दो मिनट बोलने का अवसर दे रहा हूं।

(प्रतिपक्षी माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर नारेबाजी)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

(अनेक प्रतिपक्षी माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

(अनेक प्रतिपक्षी माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.20 बजे एक घण्टे के लिये स्थगित हुई)

(पुन: समवेत् होने पर)

(समय : 13.20 बजे)

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बढ़ती हुई महंगाई पर चर्चा की अनुमति

अनेक माननीय सदस्य: राम-राम साहब।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, अभी गतिरोध इस बात पर था कि राजस्थान में जिस तरह से मंहगाई से आम आदमी को निचोड़ा जा रहा है, उसको लेकर इस सदन में चर्चा करवाई जाए। देश की लोक सभा में, राज्य सभा में हो रही है, अन्य प्रान्तों की विधान सभाओं में हो रही है, इसलिए इस बात की आवश्यकता है। प्रश्नकाल में खाद्य आपूर्ति मंत्रीजी ने बताया कि केवल सम्भागीय आयुक्तों पर ही कुछ नाम मात्र का वितरण किया गया है, बाकी राजस्थान के 27 जिले आज भंयकर अकाल और मंहगाई की दोनों मार झेल रहे हैं। पिछले 7-8 महीनों से राजस्थान की सरकार ने उस गांव के किसान और आम गरीब की सुध लेने का कोई काम नहीं किया इसलिए इस पर विस्तृत चर्चा करवाने के लिए अनुरोध था। स्थगन प्रस्ताव है उस पर अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी है उस पर पुनर्विचार करके इस पर चर्चा करवाने का समय तय करें। राजस्थान के आम आवाम की भावना है निश्चित रूप से उस पर चर्चा हो ओर सरकार उस पर कोई ठोस कार्यवाही ताकि, अकाल और मंहगाई दोनों मार झेल रही जनता को कोई राहत मिल सके, इसके लिए समुचित चर्चा इस पर करवाई जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, सदन में गतिरोध इस बात को लेकर है कि आज राजस्थान के छह करोड़ लोग मंहगाई से त्रस्त हैं। सभापति महोदय, इस मंहगाई के बढ़ने में राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। आटा वितरण योजना में पिसाई के नाम पर भ्रष्टाचार हो जाए, मटर की दाल लाने के अन्दर, आयात करने के अन्दर, मल्टीनेशन कम्पनियों के साथ मिलकर सरकार में बैठे लोग भ्रष्टाचार करें और इसकी मार से आम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आदमी त्रस्त है। (व्यवधान) इसलिए हमारी मांग है कि जो हमने स्थगन प्रस्ताव दिया उस स्थगन प्रस्ताव पर आप अनुमति प्रदान करें। (व्यवधान) कुछ चर्चा कर सकें।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में अध्यक्षजी की व्यवस्था दी जा चुकी है। व्यवस्था दी जा चुकी है। (व्यवधान) उसके बाद.....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आज पूरा राजस्थान एक तरफ अकाल से त्रस्त है और दूसरी तरफ जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, यह राजस्थान की सरकार दोषी है, राजस्थान के मुख्य मंत्री दोषी हैं। (व्यवधान) मंहगाई की मार है ...(व्यवधान) इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, चर्चा कराई जाए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): बोलने के लिए कोई शब्द नहीं हैं और मंहगाई की जो बात कर रहे हैं...(व्यवधान) राजस्थान में, प्रदेश में भाव कम हैं और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ...(व्यवधान) भावों की कमी है, उनकी तुलना की जाए। जानबूझकर सदन का समय बर्बाद करना चाहते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य.....(व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सदन का समय बर्बाद करना चाहते हैं।

श्री सभापति: The House is adjourned for another one hour. (Interruptions) I repeat, the House is adjourned for another one hour.

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.23 बजे एक घण्टे के लिए स्थगित हुई)

(पुन: समवेत् होने पर)

(समय : 14.23 बजे)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया गया है।

(पढ़ी हुई मानी गयी सूचनाओं के लिए परिशिष्ट-2 देखें)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था फर्माएं, जिस मामले को..

श्री अध्यक्ष: बोलने तो दो। आप बैठो तो सही, एक मिनट तो।

जिस बात को लेकर गतिरोध हुआ था, वह समाप्त हो गया और मंहगाई विषय पर जो चर्चा की बात थी, उसके लिये समय निश्चित करके आपको सूचित कर दिया जाएगा।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

वित्त विभाग

अधिसूचनाएं। श्री शांती कुमार धारीवाल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्त विभाग की निम्नांकित 30 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1- अधिसूचना संख्या : प.5(1)वित्त/कर/2009/50 दिनांक 26.8.2009 जिसके द्वारा श्रीमान चेतनदासजी महाराज रामद्वारा कमेटी, बाड़मेर द्वारा बालमंदिर संचालन समिति, बाड़मेर को दान के रूप में दी गई भूमि पर देय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क राशि का परिहार किया गया है ;

2- अधिसूचना संख्या : प.10(47)वित्त/ कर/ 93-51 दिनांक 26.8.2009 जिसके द्वारा डीएनए या, जयपुर द्वारा आयोजित गोलछा सिनेमा, जयपुर में दर्शायी जाने वाली फिल्म डिटेक्टिव नानी को दिनांक 2.9.2009 से 22.9.2009 तक मनोरंजन कर में छूट प्रदान की गई है ;

3- अधिसूचना संख्या : प.12(94)वित्त/कर/07-52 दिनांक 31.8.2009 जिसके द्वारा वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ;

4- अधिसूचना संख्या : प.12(94)वित्त/कर/07-53 दिनांक 31.8.2009 जिसके द्वारा वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;

5- अधिसूचना संख्या : प.12(94)वित्त/कर/07-54 दिनांक 31.8.2009 जिसके द्वारा वैट अधिनियम, 2003 की धारा-5 के अन्तर्गत आरएसबीसीएल के लिये कम्पोजिशन स्कीम जारी कर रिटेल आफ वाले विक्रताओं के लिये कर मुक्ति की व्यवस्था की गई है ;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

6- अधिसूचना संख्या : प.12(94)वित्त/कर/07-55 दिनांक 31.8.2009 जिसके द्वारा वैट अधिनियम, 2003 की धारा-8(3) में रिटेल आफ व्यवहारी जो आरएसबीसीएल से आईएमएफएल का इन्वोईस से क्रय कर विक्रय करेंगे, उनको कर से छूट प्रदान की गई है ;

7- अधिसूचना संख्या : प.12(99)वित्त/कर/07-56 दिनांक 5.10.2009 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा-3 (3) के अन्तर्गत एमएसएमई की ग्रामीण क्षेत्र की इकाइयों को दिनांक 14.2.2008 के बाद हुए निवेश पर विद्युत शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है ;

8- अधिसूचना संख्या : प.2(11)वित्त/कर/03-पार्ट-57 दिनांक 20.10.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:प.2(11) वित्त/कर/2003-110 दिनांक 14.1.2004 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

9- अधिसूचना संख्या : प.12(156)वित्त/कर/09-58 दिनांक 3.11.2009 जिसके द्वारा सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर व निर्यात संवर्द्धन इण्डस्ट्रीयल पार्क (ईपीआईपी), जयपुर में दिनांक 29.10.2009 को आग लगने के कारण अक्टूबर, 2009 से मार्च, 2010 तक वैट व सीएसटी का आस्थगन किया गया है ;

10- अधिसूचना संख्या : प.2(37)वित्त/कर/09-59 दिनांक 13.11.2009 जिसके द्वारा नगर निगम, जोधपुर द्वारा यूको बैंक जोधपुर से 15.00 करोड़ रुपये के लिये निष्पादित विलेख पर देय मुद्रांक शुल्क रुपये 75.00 लाख का परिहार किया गया है ;

11- अधिसूचना संख्या : प.2(11)वित्त/कर/2003-60 दिनांक 17.11.2009 जिसके द्वारा पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की विशेष राहत योजना में दिनांक 31.3.2010 तक स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;

12- अधिसूचना संख्या : प.12(124)वित्त/कर/09-61 दिनांक 26.11.2009 जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ;

13- अधिसूचना संख्या : प.12(124)वित्त/कर/09-62 दिनांक 26.11.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : प.12(85)वित्त/कर/07-58 दिनांक 29.8.2008 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

14- अधिसूचना संख्या : प.24(5)वित्त/कर/09-63 दिनांक 26.11.2009 जिसके द्वारा फिल्म "किसान" को अधिसूचना जारी होने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मनोरंजन कर का शत-प्रतिशत परिहार किया गया है ;

15- अधिसूचना संख्या : प.1(6)वित्त/कर/09-64 दिनांक 7.12.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : प.12(28)वित्त/कर/2007-156 दिनांक 9 मार्च, 2007 में संशोधन किया गया है ;

16- अधिसूचना संख्या : प.2(44)वित्त/कर/08-65 दिनांक 7.12.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : प.12(28)वित्त/कर/2007-155 दिनांक 9 मार्च, 2007 में संशोधन किया गया है ;

17- अधिसूचना संख्या : प.1(6)वित्त/कर/2009-66 दिनांक 8.12.2009 जिसके द्वारा नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा नीलामी में विक्रय भूखण्डों की लीज डीड निष्पादन पर देय स्टाम्प ड्यूटी के अन्तिम बोलीदाता के पक्ष में प्रक्रिया निर्धारित की है ;

18- अधिसूचना संख्या : प.2(38)वित्त/कर/09-67 दिनांक 8.12.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : प.12(20)वित्त/कर/2005-221 दिनांक 24.3.2005 को अधिक्रमित किया गया है ;

19- अधिसूचना संख्या : प.12(100)वित्त/कर/09-68 दिनांक 9.12.2009 जिसके द्वारा वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ;

20- अधिसूचना संख्या : प.12(94)वित्त/कर/07-69 दिनांक 9.12.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : प.12(94)वित्त/कर/07-54 दिनांक 31.8.2009 में संशोधन किया गया है ;

21- अधिसूचना संख्या : प.12(94)वित्त/कर/07-70 दिनांक 9.12.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:प.12(94)वित्त/कर/07-55 दिनांक 31.8.2009 में संशोधन किया गया है ;

22- अधिसूचना संख्या : प.12(125)वित्त/कर/09-71 दिनांक 16.12.2009 जिसके द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है ;

23- अधिसूचना संख्या : प.2(45)वित्त/कर/09-72 दिनांक 16.12.2009

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

जिसके द्वारा जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के गठन के संबंध में निष्पादित समस्त लेख पत्रों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार्य किया गया है ;

24- अधिसूचना संख्या : प.2(19)वित्त/कर/2007-73 दिनांक 22.12.2009 जिसके द्वारा अनरजिस्टर्ड अन्तरवर्ती हस्तान्तरण के दस्तावेजों के निष्पादन के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी की छूट दिनांक 31.3.2010 तक की गई है ;

25- अधिसूचना संख्या : प.12(114)वित्त/कर/07-74 दिनांक 1.1.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;

26- अधिसूचना संख्या : प.12(86)वित्त/कर/2009-75 दिनांक 27.1.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ;

27- अधिसूचना संख्या :प.12(86)वित्त्त/कर/2009-76 दिनांक 27.1.2010 जिसके द्वारा आयातीत चीनी को वैट मुक्त किया गया है;

28- अधिसूचना संख्या : प.2(42)वित्त/कर/09-77 दिनांक 3.2.2010 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा आथेराईज्ड अंशपूंजी एक हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर पन्द्रह सौ करोड़ रूपये करने पर देय मुद्रांक कर से छूट प्रदान की गई है ;

29- अधिसूचना संख्या : प.2(27)वित्त/कर/2009-78 दिनांक 5.2.2010 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में संशोधन किया गया ;

30- अधिसूचना संख्या : प.2(4)वित्त/कर/2010-79 दिनांक 16.2.2010 जिसके द्वारा ऐयर फोर्स नेवल, हाऊसिंग बोर्ड, नई दिल्ली को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा आबंटित भूमि पर उक्त संस्था द्वारा निर्मित मकान, फ्लेट्स के हस्तान्तरण हेतु निष्पादित विलेख पर यदि हस्तान्तरण उक्त संस्था द्वारा अपने सदस्यों के पक्ष में किया गया है, तो मुद्रांक शुल्क में छूट/रियायत प्रदान की गई है ।

नगरीय विकास विभाग

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नगरीय विकास विभाग की निम्नांकित 3 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं;-

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

1- अधिसूचना संख्या : एफ.10(21)यूडीडी/3/09 दिनांक 10.9.2009 जिसके द्वारा नगर विकास न्यास, आबू का गठन किया गया है ;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.10(49)यूडीडी/3/09 दिनांक 10.9.2009 जिसके द्वारा नगर विकास न्यास, जैसलमेर का गठन किया गया है ;

3- अधिसूचना संख्या: एफ.2(18)यूडीडी/5/09 दिनांक 23.12.2009 जिसके द्वारा अफोर्डेबल हाऊसिंग पोलिसी, 2009 जारी की गई है।

श्री अध्यक्ष: श्री हेमाराम चौधरी।

उपनिवेशन विभाग

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित 7 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.4(3)कोल/2009 दिनांक 13 जुलाई, 2009 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.4(7)कोल/09 दिनांक 15 जुलाई, 2009 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (गंग नहर भूमि का स्थायी आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1956 में संशोधन किया गया है;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.4(5)कोल/2009 दिनांक 3 सितम्बर, 2009 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है;

4- अधिसूचना संख्या : एफ.4(2)कोल/2005 दिनांक 7 दिसम्बर, 2009 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है;

5- अधिसूचना संख्या : एफ.4(2)कोल/2008 दिनांक 18 दिसम्बर, 2009 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है;

(श्री हेमाराम चौधरी)

6- अधिसूचना संख्या : एफ.4(11)कोल/96 दिनांक 18 जनवरी, 2010 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य कालोनी) शर्तें, 1955 में संशोधन किया गया है;

7- अधिसूचना संख्या : एफ.4(2)कोल/2008 दिनांक 15 फरवरी, 2010 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। डा. जितेन्द्र सिंह।

प्रतिवेदन

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2004-05 के लेखों की आडिट रिपोर्ट

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-104 (4) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2004-2005 के लेखों की आडिट रिपोर्ट एवं उस पर टिप्पणी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र पारीक।

सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619(ए) के अन्तर्गत सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री अलाउद्दीन आजाद।

समिति का प्रतिवेदन

प्राक्कलन ख समिति (क्र.सं. 5 से 11)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति ''ख", 2009-2010 समिति के निम्नांकित 7 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :-

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

1- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "ख", 2009-2010 का पांचवा प्रतिवेदन ;

2- गृह (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "ख", 2009-2010 का छठा प्रतिवेदन;

3- गृह (नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा) विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "ख", 2009-2010 का सातवां प्रतिवेदन ;

4- गृह (राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला) विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "ख", 2009-2010 का आठवां प्रतिवेदन ;

5- गृह (अभियोजन) विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "ख", 2009-2010 का नवां प्रतिवेदन ;

6- गृह (पुलिस) विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "ख", 2009-2010 का दसवां प्रतिवेदन ;

7- गृह (कारागार) विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "ख", 2009-2010 का ग्यारहवां प्रतिवेदन।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित याचिकाओं का उपस्थापन करती हूं:-

चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, सैक्टर-23 में सड़क निर्माण

1. चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, सैक्टर-23 में सड़क निर्माण बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

पत्थर खान श्रमिकों के लिए आवासीय योजना

2. जोधपुर के विश्व प्रसिद्ध जोधपुर पत्थर के उत्खननकर्ता खान श्रमिकों के लिये आवासीय योजना बाबत, पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

डा. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई (टोंक) विधेयक, 2010

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। पुर: स्थापित किये जाने वाले विधेयक। डा. जितेन्द्र सिंह।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से डा. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई (टोंक) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं:-

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि डा. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई (टोंक) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से डा. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई (टोंक) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2010, डा. जितेन्द्र सिंह।

एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2010

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) अध्यादेश 2009 (2009 का अध्यादेश संख्या 4) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, वैसे पुर:स्थापित के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

समय में कोई आब्जेक्शन उठाते नहीं हैं इसलिये मैंने आब्जेक्शन उठाया नहीं है। वर्ना जो मूल बात है इस विधेयक में जो गड़बड़ है वह यह है कि हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिये जो बिल बनाया था उस बिल में संशोधन राज्य सरकार ने पेश किया हुआ है। उसमें कुलपति, उप कुलपति इनको हटाकर प्रेसीडेण्ट, वाइस प्रेसीडेण्ट यह नाम लिखा हुआ है। जब तक वह संशोधन पारित नहीं हो जाता है मूल बिल में, तब तक यूनिवर्सिटीज वाले जो इनके बिल हैं, वह सारे बिलों की वैधता को चुनौती है। इसलिये राज्य सरकार यह स्पष्ट करे, उस बिल को पारित कराये बिना ये सारे के सारे बिल हैं उनमें इस प्रकार का प्रावधान करके आप आ रहे हैं, इसका क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष: आपको उठाना भी नहीं चाहिए और आपने उठा भी दिया।

डा जितेन्द्र सिंहजी।

होम्योपैथी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2010

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से होम्योपैथी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि होम्योपैथी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधायक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से होम्योपैथी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत होम्योपैथी विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2009 (2009 का अध्यादेश संख्या-5) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद। श्री मोहनलाल गुप्ता। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पाइंट

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

आफ इन्फार्मेशन के जरिए आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजिये। नियमों के तहत कोई बात होती है। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): पाइंट आफ इन्फार्मेशन के तहत, माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट के लिए ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। श्री मोहनलाल गुप्ता।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। श्री मोहनलाल गुप्ता। जीरो आवर समाप्त हो चुका है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद पर चर्चा शुरू हो गयी है। श्री मोहनलाल गुप्ता। कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। श्री मोहनलाल गुप्ता। जीरो आवर समाप्त हो चुका है। केवल श्री मोहनलाल गुप्ता को इजाजत दी गयी है। अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। श्री मोहनलाल गुप्ता।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: आपके दल के माननीय सदस्य बोल रहे हैं। अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, जीरो आवर समाप्त हो चुका है। बात समाप्त हो गयी है। श्री मोहनलाल गुप्ता। जीरो आवर समाप्त हो चुका है। सदन में चर्चा शुरू हो चुकी है। श्री मोहनलाल गुप्ता को मैं निवेदन कर चुका हूं और कोई अंकित नहीं होगा। श्री मोहनलाल गुप्ता। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा समय समाप्त हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कैसे बोलूं? मेरा समय यह लोग ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बोलिये। श्री मोहनलाल गुप्ता।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस आपने प्रारम्भ करने का मौका दिया, मैं यह कहना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जो यहां विधान सभा में पेश किया गया है उसमें सरकार की अधिकांश जो उपलब्धियां हैं वे ही उपलब्धियां हैं, वे ही कार्यक्रम हैं जो हमारी सरकार के समय, वसुन्धराजी की सरकार के समय में चालू किये गये थे। वे ही योजनाएं हैं, वे ही राहतें हैं। कोई नया कार्यक्रम, कोई नई नीति इस घोषणा-पत्र में नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक चिन्तन शिविर रखा था, मंत्रियों को बुलाया था। समय पर मंत्री गये और चिन्तन शिविर में बहुत सारी बातें उन्होंने तय कीं। चिन्तन शिविर का क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ? मंत्रियों ने जो-जो बातें कहीं, उसका भी उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया।

मैं सदन को यह बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भरतसिंहजी ने इस चिन्तन शिविर में यह कहा- सोनियाजी के सामने पंचायतों को अधिकार देने की घोषणा हुई थी लेकिन अमल नहीं हुआ। शिक्षा विभाग पंचायत को दिया जाए। अभी तक शिक्षा विभाग पंचायत को नहीं दिया गया।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा था कि समानीकरण व दूसरे मोटे काम करके आपको पका-पकाया विभाग दूंगा। समानीकरण नहीं हुआ और पका-पकाया विभाग वे देने को तैयार नहीं हैं। सरकार में असमंजस है। गुरमीत सिंहजी कुन्नर-कृषि उपज मंडी की सड़कों की दुर्दशा हो रही है, बजट नहीं है। उनको बजट नहीं दे रही है यह सरकार। यह मंत्रियों की व्यथा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन-चार मंत्रियों ने एक साथ बोला- कृषि विपणन विभाग का, किसानों को बिचौलियों से बचाना, उनके उत्पादन को अच्छा बाजार मुहैया करवाना है। सड़क बनानी नहीं, इस महकमे से सड़क लेकर पी.डब्ल्यू.डी. को दे दी जाए। पी.डब्ल्यू.डी. को वह सड़क नहीं दी।

(समय : 14.37 बजे)

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

मंत्रियों की मांग है। मंत्रियों की मांग है वह भी पूरी नहीं की। यह सब बात बोली है परसादीलालजी मीणा ने, माननीय मंत्री महोदय मास्टर भंवरलालजी मेघवाल ने, भरोसीलालजी जाटव साहब ने, महेन्द्रजीत सिंहजी मालवीय ने। परसादीलालजी ने भी कहा है, मेरे इलाके में पचासों गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है लेकिन बिल मोटी रकम के आ रहे हैं। बिजली विभाग का ही क्वेश्चन किया है और चिन्तन शिविर में कहा है कि सरकार की ये विफलताएं हैं, ये असफलताएं हैं, इनको दूर करो, जनता को राहत दो लेकिन यह सरकार मंत्रियों की भी नहीं सुन रही है। यह किसकी सुन रही है, पता नहीं। बाबूलालजी नागर ने भी कहा है इस चिन्तन शिविर में- मैंने भाजपा राज में तो लड़कर दूदू-बीसलपुर का काम करवाया और आज अपने राज में ही आगे नहीं बढ़ पाया।

चिकित्सा मंत्री महोदय वे भी कह रहे हैं, खान साहब, सी.एम. साहब तबादलों का सीजन तय करो। सुबह-शाम तो क्या दाह-संस्कार जैसे मौके पर भी तबादले वाले पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। यह चिन्तन शिविर में सरकार का रिपोर्ट कार्ड है, मंत्रियों की व्यथा है। उस व्यथा में से एक भी व्यथा को इस सरकार ने ठीक नहीं किया है। यह राज्यपाल का अभिभाषण है, क्या ठीक किया? जनता के काम पूरे किये? मंत्रियों की व्यथा को ठीक किया? नहीं किया और जय-जयकार के गुणगान हो रहे हैं। हमने यह कर दिया, हमने वह कर दिया।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

आज जयपुर शहर को माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी बोलते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। अब यह वर्ल्ड क्लास सिटी बना रहे हैं, यह पढ़े-लिखे हैं, अच्छा प्रशासनिक अनुभव है, पहले तो यह बताइये कि वर्ल्ड क्लास सिटी क्या होती है? मैंने बहुत सारी डिक्शनरीज देखीं, बहुत सारे पन्ने खोले, यह वर्ल्ड क्लास सिटी होती क्या है? वर्ल्ड क्लास सिटी कहीं नहीं दिख रहा है। कहीं दिखा नहीं। कहीं उसकी परिभाषा नहीं दिखी, उसकी परिभाषा जरा स्पष्ट कर दें। जयपुर शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी आप बनाने जा रहे हैं। राहुल गांधीजी ने कह दिया वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, कांग्रेस के सारे लोग कह रहे हैं वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। अब यह वर्ल्ड क्लास सिटी क्या होता है, इसकी डेफिनिशन क्या है, कैसी उसमें आपकी रूपरेखा है, क्या आप करना चाहते हैं, यह पता ही नहीं है। जयपुर वर्ल्ड क्लास सिटी है। जयपुर आलरेडी वर्ल्ड क्लास सिटी है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप मेरे चैम्बर में आ जाना, बता दूंगा आपको। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आप यहीं बता दीजिए। बहस कर लेते हैं अपन। आपके चैम्बर में क्यों, आप यहीं बहस कर लीजिए। आप चलिये जयपुर शहर की चार-दीवारी में, जयपुर शहर की चारदीवारी में चलें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अगर आपके चैम्बर में आप इनको वर्ल्ड क्लास दिखाएंगे न तो यह आपको ब्रह्माण्ड दिखा देंगे।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं ब्रह्माण्ड ही दिखा रहा हूं। इस वर्ल्ड क्लास का ब्रह्माण्ड दिखा रहा हूं। जयपुर की चारदीवारी में वर्ल्ड का सारा ट्यूरिस्ट आता है, जयपुर की चारदीवारी को देखने सारा ट्यूरिस्ट आता है। माननीय सभापति महोदय, स्वायत्त शासन मंत्री महोदय चलेंगे तो नीचे गोबर मिलेगा, ऊपर बंदर मिलेगा, नीचे गाय मिलेगी, सुअर मिलेंगे, इस वर्ल्ड क्लास सिटी की आपने यह हालत बना रखी है। आप सफाई नहीं करवा सकते हो, क्या वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे? किस प्रकार की आपकी अवधारणा है? आप चलिये मेरे साथ। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह सारा बिगाड़ आपके वक्त में ही हुआ है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अब तो आपका ही शासन है।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

आपने पिछली बार घोषणा की थी और जयपुर को हैरिटेज क्लास बनाने के नाम पर जनता को धोखा दे रहे हैं। हैरिटेज वाक पर चलिये आप। हैरिटेज वाक में मुख्य मंत्री भी जाते हैं और आप भी गये हैं, वर्ल्ड का सारा ट्यूरिस्ट जाता है, उस हैरिटेज वॉक की हालत यह है कि नाक सिकोड़नी पड़ती है, इतनी गंदगी है। आप शहर को साफ तो कर दीजिये। शहर को साफ कर देंगे तो मान लेंगे आपने शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी बना दिया। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली घोषणाएं कर रहे हैं। गलियां साफ नहीं हो रही है, नालियां साफ नहीं हो रही हैं। शहर में कुत्ते, बिल्ली और बंदर घूम रहे हैं, this is the city. The Pink city has gone to the dog and cow city. क्या हो रहा है यह?(व्यवधान)

श्री सभापति: मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि माननीय सदस्य को बोलने दें। माननीय सदस्य को व्यवधान न करें। कृपया बोलिये आप। मोहन लालज, जल्दी खतम करिये। मोहन लालजी जल्दी संक्षेप में बोलें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): जयपुर शहर को आप सुंदर बनाने के लिये जलमहल की योजना लाये हैं, इस जलमहल की योजना में आप क्या कर रहे हैं? एक रिसोर्ट को आप बेच रहे हैं, वह रिसोर्ट उसका डवलपमेंट करेगा। बड़े-बड़े विज्ञापन आ रहे हैं जलमहल के नाम पर। जलमहल जयपुर की थाथी है, जयपुर की विरासत है, जलमहल जयपुर के पुराने पानी का स्रोत है। लेकिन उसको आपने एक कम्पनी को दे दिया, कम्पनी आजकल बड़े-बड़े विज्ञापन दे रही है।

श्री सभापति: मोहनलालजी कृपया, समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, मैं पांच मिनट में अपनी बात कह दूंगा। प्रथम वक्ता हूं साहब। आपने जलमहल को गंदा बना दिया, उसके बाद उसको डवलप कर रहे हैं। ट्यूरिस्टों के लिये फाइव स्टार, सैवन स्टार होटल बना रहे हैं, कम्पनी को लीज पर दे दिया। एक्सप्लेनेशन दीजिये कि आपने लीज पर क्यों दिया? क्या सरकार के पास संसाधन ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मोहनलालजी, समाप्त करें। कृपया समाप्त करें। आपका टाइम पूरा हो गया।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, मैं तो पहला वक्ता हूं, थोड़ा समय दें। मेरी पार्टी ने मुझे कहा है आप पहले बोलिये

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

और वह समय बढ़ाने के लिये तैयार हैं। ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन इतनी खराब है कि चेनें टूट रही हैं। हमारे एम एल ए साहब की बोलेरो चली गयी। गाड़ियां चोरी जा रही हैं, कोई पता नहीं है। पुरानी बस्ती में हर्षित हत्याकाण्ड हो गया, एक छोटा-सा बच्चा मर गया। उसकी अभी तक कोई जांच नहीं हुई। उसके हत्यारों को पकड़ा नहीं गया। माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने साल भर तक कुछ नहीं किया। केवल माथुर आयोग .. (व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति: मोहनलालजी आप समाप्त करें। केवल एक मिनट आपके पास है, समाप्त करें, मेरा आपसे यह निवेदन है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): केवल माथुर आयोग। और माथुर आयोग की क्या हालत हुई है? सारा प्रशासन सवा साल तक माथुर आयोग के पीछे लगा रहा, किसी अधिकारी ने कोई काम नहीं किया। और माथुर आयोग का भी यह हाल हो गया कि हाई कोर्ट ने उसे खतम कर दिया। क्या हुआ? आप कहते थे हमने भ्रष्टाचार किया। (व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, आपने केवल एक ही अच्छा काम किया है कि गरीबों के लिये अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी लेकर आये, I do appreciate it. अच्छे मकान बनाकर उन लोगों को दीजिये। उस पर इम्प्लीमेंटेशन कीजिये और गरीब लोगों को ई डब्ल्यू एस, एल आई जी और एम आई जी के मकान दीजिये।

श्री सभापति: मोहनलालजी गुप्ता साहब, प्लीज cut it short now. This is my last request you to please finish.

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है, प्रशासन शहरों के संग अभियान में ...(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति: डा. परमनवदीपजी। धन्यवाद, प्लीज बैठिये आप। मेरा अनुशासन सबके लिये एक-सा है, प्लीज।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, अब

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

आप बार-बार मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? बिलकुल ठीक बात है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रशासन शहरों के अभियान में सरकार पूरी तरह विफल रही है। हमारे मंत्रीजी लड़ रहे हैं प्रशासन शहरों के संग अभियान में। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठिये प्लीज। Kindly occupy your seat. Please sit down.

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): प्रताप सिंहजी खाचरियावास लड़ रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस के पार्षद लड़ रहे हैं और प्रशासन शहरों के संग अभियान में कोई काम नहीं हो रहा है।

श्री सभापति: अब अंकित नहीं हो रहा है, आपका टाइम ओवर हो गया है। डा. साहब, प्लीज आप शुरू करें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री सभापति: आपको 12 मिनट हो गये हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री सभापति: कृपया आसन पैरों पर है, आप कहना मानिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री सभापति: देखिये, बाद में आपको मौका मिलेगा, अभी बैठिये आप।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री सभापति: देखिये, मोहनलालजी गुप्ता साहब, you kindly now....

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री सभापति: देखिये, आप कोई अनुशासन तो रखेंगे न।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री सभापति: चलिये आप बोलिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): धन्यवाद, साहब। आसन का सम्मान कर रहा हूं। आप कहोगे तो बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं काफी तैयारी करके आया हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं ...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप कल बोल लेना तैयार होकर।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): पूरी तैयारी करके आया हूं।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

प्रशासन शहरों के संग अभियान नहीं, यह कुशासन है, इसमें पूरी तैयारी करके अधिकारी नहीं जा रहे हैं। अख़बार में खूब छप चुका है फिर भी अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। आखिर बार-बार उन विधवाओं को, वृद्धों को, अपाहिजों को क्यों बुलाना चाहते हैं? वैसे ही वह सरकारी दफ्तरों में चक्कर खा रहे हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान का मतलब था लालफीताशाही को खतम करना। लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं खाना पड़े, इस बात के लिये वहां अधिकारी आएंगे और समस्या का निपटारा करेंगे।

श्री सभापति: मोहनलालजी और दूसरे लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे, कृपया आप बैठिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपने शुद्ध के लिये युद्ध अभियान चलाया, माननीय मंत्रीजी बड़े जागरूक हैं, उत्साह से काम कर रहे हैं, लेकिन जितने सैम्पल लिये, उन सारे सैम्पलों का क्या हश्र हुआ? मैं यह सुझाव देना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, शुद्ध के लिये युद्ध अभियान चलाया, इसके लिये प्राइवेट लेबोरेटेरीज की स्थापना कर दीजिये। कोई भी व्यक्ति जाएगा, अगर उसको लगे कि यह सैम्पल ठीक नहीं है, जांच करवा लेगा। दूध की है, घी की है और कोई मसाले हैं तो सब जांच हो जाएगी। आपने सैम्पलिंग के लिये कोई लेबोरेटरी स्थापित नहीं की।

श्री सभापति: मोहनलालजी, कोई सीमा तो होगी बोलने की। अब अंकित नहीं हो रहा है।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आपको जानकारी दे रहा हूं कि पूरे राज्य में चल प्रयोगशालाएं शुरू करने का सरकार ने निर्णय ले लिया।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री सभापति: मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपका अंकित नहीं हो रहा है। कृपया आप आसन का कहना मानिये। आप शांति से बैठिये, दूसरों को मौका दीजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपने समय दिया, इसके लिये हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद। राज्यपाल महोदय का यह अभिभाषण जनता की आंखों में धोखा है, आप कृपया अपना सुशासन स्थापित करने के लिये संवेदनशील बनिये। धन्यवाद। जय भारत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरा पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री सभापति: राठौड़ साहब, मैं पहले ही बोल चुका हूं, डा. परमनवदीप जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरा एक पाइंट आफ इन्फार्मेशन है।

श्री सभापति: I have already asked her. She is standing now.

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने सोमवार को सदन में जो अभिभाषण पेश किया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, वह कम है। इस अभिभाषण में हमारी सरकार ने जो पिछले एक वर्ष में ठोस कार्य किये हैं, उनकी एक झलक नजर आती है। यह बताता है कि किस तरह एक आम आदमी का जीवन कांग्रेस की सरकार सुखमय बना रही है, उसके लिये प्रयास कर रही है। प्रदेश का चहुंमुखी विकास किस तरह से करने का प्रयास कर रहे हैं और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए हमारे पक्ष के माननीय सदस्य श्री रघु शर्माजी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव दिया, उसका अतार्किक विरोध माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों ने किया। मैं पूछना चाहती हूं माननीय सदस्यों से, अपील करती हूं कि यह नकारात्मक रवैया आप बदलें और सकारात्मक रवैया लाएं तो यह राज्य के हित के लिए भी भला है और मैं समझती हूं कि राज्य के हित में ही नहीं, वह आपके हित में भी है। तो आप अपना हित देखिए और राज्य का हित भी देखिए और आप सकारात्मक पहलू रखिये। हमारी कांग्रेस सरकार के एक साल के काम और उसकी बानगी पूरे अभिभाषण के अन्दर झलकती है। एक साल में तीन बार आचार संहिता का ब्रेक लगा उसके बावजूद भी सरकार ने लगातार कई ठोस काम किये। आप इस अभिभाषण को गौर से पढ़ें। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि हमने बहुत गौर से पढ़ा है, पर मैं कह सकती हूं कि यदि गौर से पढ़ा है और सकारात्मक पहलू या नजरिया रखा होता तो शायद इसका अतार्किक विरोध न होता। मैं समझती हूं कि हमारे प्रतिपक्ष के जो माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं, वे इस चीज को समझते भी हैं और शायद मन में सोचते भी होंगे कि कितना अच्छा अभिभाषण और कांग्रेस के कार्य जो किये गये हैं, उनको कितनी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। मन-मन में तो प्रंशसा कर रहे हैं परन्तु न जाने क्यों विरोध करने के लिए यहां विरोध का प्रदर्शन हो रहा है। तेज बोलकर बेवजह बीच में डिस्टर्ब करके यहां पर कोई सदस्य जनता की आवाज नहीं बनता।

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)

विधान सभा के अन्दर, इस सदन के अन्दर मुझसे तो बहुत ही सीनियर लोग यहां बैठे हैं, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूं कि आज से लगभग तेरह महीने पहले हमारे जन प्रिय नेता अशोकजी गहलोत की अगुवाई में जब यह बात कही गयी कि कांग्रेस सुशासन देगी और बीजेपी का कुशासन खतम करेगी तो राज्य की जनता ने हमें मौका दिया। मौके के बाद राज्य सरकार ने जो कार्यकलाप किये, जो इस अभिभाषण में निहित हैं, उन पर आपसे ज्यादा जनता ने जबाव दिया। जानते हैं क्या जबाव दिया था? हैट्रिक विन। लगातार तीन बार हम जीते। विधान सभा के बाद लोक सभा चुनाव आये, नगर निकाय आये, परिषद् आयीं, पंचायतें आयीं। जनता ने आपको जबाव दे दिया उसके बावजूद भी आप अतार्किक विरोध करते हैं क्योंकि आप प्रतिपक्ष में बैठे हैं। प्रतिपक्ष को विरोध करना चाहिए, यह स्वस्थ प्रजातंत्र की निशानी है। मगर विरोध को विरोध की दृष्टि से नहीं करना चाहिए। मैं समझती हूं, माननीय सदस्य, यदि सरकार अच्छा काम कर रही है और यदि आप स्वस्थ दृष्टि से उसके लिए हामी भरते हैं तो आपका कद छोटा नहीं होता, आपका कद बड़ा होता है।

एक वर्ष के अन्दर हमारी सरकार ने पहले तो जो पिछली सरकार ने जनता पर घाव किये थे, उन पर मरहम लगाया, घाव भरे और अब हमारी जनता, हमारा राजस्थान इस बात का सपना भी ले रहा है कि हमारा चहुंमुखी विकास होगा, संवेदनशीलता से काम होगा। मैं एक बात कहना चाहती हूं जिस पर गौर फर्माएं हमारे सदन के साथी, मैं ज्यादा बातें नहीं कहूंगी, मैं सिर्फ एक दो बिन्दु जो ठोस कार्य हमारी सरकार ने किये हैं, उन पर थोड़ा उजाला डालना चाहती हूं।

पहला, किसानों के लिए पांच वर्ष तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाने की घोषणा की। आप एक बात तो समझिए, हमारा किसान अकाल से जूझता है, अकाल पीड़ित किसानों की बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी, पांच साल कितना सुकून मिलता है। यह वह अन्नदाता किसान है जो आपको अन्न देता है उसके लिए इतनी अच्छी और इतनी बड़ी सोच हमारे मुख्य मंत्रीजी ने दी कि पांच साल तक बिजली की दर नहीं बढ़ानी। इसके पीछे कितना व्ययभार बढ़ेगा हमारी सरकार पर, आप सभी जानते हैं। आप पुराने सदस्य हैं इस सदन के, हमसे ज्यादा इस बारे में एक्सपीरियेंस्ड भी हैं, मगर मैं समझती हूं कि आपके मुखारविन्द से भी यह बात नहीं निकली कि यह एक अच्छा निर्णय है। यह

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)

कल्याणकारी गहलोत सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है। आने वाले समय में आप खुद एहसास करेंगे कि किस तरह से सौ दिन के अन्दर मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने यह महसूस किया और लोक सभा के अन्दर किस तरह से सीटें आयीं। आप भी एहसास कर रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं, यह हमें समझ में आता है।

हमारी सरकार ने गरीबों के इलाज के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया मुख्य मंत्री बी पी एल जीवन रक्षा कोष योजना के माध्यम से। इससे हमारे राजस्थान के गरीबों को बहुत राहत मिली है। यह बात तब पता लगती है, सभापति महोदय, जब हम गरीब से बात करते हैं, जो इलाज करवा कर आते हैं तब उनके जज्बात किस तरह से निकलते हैं। वह एक गरीब बी पी एल योजना के तहत मुख्य मंत्री योजना के बाद इलाज करवाकर आता है, उसके मुंह से निकलता है, 'ओ भलौ हो, अरे भलो हो जाए म्हारे अशोक गहलोत को, ई कांग्रेस सरकार को, म्हांनै गरीबां नैं वी आई पी बना दियो। म्हारौ इलाज भी हो ग्यौ, पीसौ भी कौनी लाग्यो और जान भी बचगी।' एक गरीब के जज्बात इस तरह से निकलते हैं। एक गरीब आदमी जिसका हार्ट का आपरेशन नहीं हो सकता था। जो रिक्शा चलाता है, बिलो पावर्टी लाइन है, उसके स्टन्ट नहीं डल सकता था। आज उसका एक पैसा खर्च नहीं होता, वह बड़े अस्पताल में जाता है, सवाई मानसिंह अस्पताल में जाकर अपना काम करवाता है और उसकी आत्मा से फिर सच्ची आशीष मिलती है। वह आशीष कांग्रेस को लग रही है, साहब। यह कांग्रेस की हैट्रिक का राज है। (व्यवधान) हकीकत तो यह है। आप भी समझते हैं, यह है हैट्रिक विन का कारण।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): विधान सभा चुनाव में कांग्रेस के जीतने के बाद जो हैट्रिक बनी है...

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं कि व्यवधान नहीं डालें। माननीय सदस्या को बोलने दें, यह मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): कांग्रेस का टाइम ज्यादा है। यह आपको मालूम है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री सभापति: परम नवदीपजी, बोलें आप।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप बोलने दें इनको।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): फिर क्यों खड़े हो रहे हैं?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है, मोहन लालजी, जो आप बोल रहे हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री सभापति: नहीं, उनको उतना टाइम नहीं हुआ है अभी।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री सभापति: आपको तो सबसे ज्यादा टाइम दिया है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री सभापति: नहीं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपने समय का सदुपयोग नहीं किया। (व्यवधान)

श्री सभापति: देखिए, आपकी बहिन को बोलनें दें आप।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री सभापति: मोहनलालजी, कृपया बैठिए आप।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय सदस्य, भाई की परम्परा का निर्वहन तो करें। गहलोत सरकार के काम-काज से प्रभावित होकर जो हैट्रिक विन मिली कांग्रेस की सरकार को, वह एक स्टैम्प है इस बात की कि कांग्रेस की नीति में, निर्णय में सरकार ने जो रवैया अपनाया, उस पर जनता ने लगातार जीत देकर मोहर लगायी है कि ये निर्णय सही हैं। अशोक गहलोतजी का यह जुमला कि कड़ी से कड़ी जोड़ो, सीढ़ी बनाओ, तरक्की के रास्ते पर जाओ, इसका मतलब है राजस्थान की जनता ने कड़ी से कड़ी को जोड़ा है और जनता विकास में विश्वास रखती है, इस वजह से लगातार कांग्रेस को जीत प्रदान की गयी है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाती हूं और धन्यवाद भी देती हूं कि गहलोतजी की सरकार, कांग्रेस सरकार हमेशा आम आदमी और आखिरी पंक्ति की छोर पर खड़े गरीब को हमेशा साथ लेकर चलेगी। इस सदन के माध्यम से मैं बताना

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)
चाहती हूं कि जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आती हूं संगरिया विधान सभा क्षेत्र मेरी पंचायत समिति का प्रधान कांग्रेस पार्टी ने एक बी पी एल परिवार को बनाया है जिसकी मां नरेगा में काम करती है। यह पार्टी की सोच प्रदर्शित करती है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से एक दलित को आगे लेकर जाना चाहती है।

(समय : 15.00 बजे)

प्रतिपक्ष के एक माननीय सदस्य ने मंगलवार को एक अनर्गल आरोप लगाया, जो उस वक्त मंत्री थे। मैं कहना चाहती हूं कि जब आप सत्ता में थे तब जयपुर के अन्दर दूषित पानी से बीमारियां उत्पन्न हुईं, मौतें हुईं, तब आपके जलदाय मंत्री ने क्या कहा? आपके जलदाय मंत्री ने कहा, जो आएगा सो जाएगा। ऐसे कड़वे बोल बोले। उसके बाद एक मंत्री ने कहा, यह राजनीतिक स्टंट है। जनाब, तब आपकी संवेदनाएं कहां थीं? आप सो रहे थे क्या, आपकी संवेदनाएं सो रही थीं क्या? मैं मानती हूं कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार, हमारे मुख्य मंत्रीजी, हमारे जलदाय मंत्री अच्छे, नेक कदम उठा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, पर इसके लिए आपका सकारात्मक रवैया भी होना चाहिए। आपका, हम सभी का फर्ज बनता है कि हम सक्रिय सहयोग करें। आलोचना करें, मौलिक सुझाव दें। हमारे राजस्थान में जहां पेयजल की इतनी किल्लत है, इस समस्या से राजस्थान की जनता को उबारने का एक कलैक्टिव प्रयास करें, यह मेरी आपसे विनम्र अपील है।

श्री सभापति: Dr. Saheb, now you please cut it short.

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): सर, मैंने तो सैल्यूट भी मारा था आपको।

श्री सभापति: नहीं, नहीं।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): पानी के लिए तरस रहे हमारे भीलवाड़ा शहर में कोटा से चम्बल का पानी लाने के भगीरथ प्रयास में अड़ंगा लगा कर माहौल खराब करने का नकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। हुजूर, पानी तो वहीं से आएगा जहां पानी है। आपने नकारात्मक राजनीति की। राजस्थान की जनता शांतिप्रिय जनता है ...(व्यवधान) इसने पहले जब आपने अशांति की, आपको जवाब दे दिया। पिछली बार आपने ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सदस्य, आपके क्षेत्र में यह पानी आ रहा है, यह ठीक है क्या? (व्यवधान) आपके क्षेत्र में लोग यह पानी पी रहे हैं, यह ठीक है क्या? .(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य अमरारामजी साहब, आप बैठिये। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ऐसा है, माननीय अमरारामजी, जवाब देने की जिम्मेदारी तो बाबूलालजी की तय कर दी हमने, जो भी जवाब चाहिए, बाबूलालजी देंगे आपको, बोलो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मैं यह नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं कि आपके क्षेत्र संगरिया में यह पानी पी रहे हैं, यह सही है क्या? इतना बता दें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जवाब माननीय सदस्यों से मत कीजिए, जवाब के लिए हमारे बाबूलालजी नागर हैं, वो हर चीज का जवाब देंगे आपको।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया के नियम 269 के 2 की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा, इसमें स्पष्ट दिया हुआ है- 'किसी सदस्य के भाषण करते समय उसमें अव्यवस्थित बात या शोर या किसी अन्य अव्यवस्थित नीति से बाधा नहीं डालेगा।' दांतादामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य वरिष्ठ सदस्य हैं...

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): निकाल दो ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): वरिष्ठ सदस्य हैं आप, माननीय सदस्या जो पहली बार निर्वाचित होकर आयी हैं, उनकी बात पर बीच में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): इतनी कमजोर नहीं हैं वो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): व्यवधान पैदा नहीं कर रहा, मैं तो इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि आपके क्षेत्र के मतदाता यह पानी पी रहे हैं, यह सही है क्या?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह जवाब बाबूलालजी दे देंगे थोड़ी देर में, चिंता मत करो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मेरा आपको कोई व्यवधान करना नहीं है, असिस्ट करना है, अगर वो अच्छा मानती हैं ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जवाब के लिए नागर साहब तय हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ऐसा पानी पीना अपने मतदाताओं के लिए बढ़िया मानती हैं तो वैल एण्ड गुड ...(व्यवधान) मैं यह नहीं कह रहा। मैं तो यह कह रहा हूं, यह पानी पीना ही अच्छा है तो बहुत बढ़िया। (व्यवधान)

श्री सभापति: डा. परमजी, बोलें, कनक्लूड करें। डा. नवदीपजी, आप कनक्लूड करें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया बैठिये, विराजिये। कृपया बैठिये आप। (व्यवधान) नहीं, डाक्टर साहब बोल रही हैं, प्लीज बैठिये। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): महंगाई पर अमीनखांजी का वक्तव्य चाहिए, अमीनखांजी एक बार महंगाई पर बोल दें।

श्री सभापति: कृपया बैठिये आप। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): वक्तव्य तो बाबूलालजी देंगे अब तो, तय हो गया है। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): राजस्थान की शांतिप्रिय जनता अशांति नहीं चाहती, माननीय सदस्य, आपको पता है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांति बनाए रखें।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय सदस्य, आपको पता है आपने अशांति फैलायी थी और राजस्थान की जनता ने आपको माफ नहीं किया, उसकी वजह से आप वहां विराजे हो, हम यहां विराजे हैं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान फीडर के पंजाब वाले हिस्से में मरम्मत के लिए अभिभाषण में मोटी रकम दी गयी है, उसका मैं स्वागत करती हूं। चाहे चम्बल का नहरी तंत्र है, चाहे इंदिरा गांधी नहर और भाखड़ा प्रणाली के किसानों का पानी का मुद्दा है, मैं समझती हूं, इसे संवेदनशीलता से निपटाने के लिए हमारी सरकार, गहलोत सरकार कटिबद्ध है। याद करिये सोहेला, रावला, घड़साना, किस तरह पूर्ववर्ती भा.ज.पा. सरकार ने संवादहीनता और संवेदनहीनता दिखा कर किसान के बेटों की लाशें बिछाई थीं। अब भी ये स्थितियां पैदा हुईं, हमारी सरकार है, क्या बदलाव है? ब्यूरोक्रेसी बदली है? ब्यूरोक्रेसी वही है सिर्फ सरकार बदली है, सरकार के नुमाइंदे बदले हैं, उसका अन्तर देखिये आप।

श्री सभापति: Dr. Saheb, please sum up now.

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): यस सर। यस सर, अगेन।

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)

पहली बार राज्य में कृषि नीति बनाये जाने का उल्लेख हुआ है। यह राज्य के अन्नदाता किसान को विशेष महत्व देने की सरकारी नीति का परिचायक है, इससे हमारे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, मैं इसका स्वागत करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जनता शांति और विकास के लिए लालायित है और मैं पुरजोर शब्दों में यह कहना चाहती हूं कि राजस्थान सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने पिछले 13 महीने में राजस्थान के अन्दर शांति और सद्‌भावना का वातावरण बनाये रखने में बड़ी सफलता हासिल की है। याद करिये, पूर्ववर्ती सरकार के समय दो बड़ी जातियों को आमने-सामने खड़ा कर किस तरह से वैमनस्य पैदा किया गया, किस तरह से वहां संवादहीनता थी, बातचीत का माहौल नहीं था। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: Please cut it short. Please sit down.

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): पूर्व मुख्य मंत्री 40 लोगों के मरने के बाद हवा में उड़ती हैं, पहुंचती हैं और कहती हैं कि हमारे पास आओ, संवाद करो। संवाद नहीं होता तो फिर उड़ कर चली जाती हैं वापस अपने घर के अन्दर। क्या एक मुख्य मंत्री इस तरह संवादहीनता रखता है? याद करिये इन बातों को।

आज आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं, क्यों भाई, क्यों बुरी लग रही हैं? आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए। पांच वर्ष पहले यदि यह बात आपको बुरी लगती तो अपने मुख्य मंत्री को कहा होता, अपने नेता को कहा होता, ये स्थितियां ही नहीं पैदा होतीं। एक तरफ देखिये, आपकी सरकार थी ...

श्री सभापति: Dr. Navdeepji, please cut it short now.

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): आपकी सरकार थी कुशासन की सरकार, एक तरफ हमारी सरकार है जिसे राजस्थान की जनता देख रही है और हैट्रिक विन भी दे रही है।

श्री सभापति : Before I announce the next name I would request you to please full stop, Dr. Navdeep. Only one minute is left with you now.

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): ओके, सर।

मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूं और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करती हूं कि जन हित के जो प्रस्ताव हैं इस

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)

अभिभाषण में, जनता के हित में अपना हित समझें और इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कराने का प्रयास करें।

माननीय सभापति महोदय, एक शेर अर्ज है, आपकी इजाजत हो तो।

'आप मानो न मानो, यह आपको मुनासिब।

हम तो नेकी और बदी हुजूर को समझाए देते हैं।

धन्यवाद, सर। जय हिन्द।

सूचना

सरकार द्वारा माननीय सदस्यों के टेलीफोन की टेपिंग

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मेरा पाइंट आफ इन्फार्मेशन यह है कि इसी 22 तारीख को सत्तारुढ़ दल के विधायक दल की बैठक में आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर कुछ स्वाभिमानी विधायकों ने अपनी बात कही। उसके बाद, सभापति महोदय, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के टेलीफोन टेप होने प्रारम्भ हो गये हैं। राजनीति की शुचिता का बखान करने वाली इस सरकार ने पिछली सरकार पर टेलीफोन टेप के कई तरह के आरोप लगाये थे। मेरा आरोप है कि चूंकि यह गर्मा-गर्मी राज्य के गृह मंत्रीजी के साथ हुई, उसके बाद प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार पर हनन कर टेलीफोन टेप करने जैसा काम किया जाए, मैं समझता हूं यह निन्दनीय बात है, इस तरह का प्रयास नहीं करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सचेतक महोदय, पहले यह दुरुस्त करें कि 22 को तो मीटिंग ही नहीं हुई कोई, मीटिंग ही 23 तारीख को हुई। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपके विधायक दल की मीटिंग के बाद, मेरा आरोप है ...(व्यवधान) मेरा आरोप है कि सरकार सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के लोगों के टेलीफोन टेप कराने का काम कर रही है।

श्री सभापति: बैठिये। श्री रोहिताश्व शर्माजी। (व्यवधान) कृपया शांति बनाये रखें।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): इसके पक्ष में वो हैं या नहीं ...(व्यवधान) क्या मुख्य सचेतक ...(व्यवधान) यह क्लीयर किया जाए।

श्री सभापति: श्री रोहिताश्व जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसमें आप भी लिप्त हैं, एस.ओ.जी. के इशारे से टेप हो रहा है। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स आफ द राजस्थान पुलिस, वो टेप कर रहे हैं टेलीफोन को।

श्री सभापति: राजेन्द्रजी, कृपया विराजिये। देखिये, मैंने आपको इतनी परमिशन दी थी, हां।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत हृदय से आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को ले कर, अपनी-अपनी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र को लेकर यहां पर सदन के समक्ष अपनी-अपनी सब बात रखी। कुछ कटुता भी आयी, पर आपस में बैठ कर बात निपटा ली गयी। मैं इन सबके लिए आप सब का आभारी हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं चूंकि आपका स्वभाव मैं जानता हूं, आप अलवर जिले से ही पधारते हैं, माननीय सभापति महोदय, आप जल्दी घंटी बजा देंगे, तो मैं मूल मुद्दे पर आना चाहता हूं। मेरे कहने का मतलब यह है, मैं सोच रहा था कि थोड़ा लम्बा-चौड़ा बोलूं, पर आपके स्वभाव को देखकर लम्बा-चौड़ा न बोल कर हमारी बहन नवदीप ने हमको बोलने का एक छोटा-सा मसाला दे दिया तो मैं उसको कहना चाह रहा हूं। माननीय नवदीपजी ने सैल्यूट मार कर आपसे समय ले लिया।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): नाम तो पूरा बोलो डाक्टर परम नवदीप।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): डाक्टर परम नवदीप। छोटी बहन को हम छोटे नाम से ही बोल लेते हैं। डाक्टर नवदीप सिंह ने दो बार सैल्यूट करके आपसे पांच-दस मिनट ले लिये। मैं आपको एडवांस चार सैल्यूट मार रहा हूं ताकि मेरा समय बन जाए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, महामहिम राज्यपाल महोदय से इस सरकार ने पिछले एक साल का पूरा झूठ का पुलिन्दा अपनी सरकार की वाहवाही के लिए सदन के समक्ष कहलवा दिया। कुछ हमारे प्रतिपक्ष के नेताओं

(श्री रोहिताश कुमार)

ने कहा कि यह मसाला और यह जो रकम थी यह तो हमारी दी हुई थी और इसकी वाहवाही लूट रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग। यह बात बिलकुल सही है। इसके पेज नम्बर पांच पर 2009-10 की वार्षिक योजना 17,322 करोड़ और परिवर्तित बजट के वित्तीय संसाधनों के हिसाब से 18,134 करोड़ 80 लाख रुपये की, इन्होंने बढ़ाकर बड़ी वाहवाही लूटी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह एजेण्डा इनका था ही नहीं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हमारी पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे सिंधिया ने बनाई। यह इकोनोमिक रिव्यू 2007 और 2008 है, जब इस सरकार का जन्म ही नहीं हुआ था, यह ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना बन गयी थी। इस ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 71,732 करोड़ का प्रावधान है, तीसरे साल में आप हमारे द्वारा पास कराई योजना आयोग की रकम की वाहवाही लूटने जा रहे हो। कौनसी बड़ी बात कर दी।

आपने बिजली के सैक्टर में लम्बा चौड़ा अभिभाषण में लिखा है कि हम ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक लगभग बारह हजार मेगावाट बिजली पैदा कर देंगे। तो यह आपकी देन थोड़े ही है। मैं आपको एक लाइन पढ़कर बताना चाहता हूं जो कि इकोनोमिक रिव्यू 2007 और 2008 वसुन्धरा जी के टाइम में बना उसमें लिखा है, "The Power Sector has been given the first priority to allocate the resources in the last two years. As a result, the Rajasthan will soon be a power surplus state. In addition the capacity of 455 MW has already been commissioned between the year 2006-07 to 2007-08. The State generation capacity by the end of........" Listen, this is very important. "...of 11th Plan......" जिसका इन्होंने इस अभिभाषण में जिक्र किया है ".....would be more than 12000 MW as against the installed capacity of 689 MW at the end of 10th Plan." अब हमारी बहन डाक्टर नवदीप कह रही थीं कि इस सरकार ने पहाड़ तोड़ दिया, बड़े पैसे ले आये-दिल्ली से ले आये, कहां से ले आये। यह पैसा तो वसुन्धराजी की देन है, आपका क्या लेना-देना? दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): मैंने कब कहा?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): अभी तो कहा।

श्री सभापति: Please keep quiet.

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): बहुत सारे कसीदे पढ़े और आपने तो एक शेर के माध्यम से सबको हंसा भी दिया। आप छोटी बहन हैं, You have got all the rights but listen the reality of these facts. I would like to...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अंग्रेजी में ही बोलो पूरा।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, 2008 और 2009 के संशोधित अनुमान, माननीय मुख्य मंत्री ने अपने पिछले बजट में जुलाई में जो भाषण पढ़ा और उसके हिसाब से बजट पास हुआ- पेयजल आपूर्ति के लिए 400 करोड़ रुपये, शिक्षा बजट में 9162 करोड़ रुपये, सिंचाई और बाढ़ के लिए 2318 करोड़ और कृषि से सम्बन्धित के लिए 1977 करोड़, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कौनसी बड़ी बात हो गयी? आपके इस इकोनोमिक रिव्यू का लेख देना चाहता हूं, 71,732 करोड़ की योजना जो प्लानिंग कमीशन ने पास की स्टेट गवर्नमेंट के नेतृत्व में, माननीय वसुन्धराजी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, अफसरों को बैठाकर, यों नहीं कि जो अफसरों ने लिख दिया वह एज इट इज इन्होंने आगे पेश कर दिया। बाकायदा डिसकस करके हमारे सम्माननीय नेता लोग बैठे, वरिष्ठ नेता लोग बैठे और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इन्होंने सारे हैड में स्पेसिफिक इलेवंथ प्लान का वर्णन दिया है। इलेवंथ प्लान का 2007 से 2012, आपका कोई लेना-देना नहीं है, यह जो भी पैसा आ रहा है, हमारे दिमाग की कमाई है।

2007 से 2012, एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज में 2269 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, आपने कितना दिया? थोड़ा-सा मात्र। मैं बताना चाहता हूं वर्णन, रूरल डवलपमेंट में 4295, स्पेसिफिक एरिया प्रोग्राम में 1759 करोड़, इर्रिगेशन एण्ड फ्लड कण्ट्रोल में 7302 । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, सिंचाई में माननीय गवर्नर साहब से इन्होंने पढ़वाया कि 916, ...(व्यवधान) कोई बात नहीं है, वह कागज इधर-उधर, चश्मा और बिना चश्मा का फर्क आ जाता है।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): गलत बुलवा रहे हैं, आराम से बोलो आप तो।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आपकी और मेरी बात हो गयी थी।

श्री सभापति: Such understandings are not to be disclosed in the House.

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): यह मैच फिक्सिंग है सब।

श्री सभापति: अमरारामजी, प्लीज बैठिये।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, जैसे इर्रिगेशन का मामला है तो इसमें इर्रिगेशन और फ्लड कण्ट्रोल में 7302 करोड़

(श्री रोहिताश कुमार)

रुपया पांच साल के लिए और यह है 900 समथिंग, यह प्लान हमारा दिया हुआ है। इसके हिसाब से आप में बुद्धि होती पूरा पैसा लाते, 900 के बजाय 1500 करोड़ लेकर आते। आप 900 लेकर आये, यह कौनसी बड़ी बात कर दी? यह सब आदरणीय वसुन्धराजी की देन है।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं, रिर्सोसेज एक हजार समथिंग आप बढ़ा लाये, इसकी वाहवाही लूट रहे थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको एक मौका मिला, नाइंथ फाइव ईयर प्लान 1997 से 2002, यह तो सम्माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने बनाया। इसमें 27650 करोड़ का, अब आपका विजन देखिये, मुख्य मंत्री ने कितना बड़ा काम किया। तत्कालीन मुख्य मंत्री ने 27650 की वार्षिक योजना मंजूर की जिसके एक साल बाद भैरोंसिंहजी चले गये। आदरणीय अशोकजी गहलोत ने सत्ता को सँभाला, अब उस रकम को पूरे पांच साल में आपने क्या किया? सत्ताइस हजार के मुकाबले 27650 रुपये कम से कम भारत सरकार से आपको लेने चाहिए थे, अपने वित्तीय रिर्सोसेज को डवलप करना चाहिए था, आपको प्लान बनाना चाहिए था लेकिन आप प्लान बनाने में असफल रह गये, अफसरशाही पर डिपेंड रह गये।

अफसरशाही ने किया नहीं, खुद का भेजा एप्लाई किया नहीं, जिसका नतीजा राजस्थान की गरीब जनता को भुगतना पड़ा और 19566.82 रुपये मात्र ले पाये, 500 करोड़ का आपने नुकसान कर दिया सीधा-सीधा। यह आप वाहवाही लूट रहे हो 5000 करोड़ की, 27 और 19 का मतलब हो गया 8000 करोड़ का सीधा-सीधा घाटा करा दिया। यह तो आपका विजन है। यह तो तब जब आप कहते हो कि हमारी सरकार दिल्ली में भी है। हमारी लोकप्रिय सरकार है, गरीबों का रुपया प्लान बनाने के अभाव में, बाबुओं के अभाव में, भेजे के अभाव में 9000 करोड़ का आपने नुकसान कर दिया, इसका कौन जिम्मेवार है?

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, 2002 और 2007, वार्षिक योजना...(व्यवधान)

श्री सभापति: डाक्टर साहब, can I request you to cut it short.

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): दो मिनट। दो मिनट लेना चाहता हूं। टैंथ फाइव ईयर प्लान 2002 और 2007 यह आदरणीय अशोकजी ने बनाया। अब आप देखिये, दिमाग की बुद्धि, 31,000 से अशोकजी गहलोत बढ़ाकर 33,000 कर पाये, सिर्फ 200 करोड़ रुपया बढ़ा पाये। और यह 33,000 भी

(श्री रोहिताश कुमार)

आप पूरा नहीं कर पाये, 31,831 कर पाये। उसके मुकाबले में वसुन्धराजी ने ढाई गुना फालतू जिसकी हमारी बहन और आप सब वाहवाही लूट रहे थे, 71,732 करोड़ मंजूर की। माई डियर, खीर हमने पकाई, ईंधन हमने जलाया और आराम से सबड़का भर रहे हो और आहा जी कह रहे हो, यह क्या ? मतलब क्या हुआ इसका? आप हमको जवाब दीजिये।

बहुत सारी बातें हैं परन्तु मैंने मेजर साहब के स्वभाव को पढ़ लिया, अब बाइज्जत मैं यह जो वाहवाही थोथी लूटी गयी है, इसको टोटल नकाराता हूं। यह झूठी वाहवाही है। सकारात्मक कदम उठाने चाहिये। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं आप लोगों को। यहां चूंकि मंत्री बाबूलालजी बैठे हैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं। मंत्री सब गायब हैं, इम्पोर्टेंट इश्यु पर बहस हो रही है। अंग्रेजी और हिन्दी मैं तो दोनों बोल रहा हूं, अगर मेजर साहब, आपकी तरह फर्राटा अंग्रेजी बोलूं तो इनमें कोई नजर ही नहीं आता है क्योंकि यह ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बैठे हैं। मंत्रीजी बैठे हुए हैं। मंत्रीजी बैठे हैं।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): मैं निवेदन करना चाहता हूं, इनको वित्तीय रिसोर्सेज बढ़ाने चाहिये। झूठी वाहवाही, देखो मैं यह नहीं कहता कि यह वो ही कर रहे हैं, यह हम भी करते, उधर होते तो। परन्तु सरकार का विजन है। हमारा विजन था तो हम 31,000 से 71,000 पर ले गये। इनका विजन नहीं है तो ये 31,000 से 33,000 तक पहुंचे और वह भी पूरी नहीं कर पाये। यह तो डिपेंड करता है विजन पर। दिल्ली में इनकी सरकार है तो वित्तीय रिसोर्सेज बढ़ाओ। आप लीकेज रोकें। आपके जो सफेद हाथी हैं कारपोरेशंस, मैं रोडवेज का मंत्री था, भैरोंसिंहजी ने कहा, किस बात के मंत्री हो, गरीब जनता का पैसा खा रहे हो, इसको ठीक करो। (व्यवधान) गरीब जनता के पैसे खाने का मतलब उनका था तनख्वाह। उनको जो तनख्वाह मिल रही थी वह गरीब जनता की देन थी। आप सुनिये। गरीब जनता...(व्यवधान) आप सुनने के आदी नहीं हो क्या? यह तनख्वाह खा रहे हो...(व्यवधान)

श्री सभापति: डाक्टर साहब, समाप्त करें। डाक्टर साहब, समाप्त करें, अच्छा है यह आपके लिये भी। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): तनख्वाह लेते हो। मैं दावे के साथ कहता हूं, वह सुनो...(व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय,

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

हाल यह नहीं होता। आपका हाल यह नहीं होता। देवी सिंहजी की बात जानते हो, बाबोसा की बात मानते तो आपका हाल यह नहीं होता। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप समाप्त करें।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, इस सदन को गर्व होना चाहिये कि मुझे पांच साल तक रोडवेज में पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइजेज को प्रोफिट में लाने का प्रशंसा पत्र भारत सरकार ने दिया और 80 करोड़ का मुनाफा कमा कर दिखाया। यह मेरा रिकार्ड है जो आज तक किसी परिवहन मंत्री ने नहीं किया। इसलिये आप...(व्यवधान)

श्री सभापति: डाक्टर साहब, प्लीज। डाक्टर साहब आप समाप्त करिये। श्रवण कुमारजी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह निर्दलीय जीतकर आये थे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज हमारे महामहिम के भाषण को पढ़ा गया, राजस्थान के कोने-कोने में उसकी चर्चा हुई, मैं उस चर्चा के ऊपर विस्तृत जांच करके बताना चाहता हूं। अभी रोहिताश जी ने भाषण दिया, आंकड़े बता रहे थे राजस्थान के। इधर के हमारे साथी लोग भी कहते हैं, इस देश-प्रदेश का भला आंकड़ों से नहीं होगा। इस देश-प्रदेश का भाषण से भला नहीं होगा।

‘सदियों बाद उतरे हैं गहरे पानी में, वतन की प्यास बुझाकर रहेंगे।
जो सिर झुके नहीं झुकाये गये, उन सिरों को उठाकर रहेंगे।
जो जाति और धर्म का जहर फैलाया, जहर को मिटाकर रहेंगे।
जिनके घरों में सदियों से अंधेरा चला है, वहां चिराग जलाकर रहेंगे।

सपना हमारा होना चाहिये। यह सपना जब हमारा होगा तभी राजस्थान की 6 करोड़ जनता का भला हो सकता है। आज इस देश का विकास कई तरह से हुआ। हमारे पूनमचन्दजी विश्नोई जो पूर्व में विधान सभा अध्यक्ष थे, 15 वर्ष पहले जब हमारे साथ एम एल ए हुआ करते थे, उन्होंने एक बात कही थी कि इस राजस्थान में पानी के लिये युद्ध होगा। यह बात 15 साल पहले उन्होंने दूरदर्शिता के साथ कही थी।

श्री सभापति: Dr. Saheb, may I request you to please don’t disturb to other Hon’ble Members.

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 15 साल पहले एक बात कही थी कि

(श्री श्रवण कुमार)

पानी के लिये युद्ध होगा। तो पांच साल पहले भी हुआ वसुन्धराजी के राज में गोलियां चलीं, अब भी होते-होते बचा है और मैं बताना चाहता हूं, दस साल के अन्दर कोने-कोने में आग भड़केगी। किसी की यह सोच तो है नहीं कि पानी के कैसे रिसोर्सेज पैदा किये जा सकते हैं, पानी कहां से आ सकता है। जब तक राजस्थान की धरती को नहर का केवल सपना दिखाया जाएगा, केवल बातें की जाएंगी तब तक इस राजस्थान की गरीब जनता के छोर का भला नहीं हो सकता। इस बात का प्रतिशोघ हम यहां पैदा करते हैं। आज विपक्ष नेतृत्वहीन है, यह मर चुका है। इनको विरोध करना आता नहीं। राजस्थान की सरकार तब ही एस्टेब्लिश हो सकती है जब ये विरोध करना जानें।

'भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं।

हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश के प्रति प्यार नहीं।

हमें इस बात की पीड़ा है, नेतृत्वहीन विपक्ष बैठा है तो क्या विरोध करेंगे। विरोध करना चाहिये। विरोध करेंगे तब ही सरकार एस्टेब्लिश होगी। आज सरकार की पीड़ा है इस बात की।

सभापति महोदय, आपको बताना चाहता हूं गणित का एक सूत्र है प्लस प्लस बराबर प्लस, मायन प्लस बराबर मायनस और मायनस मायनस बराबर प्लस तो इनको मायनस होना चाहिये। यह पाजीटिव-पाजीटिव होंगे तो कहां से विरोध होगा ? कहां से सरकार एस्टेब्लिश होगी ? कहां से राजस्थान की जनता का भला हो सकता है ? मैं इस बात के लिये विपक्ष के लोगों की घोर निन्दा करता हूं। आप नेतृत्वहीन हो, आपको विरोध करना नहीं आता है। आज राजस्थान में...(व्यवधान) कितनी बार कैम्प लगाये, कितनी बार इन्होंने जाकर धरने दिये ? सरकार सो रही है तो आप भी तो सो रहे हो। दूसरों को क्या कहते हो। आपका काम था जगाने का, जो नहीं किया।

मैं कहना चाहता हूं, शिक्षा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस देश-प्रदेश की शिक्षा कमजोर हो जाती है, जिस मकान की नींव कमजोर हो जाती है वह मकान स्वत: ही गिर जाता है। जिस पेड़ की नींव कमजोर हो जाती है, पेड़ भी गिर जाता है। इस राजस्थान की समग्र शिक्षा के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है जो बहुत दर्दनाक और शर्मनाक प्रश्न है। 6 महीने तक शिक्षा मंत्रीजी ने क्या कहा ? लोहे से भारी हूं, लोहे से तगड़ा हूं, पत्थर से भारी हूं, समानीकरण करके रहूंगा। कितना किया? किसका किया? खोदा पहाड़ निकला चूहा। क्या किया? अब 6 महीने तक मास्टरों की नींद हराम कर दी,

(श्री श्रवण कुमार)

मेरा ट्रांसफर होगा, मैं वहां जाऊंगा। कौन गया? इस तरह की गलत अफवाहें फैलाने से देश का बुरा होता है, प्रदेश की जनता का बुरा होता है और अन्दर के घाव हो जाते हैं इसलिये बड़े अफसोस की बात है। या तो समानीकरण करने की बात उठी नहीं होती और उठी तो समानीकरण होना चाहिये था। सरकार में इच्छाशक्ति होनी चाहिये। कोई भी सरकार हो, कथनी और करनी में अन्तर हो जाता है, क्वालिटी और क्वांटिटी में अन्तर हो जाता है और आपके काम करने की शैली खतम हो जाती है तो सरकार चाहे कोई भी हो, वह काम नहीं कर सकती।

बी जे पी सरकार क्यों डाउन गयी ? इनकी कथनी और करनी में अन्तर था। ये भाषण देते थे बात करते थे पानी, जल की, दुनिया भर की। पंचायत समितियों में बड़े-बड़े टोपले वाले चौधरी बनाये, पानी का गिलास लेकर चल रहे थे कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, करोड़ो-अरबों रुपये खर्च कर दिये, कहां गया वह जल जीवन ? कहां गया ? पंचायत समितियों में मास्टरों की नींद हराम कर दी। बी डी ओ सो नहीं सका। गाना गाने वाले, नाचने वाले, डांस करने वाले गांव-गांव में ले गये, क्या किया उन्होंने ? जल बच गया इससे ? गांव की टंकियों के ऊपर नल नहीं लगा सकते, पानी चू रहा है, गांव की गलियों में गन्दा पानी बह रहा है। वह काम तो किया नहीं और करोड़ो-अरबों रुपये जल ही जीवन पर खर्च कर दिये। जब तक सरकार की नीति ठीक नहीं हो तब तक देश का भला नहीं हो सकता।

शिक्षा की बात आती है, आज स्कूलों में मास्टर नहीं हैं, सब्जैक्ट का टीचर नहीं है। गणित का सब्जैक्ट टीचर हिन्दी पढ़ा रहा है, हिन्दी का टीचर कामर्स पढ़ा रहा है, क्या पढ़ाएगा? यह सारा सिस्टम जो हमारी शिक्षा के ऊपर रुका हुआ है वह सारा सिस्टम गड़बड़ कर दिया। कहते हैं कि आर पी एस सी से, आज एक अख़बार में आया है कि जिला परिषदों के माध्यम से हम अध्यापक लेंगे। जो ले लिये उनकी ड्यूटी नहीं ली। आज चार बच्चे बैठे हैं, आठ मास्टर बैठे हैं, मैं आपको वह बात बता रहा हूं जो प्रैक्टिकल है। मैं यह बात बता रहा हूं जो किसानों के दिल का दर्द है। आप छोर पर जाकर देखिए, कोई बोलेगा नहीं। आज किसान बोल नहीं सकता, पर उसके दिल में फफोले हैं, दर्द है, इस बात की पीड़ा है। आज चार मास्टर बैठे हैं, एक बच्चा नहीं है। स्कूल खोल कर बैठे हैं, सुबह जाते हैं, नौ बजे वापस आ जाते हैं। क्या है यह? यह राजस्थान के साथ खिलवाड़ नहीं है क्या? एक स्कूल में आठ सौ बच्चे हैं,

(श्री श्रवण कुमार)

चार मास्टर बैठे हैं, इसका दर्द नहीं है क्या? राजस्थान के दो सौ लोगों को छह करोड़ जनता ने भेजा है, इसलिए भेजा है कि भाषण करके चले जाएं? पन्द्रह-बीस दिन मजे मार कर, चार-चार सौ रुपए भत्ते के लेकर, अपना भत्ता बढ़ाकर चले जाएंगे, इसलिए बनाया है क्या अपन लोगों को? यह जनता का बहुत बड़ा न्याय का तंत्र है, इस तंत्र का खिलवाड़ बनाकर छोड़ दिया। इसमें क्या है? आज हमें इस बात की पीड़ा है कि राजस्थान के जिस कोने में हमारे मंत्री लोग बैठे हैं, जहां हमारे सदस्य बैठे हैं, एक भी मंत्री नहीं है। (व्यवधान)... अमीन खांजी बैठे हैं, अमीन खांजी क्या भाषण देंगे? (व्यवधान)... मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी अगर सबसे बड़ी धरोहर है तो यह राजस्थान की विधान सभा है, इसमें प्रत्येक मंत्री को रहना चाहिए, माननीय सदस्यों की बात को सुनना चाहिए और सुनकर उन बातों पर अमल करना चाहिए। कहां हैं शिक्षा मंत्री? शिक्षा मंत्री कहां है? महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं, शिक्षा मंत्री कहां है? कहां हैं शिक्षा मंत्री? माननीय सभापति महोदय, आप इसके लिए पाबन्द करिये कि मंत्री टेबल पर बैठे दिखने चाहिए। हमें यह बहुत बड़ी पीड़ा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य सही कह रहे हैं, इससे बड़ा कोई ऑगस्ट हाउस नहीं है, इस हाउस के अन्दर मंत्रीगण नहीं रहें?

श्री सभापति: I hope he is quite competent to explain himself. बैठिए आप। बोलिए श्रवण कुमारजी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हमें इस बात की पीड़ा है कि राजस्थान में चाहे सैकण्डरी स्कूल हो, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे मिडिल स्कूल हो, उनके अन्दर शिक्षा देने के लिए शिक्षक सुचारु रूप से नहीं जाएंगे, सब्जैक्ट टीचर नहीं जाएंगे, तब तक बच्चे शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहेंगे। जितने भी स्कूल आपने खोले, पहले चाहे वसुन्धरा राजेजी ने खोले हों, सरकार जिसकी भी होती है वह स्कूल खोलता है। यह कोई किसी का ढर्रा नहीं है, यह थियरेटिकल वर्क है, जो भी सरकार आएगी वह काम करेगी। पर सरकार आने के बाद में बी जे पी सरकार ने भी यही किया, प्राइमरी स्कूलों का गणित का टीचर उठाकर उसको एडहॉक लगा दिया, 28 फरवरी को उसको हटा दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि सब्जैक्ट का आपके पास टीचर नहीं है तो स्कूल क्यों खोलते हो? क्यों किसी गरीब के बच्चे को अनाथ बनाकर छोड़ते हो, पैरासाइटिक क्यों बनाते हो? प्राइवेट स्कूल हैं वे तो चलाएंगे न?

(श्री श्रवण कुमार)

यही हाल हमारे मेडिकल का है कि मेडिकल में आजादी के 65 साल बाद में भी गरीब का बच्चा चिकित्सा प्राप्त नहीं कर पाए, गांव का डाक्टर गांव में चिकित्सा नहीं दे पाए। आज हमारे चाहे सी एच सी खोली होंगी, चाहे पी एच सी खोली होंगी, चाहे उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले होंगे, मैं दावे के साथ सदन के सामने इस बात का चैलेंज करता हूं, कोई एक आदमी खड़ा होकर यहां कह दे कि मेरे गांव में दो से छह बजे वाली शिफ्ट में डाक्टर ड्यूटी दे रहा है। एक डाक्टर भी ड्यूटी नहीं दे रहा है। 9 बजे जाएगा, 12 बजे वापस आ जाएगा। शहर के उस छोर में रहेगा जहां उसके ऐशोआराम के पूरे साधन होंगे। पर गरीब किसान, जिस 70 प्रतिशत जनता ने हम लोगों को भेजा है, उसके दिल पर क्या गुजरेगी जिसका बच्चा छोर में धूप में बैठा है, अंधेरे में बैठा है, राजस्थान के छोर में। अंधेरे में बैठा हुआ, जहां बिजली की लाइन नहीं है, सड़क नहीं है, चिकित्सा नहीं है, शिक्षा नहीं है और रहने का आवास भी नहीं है, उस किसान ने हमको वोट देकर राजस्थान की विधान सभा में इसलिए भेजा था कि जा बेटा, मेरी बात को वहां सुनना। पर बेटा यहां आकर सो गया और किसान की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। ये रेडीमेड फेंटे बांधते हैं, अगर ये रेडीमेड फेंटे खुल जाए तो दुबारा नहीं बांध सकते। रेडीमेडी धोती बांध कर आते हैं, इनकी अगर धोती खुल जाए तो दुबारा बांध नहीं सकते। ये रेडीमेड फेंटे, रेडीमेड धोती बांध कर क्या कहना चाहते हैं? यहां किस गरीब के बेटे ने हल चलाया है, किसने जांटी छांगी है, किसने निनाण किया है? सब कृत्रिम बातें करके विडम्बना पैदा करते हैं। अपने आप को किसान बोलते हैं, बिजली की बात करते हैं। हमारे आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने 5 साल की घोषणा की कि 5 साल बिल नहीं बढ़ाएंगे, इसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद करता हूं। पर मैं मंत्रीजी के सामने जो हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे गांव के मंत्री हैं, परसादीलालजी यहां बैठे हैं क्या? परसादीलालजी हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं, इनके सामने मैंने एक ही बात कही थी...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): श्रवणजी, आपके गांव में तो आपको छोड़कर सभी मंत्री हैं, समस्या आपकी यह है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): राजा थारे राज में रोड़ा रांधड़ खाय।
वेदव्यास भूखा मरे, डूम जलेबी खाय।

श्री अमराराम (धोद): राजकुमारजी, सुन लो आप, आपके लिए है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आज मैं यह बात कहना चाहता हूं आपके सामने कि हमारे गांव में छोर में जहां पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, वहां लोग पानी के लिए प्यासे मर रहे हैं, हमारी सरकार को इस बात को तय करना चाहिए था कि सिंगल फेस के कुए पर हम कनेक्शन नहीं देंगे। गांव के जोहड़ों में लोग बस गये, बी पी एल के लोग बस गये, चौरासी में बस गये, उन लोगों को हम कनेक्शन नहीं देंगे। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे बी जे पी की रही हो, मैं इस बात के लिए उनकी भर्त्सना करता हूं। जब लोग जोहड़ों में बस रहे थे, जंगलों में बस रहे थे, उस समय सरकार सो रही थी क्या? मना क्यों नहीं किया कि आप क्यों यहां बस रहे हैं? आज वहां कनेक्शन देने के लिए मना कर दिया। गांव-ढाणी में जहां सिंगल फेस की आवश्यकता है, वहां हमारे मंत्रियों ने कह दिया कि हम बिजली का कनेक्शन नहीं देंगे। आप मुझे बताने का कष्ट करें कि जहां वास्तव में आवश्यकता है, उस आवश्यकता को तो आप खा रहे हो और गांव जहां कनेक्शन हैं, उसको हम कनेक्शन दे देंगे।

श्री सभापति: श्रवण कुमारजी, मेरा निवेदन है कि आप जल्दी समाप्त करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सुनने वाली बात तो सुन नहीं रहे हो, बेकार के आंकड़ों को पेश करें तब मजा आएगा क्या? मुझे बोलने का कोई शौक नहीं है। मैं कोई अख़बार में नाम छपाने के लिए भी नहीं बोल रहा हूं। मुझे इस बात का बहुत बड़ा दर्द है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, आज देश की 65 साल की आजादी के बाद भी गरीब जो अन्न पैदा करता है, झोंपड़ी में जाकर सोता है, खेत और खलिहान में रात को कुए से पानी देता है, उसका बेटा जब मार्च में अनाज निकलता है, उसका बेटा जब अनाज के लिए अपनी मां को बोलता है, मां, मुझे रोटी दे, उसका अनाज कौन उठा कर ले जाता है? वह मांगने वाला बनिया उठा कर ले जाता है और मां से बेटा कहता है, मां मुझे रोटी दे, तो वह मां रोटी की जगह थप्पड़ मार कर सुला देती है। बेटा जब सुबह उठता है तो मां से कहता है कि मां, मुझे रात को क्यों पीटा, तो मां कहती है, मेरे लाल, मेरे जिगर, मुझे पीड़ा थी पीटते हुए पर मेरे पीपे में आटा नहीं था। लानत है, हिन्दुस्तान की आजादी के 65 साल बाद भी गरीब का बेटा जो अन्न पैदा करता है, उसके बेटे को भूख लगती है तो थप्पड़ खाता है और बड़े अफसरों और नेताओं के कुत्ते रोटी की

(श्री श्रवण कुमार)

जगह केक और बिस्किट खाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? हमें इस बात की पीड़ा होनी चाहिए। आप सबसे मैं यह बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान में अगर किसान के बेटे को जिन्दा देखना चाहते हैं, नागौर से लेकर जोधपुर से लेकर, बाड़मेर से लेकर और लोहारू की तलहटी तक अगर जिन्दा देखना चाहते हैं तो नहरों के बारे में सोचिए, मुद्दा उठाइए, वर्ना राजस्थान की जनता अंधी हो जाएगी, जनता की आंखों में पानी नहीं आएगा, खून आएगा, पानी कब्रों पर नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा, यह जनता रोडों पर आ जाएगी और उस दिन बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। जिस प्रकार हिन्दुस्तान में सत्यता, ईमानदारी और निष्ठा जिन्दा होगी लेकिन कब होगी? जब एक दूसरे पर लोग युद्ध के लिए उतारू हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे भ्रष्टाचार मैं करूं, चाहे कोई भी करे, राजस्थान की जनता के साथ कोई भ्रष्टाचार करता है, वह चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, वह देश का सबसे बड़ा देशद्रोही नेता है। मुझे पीड़ा है इस बात की कि किसानों ने आगे रखा है आप लोगों को, वोट दे दिये, राजस्थान की विधान सभा में भेज दिया, फिर हमारा सरे-सरे आम सबको मालूम है। मेरा सपना कोई यह नहीं है कि मैं बहुत बड़ा एम एल ए बनूं या मंत्री बनूं, मेरा सपना तो यह है कि हमारे राजस्थान की धरती के छोर का गरीब व्यक्ति यदि थाने में जाए तो थानेदार खड़ा होकर पूछे कि बाबा, तेरी पीड़ा क्या है, तहसील में जाए तो तहसीलदार खड़ा होकर पूछे कि बाबा, तेरी समस्या क्या है, बिजली बोर्ड में जाए तो बिजली बोर्ड का ए ईएन खड़ा होकर पूछे कि बाबा, तेरा काम क्या है। उस दिन के बाद ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वर्ना चुनाव लड़ते रहेंगे, गरीबों के जीवन के लिए संघर्ष करते रहेंगे। जहां उनका पसीना बहेगा, हमारा खून बहता रहेगा, यह मेरा सपना है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सब लोगों को आगाह करता हूं कि देश में, प्रदेश में अगर अमन-चैन चाहते हो तो सबसे पहले पानी के लिए लड़ाई लड़ें और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए संघर्ष करें, समाज में किसान को सर्वोपरि समझिए, जिसने आपको यहां पर भेजा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हुआ पुन: धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: श्रवण कुमारजी, आप समाप्त करें। देखिए, मैंने आपके लिए घण्टी नहीं बजाई अभी तक। घण्टी से पहले आप समाप्त करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): एक मिनट। मैं यह कहना चाहता हूं कि बात कांग्रेस की आती है, बात बी जे पी की आती है, मैंने 5 साल बी जे पी

(श्री श्रवण कुमार)

का राज भी देखा है, फिर कांग्रेस का राज देखा, फिर बी जे पी का देखा, देखते-देखते हमारी आंखें पानी से भर आईं, हमने यह देखा है......(व्यवधान)

श्री सभापति: आजाद साहब, आप बैठिए, इनको अपनी भावनाएं व्यक्त करने दीजिए। रामलालजी गुर्जर। श्रवण कुमारजी, कृपया आप समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं राजेन्द्रजी को बात कहता था, राजेन्द्रजी, सड़कों की क्या दुर्दशा है। पर राजेन्द्रजी को नशा, वह गम्भीर नशा राज का, जो इनके सर्कुलेशन में खून का टाई रहता था, मेरी बात को नहीं सुनते थे राजेन्द्रजी। (व्यवधान) आप राजेन्द्रजी गुढा हो, यह राजेन्द्रजी राठौड़ हैं। मैं यह कहता हूं-

जंगल में पक्षी अनेक होते हैं, सब का ठिकाना एक होता है।

जंगल में शिकारी अनेक होते हैं, सब का निशाना एक होता है।

भाषा अलग-अलग होती है, सब का तराना एक होता है।

दिल में प्यार हो तो जमाना एक होता है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मेरी बात को विराम देते हुए, मैं पुनः आप लोगों को आगाह करता हूं कि देश प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो समाज में एकता तभी आ सकती है, ईमानदारी और निष्ठा जिंदा रहेगी, वर्ना न एकता आएगी, न किसी गरीब के प्रति भावना आएगी।

श्री सभापति: धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): और भावना नहीं आएगी तो देश में काम करने की भावना नहीं आएगी। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री रामलाल गुर्जर।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): इन्हीं शब्दों के साथ में आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने का जो आपने समय दिया, आपका आभार। सबसे पहले यहां सदन में विराजमान सब को मेरी ओर से राम-राम। अभिभाषण का जो यह पुलिंदा देखने को मिल रहा है, यह असत्य का पुलिंदा है। कारण है कि इसमें आपने पैरा संख्या 2 में बता रखा है कि पंचायती राज का 50 परसेंट आरक्षण दिया है जबकि बीजेपी के टाइम में

(श्री रामलाल गुर्जर)

माननीय वसुंधराजी ने यह कर दिया था 50 परसेंट लेकिन आपने फिर भी इसको इसमें रखा। पैरा संख्या 3 में आपको राजीव गांधी नजर आये, बाकी हिन्दुस्तान में और कोई नजर नहीं आया। हिन्दुस्तान में काफी महान पुरुष भी हुए हैं लेकिन आपको राजीव गांधी मिशन, राजीव गांधी जनसंख्या व स्वास्थ्य मिशन, राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा मिशन, राजीव गांधी कृषि एवं पशुपालन मिशन, राजीव गांधी शिक्षा एवं साक्षरता मिशन, राजीव गांधी जल विकास संरक्षण मिशन, बार-बार राजीव गांधी के सिवाय आपको कोई नजर नहीं आ रहा है। कम से कम परमपिता परमेश्वर का नाम याद करते हुए देवी-देवताओं का नाम याद करते, महापुरुषों का नाम अगर आप लाते तो भगवान भी आपके लिए सोचता। मैं पहली बार 2000 के उप चुनाव में आया था उस टाइम पर भी कांग्रेस का राज मिला और गहलोत साहब मिले, कांग्रेस और अकाल की जोड़ी है, क्या करें? अभी वापस आया, वही कांग्रेस, वही गहलोत साहब, क्या यह सही है कि करें? वसुंधराजी के टाइम पर आपको मालूम है कि बरसात की कोई कमी नहीं रही, तेल के भण्डार मिले, सोने के भण्डार मिले। और गहलोत साहब के टाइम पर आते ही यह क्या हुआ? इधर जयपुर में आईओसी में आग लग गई, इससे मोटा हादसा क्या हो सकता है? अकाल की भयंकर मार हो गई, चारों ओर लूटखसोट, छीनाझपटी, इसके सिवाय कुछ रहा ही नहीं।

पैरा 8 में राज्य सरकार ने शहरी नवीनीकरण के लिए चार सौ करोड़ का कोष रखा जबकि यह मालूम होना चाहिए कि गांवों में जनसंख्या 70 परसेंट है, कम से कम उनके लिए भी सोचो, उनके लिए भी कुछ रखें। लेकिन कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। अगर फर्क नहीं होता तो गांवों के लिए भी सोच रखते, गांवों के विकास की सोच रखते।

श्री सभापति: मेरा निवेदन है माननीय सदस्यों से कि व्यवधान नहीं करें, माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): माननीय सभापतिजी, पैरा संख्या 9 में जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की योजना बना रखी है। जयपुर वैसे ही गुलाबी नगरी है जहां खुलेआम चोरी डकैती, छीना-झपटी हो रही है, महिलाओं की खुलेआम चेनें तोड़ी जा रही हैं। गांवों के लिए कोई सोच नहीं और महिलाओं की चेनें तोड़ी जा रही हैं, गाड़ियां खुलेआम चोरी होकर जा रही हैं। क्या कर रही है गवर्नमेंट? और जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी। पहले इस ओर

(श्री रामलाल गुर्जर)

तो ध्यान दें। वर्ल्ड क्लास सिटी बनाओ, यह काम नहीं? लेकिन इस ओर तो देखें।

आपने पैरा संख्या 15 में 27 जिलों के 33464 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है किन्तु अकाल के हालात क्या हैं, कभी आपने सोचा भी है इस बारे में? सौ दिन रोजगार गारंटी के पूरे होने के बाद महीने में 10 दिन अकाल राहत में काम पर लगे, यह भी नहीं, सौ दिन रोजगार गारंटी का काम भी पूरा नहीं मिल पा रहा है। जो रोजगार गारंटी का जो काम मिल रहा है उसमें भी मजदूरों को 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये मिल रहे हैं, तो यह कैसे चलेगा? और अकाल के नाम पर अकाल का कोई लेना-देना नहीं। महीने में 10 दिन, बल्कि, 10 दिन भी नहीं। मस्टर-रोल ले जाते नहीं, खाली 100-50 लोगों को एक पंचायत में दे देते हैं ताकि टाइम पास हो जाए। और तो क्या कहूं, नगरपालिका एरिया में भी गरीब बसते हैं लेकिन कांग्रेस वालों ने सोचा नहीं कि वहां भी गरीब बसते हैं। सब नगरपालिका में सेठ नहीं, अकाल राहत के कार्य चलाने चाहिए और गरीबों को राहत देनी चाहिए, लेकिन यह सोचा है नहीं।

राज्य सरकार ने पेयजल कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए पैरा संख्या 23 में बताया है। कहां पेयजल की व्यवस्था की जा रही है? पेयजल के लिए जो बीजेपी के शासन में जो योजनाएं स्वीकृत हुई करोड़ों की, सरकार ने आते ही बंद कर दीं, और रेटें अब और बढ़ गईं। अगर इस टाइम पर इसका निदान हो जाता तो यह समस्या देखने को नहीं मिलती। राज्य सरकार हैण्डपम्प के लिए पाइप वाशर और चेन पूरा नहीं दे पा रही है, इससे मोटा क्या हो सकता है। मेरा तो यह सुझाव है कि नये हैण्डपम्प खोदने से पहले जो दूसरे हैण्डपम्प खराब पड़े हैं, उनके लिए यंत्र वगैरह जो भी हैं, पूरे दें। पाइप वगैरह अच्छी क्वालिटी के हों क्योंकि जब हैण्डपम्प बोर होते हैं तो वाशर, पेंच, चूड़ियां वगैरह स्लिप होकर पाइप गिर जाता है और हैण्डपम्प ड्राई हो जाता है, ब्लाक हो जाता है। फिर वापस नया खोदो। मनुष्यों के पीने के लिए जहां टैंकर लगने चाहिए, टैंकर नहीं लग पा रहे हैं। जानवरों के लिए भी पानी नहीं है। मनुष्यों के लिए 10 लीटर पानी दिया जाता है तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जानवर भी पानी पीते हैं, जानवर प्यासे नहीं रह पाते हैं और अगर जानवर पानी नहीं पिएगा तो वह भी मरेगा। गौ-माता जिसकी अपन पूजा करते हैं, उसके पीने के लिए पानी नहीं। जब गौ-माता की पीड़ा ऊपर वाला भी सुनता है तो बरसात कहां से आएगी? यह मन में पीड़ा आपकी सुनते हैं।

(श्री रामलाल गुर्जर)

दूसरी ओर घास की समस्या है, घास के लिए कुछ जगह डिपो खाली हैं। अब डिपो खाली हैं तो वहां घास की कोई सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसके अलावा घास चार सौ, साढ़े चार सौ रुपये क्विंटल है, उसमें 50-60 रुपये क्विंटल की छूट है, तो 50 रुपये, 60 रुपये क्विंटल की छूट से काम चलने वाला नहीं है क्योंकि भयंकर अकाल है। भयंकर अकाल है तो अकाल के लिए कम से कम 50 परसेंट सब्सिडी दी जाए। मेरा तो एक ही आग्रह है कि सब्सिडी दी जाए ताकि राजस्थान के जो जानवर हैं, पशुधन हैं, वे बच सकें।

एक्सीडेंट पर काबू करने के लिए पैरा संख्या 30 में दिया है लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि एक्सीडेंट में रेगुलर बढ़ोतरी हो रही है, एक्सीडेंट पर काबू नहीं किया जा पा रहा है। परिवहन विभाग में पैरा संख्या 31 में बताया कि नई वोल्वो लगाएंगे, अच्छी एसी गाड़ियां लगाएंगे, तो मैं तो यह कह रहा हूं कि जो आपका बहुत शानदार रूट है वह आपकी जानकारी में नहीं है, भीलवाड़ा-ब्यावर जो राजस्थान का एक नम्बर रूट है वहां पर रोडवेज की बसें नहीं लगी हैं। इसका मतलब क्या है? वर्षों से नहीं लगी हुई इसके पीछे भी कोई न कोई राज है। यह सोचने का विषय है आप सब के लिए।

पैरा संख्या 39 में रोजगार विभाग में जो पंजीकृत कर रखे हैं ऐसे 8 लाख 32 हजार रोजगार बकाया हैं जिसमें से आपने मात्र 27459 दिये। बीजेपी के राज में लाखों युवाओं को रोजगार दिया गया, लेकिन रोजगार के बारे में आपने सोचा नहीं। जब युवा बेरोजगार है तो बेरोजगार क्या करता है? कुछ न कुछ करता रहता है। फालतू दिमाग शैतान का दिमाग होता है, उनको सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है।

पैरा संख्या 43 में चिकित्सा-स्वास्थ्य विभाग का हाल मैं कहूं तो क्या कहूं? डाक्टर हैं नहीं, कम्पाउण्डर हैं नहीं, नर्सों के पद खाली पड़े हैं, हास्पिटल में जहां 10-12 का स्टाफ डाक्टर का होना चाहिए, वहां दो-दो डाक्टर के भरोसे हॉस्पिटल चल रहे हैं, तो यह कहां तक चलेगा? स्त्री रोग विशेषज्ञ की आवश्यकता है लेकिन बहनों की पीड़ा किसको? स्त्री रोग विशेषज्ञ होने चाहिए। बच्चों की पीड़ा किसको, बच्चे आए दिन मर रहे हैं। यही नहीं, आप मेडिसिन में ले लें, मेडिसिन में कितनी मिलावट है? सब यहां माननीय सदस्य बैठे हैं, सब ने देखा ही होगा, अख़बार में पढ़ा ही होगा, जब मेडिसिन में मिलावट इतनी भयंकर हो रही है तो यह कहने का मतलब? जुगल का राज हो रहा है, मुझे तो यह भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है।

श्री सभापति: आदरणीय रामलालजी, थोड़ा छोटा करें।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): सभापतिजी, मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं। पैरा संख्या 48 में शिक्षा के बारे में जो दे रखा है, अभी क्या बोलूं? आठवीं तक के स्कूल हैं, आठवीं के स्कूल एक टीचर, दो टीचर पर चल रहे हैं, प्राइमरी स्कूल में भी कहां एक टीचर है और सैकण्डरी के स्कूलों में 5 टीचर, अब जहां दो सौ बच्चे, तीन सौ बच्चे हैं, वहां 2 टीचर या एक टीचर हो तो कैसे काम चलेगा?

ग्रामीण रोजगार गारंटी में अभी जो समस्या आ रही है वह पूरा सौ दिन में नहीं हो पा रही है। माननीय मंत्री महोदय तो इस ओर चिंतित रहते हैं, यह तो मुझे मालूम है, लेकिन मंत्री महोदय ने भी जो सोच रखी, न जाने किस वजह से वह सोचने नहीं देती राज्य सरकार। मंदिरों पर मात्र 5 करोड़ 63 लाख रुपये दिये जीर्णोद्धार के लिए, यह 5 करोड़ 63 लाख मंदिरों जैसी चीज पर बहुत ही कम है। अब मैं बताऊं महंगाई, महंगाई तो आप सब को मालूम है कि नारा दे रखा है। हमारा नारा था, 'जय जय राजस्थान, अब नहीं रुकेगा राजस्थान। कल सत्ता पक्ष के भाइयों ने यह बात कही थी कि जय जय राजस्थान, राजस्थान अपना है, राजस्थान की जय होनी चाहिए।

श्री सभापति: रामलालजी, समाप्त करें। आपको काफी टाइम हो गया है, समाप्त करें।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में। कांग्रेस का नारा है कि कांग्रेस लाओ, गरीबी भगाओ। लेकिन नारा उलटा हुआ, कांग्रेस लाओ और गरीबी बढ़ाओ। तो गरीबों के साथ बहुत कुठाराघात हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है। सभापति महोदय, अगर देखें तो सदन में जो आज माननीय सदस्य विराजमान हैं उन्होंने कभी भी किसी ने ऐसी महंगाई नहीं देखी होगी। 100 रुपये किलो दाल, 200 रुपये किलो चाय पत्ती, 100 रुपये किलो तेल, 30 रुपये किलो गुड़, 18 हजार रुपये तोला सोना और 28 हजार रुपये चांदी है, ऐसा किसी ने भी सोचा क्या जो माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि समाप्त करें।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): माननीय सभापतिजी, दो मिनट। अब हलवा और पुडी खाने की इच्छा किसकी नहीं होती, लापसी खाने की इच्छा किसकी नहीं होती है? गांव वालों को भी होती है और अपन जो बैठे हैं, सब में

(श्री रामलाल गुर्जर)

होती है। लेकिन खाएं तो कैसे खाएं। जब अपन भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उस गरीब का क्या होगा? पिछली सरकार ने गुर्जरों के लिए, सवर्णों के लिए आरक्षण दिया था उस पर भी तलवार लटका रखी है, कोर्ट ने स्टे कर दिया। जब बीजेपी का राज था तो आप आरोप लगाते थे कि बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं, अब मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं, सरकार से भी कहना चाहता हूं कि जब केन्द्र में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है तो 9वीं सूची में डलवाने में तो कहां प्राब्लम है?

श्री सभापति: रामलालजी, कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें। महेन्द्रजी चौधरी।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): माननीय सभापतिजी, एक मिनट। मात्र एक मिनट, ओनली वन मिनट।

ओबीसी के साथ में बहुत सौतेला व्यवहार किया जा रहा है जबकि माननीय मुख्य मंत्री महोदय भी ओबीसी के हैं। ओबीसी के जो काम हुए हैं, जैसे अनुप्रति योजना है, अनुप्रति योजना में मात्र 323 विद्यार्थियों को ही लाभान्वित किया गया है। जहां आईएएस, आईपीएस, आरएएस बच्चे बनते हैं, राजस्थान में मात्र 323 को पढ़ाई के लिए दिया जो नहीं के बराबर है। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत आभार।

श्री सभापति: धन्यवाद। अमरारामजी, मैं महेन्द्रजी चौधरी का नाम पुकार चुका हूं इसलिए कृपया बैठ जाइये। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं महेन्द्रजी चौधरी का नाम यहां से पुकार चुका हूं। कृपया आप अपनी सीट ग्रहण करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पुकार चुके हैं वो बोलें, मैं इसमें डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा हूं। मेरा तो निवेदन यह है कि कांग्रेस....

श्री सभापति: आपका नम्बर आ रहा है। देखिये, यह कोई व्यवस्था नहीं है। जब महेन्द्रजी चौधरी का नाम बोल दिया गया तो वो ही बोलेंगे, आप उसके बाद बोलियेगा। फिर आपका नम्बर आ रहा है, मैं इसके बाद नम्बर पुकारूंगा, मेरा वादा है। कृपया बैठिये। बैठिये आप, महेन्द्रजी चौधरी।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): सम्माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे जो बोलने का समय दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। पिछले चार दिन से जब से महामहिम द्वारा इस सदन में यह अभिभाषण पढ़ा गया, उसके

(श्री महेन्द्र चौधरी)

बाद पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की तरफ से इस पर जो वाद-विवाद हो रहा है उसको मैंने बड़ी गम्भीरता के साथ में दोनों साइड से सुना है। महामहिम ने जो अभिभाषण पढ़ा, मैं उसके पक्ष में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं चिंतित हूं कि प्रतिपक्ष के लोगों को भी सत्ता में रहने का मौका मिला था, आज जब राजस्थान की 6 करोड़ जनता ने उनको सत्ता से उतारकर प्रतिपक्ष में बिठा दिया तो इनको जो बहुमत नहीं मिला उसका गुस्सा बेवजह इस महामहिम के अभिभाषण पर उतार कर और असत्य या दूसरे प्रकार के शब्द काम में लेकर इस सदन का बेवजह वक्त जाया कर रहे हैं। इस अभिभाषण में वही लिखा है जो एक आम आदमी की बात है, एक किसान की बात है और हर समाज की बात है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने एक साल के इस कार्यकाल के अन्दर राजस्थान की जो जनता आज भी बिजली के ऊपर आधारित है, 80 प्रतिशत जनता बिजली के ऊपर आधारित है, अपने 100 दिन के कार्यकाल में राजस्थान की राजधानी जयपुर के अन्दर माननीय सोनिया गांधीजी और 10 लाख लोगों की मौजूदगी में एक अहम फैसला लेते हुए इस बात की घोषणा की थी कि राजस्थान की जनता का बिजली का बिल पांच साल तक नहीं बढ़ाया जाएगा। बहुत बड़ा, ऐतिहासिक फैसला उस समय किया था। बिजली के कनेक्शन दिये जाएंगे, बिजली के ट्रांसफार्मर दिये जाएंगे। बिजली समय पर मिल रही है, पिछले एक साल के अन्दर किसी को भी बिजली के लिए बोलने का मौका नहीं मिला है। ये सदन में बोलते हैं, अगर इनका विरोध है तो अपनी कांस्टीट्युएंसी के अन्दर जाकर बोलें, धरना दें। हमें भी हमारे मुख्य मंत्रीजी ने यह बात कह रखी है कि अगर आपकी बात कहीं नहीं सुनी जाती है तो आप भी धरना दे सकते हैं।

मैं इस राजस्थान की विधान सभा के अन्दर एक छात्र नेता के रूप में आया था और इस चतुर्थ सत्र के अन्दर आज मुझे दूसरी बार बोलने का मौका मिल रहा है। हमने भी कालेज के चुनाव, राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव लड़े हैं। 8-8 राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष यहां पर हैं चार-रघु शर्माजी, प्रतापसिंहजी, राजकुमारजी और मैं स्वयं इधर से और चार-भाई राजेन्द्रजी राठौड़, कालीचरणजी सराफ, राजपालजी और हनुमानजी बेनीवाल उधर हैं। इसके अलावा जोधपुर यूनिवर्सिटी के भाई बाबूसिंह जी है तथा और कॉलेजों के अनिता सिंहजी, दीपेन्द्र सिंहजी और सम्माननीय सीएम साहब और सब लोग बैठे हैं। सब लोग छात्र नेता के रूप में कॉलेजों से यहां पर आये हैं।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

हमने सोचा था कि यहां आएंगे तो सीनियर लोगों से कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन हमें पीड़ा हुई है। वे सीनियर लोग जब हम स्कूल में पढ़ते थे और वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसीडेंट थे, जब वो बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनके शब्द इतने कमजोर होते हैं। 6 करोड़ जनता ने एक किसान के पुत्र को मुख्य मंत्री बनाया, महलों से राजनीति गांवों के अन्दर और झौपड़ों के अन्दर आई तो इस बात की उनको पीड़ा हुई। तारानगर से आने वाले माननीय विधायक ने पहले सत्र के अन्दर ही यह कहा था कि ये कमजोर मुख्य मंत्री होंगे, यह टेढ़ी आंख का शिकार हैं, यह दूसरा बजट सत्र पेश कर पाएं या नहीं कर पाएं, इस प्रकार की अनर्गल बातें कहीं इससे हमें बड़ी ठेस हुई, हमें बड़ी पीड़ा हुई। आज जब हमारा कोई सदस्य खड़ा होता है तो ये कह देते हैं कि आप बैठ जाइये। मुझे अभी कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बता रहा था कि माननीय सदस्य पिछले सत्र के अन्दर 254 बार अपनी सीट से खड़े हुए थे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको बोलने की आदत पड़ी हुई है। लेकिन इस सत्र में मैं जरूर देख रहा हूं कि प्रदेश की पूर्व मुख्य मंत्री और हमारी भाभी जब से प्रतिपक्ष के नेता पद से हटी हैं, निश्चित रूप से चाहे दिगम्बर सिंहजी हों, चाहे राजेन्द्रजी राठौड़ हों, चाहे भवानी सिंहजी हों, चाहे ओम बिरला हों, बिलकुल ठंडे हैं। ऐसे-ऐसे शब्द काम में लिये गये, इस विधान सभा के अन्दर बापड़ा कहा गया, जोकर कहा गया, फन्ने खां कहा गया, नूर कहा गया, गरुड़ पुराण कहा गया, बाइबिल कहा गया, गुंडागर्दी कहा गया, डोकरी कही गई, छोकरा कहा गया और अभी-अभी दिगम्बर सिंहजी ने +++ भी कहा। इस प्रकार के शब्द अगर काम में लिये गये तो प्रतिपक्ष के लोगों के द्वारा काम में लिये गये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं इस बात के लिए.... (व्यवधान) डाक्टर साहब, आप बैठ जाइये। एक बार बैठ जाइये। आप बोलते हैं तो मैं खड़ा नहीं होता हूं, आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): वो तो मैंने वापस ले लिया था। (व्यवधान) गलत कहा तो वापस ले लिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया। डाक्टर साहब। डाक्टर साहब, मेरा निवेदन है कि आप बैठिये। कृपया बैठिये। आप अपनी बात बाद में कहिये। (व्यवधान) इनका कहने का मौका है, इनको कहने दीजिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): आप तो अपनी बात कह देना। पारीक साहब, एक मिनट। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी में और अशोकजी

(श्री महेन्द्र चौधरी)

गहलोत में विश्वास व्यक्त किया है, चाहे स्थानीय संस्थाओं के चुनाव हों, चाहे सहकारिता के चुनाव हों, चाहे लोक सभा के चुनाव हों, चाहे पंचायती राज के चुनाव हों, सब में इस सरकार ने और कांग्रेस पार्टी ने सफलता प्राप्त की है जो भी आप लोगों को ध्यान है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नागौर में क्या हुआ? (व्यवधान) नागौर वाला भी बता दो। 28 सीट रहने के बाद हार गये आप प्रमुख का चुनाव। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया बैठो।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): बोल देना आप जो भी है। (व्यवधान) वो कोई खास बात नहीं है, बैठिये आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नागौर के प्रमुख का क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): चूरू की बात भी पूछियेगा, पूरे राजस्थान में चूरू की बात पूछिये आप। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): राजस्थान के अन्दर अप्रैल, 2010 से राजस्व अभियान चलाने की जो बात है, अभियान चलाकर..... (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नागौर में कैसे हारे रिछपाल मिर्धा? कांग्रेस वालों ने क्रास वोटिंग की नागौर के अन्दर। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, शांति बनाये रखें। माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया शांति बनाये रखें। महेन्द्रजी चौधरी, आप अपना भाषण जारी रखें। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): सभापति महोदय, महेन्द्रजी जब बोल रहे हैं तो सदन को सुनना चाहिए। यह व्यवस्था बनाइये और जो बीच में व्यवधान करता है चाहे इधर का हो या उधर का हो, उसको ठीक करिये। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): बिजली के मामले में इस सरकार ने एक साल के अन्दर किया। शिक्षा के मामले में पिछली सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए जो स्कूल क्रमोन्नत कर दिये थे, जिनको छोड़ दिया गया था, इस सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के अन्दर क्रमोन्नत किये थे। माननीय सभापति महोदय, मुझे एक अफसोस और होता है, अभी मेरे से पहले गुर्जर साहब जब बोल रहे थे तो उन्होंने बोलना शुरू किया राजीव गांधी से कि राजीव गांधी के नाम से

(श्री महेन्द्र चौधरी)

कांग्रेस ने मिशन शुरू क्यों कर रखा है। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि राजीव गांधी एक पार्टी के नेता नहीं थे, राजीव गांधी इस हिन्दुस्तान के सबसे नौजवान प्रधान मंत्री थे। राजीव गांधी ने इस देश के 18 साल के नौजवान को

(समय : 16.00 बजे)

वोट डालने का अधिकार दिया था। भारत रत्न से सम्मानित अगर कोई प्रधान मंत्री हिन्दुस्तान में रहा तो उनका नाम था राजीव गांधी। आज तो वे इस धरती पर नहीं हैं। इस कांग्रेस के लिए राजीव गांधीजी के परिवार ने अपना बलिदान दिया है, चाहे इन्दिरा गांधी जी हो चाहे राजीव गांधी जी हों। भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता ने अगर इस देश के लिए बलिदान दिया हो तो खड़े होकर कह दें। कोई ट्रक से भिड़कर मर गया हो तो पता नहीं है। इसलिए राजीव गांधी के नाम से पीड़ा हो रही है। 1998 के अन्दर जब अशोकजी गहलोत साहब की कांग्रेस की सरकार बनी थी, इस प्रदेश के अन्दर गांव और ढाणियों के अन्दर जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, उनको पढ़ने के लिए माननीय अशोकजी गहलोत ने राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं खुलवाईं। वे पांच लाख बच्चे जो कभी स्कूल नहीं जाते थे, वे स्कूल जाने लगे। उस बात से इनको पीड़ा हुई। जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की तो सबसे पहला उन्होंने काम किया कि राजीव गांधी पाठशालाओं का नाम बदल दिया। पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, यह नारा भी इनको पसंद नहीं आया और उसको भी इन्होंने काट दिया। यह भी आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए।

प्रतिपक्ष के मेरे भाइयों को यह कहना चाहता हूं कि अगर ईमानदारी के साथ में राजनीति आपने की हो तो तीन जातियों से वोट मांग कर, हमारी भाभी ने जाट, राजपूत और गुर्जर के वोट मांगकर सत्ता बनाई और जब एक साल रहा वापस चुनाव के लिए तो महाराजा सूरजमलजी की जयंती, तनसिंहजी की जयंती मनाई। कहां गईं वे आपकी जयंतियां? एक साल बीत गया, दुबारा आपने मनाई है क्या? गुर्जरों को लड़ाया, ब्राह्मणों को लड़ाया, आरक्षण में लड़ाया और आपने क्या-क्या नहीं किया, वह भी आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान में है।

व्यापारी जो वैट का विरोध करने लगे तो लाठीचार्ज किया, ब्राह्मण जब आरक्षण मांगने गया तो आपने लाठीचार्ज किया, यह भी आप लोगों के ध्यान में है न? गोली कांड में तो आप लोगों ने इतिहास बनाया है। 21 बार गोली

(श्री महेन्द्र चौधरी)

कांड भाजपा के शासन में हुआ है और 90 लोगों की मौत इस शासनकाल के अन्दर हुई है, वह भी आप लोगों को पता है। पांच साल के शासन का प्रदेश के 61 वर्ष के इतिहास के अन्दर अगर सबसे काला अध्याय कोई लिखा जाएगा तो आप लोगों के शासन का लिखा जाएगा, यह भी मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं।

आप लोग दोनों सीनियर बैठे हैं, बहुत आंकड़े रखते हैं, आंकड़े हम भी जानते हैं, हम भी पढ़े हुए हैं, लिखे हुए हैं और पाइंट टू पाइंट जानते हैं, किसी मामले में भी आप डिसकस कर लें। सुना था, प्रतिपक्ष बहुत मजबूत है, बहुत सीनियर जीतकर आये हैं। अशोकजी गहलोत की टीम में नये लड़के जीतकर आये हैं। मैं आप लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं पूरी विधान सभा के इस सत्र के दौरान कि अशोक गहलोतजी की चाहे मंत्रिमण्डल की टीम हो चाहे विधायक मण्डल की टीम हो, पाँच साल में किसी प्रकार से आपसे कमजोर नहीं रहेगी।

याद कर लो आंकड़ा, 27 मई, 2005, लिख लो आप, दिगम्बर सिंह जी हंस रहे हैं, 27 मई, 2005 को राजस्थान के अन्दर एक बहुत बड़ा कांड हुआ था जिसके अन्दर चार मौतें हुई थीं और उस समय आपकी मुख्य मंत्रीजी लन्दन में अपने घर का गृह प्रवेश कर रही थीं, यह भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, किस प्रकार के आंकड़े आप लोगों के साथ में चल रहे हैं। कभी बैंगलोर में रैम्प-शो हो रहा है, कभी शराब संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। कभी जातिगत मीटिंगें हो रही हैं, कभी मुख्य मंत्री हर जाति और समाज को बुलाकर अपने हाथ से उसको खाना खिला रही है। अगर जातिगत विष को फैलाने का किसी भी सरकार के किसी कार्यकाल के अन्दर कोई काम हुआ है तो वह सरकार के अन्दर हुआ है। मैं तो आप लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं, कोई भी बात हो, सरकारें सब चाहती हैं, अपनी अपनी सरकार के अच्छे काम हों ताकि हम जनता के बीच में जाएं। हम भी चुनकर आये हैं, हम भी चाहते हैं कि जब जनता के बीच में वापस जाएं तो जनता हमारा विश्वास करे। इस एक साल के कार्यकाल के अन्दर लोक सभा का चुनाव हुआ, विधान सभा का उप चुनाव हुआ, सहकारी संस्थाओं के चुनाव हुए, नगरपालिका के चुनाव हुए, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए, आप लोगों को भी ध्यान है। हम भी क्षेत्र में जाते हैं, पूरे काम नहीं करा पाते हैं तो लोगों को तसल्ली भी देनी पड़ती है, यह बताना पड़ता है कि आचार संहिता लग गई है, हम काम

(श्री महेन्द्र चौधरी)

करेंगे। जब पक्ष और विपक्ष के विधायक भत्ते और वेतन बढ़ाने के लिए एक साथ हो सकते हैं तो विकास के कार्यों में एक साथ क्यों नहीं हो सकते, मैं यह भी जानना चाहता हूं। अच्छे कार्यों के लिए आप बैठें, एक साथ करें। पांच साल के अन्दर आपका चार साल का कार्यकाल बचा है, उसमें आप लोगों को प्रतिपक्ष में ही रहना है, हा-हुल्लड़ ही करना है, वैल में ही आना है, धरने ही देने हैं, काम आपका यही रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है लेकिन मैं तो आप लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो अभिभाषण दिया गया है, यह बहुत अच्छा अभिभाषण है, इसके अन्दर किसान का ध्यान रखा गया है, युवाओं का ध्यान रखा गया है। राजस्थान में, इस प्रदेश में युवाओं का भी अगर सबसे ज्यादा ध्यान कोई ने रखा है तो अशोक जी गहलोत ने रखा है। नगर पालिकाओं में युवाओं को आरक्षण देने का बिल पास करवाया है इसी विधान सभा में, आप लोगों ने कोर्ट में जाकर उसको स्टे करवा दिया। इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि हर वर्ग का, गरीब का, कमजोर वर्ग का ध्यान इस पूरे अभिभाषण के अन्दर रखा गया है और आगे भी रखा जाएगा। माननीय सभापति महोदय, इस अभिभाषण के माध्यम से बिजली, सड़क, नरेगा, परिवहन, चिकित्सा, शिक्षा, शुद्ध के लिए युद्ध, हरित राजस्थान, हर वर्ग के अन्दर कांग्रेस पार्टी और राजस्थान की सरकार ने अपना दायित्व बखूबी निभाया है और आगे भी दायित्व निभाएंगे। सभापति महोदय, आपने मुझे जो बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: धन्यवाद, धन्यवाद। श्री अमरा राम साहब। जैसे मैंने आपसे वादा किया था, आप बोलिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): थैंक्यू, सर। माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदया ने 22 तारीख को यहां अभिभाषण पढ़ा, उनके लिए तो हम आभारी हैं लेकिन जहां तक राज्यपाल महोदया से अभिभाषण राज्य सरकार ने रखवाया है, मैं समझता हूं कि यह असत्य का पुलिंदा है। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य बड़ी जोर से कह रहे हैं कि पारदर्शी और संवेदनशील सरकार है, अभी नावां से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारी सरकार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला रही है। वह सरकार जो खुद शुद्ध नहीं है, खुद अशुद्ध है। सरकार बनाने के लिए निर्दलीयों के साथ राजनैतिक सौदेबाजी की गई, उसके बाद बसपा के छह विधायकों को अपनी

(श्री अमराराम)

पार्टी में मिलाकर राजनैतिक भ्रष्टाचार का नमूना राजस्थान में पेश किया है, जो उनकी योग्यता नहीं है। उनकी केवल यह योग्यता है कि उन्होंने दल परिवर्तन करके कांग्रेस की सरकार को बहुमत साबित करने के लिए 102 की संख्या बनाई हुई है इसलिए वे मंत्री हैं। बाकी जो बड़े-बड़े नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी के सदा से रहे हैं, वे मंत्री की कुर्सी के लिए लालायित हैं। अफसोस है, यह सरकार पारदर्शी और संवेदनशीलता की बात करती है, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक मुख्य मंत्री से छह-छह महीने तक मिलने के लिए समय मांगें, उनको समय नहीं मिलेगा तो इस राजस्थान की जनता का क्या हाल होगा, माननीय सभापति महोदय, यह हमारे सामने है।

आज जहां पारदर्शिता की बात की जा रही है, सरकार और सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि हमारी एक साल की कार्य नीति, हमारे निर्णयों का राजस्थान के विकास के लिए राजस्थान की जनता ने समर्थन किया है। हमने म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में, पंचायती राज के चुनाव में, लोक सभा के चुनाव में बहुमत साबित किया है, बड़ा समर्थन प्राप्त किया है। यह आपका समर्थन नहीं है, यह तो हमारे भाई जो इधर बैठे हुए हैं मुख्य विपक्षी दल, इनके विभाजन की देन है। यह आपकी नीतियों का समर्थन नहीं है किसी भी सूरत में, इनके विभाजन की देन है जो आप जीते। मैं समझता हूं कि यह आपकी जीत नहीं है।

आज राजस्थान में भयंकर अकाल है, 27 जिलों में अकाल है। राजस्थान में अकाल पहले भी रहे हैं, कांग्रेस की सरकार भी रही है जब फरवरी में हजारों लोगों को काम मिला है। माननीय सभापति महोदय, पहली बार इन्होंने आदेश निकाला है कि अकाल में काम देने के लिए नरेगा में 100 दिन पूरे कर लेगा, उसके बाद नरेगा में एक महीने में 10 दिन का काम मिलेगा, जबकि पूरे देश में नरेगा का रिकार्ड यह कहता है कि पूरे साल में मात्र पांच से सात प्रतिशत लोगों को ही 100 दिन का काम मिला है। नरेगा में राजस्थान में ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में पांच से सात प्रतिशत लोगों को पूरे साल में 100 दिन का काम मिलता है। मतलब, इस सरकार के आदेश से केवल उन पांच प्रतिशत लोगों को जिनको साल के अंत में 100 दिन होंगे, उनको काम मिलेगा। शायद ऐसा पहले कभी न कांग्रेस की सरकार में हुआ, न कोई दूसरी सरकार में हुआ।

(श्री अमराराम)

आज एक तरफ अकाल से पीड़ित राजस्थान है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई से मारा जा रहा है। अभी प्रश्नकाल में हमारे खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीजी जवाब दे रहे थे कि हमारे जो सम्भागीय मुख्यालय हैं, उनमें हमने एक परिवार को एक किलो दाल दी है, हमने आटा दिया है। इस सरकार में बैठे हुए लोग समझते हैं कि महंगाई का असर केवल राजस्थान के सात सम्भागीय मुख्यालयों पर है। राजस्थान में वे 27 जिले जहां 30,000 से ज्यादा गांव अकाल की मार झेल रहे हैं, महंगाई की मार झेल रहे हैं, वे राजस्थान की सरकार के नजर में नहीं हैं। इस अभिभाषण में कहा गया है कि आम आदमी को नजर में रखते हुए साल भर में सरकार ने निर्णय लिया है, मैं समझता हूं कि जब निर्णय लिये गये तो उस महंगाई का मुकाबला करने के लिए राशन देने की बात आई लेकिन राजस्थान के 27 जिलों के बैठे हुए 30,000 से ज्यादा गांवों का गरीब और किसान याद नहीं आया। सात महीने होने के बाद आज अकाल से पीड़ित किसान की 50 से लेकर 100 प्रतिशत फसल नष्ट हो गई, इस सरकार ने आठ महीने में एक नया पैसा किसान को मदद के रूप में नहीं दिया, एक को काम नहीं दिया। मोटे अनाज से ज्यादा महंगा आज की तारीख में चारा है, न काम दिया, न चारा दिया इसलिए यह हालत आज है।

जहां बिजली की बात कर रहे हैं, अभी नावां से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे थे कि हमारे मुख्य मंत्री ने सोनिया गांधी की उपस्थिति में सौ दिन में यह घोषणा की कि हम किसान के राजस्थान में पांच साल में बिल नहीं बढ़ाएंगे। मैं समझता हूं कि यह घोषणा इच्छा से नहीं है, क्योंकि जब पूर्ववर्ती सरकार ने रेट बढ़ाई थी, राजस्थान के किसान ने आठ दिन तक तपस्या करके पहली बार राजस्थान के इतिहास में पूरी की पूरी रेट वापस करवाने का काम किया था। मैं धन्यवाद देता हूं उस सरकार को। अगर मुख्य मंत्रीजी की इच्छा होती तो छह साल पहले सरकार में थे, तब पांच साल में दो दफा रेट बढ़ाई थी, याद है राजस्थान के किसान को, आज भी पता है राजस्थान के किसान को कि कांग्रेस की इच्छा किसान को राहत देने की नहीं है। आज बड़ी बात की जा रही है। इसी अभिभाषण में एक साल पहले बजट सत्र में घोषणा की गई थी, राज्यपाल महोदय से कहलवाया गया था कि राजस्थान के तमाम वेटिंग किसान को कनेक्शन मिल जाएगा और अब कह रहे हैं, बूंद-बूंद फव्वारे से जो सिंचाई करेगा उसको आउट आफ टर्न हम कनेक्शन दे रहे हैं। सभापति महोदय, क्या उसकी हालत है? जो फव्वारा वाले

(श्री अमराराम)

में लेंगे आउट आफ टर्न, उनको एक लाख अस्सी हजार रुपये ट्रांसफार्मर चार्ज देना पड़ेगा। अगर 120 मीटर है तो दो लाख रुपये किसान को देना पड़ेगा और 90 पैसे प्रति यूनिट की जगह दो रुपये दस पैसा देना पड़ेगा, यह मेहरबानी कर रहे हैं इस किसान पर जो अकाल और महंगाई से मारा जा रहा है, जो उस सरकार की तरफ देख रहा है, जिसने सरकार को बहुमत नहीं दिया, कह रहे हैं बहुमत दिया, इनको परास्त किया। आपको बहुमत नहीं दिया, आपने जोड़-तोड़ करके, खरीद-फरोख्त करके, सबको मंत्री बना करके, मंत्री का तोहफा देकर के किया। किसान ने आपको एक उम्मीद के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनाया था उसको आपने रेट बढ़ाने की बात कर दी और जिस ट्रांसफार्मर की कीमत पैंतीस हजार है, बाजार में पैंतीस हजार में मिलता है, राजस्थान की सरकार किसान से एक लाख अस्सी हजार रुपये वसूल करेगी, इससे ज्यादा और लूट क्या हो सकती है। आज राजस्थान का किसान इस बिजली में वीसीआर के नाम से लूटा जा रहा है। यह हिसाब तो तब लेंगे जब चार साल बाद आप चुनाव में जाओगे। वीसीआर का करंट जो आपकी सरकार के माध्यम से किसान को लग रहा है, चार साल बाद में यही विधायक उस जनता के बीच में जाएंगे तो वही किसान वह करंट आपके लगाने का काम आने वाले चार साल बाद में करेंगे और उसका रिजल्ट आपके सामने होगा।

सभापति महोदय, आज जो बात कर रहे हैं पानी की, सर्वसम्मति की बात कर रहे हैं, आज आजादी के छह दशक बाद भी राजस्थान में पानी कम है लेकिन हमारे हिस्से का पानी पंजाब नहीं दे रहा। इसी हाउस में डेढ़ साल पहले चाहे वह सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में थी, सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम सदस्यों ने सर्वसम्मति से सरकार को प्रस्ताव पास करके दिया था कि रावी-ब्यास में जो हमारा हिस्सा है वह हमारे को पूरा मिले और 0.6 मिलियन एकड़ फीट पानी पंजाब को हमारा वापस करना चाहिए जो आज वह नहीं कर रहा है। राजस्थान के बाईस हजार गांव आज पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, वह पानी अगर राजस्थान का मिलता है तो उन बाईस हजार गांवों की प्यासी जनता की प्यास बुझा सकते हैं। आप प्रयास करें, मैं समझता हूं, पूरा प्रतिपक्ष इस बात के लिए तैयार है लेकिन प्रयास आप करें। आपका मुख्य मंत्री केवल प्रेम पत्र लिखता रहे तो कोई पानी देने वाला नहीं है। राजस्थान नहर हो चाहे चम्बल हो, किसान अकाल से और महंगाई से मारा जा रहा है उसकी हजारों करोड़ की फसल पकने से पहले अगर दम तोड़ रही है इस

(श्री अमराराम)

सरकार की अदूरदर्शिता के कारण, अनैतिक कार्य के कारण, अप्रयास के कारण, तो इसके लिए दोषी राजस्थान की सरकार है। मैं समझता हूं किसान माफ नहीं करेगा।

श्री सभापति: अमरा राम साहब, कृपया समाप्त करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): समाप्त कर रहा हूं। सभापति महोदय, आज जो हालत बना रखी है, बड़ा कह रहे हैं कि छह दशक राजस्थान में कांग्रेस ने शासन किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी तीन और चार दफा किया। अभी हम बड़ा तोहफा लेकर आये हैं कि राजस्थान में किसान की कृषि नीति बनाएंगे, क्या साठ साल में किसान याद नहीं आया? राजस्थान में किसान आयोग का गठन करने का आदेश हुआ, पिछली सरकार ने किया, इस सरकार के तेरह महीने में उस किसान आयोग का आज तक गठन नहीं हुआ। कृषि नीति लेकर आएंगे हम किसान को तबाह करने के लिए। मैं समझता हूं, किसान की जो हालत बना रखी है, आज पेयजल के लिए एक भी योजना....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कृपया समाप्त करें। और बहुत लोग हैं बोलने वाले, औरों को मौका मिलना चाहिए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): एक ही मिनट। सभापति महोदय, एक ही मिनट में मैं समाप्त करूंगा।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): उधर भी थोड़ा देखें, सभापति महोदय, मंत्रीजी सो रहे हैं, थोड़ा आप देखें। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): कोई नहीं, वह रैस्ट में हैं। रैस्ट में हैं, सभापति महोदय। पारदर्शिता और संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं, स्वच्छता की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचाररहित प्रशासन की बात कर रहे हैं, राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के सबसे बड़े अधिकारी भूमि घोटाले में पकड़े जाते हैं जो भ्रष्टाचार को रोकने वाले हैं। यह इस सरकार का चरित्र है। इस सरकार की आज क्या हालत है...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आम आदमी की सुरक्षा नहीं हो रही लेकिन आई.जी. के यहां फार्म हाउस में पुलिस के जवानों से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है।

श्री सभापति: माननीय अमरा रामजी, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, कृपया समाप्त करें, कृपया समाप्त करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मैं समझता हूं, भ्रष्टाचार में जो सरकार लिप्त है, अभी कर रहा हूं एक ही मिनट में कनक्लूड करते हुए।

मैं तो आपके माध्यम से, सभापति महोदय, यही कहना चाहूंगा, आज जो शिक्षा का हाल बनाया है, बहुत लेकर आ रहे हैं, शेखावाटी जो सबसे ज्यादा शिक्षा में, महिला शिक्षा में आगे है, छह दशक के बाद में शेखावाटी में सीकर शेखावाटी विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की, लेकिन उसका बिल लाने की सरकार में हिम्मत नहीं है। मैं समझता हूं, शेखावाटी के लोग सेना में अपनी शहादत देते हैं, इस देश में सबसे ज्यादा शहादत देते हैं, सबसे ज्यादा व्यवसायी हैं, सबसे ज्यादा शिक्षा में हैं, लेकिन शैक्षणिक संस्था, विश्वविद्यालय खोलने में सरकार को नहीं है। अभी हमारे उच्च शिक्षा मंत्री कई विधेयक निजी विश्वविद्यालयों के लेकर आये हैं, निजी विश्वविद्यालयों की हालत क्या है? पचेरी बड़ी में...

श्री सभापति: अब तो आपको सेना की तरफ से भी दो मिनट मिल गये, अब समाप्त करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): एक ही मिनट। सभापति महोदय, पचेरी में जहां एम.एड. की परमिशन नहीं, 44 हजार विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। निम्स मेडिकल कालेज जिसको विश्वविद्यालय की मान्यता इसी हाउस ने दी है, आज क्या हालत है? 23 बच्चे जो राजस्थान की मेडिकल यूनिवर्सिटी से परीक्षा दे रहे हैं, 23 के 23 को फेल कर दिया क्योंकि वे निम्स यूनिवर्सिटी से परीक्षा नहीं दे रहे। मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। मेरा निवेदन है, कृपया समाप्त करें, और लोगों को मौका दें। आपको काफी मौका मिलता है, अमरा रामजी साहब, प्लीज, समाप्त करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अभिभाषण जो केवल झूठ का पुलिंदा है, असत्य का पुलिंदा है, मैं उसका घोर विरोध करता हूं। इस सरकार से निवेदन करता हूं कि अभी भी समय बचा है चार-पौने चार साल का, जो वादे किये हैं उन्हें पूरा करें वर्ना राजस्थान की जनता इनको भी सज़ा देने में कमी नहीं छोड़ेगी। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द ।

श्री सभापति: धन्यवाद। आनरेबल मैम्बर श्री बनवारी लालजी सिंघल ।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय, अभिभाषण का बिंदु संख्या-6 इसको देखें, राजस्थान की सरकार ने माननीय राज्यपाल महोदया से एक असत्य बुलवाया कि काश्तकारों के हित के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण की नीति बनाई जा रही है। तो आज तक सारी सरकार अनीति पर चल रही है? यह अनीतिपूर्ण काम बंद करो। जब नीतियां नहीं हैं तो फिर अनीति क्यों की जा रही है काश्तकारों के लिए? किसानों की सरकार अपने आप को बताने वाली, गरीब की सरकार अपने आपको बताने वाली यह सरकार, इसने चुनाव से पूर्व अपने चुनाव घोषणा पत्र में क्या लिखा, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आप देखें, बिंदु संख्या-14, कृषि- 83 प्रतिशत किसान किसी न किसी हद तक कर्जदार हैं। भाजपा के राज की इन्होंने बात की है कि यह स्थिति विस्फोटक होती जा रही है, यहां किसानों द्वारा आत्महत्याएं करने की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है, भाजपा शासन में किसानों की घोर उपेक्षा हुई है। आज मैं अपने अलवर शहर की आपको बात बताता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं। माननीय सभापति महोदय, किसान की जमीन का अधिग्रहण दस रुपये गज में किया जा रहा है और स्थानीय निकाय दस हजार रुपये मीटर में उस जमीन को बेच रहे हैं।

इतनी भारी लाभकारी योजनाएं लेकर यह राजस्थान की सरकार किसानों की हितैषी होने की बात करती है। ये कहते हैं इन्होंने इसी घोषणा पत्र के अंतिम पृष्ठ पर कहा है, ''किसानों की कृषि भूमि का अधिग्रहण किए जाने पर किसानों को उनकी भूमि का उचित मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही, हरियाणा की तर्ज पर उन्हें उनकी भूमि का किराया मिल सके, इसके लिए प्रभावी कानून बनाकर किसानों को लाभान्वित किया जाएगा''। 14 महीने हो गए, कहां है, कौनसी योजना हरियाणा की तर्ज पर बनाई? किसानों को आपने उनकी भूमि का किराया देने की अधिग्रहण के बाद कौनसी योजना बनाई? आज भी जहां व्यवस्था बैठ जाती है सरकार की, अधिग्रहण के बदले में 25 परसेंट जमीन दे देते हैं, 50 परसेंट दे देते हैं और अधिग्रहण के बदले में एग्रीकल्चर जमीन के बदले 100 परसेंट कमर्शियल लैण्ड भी देने के उदाहरण मैं आपकी सरकार के आपके सामने प्रस्तुत करने को तैयार हूं। ऐसी कल्याणकारी योजना राजस्थान की कांग्रेस की सरकार चला रही है जिसका उद्देश्य है किसानों की जमीन को छीनना।

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

माननीय सभापति महोदय, बिन्दु संख्या-11 को देखें- पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, बड़ी-बड़ी घोषणाएं की गईं। पिछले बजट में बहुत बड़ी-बड़ी घोषणाएं राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कीं, स्टाम्प ड्यूटी को घटाया 5 परसेंट पुरुषों के लिए किया, 4 परसेंट महिलाओं के लिए किया। लेकिन उससे क्या परिणाम आये? महिलाओं का कितना सशक्तिकरण आपने किया? आंकड़े यह प्रतिवेदन बताता है कि राजस्थान की सरकार के राजस्व की कितनी दुर्गति इस राजस्थान की वर्तमान सरकार ने की है। 1999-2000 के आंकड़े देखें आप, जो लक्ष्य तय किया गया था उससे (+) 9.41 प्रतिशत अधिक लक्ष्य अर्जित किया गया। 2000-2001 में 15.93 प्रतिशत लक्ष्य अधिक अर्जित किया गया। 2001-2002 में 9.64 प्रतिशत अधिक लक्ष्य अर्जित किया गया। 2002-2003 में 7.69 प्रतिशत लक्ष्य अधिक अर्जित किया गया। 2003 और 2004 में 18.62 प्रतिशत अधिक अर्जित किया गया। 2004-2005 में 33.66 प्रतिशत अधिक अर्जित किया गया। 2006-2007 में 26.14 प्रतिशत अधिक अर्जित किया गया। 2007-2008 में 25.40 प्रतिशत अधिक अर्जित किया गया। 07 और 08 में 19.39 अधिक अर्जित किया गया। सरकार बदल गई और 2008 और 2009 में (-) 12.05 प्रतिशत तय राजस्व से पीछे चले गए। 2009 और 2010 में जनवरी-दिसम्बर तक के आंकड़े इसमें दिए गए हैं और जनवरी तक के आंकड़े माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में दिए गए हैं, 6.6 प्रतिशत तक वापस बैक चले गए, यह स्थिति हुई है। ढिंढ़ोरा पीट रहे हो कि स्टाम्प ड्यूटी को घटाया-पुरुषों के लिए 5 प्रतिशत किया, महिलाओं के लिए 4 प्रतिशत किया। सामने से पैसा डाला पीछे की जेब से निकाल लिया। डीएलसी राजस्थान के इतिहास में अगर 1952 में राजस्थान विधान सभा के गठन के बाद से पहली बार किसी मुख्य मंत्री ने बढ़ाने का काम किया तो वह हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्रीजी माननीय अशोकजी गहलोत ने किया। डीएलसी का मतलब जिला स्तरीय समिति है, सारे विधायक उस जिला स्तरीय समिति के सदस्य होते हैं, सारे सांसद उस जिला स्तरीय समिति के सदस्य होते हैं, सभी जिला प्रमुख, प्रधान उस समिति के सदस्य होते हैं, सभी सब-रजिस्ट्रार और तहसीलदार उस समिति के सदस्य होते हैं और अपने-अपने क्षेत्र में कहां क्या दरें निर्धारित होनी चाहिए, कहां उचित दरें क्या हैं, इसका निर्धारण कलक्टर की टेबिल पर बैठ कर जिला

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

स्तरीय समिति में करते हैं। लेकिन हमारे राजस्थान के दूरदर्शी मुख्य मंत्री महोदय ने जिनकी दूरदर्शी और जिनका विजन बहुत क्लीयर बताया जाता है, उन्होंने पिछले बजट में बिना जनता से पूछे, बिना जिला स्तरीय समिति से बात किए 25 परसेंट जयपुर में, 10 परसेंट पूरे राजस्थान में एकदम ठोक दिया। परिणाम क्या हुआ? राजस्थान में जो पैसा आ रहा था, विदेशी निवेश हो रहा था, देश के अन्य भागों से राजस्थान में जो प्रापर्टी निवेश हो रहा था जिसके कारण बहुत बड़े राजस्व की प्राप्ति हो रही थी, इसके अतिरिक्त राजस्थान में गरीब लोगों को बहुत बड़े रोजगार की प्राप्ति हो रही थी, गरीबों के लिए आवासों का निर्माण भी हो रहा था, सारी योजनाएं ठप हो गयीं। और परिणाम आप देखे, जो उन्होंने सामने से पैसा डाला और पीछे से डीएलसी बढ़ाकर निकाल लिया। राजस्व प्राप्ति ठप हो गई। आज मैं एक बात पूछना चाहता हूं, राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, इनको अचीव करने का दबाव डाला जाता है, परिणाम क्या होते हैं? भोला-भाला किसान जब रजिस्ट्री कराने जाता है, उस पर भार डाला जाता है, पीछे की जमीन की रजिस्ट्री आगे की और आगे की जमीन की रजिस्ट्री कामर्शियल। ये स्थितियां राजस्थान की सरकार की हैं। राजस्थान की सरकार ने भोले-भाले लोगों को यह समझ रखा है कि जनता समझदार नहीं है। चुपचाप डीएलसी बढ़ा दी, लोगों को समझा नहीं। इसका असर भी सोचने की कभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कोई कोशिश नहीं की।

मैं अवैध शराब की बात करना चाहता हूं। शराब के बारे में हमारे कांग्रेसी भाई, हमारी बहिनें बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किन योजनाओं के तहत, किन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए शाम को 8 बजे बाद शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी? इसके पीछे क्या योजना है? इसके बाद उन लोगों को लाभान्वित किया जाएगा जिनके बार चल रहे हैं। दूसरी बात, आपने राजस्थान में कुटीर उद्योग पनपा दिया शराब का। जिन लोगों को दुकानों पर जाकर शराब खरीदनी पड़ती थी, कभी-कभी आलस्य के मारे जा नहीं पाते थे, शरीर अस्वस्थ होने के कारण से शराब पीने नहीं जा सकते थे, आज उनको डोर डिलीवरी हो रही है कच्ची शराब की। किसी दिन आपको इतनी बड़ी खबर पढ़ने

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

को मिलेगी कि हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग कच्ची शराब, हथकड़ शराब पीकर मर गये। कुटीर उद्योग राजस्थान के मुख्य मंत्री ने पनपा दिया। आज डोर डिलीवरी होती है, कोई इस पर व्यवस्था नहीं है अंकुश लगाने की। माननीय सभापति महोदय, शाम को 8 बजे बाद आप देखें, आपका पुलिस प्रशासन, आपका प्रशासन एकदम पता नहीं उनसे मिलीभगत है या उस व्यवसाय में शामिल हैं, रोकने को तैयार नहीं। सूचना दो तो कहते हैं, अभी देखने गए थे, लेकिन वह तो भाग गया। ये स्थितियां राजस्थान की हो गई। 8 बजे बाद अगर वसुंधराजी के समय में शराब की दुकाने खुली रहती थीं तो कम से कम यह तो है कि वह व्यक्ति एक स्तर की शराब पी रहा है। आज निम्न स्तरीय शराब पीने के लिए राजस्थान के उन लोगों को जो गरीब हैं और थोड़ी बहुत शराब पीकर नींद ले लेते थे, कच्ची शराब पीने के लिए मजबूर कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, बिन्दु संख्या-43 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। चिकित्सा मंत्रीजी जिस जिले से आते हैं मैं भी उसी जिले से आता हूं, बड़ी जोरदार बात हुई, पूरे राजस्थान में, अगर आप महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को उठाकर देखें तो चिकित्सा मंत्रीजी कहते हैं, मैंने बहुत बड़ी उपलब्धियां अर्जित की हैं। मैं कहना चाहता हूं, 55 बैड पूरे राजस्थान में पिछले बजट में बढ़े, मात्र 55 बैड। यह राजस्थान की उपलब्धि। अभी एक पत्र लगभग 15 दिन पूर्व प्राप्त हुआ। एक दिन एक पत्र प्राप्त हुआ, दूसरे दिन दूसरा पत्र प्राप्त हुआ। चिकित्सा मंत्रीजी एक पत्र में कहते हैं, अगर आपको अपने क्षेत्र में लोगों को दुर्घटना स्थल से अस्पताल तक पहुंचाने के लिए 108 की सुविधा चाहिए तो विधायक कोटे से 15 लाख रुपए दीजिए। दूसरे दिन दूसरा पत्र प्राप्त हुआ, अगर अपने स्थानीय चिकित्सालय में जन सामान्य की चिकित्सा सुविधाएं चाहते हैं वेंटिलेटर के लिए पैसे दीजिए विधायक कोटे से, बैड के लिए पैसे दीजिए, कंबल के लिए दीजिए, बिस्तर के लिए दीजिए, अन्य उपकरण खरीदने के लिए दीजिए। तो सरकार क्या करेगी? सरकार को ही ठेके पर दे दीजिए, यह मेरा सुझाव है। इस राजस्थान की सरकार को ठेके पर दे दें। आज विधायक का पैसा, कितने विधायकों को मिल गया 80 लाख रुपया अपने-अपने विधायक कोटे का? विधायकों को पैसा नहीं देते, राजस्थान की सरकार पानी बचाओ, बिजली बचाओ....

श्री सभापति: आदरणीय सिंघल साहब, सम-अप करें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): यह स्थिति है। राजस्थान की सरकार एक तरफ कहती है हम बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, माननीय सभापति महोदय, आज प्रदेश में क्या स्थिति है? कितनी बिजली दी जा रही है? जो वस्तु ही उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं उसकी कीमत बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं, किसान को क्या फर्क पड़ रहा है? किसान तो इस बात के लिए रो रहा है कि अगर बिजली है तो दीजिए, पैसे बढ़ा दीजिए, उसकी फसल नहीं सूखे। पहले वसुंधराजी के राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में सिंगल फेस बिजली की व्यवस्था की गई थी। किसान का बेटा पहले गांव से शहर में इसलिए जाता था कि उसको कमरा लेकर वहां रहना है। इसलिए रहना है कि गांव में बिजली नहीं आती। शहर में पढ़ने के लिए जाएगा, एक कमरा लेकर हजार, दो हजार का, उसके बाद हजार, दो हजार, तीन हजार रुपए खर्चा करेगा। राजस्थान की पूर्व यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री वसुंधराजी ने व्यवस्था की, सिंगल फेस बिजली मिलेगी। 24 घंटे आएगी, 22 घंटे आएगी, उस बच्चे का, उस अभिभावक का व्यय भार कम हुआ। बच्चे ने गांव में पढ़ाई की, अपना आगे का भविष्य और अपना कैरियर तय किया...

श्री सभापति: Hon'ble member, please cut it short. You have crossed your time limit.

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मात्र दो मिनट आप दे दें। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आज वापस उस अभिभावक का, किसान का बेटा शहर में आकर रहने के लिए मजबूर हो गया। सिंगल फेस बिजली नहीं है। नए कृषि कनेक्शन की अगर बात करें तो मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं, मेरा आज ही तारांकित प्रश्न था, मैंने माननीय जितेन्द्र सिंहजी, बिजली मंत्री को दिखाया, यह हालत हो गई है, जो कहते हैं बहुत ट्रांसपेरेंट सरकार चल रही है। मैंने पूछा एक प्रश्न के माध्यम से, क्या अलवर में ट्रांसफार्मर के बदले में रिश्वत लेने के प्रकरण सामने आये? राजस्थान की सरकार ने जवाब दिया, उक्त अवधि में अलवर जिले में वृत्त कार्यालय को ट्रांसफार्मर के बदले रिश्वत लेने की कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई। मैंने माननीय मंत्रीजी के सामने यह रखा कि आप देखें, रिश्वत लेते हुए बिजली कर्मचारी व उसका दलाल रंगे हाथ गिरफ्तार। ट्रांसफार्मर देने के लिए मांगी गई रिश्वत, एंटी करप्शन की कार्यवाही हुई और बिजली विभाग के माननीय मंत्रीजी को गुमराह कर दिया गया कि हमारे विभाग में ऐसी कोई

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

कार्यवाही नहीं हुई। इससे बड़ा ट्रांसपैरेंसी का क्या उदाहरण, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार प्रस्तुत करेगी? आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, अपने समय के मुताबिक अपनी बात रख कर मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और राज्यपाल महोदय के श्रीमुख से इस राजस्थान की सरकार ने अपने द्वारा तय किये गये अभिभाषण को, असत्य अभिभाषण को रखवाया, मैं इनकी कठोर शब्दों में निन्दा करता हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री सुरेन्द्र सिंहजी जाड़ावत।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदया द्वारा दिये गये अभिभाषण के पक्ष में बोलूंगा और जो अभिभाषण राज्यपाल महोदया ने 22 फरवरी को इस सदन में प्रस्तुत किया, हमारी सरकार का विजन जो उन्होंने पूरे राजस्थान के समक्ष रखा, उसके पक्ष में बोलूंगा। जो भी सरकार आती है उस सरकार का विजन अभिभाषण के माध्यम से इस सदन को और पूरे राज्य की जनता को दिया जाता है। हमारी सरकार आये हुए लगभग एक साल तीन महीने हुए हैं और एक साल और तीन महीने में तीन-तीन चुनाव-लोकसभा, नगरपालिका और पंचायती राज और उनकी आचार संहिता बहुत समय पहले लगने से सरकार का बजट हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जब पेश किया तब एक विजन दिया राजस्थान को कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। उन्होंने बाद में अपनी पीड़ा भी बताई कि आचार संहिता की वजह से जो काम शुरू होने चाहिए जो बजट में घोषणाएं की गईं वो काम शुरू नहीं हो पा रहे हैं-चाहे नौजवानों को नौकरी देने का काम हो, चाहे ढाई सौ से पांच सौ तक की आबादी के गांवों को सड़क से जोड़ने का काम हो, चाहे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के बारे में सरकार ने घोषणा की उस बारे में हो, चाहे सड़कों के सुदृढ़ीकरण के बारे में हो, चाहे ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो। यह सब आधारभूत ढांचा जो मजबूत होना चाहिए किसी राज्य का, उसका एक विजन उन्होंने रखा था और यह अभिभाषण के अन्दर परिलक्षित हुआ है।

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार कांग्रेस की बनी, आदरणीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत बने उसके बाद में मेरे जिले, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो-जो हुआ, जो विकास के काम अल्प समय में आचार संहिता के लागू होने के बाद भी जो कार्य भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पांच वर्ष में भी नहीं हो सके, शुरूआत के अन्दर ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में हो गये, उनके बारे में कहना चाहता हूं। सड़कों के क्षेत्र में ढाई सौ से पांच सौ तक की आबादी

(श्री सुरेन्द्र कुमार जाड़ावत)

के लगभग चालीस गांव चित्तौड़गढ़ विधान सभा क्षेत्र में जोड़े जाएंगे जो पहले मैटल रोड और उसके बाद डामरीकरण से जोड़े जाएंगे। मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र के अन्दर काफी लम्बी-लम्बी सड़कें हैं जो एक दूसरे प्रान्तों की सीमाओं को जोड़ती हैं, जो मध्य प्रदेश को जोड़ती हैं, उन सभी सड़कों का सुदृढ़ीकरण होगा और उनको चौड़ा किया जाएगा। एक विजन दिया कि आधारभूत ढांचे के अन्दर क्या-क्या आवश्यक होना चाहिए।

इसी तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ विधान सभा क्षेत्र में घोषणा मुख्य मंत्रीजी ने की आठ 33 केवी के ग्रिड चित्तौड़गढ़ विधान सभा क्षेत्र में हमारे ऊर्जा मंत्री ने मंजूर किये, 132-केवी का ग्रिड चित्तौड़गढ़ विधान सभा क्षेत्र में मंजूर किया, मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं ऊर्जा मंत्रीजी और हमारे यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को भी। ऊर्जा एक ऐसी चीज है जिसके बिना, अगर ऊर्जा का किसी राज्य में कमजोर पक्ष रहता है तो राज्य प्रगति नहीं कर सकता। यही कारण रहा कि केन्द्र की सरकार पूरी दांव पर लग गयी जब परमाणु करार के ऊपर प्रतिपक्ष ने पूरा विरोध किया कि परमाणु करार नहीं करें केन्द्र की यूपीए सरकार। लेकिन ऊर्जा की आवश्यकताओं को देखते हुए परमाणु करार अगर हमने नहीं किया तो आगे आने वाले वर्षों में ऊर्जा की बहुत बड़ी किल्लत हो जाएगी। सरकार को दांव पर लगा दिया, लेकिन परमाणु करार हुआ और उसके परिणाम आये कि जो जगह-जगह परमाणु ईंधन से बिजली पैदा होनी चाहिए वो हमारे राजस्थान के रावतभाटा के परमाणु बिजलीघर में पैदा होना शुरू हो गयी है। ऊर्जा का अगर उत्पादन नहीं हुआ उसी को ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्रीजी ने जब शपथ ली और पदभार ग्रहण किया तो मंत्रिमंडल का गठन हो या नहीं हो, उसके पहले उस चीज को उन्होंने पहचाना और उन्होंने तय किया कि सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट अगर राजस्थान में नहीं आया तो आगे राजस्थान दो कदम भी नहीं चल पाएगा। उन्होंने चार बड़े-बड़े सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। 1320-1320 के छबड़ा और सूरतगढ़ के अन्दर स्थापित करने की मंजूरी देकर इस काम को अंजाम दे दिया। उसके बाद में 4780 मेगावाट के पावर ग्रिड जो बनने चाहिए, उनकी भी मंजूरी दी। चाहे वो कोटा में है, छबड़ा में है, चाहे गैस आधारित है, चाहे ऊर्जा आधारित है, चाहे पवन ऊर्जा आधारित हैं, सभी योजनाओं को हमारे मुख्य मंत्रीजी ने मंजूरी दी है।

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

मैं चिकित्सा के क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सा मंत्री थे और चित्तौड़गढ़ के अस्पताल की ऐसी दुर्दशा थी कि वहां का आईसीयू सिर्फ एसी रूम कहलाता था, बाकी आईसीयू के नाम पर कोई सुविधा मरीजों को वहां पर नहीं मिलती थी। चिकित्सकों की कमी थी। अस्पताल को उन्होंने क्रमोन्नत कर दिया, अस्पताल के अन्दर डाक्टरों की इतनी कमी, नर्सिंग स्टाफ की इतनी कमी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी को और हमारे प्रणेता और इस सदन के नेता हमारे मुख्य मंत्री अशोकजी साहब को जिन्होंने चित्तौड़गढ़ के इस अस्पताल की कमी को देखा और जब पिछले 1 मार्च को मुख्य मंत्रीजी चित्तौड़गढ़ में पधारे तब मैंने उनको निवेदन किया कि आचार संहिता हो सकती है कल लग जाए, आप मेहरबानी करके सीटी स्कैन मशीन की मंजूरी दे दें तो चित्तौड़गढ़ अस्पताल के अन्दर बहुत बड़ी कमी पूरी होगी। बर्न यूनिट की मंजूरी आप दे दें तो बहुत बड़ी कमी पूरी होगी। चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राज मार्गों से जुड़ा हुआ है आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं मैंने उनसे निवेदन किया, सुपर स्पेशलिटी ट्रोमा सेंटर के लिए, एक बर्न यूनिट के लिए भी मैंने उनको निवेदन किया। सारी बातें जब बजट आया तो बजट भाषण में उन्होंने मंजूर कर दीं और वो सारे के सारे शुरू हो गये हैं। डेढ़ करोड़ रुपये की सीटी स्कैन मशीन जिसकी हमारे पूर्व चिकित्सा मंत्री जी ने घोषणा कर दी थी कि ब्यावर से चित्तौड़गढ़ पहुंच रही है, लेकिन जिसे वह अपने कार्य काल में नहीं लेकर आ सके, वो सीटी स्कैन मशीन, सभापति महोदय, आज स्थापित हो चुकी है और कुछ ही दिनों में उसका उद्‌घाटन हो जाएगा। बर्न यूनिट हमारे यहां पर शुरू हो गयी है, सुपर स्पेशलिटी ट्रोमा सेन्टर बनना शुरू हो गया है। रिहैबिलिटेशन सेन्टर की हमारे यहां पर नींव डल चुकी है। कहने का अर्थ है कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सम्मानजनक जो एक कम समय के अन्दर होना चाहिए, वह काम कर दिखाया है। अभी तो चार बजट और आएंगे। अभी तो मुख्य मंत्रीजी 9 तारीख को बजट और पेश करेंगे, उसके बाद तीन बजट और पेश करेंगे, आप देखते जाइये और विश्वास रखिये इस मुख्यमंत्री पर क्योंकि मुख्य मंत्री गांव, गरीब और गणेश की पीड़ा को समझने वाला मुख्य मंत्री है। यह एक मुख्य मंत्री है जो ऊपर केन्द्र में मंत्री रहा हो, जिसने राजस्थान का पिछले पांच साल का भी शासनकाल चलाया हो

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

और अभी भी सवा साल हो गया है लेकिन मुख्य मंत्री जब तक सार्वजनिक जिम्मेदारी के ऊपर रहेंगे तब तक उनके ऊपर भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं लगेगा। गांव, गरीब, गणेश की हमारे मुख्य मंत्री जितनी पीड़ा समझ सकते हैं, उतनी कोई दूसरा नहीं समझ सकता। यही कारण है पिछले पांच साल के अन्दर जो प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य बोलते जा रहे थे कि हमारी मुख्य मंत्री, हमारी मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री आते हैं, राज भी आता है, सत्ता भी आती है, राजनीतिक दल भी आते हैं लेकिन उसके साथ-साथ उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन पिछले पांच साल के अन्दर राजस्थान के अन्दर भ्रष्टाचार के नाम जो चर्चाएं पूरे राजस्थान में पैदा हुईं, सभापति महोदय, हम लोग चौपाल में सुना करते थे किस तरह से गांव का आदमी रीएक्ट करता है। जिस मुख्य मंत्री की तारीफ प्रतिपक्ष कर रहा है कि हमारी मुख्य मंत्री ने पांच साल तक क्या किया, सभापति महोदय, मंत्रिमंडल के सदस्यों ने उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये, जवाब नहीं दे सकीं वह। 90 बी का भ्रष्टाचार का अड्डा उन्होंने राजस्थान के अन्दर खोल दिया। बाम्बे से एक आदमी आकर यहां के पांच सितारा होटलों में बैठता था, उद्योगपतियों को बुलाता था, सौदे करता था राजस्थान की संपदा का। भ्रष्टाचार किसने फैलाया? पांच साल में हर गली मोहल्ले में चर्चित हो चुका था। इससे + + + नहीं हो सकता।

जिस मुख्य मंत्री के ऊपर मंत्रिमण्डल के साथी आरोप लगा दें, मंत्रिमण्डल की बैठक में नहीं जाएं, इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, बिना नोटिस दिये हुए वेग इस प्रकार के आरोप लगाना अपनी परम्परा के हिसाब से नहीं है। इस प्रकार की बात करना और वह भी ऐसी स्थिति में करना जबकि एक बार यह सरकार इस बात पर मुंह की खा चुकी हो हाई कोर्ट के द्वारा, उसके बाद इस प्रकार की बात करना सरासर अनुचित है। अगर इनको पर्टीकुलर आरोप लगाना है तो यह नोटिस दें, आरोप लगाएं, इसका जवाब दिया जाएगा, वर्ना इसको एक्सपंज किया जाना चाहिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, दीनदयाल ट्रस्ट अपने आप में उदाहरण है। अजयपाल सिंहजी जो राजस्थान आवासन मण्डल के अध्यक्ष थे, किस तरह से रोये हैं, किस तरह से वह राजस्थान

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

आवासन मण्डल के कार्यालय में नहीं गये, किस तरह से उनके साथ गुप्त सौदे हुए हैं, वह राजस्थान की जनता जानती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, जो सदस्य इस समय सदन में उपस्थित नहीं हों, उनके ऊपर आरोप नहीं लगाये जा सकते।

श्री सभापति: आप कृपया बैठिए, मैं इस बात के लिये ध्यान दिलाऊंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न था यह। I am on a point of order, please ask the hon'ble member to sit down and listen to me first.

श्री सभापति: अभी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, यह पाइण्ट आफ आर्डर बीच में आता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पहले आपको व्यवस्था देनी पडेगी।

श्री सभापति: ठीक है, आप बैठिए, आप पाइण्ट आफ आर्डर पर बोल रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, यह सदन के उप नेता हैं, मुझे बोलने से क्यों रोका जा रहा है?

श्री सभापति: आदरणीय, आप पाइण्ट आफ आर्डर पर बोल रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं सिम्पल व्यवस्था की बात उठा रहा हूं। पहला प्रश्न मेरा यह है कि इस सदन का माननीय सदस्य जो सदन में उपस्थित नहीं हो, उसकी अनुपस्थिति में बिना नोटिस के कोई भी माननीय सदस्य आरोप नहीं लगा सकता, माननीय अध्यक्षों की और सभापतियों की इस प्रकार की व्यवस्था रही है। अत: पहले भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी के लिये जो आरोप लगाये गये, उनको एक्सपंज किया जाए। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार के वेग आरोप लगाये हैं, अगर पर्टीकुलर कोई आरोप हो तो नोटिस देकर सदस्य लगा सकता है, लेकिन जनरल वेग आरोप, जिन आरोपों के बारे में सरकार ने कोई आयोग बनाया हो और उस आयोग को राजस्थान के उच्च न्यायालय ने अवैधानिक डिक्लेयर कर दिया हो, उसके बारे में बोलना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इसलिए इस सारे प्रकरण को एक्सपंज किया जाना चाहिये।

श्री सभापति: अभी आदरणीय तिवाड़ीजी की बात सुन ली गई, अब आप अपनी बात खतम करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, न्यायालय जो भी निर्णय दे, उसका हम सम्मान करते हैं। राज्य सरकार आगे भी उसकी अपील के लिये विचार कर रही है।

श्री सभापति: जो व्यक्तिगत आक्षेप लगाये हैं, उनको एक्सपंज किया जाए, आगे की व्यवस्था यह है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, जो आरोप लगे हैं मैंने वही दोहराये हैं। दीनदयाल ट्रस्ट अपने आप में उदाहरण है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो प्रसंग न्यायालय के पास विचाराधीन हो, उस पर इस सदन में बहस नहीं की जा सकती।

श्री सभापति: देखिए, राठौड़ साहब, मैंने पहले व्यवस्था दे दी, अब मैं समझता हूं इस पर ज्यादा टाइम नहीं दिया जा सकता। मैंने बोल दिया, बात खतम हो गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, यह नहीं बोल सकते, यह नियम और प्रक्रिया में है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, यह कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी।

श्री सभापति: व्यवस्था आसन से दे दी गई। आदरणीय घनश्याम तिवाड़ीजी ने बात कही, उनका मान रखते हुए व्यवस्था दे दी गई, उसके बाद मैं समझता हूं कोई इश्यु नहीं है, आप जारी रखें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): कानून-व्यवस्था की बात करते हैं। पांच साल में जो अराजकता राजस्थान में फैली, सामाजिक समरसता मीणा और गुर्जर समाज में थी उसको तोड़ने का काम किया वह उस वक्त की मुख्य मंत्री ने किया, उस वक्त की सरकार ने किया। किस तरह की अराजकता की स्थिति पैदा हुई है, क्या मुख्य मंत्री ने किया, किस तरह से गुर्जरों और मीणाओं को लड़ा-लड़ा कर, कितने गुर्जर भाइयों को गोलियों में, कितनी मां बहनों के सुहाग उजड़ गये, कितनों की राखी टूट गई। किसानों पर घड़साना में गोलीकांड हुआ। (व्यवधान)

श्री सभापति: व्यवस्था बनाये रखें, व्यवस्था बनाये रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, यह काहे पर +++ कर रहे हैं? क्या +++ कर रहे हैं यह? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): इनके कार्यकाल में गोलीकांड का इतिहास रचा गया है । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) यह काहे पर बहस हो रही है? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ...(व्यवधान) कानून व्यवस्था खतम कर दी इन्होंने पाँच साल में और एक यह मुख्य मंत्री है कि गुर्जर समाज आया और उन्होंने अपनी बात रखी, बिना खून खराबे, बिना एक लाठी चले उसका फैसला हो गया। पूरे राजस्थान में एक चिंता का वातावरण ... (व्यवधान)

श्री सभापति: जाड़ावत साहब, अब आप समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): हमारे मुख्य मंत्री ने एक मिनट में सामाजिक समरसता का उदाहरण पेश कर गुर्जर समाज को पूरे विश्वास में लेकर उनकी जो वाजिब मांग थी, उसको मान कर प्रस्तुत कर दिया।

श्री सभापति: मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): आतंकवादी घटना किसके शासन में हुई? जयपुर बम ब्लास्ट हुए, ख्वाजा साहब की दरगाह में बम ब्लास्ट हुआ, हमारे चित्तौड़ में साम्प्रदायिक दंगे हुए, ये किस के कार्यकाल में हुए और ये कानून-व्यवस्था की बात करते हैं।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): सभापति महोदय, अब अति हो गई है। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं आपसे आशा करता हूं कि अनुशासन बनाये रखें। (व्यवधान) कृपया समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ...(व्यवधान) सभापति महोदय, यह सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: ...(व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करता हूं, अब आप समाप्त करें। अब आप समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ...(व्यवधान) सभापति महोदय, मैं नरेगा पर बोलकर चुप होऊंगा।

++ + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति: आपका टाइम हो गया है काफी।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): मैं बैठ जाऊंगा, दो मिनट आप मुझे दीजिए। मैं नरेगा पर बोलना चाहूंगा। (व्यवधान) नरेगा पूरे विश्व की एक अनूठी योजना है। नरेगा योजना पूरे विश्व की एक ऐसी अनूठी, गारंटीड योजना है जिसको हर देश का जब भी कोई राजनयिक आता है, जाकर नजदीक से देखना चाहता है। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ...(व्यवधान) नरेगा में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ है ही नहीं। एक करोड़ का भ्रष्टाचार जैतारण में हो रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिए, माननीय विधायक बोल रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ...(व्यवधान) नरेगा एक ऐसी योजना है जो गांव की गरीब जनता के लिये एक आशा की किरण बन कर आई है। यह हमारी केन्द्र सरकार, हमारी यूपीए की सरकार, सोनिया गांधी जी की सोच है और हमारे प्रधान मंत्री मनमोहन सिंहजी की सोच है।

श्री सभापति: कृपया अब समाप्त करें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: ...(व्यवधान) नरेगा में घोटाले ही घोटाले हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: ...(व्यवधान) कृपया, सुरेन्द्रजी, समाप्त करें। आप तो कम से कम ध्यान रखें। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ...(व्यवधान) यह व्यवस्था को चौपट करने वाली योजना है। किसान मर जाएगा इस नरेगा में। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय विधायक, आप कृपया तशरीफ रखिए, विधायक नरेगा पर बोल रहे हैं। उन्हें बोलने दीजिए, नरेगा पर बोलने का उनका अधिकार है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ...(व्यवधान) इसका मतलब भारत तरक्की कर रहा है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: जाड़ावत साहब अब समाप्त करो। Please cut it short. Please sit down. I request you to please finish it off now.

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): मैं इस अभिभाषण के पक्ष में

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

अपनी बात को रखते हुए अपनी बात को एक बार विराम देता हूं और पुनः विपक्ष के सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप राजस्थान के हित में बात करें । ऐसी टीका-टिप्पणी आप मत करो जिससे हमको भी बोलने का आप अवसर दें। हम भी टीका-टिप्पणी नहीं करेंगे लेकिन आप हमारे मुख्य मंत्री ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ...(व्यवधान) यह आप कह रहे हो क्या ? चित्तौड़ में साम्प्रदायिक दंगे आपने करवाये, यह आप कह रहे हो ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ...(व्यवधान) आपने हास्पिटल खोल दिये वहां डाक्टर नहीं थे, एएनएम नहीं थीं, वह सारा का सारा खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा था। स्कूलें खाली हैं, हमारे हास्पिटल खाली हैं, हमारे सब सेंटर खाली हैं, यह दिक्कत हमको फेस करनी पड़ रही है। यह असत्य वाहवाही लूटने के लिये इन्होंने काम किया है।

श्री सभापति: आप प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। श्री फूलचंद भिण्डाजी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज के अंतिम वक्ता के बोलने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव पारित किया जाता है।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापति महोदय, 22 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा रखा गया असत्य और आधारहीन जो वक्तव्य है, उसका मैं सर्वप्रथम जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं। उसके पैरा 4 में क्या शब्द छपे हुए हैं, संवेदनशील सरकार, उत्तरदायी सरकार। मैं चार दिन पहले का उदाहरण दे रहा हूं, एक बिंदोरी निकालते हुए पर ट्रक चढ़ा और वहां

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

20 हजार रुपये की घोषणा की गई, जो बालक 18 साल से छोटे थे उनको पांच हजार रुपये दिये गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो दारू पीकर मरे उनको दो-दो लाख रुपये दिये गये, जो बम कांड में मरे उनको पांच लाख रुपये दिये गये, तेल की आग में मरे उनको 10 लाख रुपये दिये गये और यह संवेदनशील सरकार का उदाहरण है कि उनको पांच हजार रुपये दिये गये ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पांच बच्चे ऐसे हैं जिनके अकेले भाई थे, वे बहनें, वे माता-पिता अपने भाई से, पुत्र से वंचित हो गये। यह शर्म की बात है। यह कांग्रेस के लिए डूबकर मरने की बात है कि हाइवे 11 नम्बर पर... (व्यवधान)

उत्तरदायी सरकार की बात करते हैं, उत्तरदायी सरकार के बारे में अभी खाद्य मंत्रीजी ने बताया कि 17000 टन से हमने 64000 टन की गेहूं की आपूर्ति। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये आंकड़े बोल रहे हैं कि साल भर में 6 करोड़ जनता है उसको 12-12 किलो पूरे साल में पर कैवीटा अन्न दिया जाएगा और रोज के हिसाब से 35 ग्राम, क्या 35 ग्राम में राजस्थान की भूखी जनता, गांव की गरीब जनता निर्वहन कर सकती है? यह शर्म की बात है कि आप केवल 35 ग्राम अन्न बांटना चाहते हैं। आप उत्तरदायी सरकार की बात करते हैं, 195 नगर हैं, इतने सारे गांव हैं, केवल सात कस्बों में आपने दाल बांटी, बाकी लोगों की क्या स्थिति है? यह उत्तरदायी सरकार का उदाहरण है।

आगे संतुलित विकास की बात करते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जोधपुर के विश्वविद्यालय में कालेजों की जितनी संख्या है उससे दुगनी संख्या अलवर के अकेले जिले में है, वहां विश्वविद्यालय की स्थापना आपने नहीं की, वहां 6 लाख पर एक ओएसडी लगाया हुआ है, सीकर झुन्झनुं जिले में 122 कालेज हैं ओर जो उदयपुर का विश्वविद्यालय है उसमें 46 कालेज हें, इतने कालेज होते हुए भी आपने नहीं किया। इसका जवाबदेह कौन है?

सतत् विकास की बात करते हैं, कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करेंगे, अजमेर और जयपुर में 9 महीने तक आपने एक करनी भी नहीं लगाई। एक भी इंच सड़क नहीं बनाई। हमने जो सिस्टम पैदा किया था जयपुर के लिए लो फ्लोर बसों के लिए, उसको बंद रखा आपने। यह उत्तरदायी सरकार की बात, सतत् विकास की बात करते हैं।

अभी बिजली की बात आई, कल यहां माननीय सदस्यों ने कहा कि

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

हमने बिजली पैदा कर दी। आप पहले यह बताएं कि गहलोत साहब ने भूमि पूजन किया हो और फिर बिजली के ट्रान्सफार्मरों का उद्‌घाटन किया हो, आप एक भी किलोवाट बता दीजिए कि यह हमने किया। हमने जो शिलान्यास किया उसका उद्‌घाटन आपने किया होगा। यह आपके लिए नहीं हो सकता।

दूसरा निवेदन करना चाहता हूं, एक रहस्योद्‌घाटन करना चाहता हूं, गरीब और गांव की बात करते हैं, भारत सरकार ने पत्र लिखा राजस्थान सरकार को, कि अकाल में जूझ रहे किसानों के लिए आधे कीमत पर डीजल उपलब्ध कराइये, जो खेती के काम आते हैं, उसमें आधा पैसा केन्द्र सरकार देगी और आधा पैसा राज्य सरकार देगी। साढ़े सत्रह रुपये लीटर में डीजल मिलना चाहिये था, क्या यह आठ महीने तक दिया आपने? किस आधार पर आप दावा करते हैं गरीब और किसान का? इसी प्रकार से उस पत्र में साफ लिखा हुआ था कि दो हजार हैक्टेयर के हिसाब से किसान को प्रपोजल दीजिए, आठ महीने हो गये, दूसरी फसल भी आ गई, क्या किसानों की चिंता की इन्होंने? ये बैड डैटस छोड़कर गये थे, 1 लाख 42 हजार किसान ऐसे थे 30 नवम्बर, 2003 तक जिन किसानों के आवेदन पैंडिंग थे, हमने उन सभी को बिजली दी। कुछ किसान रह गये थे उनको भी आप नहीं दे पाये। किस आधार पर दावा करते हो, किसान की बात करते हो? किस आधार पर दावा करते हो, गांव के गरीब की बात करते हो?

संवेदनशील सरकार का उदाहरण दे रहा हूं, मैं विराटनगर से विधायक हूं, विराटनगर में एक डीलर 27 लाख के गबन में पकड़ा गया, उसको वहां के थानेदार से यह कह दिया कि एफ आर लगा दीजिए। उस केस में जयपुर के डीएसओ ने 950 पेज एफआर लाज कराने के लिए दर्ज किये, उस थानेदार को पुरस्कृत करके मंत्रीजी खुद के ले गये। उसके मोती पिछले सप्ताह बिखर गये, वह एसीडी में पकड़ा गया। यह संवेदनशील सरकार, पारदर्शी सरकार का उदाहरण है कि जिसने 27 लाख का गबन किया, उसको किस प्रकार से थानेदार से एफआर लगाई। मैं शर्म की बात और कह रहा हूं, गृह मंत्रीजी ने उत्तर में मुझे जवाब दिया, त्रुटिवश यह एफआर दे दी गई, इस कारण से एफआर की कापी वह ले गया ओर बहाल हो गया। उसके बाद मैंने जब क्वेश्चन लगाया, उसको दुबारा वापस वह किया। तो इस प्रकार की स्थिति है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि यह पारदर्शी सरकार है, यह संवेदनशील सरकार है, कि 27 लाख का गबन करने वाले, गरीब का गेहूं खाने वाले ....(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सभापति महोदय, इस तरह से गलत आरोप लगाना, बिना नोटिस आरोप लगाना... (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मैं प्रमाणित करूंगा। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय सदस्य को मैं कहना चाहूंगा, मैं मेरी गरिमा रखता हूं मुझे मत बुलवाइये, आप क्या हैं, आपकी शक्ल कैसी है, आपके क्या काम हैं, मैं आपसे इतना निवेदन कर रहा हूं कि आप संयम से काम करें, आप अपने विचार व्यक्त करिये।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मोतीलाल नहीं पकड़े गये क्या जिसको आप ले गये थे वहां से पुरस्कृत करके? (व्यवधान) जिसने एफआर लगाई, रिकार्ड पर है। पटल पर मंगाइये आप, एफआर की कापी मंगाइये। एफआर लगाई थी, मुझे जवाब दिया, त्रुटिवश उसकी कापी उस अपराधी को दे दी गई इस कारण से बहाल हो गया। उसके बाद सस्पैण्ड क्यों किया उसको? (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आपको इतनी भी जानकारी नहीं है...(व्यवधान) पीडीआर की कार्यवाही होती है, अकाल राहत अन्त्योदय योजना, खाद्य विभाग का कोई मतलब नहीं है। कलक्टर के थ्रू उसकी कार्यवाही होती है। पांच साल बीजेपी का राज रहा, आपको पैसा इकट्ठा कर-करके चंदा देते रहे वे लोग। आप गलत आरोप इस तरह से लगाते हैं। (व्यवधान) आप जैसे खुद हो ऐसे ही दूसरों को समझते हो। (व्यवधान) आप खुद हो, जैसे खुद के कर्म हैं, जैसा चरित्र है वैसे ही दूसरों पर आरोप लगाते हो। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): यह गरीब को...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): इस तरह का आरोप नहीं लगना चाहिये सदन में।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): इनसे पूछिये, 2 रुपये 39 पैसे में पिसाई का ठेका देकर साहूकार बन रहे हैं सदन में। 2 रुपये 39 पैसे का ठेका दिया पिसाई का, यह शर्म की बात है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सभापति महोदय, यह शोभा नहीं देता इस तरह से। मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह से यह शोभा की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): यह गेहूं का जो मामला बता रहे हैं, यह 2002 का है।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): उप नेता महोदय, आप अपने सदस्य को समझाइये।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मैं डीलर की बात उठा रहा हूं।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): उनको गरिमा सिखाइये। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): उस डीलर की बात कर रहा हूं। (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नरेगा में....

श्री सभापति: एक मिनट, सुनिये मेरी बात। मैं सबसे निवेदन करता हूं, आदरणीय तिवाड़ीजी ने कहा, जो सदस्य यहां अनुपस्थित हैं ...

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मैंने आरोप नहीं लगाया।

श्री सभापति: उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही जाए। मैं यह व्यवस्था देना चाह रहा हूं कि जो सदस्य यहां उपस्थित हैं, आदरणीय मंत्रीजी उपस्थित हैं इस किस्म की बात नहीं की जाए जो उन पर व्यक्तिगत आक्षेप करती हो, उसका ध्यान रखें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): यह व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है, रिकार्ड की चीज है। मैं निवेदन कर रहा हूं नरेगा के बारे में, उत्तरदायी सरकार की बात है। एक्ट में साफ-साफ लिखा हुआ है भारत सरकार ने एक्ट बनाया, कांग्रेस सरकार ने एक्ट बनाया नरेगा का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है अगर 100 दिन का रोजगार नहीं देंगे तो जो उसके प्रति जिम्मेदार है उनको दंडित किया जाएगा। इसके आंकड़े बता रहे हैं, 22 लाख 59 हजार लोगों को सौ दिन का रोजगार नहीं मिला। अब इनको रोजगार नहीं मिला तो इनको 10-10 हजार रूपये का पेमेंट करना था, नकद पेमेंट करना था, क्या राजस्थान सरकार ने किया है? कौन जिम्मेदार है-मंत्री जिम्मेदार है, कलक्टर जिम्मेदार है, चीफ सैक्रेटरी जिम्मेदार है या अशोक गहलोतजी जिम्मेदार हैं? कोई तो जिम्मेदारी लीजिए। 22 लाख लोगों को रोजगार, 100 दिन का नहीं मिला, यह आपका रिकार्ड बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। इसमें लिखा है, 22 लाख...(व्यवधान)

श्री पदमाराम (चौहटन): रोजगार लेने के लिए कोई नहीं आता है ... (व्यवधान) कौनसा आदमी रोजगार लेने के लिए आया, उसको मना किया? असत्य आरोप लगाने से कुछ नहीं होता।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापतिजी, 49 नम्बर के पैराग्राफ में छपा है, संस्कृत में, हम 2916 लोगों को रोजगार देंगे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उन गरीबों ने परीक्षा दी, विज्ञापन हमने निकाला, 2008 में परीक्षा आरपीएससी ने ले ली, उसकी नियुक्ति आज तक क्यों नहीं हुई? फिर उसका क्रेडिट ले रहे हैं, यह 49 के पैरे में ले रहे हैं, 2009 को रिजल्ट निकाल दिया। विज्ञापन हमने निकाला, परीक्षा आरपीएससी ने ली, आपने गरीबों को नियुक्ति क्यों नहीं दी? ये 2916 टीचर हैं और सारी स्कूलें खाली पड़ी हैं। यह आरोप कांग्रेस के लोग भी लगा रहे हैं, मैं नहीं लगा रहा। उच्च शिक्षा के बारे में अभी एक पैराग्राफ है, उसमें लिखा हुआ है, वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास जो विश्वविद्यालय है वह तो जयपुर में बनेगा नहीं, उसके कारण से वर्ल्ड क्लास सिटी कैसे बन जाएगी? वर्ल्ड क्लास स्तर का विश्वविद्यालय नहीं होगा तो सिटी कैसे बनेगी, यह मेरी समझ के बाहर है।

श्री सभापति: आदरणीय फूलचन्दजी, समाप्त करें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अभी मेरा टाइम है सात मिनट।

श्री सभापति: नहीं, आपका टाइम खतम हो गया, आप समाप्त करें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सात मिनट बाकी हैं, औरों की तुलना में आप पक्षपात मत करिए।

श्री सभापति: घड़ी यहां रखी है आसन के पास।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मैं सामने घड़ी देखकर बोल रहा हूं।

श्री सभापति: चलिए, एक मिनट ले लीजिए। आपने मंत्रीजी को...

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापतिजी, मैं अकाल राहत के बारे में बात कर रहा हूं, अकाल पड़े हुए छह महीने हो गये, दूसरी फसल आ रही है। जब अकाल पड़ा था, केन्द्र में अटलजी की सरकार थी, उस समय हमने 4 करोड़ 30 लाख बोरियां दी थीं। 5 करोड़ जनता के लिए 4 करोड़ 30 हजार बोरियां दी थी। अब जब भारत में इनकी सरकार हैं, यहां भी इनकी सरकार है, अब कितना गेहूं दे रहे हैं, कितना चावल दे रहे हैं, कितनी चीनी दे रहे हैं? इसके आधार पर ये संतुलित विकास, सतत् विकास की बात करते हैं।

श्री सभापति: फूलचन्दजी, कृपया समाप्त करें। मेरा निवेदन है, आदरणीय फूलचन्दजी कृपया समाप्त करें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): औरों को 15-15 मिनट दिये हैं, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री सभापति: नहीं, आपका टाइम हो चुका ।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मुझे उतना तो दीजिए।

श्री सभापति: धन्यवाद, अब आपके पास है भी कुछ नहीं। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): दो बात कहूंगा, एक तो नरेगा स्कीम अच्छी स्कीम है, मैं यह बात मानता हूं। लेकिन उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है और उसको कांग्रेस के लोग और ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। उसके बारे में सुझाव है। सारे लोग ठेके पर अकाउंटेंट ठेके पर, इंजीनियर ठेके पर, सहायक सचिव ठेके पर, कम्प्यूटर एजेंट ठेके पर, हर जिले में पांच लोगों की कमेटी बनी, उसके आधार पर अकाउंटेंट नियुक्त हुए, उसके आधार पर इंजीनियर नियुक्त हुए, क्यों नहीं उनको स्थायी किया जाता? क्यों नहीं उनको एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते, जिम्मेदार कर्मचारी के नाते...

(समय : 17.00 बजे)

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें। श्री रमेश खण्डेलवाल। कृपया समाप्त करें अब। (व्यवधान) रमेश खण्डेलवाल।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मुझे एक मिनट और, एक मिनट और।

श्री सभापति: प्लीज बैठिये। फूलचन्दजी भिण्डा साहब, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, बैठिये अब आप।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): एक मिनट, एक मिनट। वैसे मुझे अभी 11 मिनट हुए हैं। 15 मिनट दिये हैं औरों को, मुझे 11 मिनट दिये हैं आपने।

श्री सभापति: आपने बहुत टाइम ले लिया, अब कृपया बैठिये।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): एक निवेदन, अन्तिम निवेदन। मैं कुछ सदन से निवेदन कर रहा हूं, एक पंक्ति बोलूंगा, एक पंक्ति।

श्री सभापति: जल्दी बोलिये, जल्दी बोलिये।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): एक पंक्ति बोलूंगा, एक पंक्ति।

श्री सभापति: बोलिये, बोलिये।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): इसमें लिखा गया है ठोस वित्तीय प्रशासन के सम्बन्ध में, उसके लिये कह रहा हूं।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने जो बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति: देखिये, अंकित नहीं हो रहा है, फूलचन्दजी, कृपया बैठिये आप।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री सभापति: ठीक है, फूलचन्दजी, धन्यवाद। बैठिये आप, ठीक है।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने जो बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। राज्यपाल महोदय का भाषण हमारी सरकार का विजन और हमारी सरकार के द्वारा पूरे किये गये एक साल के कार्यकाल का एक तरह से प्रतिबिंब है। यह वह विचार है जो हमारे मुख्य मंत्री महोदय और हमारी सरकार ने आम जन कल्याणकारी नीति...

श्री सभापति: रमेशजी, एक मिनट। I would like to request all the hon'ble members who are present here that you kindly make it a point to run the House, on your own, in a peaceful manner. We have been talking something which is constructive. मैं देख रहा हूं, लंच के बाद में आप लोगों का सहयोग और प्यार कुछ कम हो जाता है। मैं समझता हूं, आपका ही यह सारा कीमती समय है, सबको टाइम मिले। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया शांति बनाये रखें, सबको मौका दें और व्यवधान नहीं करें, धन्यवाद।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): यह कहते हुए मुझे खुशी होती है और हम यह मानकर चलते हैं कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने और हमारी सरकार ने पूरा एक साल उनके कार्यक्रम के हिसाब से, आम आदमी और गरीब आदमी को आधार बनाकर जन कल्याणकारी नीतियों का निर्वहन करते हुए गुजारा, जिसको हमारी राज्यपाल महोदय ने स्टैप बाइ स्टैप बताया। अभी सामने के, विपक्ष के साथीगण इसको असत्य का पुलिंदा बता रहे थे, हमारे साथी अमरारामजी, माननीय सीनियर विधायक जो दांतारामगढ़ से आये हैं, वह भी पूर्ण रूप से इसको असत्य का पुलिंदा बता रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी अपना राज करती है तो वह अपने प्रिंसिपल और

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

सिद्घान्त के आधार पर करती है, उसका सिद्घान्त, कम्युनिस्ट विचारधारा, उसी के हिसाब से वह अपने राज को, अपनी नीतियों को लागू करती है। अब यह जनता के ऊपर निर्भर है कि वह उसकी नीतियों पर कितना विश्वास करती है और किस तरीके से वह अपने आपको कम्युनिस्ट पार्टी के हवाले करके उनको राज सौंपना चाहती है। अगर बंगाल की बात की जाए तो बंगाल के लोगों की जो विचारधारा है, उनके अनुरूप अगर चल रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी उनके कार्यक्रम और कार्यकलाप होंगे, अगर वे जनता को पसन्द नहीं आए तो उस सरकार को हटा दिया जाता है। यही भाजपा की नीति की बात है। भाजपा ने पिछले 5 साल में जो काम किये, सरकार और पार्टी की नीतियों के अनुरूप उन्होंने काम किया। आज हमारी सरकार 125 साल के इतिहास की जो कांग्रेस पार्टी है उसकी नीतियों के आधार पर काम कर रही है। हमारे मुख्य मंत्री महोदय उन्हीं का अनुसरण करते हुए इस सरकार को चलाने में सबसे पहले समाज के उस आखिरी इन्सान की तरफ देख रहे हैं जो अपने अधिकार के लिये संघर्ष कर रहा है। अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिये उस आदमी तक हमारी योजनाओं का लाभ जाना चाहिए। यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसको हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने आधार बनाकर पूरे बजट को बनाया और पूरे 12 महीने का जो कार्यकाल है उसको गुजारा और उसी रूप में राज्यपाल महोदय के द्वारा कहलवाया। मैं मेरे सीनियर साथी, सभी से कहना चाहूंगा कि सामने आप लोग जिस तरीके से बैठते हैं, आपका आशीर्वाद मिलता है, आपका सहयोग मिलता है लेकिन कभी-कभी विरोध के रूप में जिस तरीके से बातें कही जाती हैं, थोड़ा-सा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): रमेशजी, एक मिनट विराजिये। सभापति महोदय, मैं एक तथ्य आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। अपने सदन की मान्य परम्पराएं हैं, पार्लियामेंट की भी हैं, सदन की भी हैं, सदन में सम्बोधित करते समय केवल चार शब्दों का उच्चारण होता है, माननीय विधायक या किस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र का नाम लेकर बताएं। आम तौर पर माननीय विधायक का नाम भी नहीं लेते हैं। कभी-कभी ले लेते हैं, बाकी नाम लेना भी उचित नहीं है। इसी प्रकार से साथी, भाई, बहन और कोई भी शब्द जो है, वह उच्चारण में बिलकुल उचित नहीं है, ये मान्य व्यवस्थाएं हैं। इसलिये मैं चाहूंगा, सभापति महोदय, आप यह व्यवस्था दें कि सदन में उच्चारण करते

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

समय अगर मुख्य मंत्रीजी को सम्बोधित करना है तो माननीय मुख्य मंत्रीजी कहें, माननीय मंत्रियों को सम्बोधित करना है तो माननीय मंत्रीजी कहें और माननीय विधायकों से करना है तो माननीय विधायक कहें। ताकि हमारी जो संसदीय परम्पराएं स्थापित हैं उन संसदीय परम्पराओं का पालन हो सके, क्योंकि हम किसी चौपड़ में और ग्वाड़ी में बैठकर बात नहीं कर रहे हैं।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): माननीय सीनियर विधायक महोदय ने जो कहा, उसमें कोई दो राय नहीं है। विधान सभा की रीति-नीतियों के बारे में नये विधायकों को ये जितना समझाएंगे, उतना ही हम उनका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। मुझे बात याद आ रही है नीमकाथाना की हमारे माननीय सीनियर विधायक जो यहां अब बैठे हुए हैं, जो अभी हमें राय दे रहे थे, उनकी एक स्पीच याद आ रही है मेरे को। एक बाप ने, जब उसका बेटा पढ़कर वापस आया तो पूछा कि बेटा आ गया बेटा आ गया है तो अपनी पत्नी को कहा कि इसकी मार्क शीट लेकर आइये, इसने क्या-क्या वहां किया है और क्या-क्या नहीं किया है। पत्नी मार्क शीट लेकर आई तो आग बबूला हो गया, घर का मालिक, तूने बर्बाद कर दिया परिवार को, तेरे लिये कितना खर्च किया, तेरे मैथ्स में जीरो आये, तेरे इंग्लिश में 2 नम्बर आये, तेरे अंकगणित में, जो सामान्य ज्ञान था उसमें 4 नम्बर आये और तू बिलकुल जीरो होकर और फेल होकर आया है। बुरी तरह से अपने बेटे पर गरम हो रहा था। पत्नी बीच में आई और उसने कहा, महोदय, यह देखो, यह मार्क शीट बेटे की नहीं है, यह तो आपकी है। आप क्यों इस पर गरम हो रहे हैं इतना ज्यादा। तो मुझे यह लग रहा था कि जैसे सामने वाले जिस तरीके से गरम हो रहे थे जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे हमारे मुख्य मंत्री महोदय पर कि ये मेवाड़ के गांधी कहे जाते हैं, ये मेवाड़ के गांधी नहीं हैं, यह नहीं है। मैं इतना निवेदन जरूर करना चाहूंगा आपको कि पूरा साल कार्यकाल में गुजरा है, एक भी आरोप मुख्य मंत्री के ऊपर अगर कोई लगा हो तो बताएं। हो सकता है कि आपकी और हमारी इच्छा के अनुसार काम कम हुए होंगे। (व्यवधान) एक मिनट, अब हम बोल लेते हैं, फिर उसके बाद आप बोलना। एक भी आरोप लगा हो तो। कल्चर होता है अपना-अपना। जब मुख्य मंत्री महोदय शपथ लेकर मुख्य मंत्री निवास में जा रहे थे तब हम लोग, गांव में रहने वाले लोग और गांव के हमारे बुजुर्ग बहुत बात कर रहे थे कि ऐसा सीधा-सादा मुख्य मंत्री, ऐसी गांधीवादी विचारधारा का मुख्य मंत्री, इतना सरल और इतना सद्भाव सबसे रखने वाला मुख्य मंत्री जो सादगी से अपना जीवन व्यतीत करते

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

हैं। जिनकी कमीज धोने के लिये अगर कोई ड्राइक्लीनर यह कह दे कि 30 रुपये में बिलकुल व्हाइट कुर्ता धुपेगा और 13 रुपये में थोड़ा कम व्हाइट धुपेगा। तो मैं आपको यह वचनबद्धता से कहता हूं, दिल्ली में वह 13 रुपये का कुर्ता पसन्द किया धुलाना, 30 रुपये वाला कुर्ता पसन्द नहीं किया। तो इस मुख्य मंत्रीजी का हाल क्या होगा जब 60 लाख रुपये के बाथरुम के अन्दर जाएंगे जो पिछली मुख्य मंत्री महोदया बना गईं, हमारे लिये बड़ी चिन्ता का विषय था। देहात के लोगों के लिये चिन्ता का विषय था कि ये नहाएंगे कैसे उसमें, ताली बजाते ही तो वहां के बाथरूम का पानी खुलता है, ताली बजाते ही गेट खुलता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह विचारधारा अपने आप में होती है। एक विचारधारा बहुत हाई-फाई विचार की होती है जो हमारी पूर्व मुख्य मंत्री महोदय ने अपनाई। उस विचारधारा से अपने आपको जोड़ नहीं पाये, को-रिलेशन बैठ नहीं पाया। अण्डरस्टैंडिंग इतनी अच्छी डवलप हो क्यों नहीं पाई हमारी माननीय सीनियर लीडर भाजपा की। राजस्थान का कल्चर यह कहता था कि सादगी से जीएं, सादगी से अपनी व्यवस्थाएं बनाएं। सब बड़ों और छोटों का सम्मान करते हुए अपने सम्मान, अपनी मर्यादा और संस्कृति का पालन करें। लेकिन उनके कार्यकाल का जिस तरीके से समय गुजरा, वह आप लोगों को भी पसन्द नहीं आया। मैं यह नहीं कहता, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाता, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हाई-फाई काम किया, यह तो गनीमत है कि सरकार बदल गयी, वर्ना हमारे गहलोत साहब और शांति धारीवालजी दूरबीन लगाकर भी अगर जयपुर में देखते तो इनको जमीन बची हुई नहीं मिलती, ये पूरी की पूरी जमीन बेच देते। आखिर कमाया क्या इन्होंने? पूरा का पूरा आक्शन करवाते रहे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका नियम और प्रक्रिया की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, बिना आधार पर ...(व्यवधान)

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): मैं हमारे तारानगर से आने वाले सीनियर माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि कृपया सुनिये, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दें, उसके बाद आप कह देना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): किसी बात पर आप ...(व्यवधान) आपने बिना आधार के, बिना किसी बात के ...(व्यवधान)

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): आप और हम लड़ाई लड़े हुए हैं बराबर की, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं।

श्री सभापति: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कह रहे हैं। कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहे हैं। यह कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): लेकिन कुछ एक बात हमारी है जो सुनें। हमारी सुनने की हिम्मत तो करें। हम बिलकुल सादगी से कह रहे हैं हमारी दो बात। आप हमारे भाई हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मैं तो आपसे ज्ञानवर्द्धन करना चाहता हूं कि यह महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाले मुख्य मंत्रीजी 156 से 5 साल पहले 56 पर कैसे रह गये थे?

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): यह भी हम दो मिनट बाद बताएंगे। आप सुनेंगे। हम हमारे माननीय सीनियर कम्युनिस्ट पार्टी के अमरारामजी से कहना चाहेंगे कि लड़ाइयां आपने खूब लड़ीं। भाजपा के शासन काल में आप और हम मिलकर बिड़ला की सीमेंट फैक्ट्री के सामने या अन्य सीमेंट फैक्ट्रियों के सामने जो मजदूरों की लड़ाई लड़ते थे, उसमें क्या-क्या कहते थे भाजपा के लिए, यह आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। खून से सने हुए हाथ इस सरकार के, जिस तरीके से हम बखान करते थे, उसका एक ही कारण था कि अगर कहीं जातिगत जहर पैदा हुआ, भाई-भाई से अगर कोई लड़ा और सही मायने में अपनी पार्टी के प्रति अगर अपशब्दों का किसी ने इस्तेमाल किया, पार्टी की मर्यादाओं को अगर किसी ने तोड़ा और पार्टी की परम्पराओं को तोड़कर तार-तार अगर किसी ने किया और पूरे पांच साल तक भ्रष्टाचार के आरोप में अगर कोई पार्टी घिरी रही तो सामने बैठे हुए महानुभव रहे, हम लोग नहीं रहे इस मामले में।

आप लोग जिस मजबूती से गांधीवादी विचारधारा की आज कह रहे थे कि गांधीजी के नाम पर जनसंख्या का, गांधीजी के नाम पर कृषि आयोग, राजीव गांधीजी के नाम पर यह आयोग, राजीव गांधीजी के नाम पर यह आयोग, ये आखिर क्यों रख दिये? जो आदमी कुर्बानी देता है, जो आदमी इस देश के नाम पर शहीद होता है, उसका नाम बड़े मान और सम्मान से लिया जाता है। आज यह हालत रही हमारी कि राजीव गांधीजी को जब पार्लियामेंट

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

में प्रधान मंत्री के लिए न्यौता दिया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं बैठूंगा क्योंकि पूर्णरूप से व्यवस्था और बहुमत नहीं है। उसके बाद सोनिया गांधीजी ने मनमोहन सिंहजी को बना दिया, अपने आप को सेक्रिफाइस करके, वर्ना बन यह भी सकती थीं। और यहां यह हालत है कि विपक्ष के नेता के लिए भी आप देखो, कितनी जद्दोजहद हो रही है, सीट नहीं छोडूंगी। चाहे जान निकल जाए, सीट नहीं छोड़ी। यह क्या है सब? यह राजनीति का एक ऐसा रूप सामने है। कम से कम जन सेवक के रूप में जब आये हैं तो राजनीति को इतना गंदा न होने दें।

मैं मूल बिन्दु पर आता हूं। मुख्य मंत्री महोदय के ये 12 महीने जो गुजरे हैं, आप बिजली के मामले में बता रहे थे, अगर राजनीतिक शक्ति इच्छा शक्ति में नहीं बदलेगी तो इसमें कोई दो राय नहीं, पाइप लाइन में ही योजना रह जाएगी। जब खरीफ की फसल हमारी आयी तब राज आया ही था, आप यह देखिये कि 1550 करोड़ रुपये की बिजली खरीद कर किस तरीके से सस्ते भाव पर किसानों को देनी पड़ी। यह सरकार किसान हितैषी थी। यह किसानों के दु:ख और दर्द को जानती थी। पांच साल में बिजली का रेट बढ़ेगा। सिर्फ यहीं नहीं रुके मुख्य मंत्री महोदय और हमारे बिजली मंत्री, इसके बाद में 1550 करोड़ रुपये की बिजली खरीद कर दी। महंगी खरीदी और सस्ती रेट पर दी रबी के लिए 3200 करोड़ रुपये की बिजली। आज रबी की खेती लहलहाते खड़ी है, यह जो बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं, यह अपने आप में ऐतिहासिक है। आप काम कुछ बतायें या नहीं बताएं, लेकिन 765 के.वी. के जो इन्होंने सब सेंटर और स्टेशन बनाये, ये दो स्टेशन अपने आप में ऐतिहासिक हैं, पहली बार बने हैं राजस्थान में, इसके बाद 440 के 220 के और 133-133 के ग्रिड स्टेशन बनाये 133 के जो बनाये, सप्लाई रैगुलर चले, सप्लाई व्यवस्था अच्छी हो, यहां का किसान परेशान नहीं हो, इस बात को मद्देनजर रखकर यह नीति बनायी गयी और इसी बात को मद्देनजर रखकर मुख्य मंत्री महोदय ने संघर्ष करके एक बड़े अमाउंट पर बिजली खरीद कर किसानों को दी, क्योंकि ये किसान हितैषी हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, पेयजल योजना के लिए, पानी नीचे चला गया, आज पेयजल की आवश्यकता है। 921 करोड़ रुपये की पेयजल की योजना बनायी, उसके अलावा सात लघु योजनाएं बनायीं। 27 करोड़ कुछ रुपये

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

सेण्ट्रल गवर्नमेंट से लाये, आज उसके 15-16 करोड़ रुपये के लगभग आ चुके हैं। यह गरीबों के प्रति और आम लोगों के प्रति एक योजना बनाकर लघु सिंचाई योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम इनका था। मैं पानी के लिए आपको बताना चाहूंगा कि बहुत अच्छी व्यवस्था अगर पांच साल में हुई होती तो कंटिंजेंसी सितम्बर तक और कंटिंजेंसी उसके बाद दिसम्बर तक, दो बार कंटिंजेंसी लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन दो बार अपनी योजनाओं से बढ़कर, अपने बजट के हिस्से से बढ़ कर मुख्य मंत्री महोदय ने दो बार कंटिंजेंसी योजना लागू की और टैंकर से पानी सप्लाई की। मैं मेरे नीमकाथाना की छोटी-सी बात आज आपको बताना चाहूंगा, आप बैठे हुए हैं सामने सीनियर लीडर।

पिछले साल इतनी तबाही मचती रही जब आपका राज था, सिर्फ चार लाख रुपये के टैंकर की सप्लाई हुई। बार-बार आन्दोलन हुआ, औरतों ने आन्दोलन किया लेकिन धन्यवाद देना चाहेंगे मुख्य मंत्री महोदय को कि अब की बार 92 लाख रुपये के टैंकर का सप्लाई का काम दिया क्षेत्र में और एक भी आन्दोलन पानी का नहीं हुआ। हम बार-बार धन्यवाद देना चाहेंगे।

आम लोगों की जन-कल्याणकारी नीति के हिसाब से अगर योजनाएं बनेंगी, सवाल इस बात का नहीं है कि सरकार चले, सवाल इस बात का है कि सरकार जन हित की कहलाए। जन हित की सरकार स्वास्थ्य के प्रति। शिक्षा के प्रति, जलदाय के प्रति और गरीब बी.पी.एल. लोगों के प्रति, आज बी.पी.एल. की यह पोजीशन है कि हर हास्पिटल में हमने अलग से विंडो लगायी जिसमें पूरा बी.पी.एल. का इलाज होता है। मुख्य मंत्री महोदय ने यह देखा कि बहुत से लोग बी.पी.एल. से वंचित रह गये, उन्हें स्टेट बी.पी.एल. मानते हुए उन लोगों की मदद की। आज बड़ी से बड़ी और गम्भीर से गम्भीर बीमारी के लिए जब भी कोई यहां भेजते हैं तो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय विधायक, समाप्त करें।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): महोदय, अभी तो पूरे 10 मिनट नहीं हुए। मैं जल्दी से पढ़ दूंगा। महोदय, अभी दो मिनट रुकें जरा आप। स्टेट बी.पी.एल. मानते हुए गम्भीर से गम्भीर इलाज भी मुख्य मंत्री महोदय के यहां से हुआ। यह एक जन कल्याणकारी और गरीब और बी.पी.एल. लोगों के प्रति आस्था का एक जीता-जागता उदाहरण है।

मैं, महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बी.पी.एल. कन्या विवाह

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

में 3038 शादियां करवाईं जिसमें पैसा मुख्य मंत्री महोदय के राहत कोष से और बी.पी.एल. के कोटे से पहुंचा। यह भी अपने आप में राजस्थान का सौभाग्य है कि आज हमारे यहां के दो-दो मंत्री सेंटर में विराजमान हैं, सेंटर में विराजमान होने के साथ 500 की आबादी की जितनी भी ढाणियां थीं वे तो आलरेडी पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत हो चुकी थीं। यह ओवरआल इण्डिया की पोजीशन है लेकिन ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आदरणीय विधायक, निवेदन है, समाप्त करें। (व्यवधान)...

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): बस दो मिनट में।

लेकिन, महोदय, राजस्थान में काम कैसे हो, इसमें 250 की आबादी को भी असेप्ट करते हुए आज 250 की आबादी को मेन रोड से जोड़ा जा रहा है। गांव और ढाणियों का विकास हकीकत में समृद्ध विकास और सम्पूर्ण विकास की एक कड़ी के रूप में काम करेगा। स्टेट वही उन्नति करेगा जिसमें ढाणी का विकास होगा। स्टेट वही उन्नति करेगा जिसमें जन कल्याणकारी नीति होते हुए बी.पी.एल. लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी जाएगी। स्टेट वही उन्नति कर पाएगा जिसमें शिक्षा के रूप में आप एम्प्लायमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन की तरफ ध्यान देंगे। आज टैक्निकल एजुकेशन के रूप में एम.बी.ए. से लेकर दूसरे जो टैक्निकल एजुकेशन के विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं, वे अपने आप में कारगर हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय विधायक, आपसे निवेदन है कि अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी जो नये विश्वविद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं, यह मुख्य मंत्री महोदय की एक पहल है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, महोदय, एक मिनट लूंगा, हो सकता है, आप और हम सब विपक्ष में भी बैठें, आप कहीं भी बैठें लेकिन हकीकत यह है कि मुख्य मंत्री महोदय की सादगी, सरलता और ईमानदारी के साथ सालभर के काम का अगर आकलन किया जाए तो कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई। ये चाहे कुछ भी बताएं चयन की बात, जातिवाद का जहर फैलाकर कोई ऐसा बड़ा विवाद नहीं हुआ, कोई समाज को समाज से लड़ाया नहीं गया। आम लोगों को सरलता और सहजता से आगे बढ़ाने के लिए गरीब लोगों को साथ लेकर काम किया गया।

श्री सभापति: माननीय विधायक, समाप्त करें। कृपया आप समाप्त करें।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): मैं बार-बार धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्री महोदय को और अभिभाषण को मैं पूर्णरूप से स्वीकार करता हुआ धन्यवाद देना चाहूंगा राज्यपाल महोदय को। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री अशोक परनामी। श्री अशोक परनामी।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मुझे 11 मिनट दिये हैं और इनको 18 मिनट दिये, इतना पक्षपात मत करिये। माननीय सभापति महोदय, मुझे 11 मिनट में बैठा दिया आपने जबरन और 18 मिनट दे दिये इनको। (व्यवधान)

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): पहली बार आये हैं। पहली बार आये हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): आदरणीय सभापति महोदय, आज हम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने 3 जनवरी, 2009 का अभिभाषण भी पढ़ा और 22 जनवरी, 2010 का अभिभाषण भी पढ़ा। दोनों अभिभाषण पढ़ने से मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि इसमें ज्यादातर जो स्कीम्स हैं, आदरणीय वसुन्धरा राजेजी की पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को पूरा किया जा रहा है। मैं सत्ता पक्ष को, सरकार को इसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं। परन्तु जो बाकी बची योजनाएं हैं, या तो उन योजनाओं पर काम शुरू नहीं हुआ या अभी उनकी नीतियां बन रही हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र भी पढ़ा जो विधान सभा चुनाव के दौरान आपने दिया था। उस घोषणा पत्र को भी उठाकर आप देख लें, उन पर या तो काम शुरू हुआ नहीं या अभी तक नीतियां बन रही हैं। अभी जब चर्चा हो रही थी तो मुझे तो यह आभास था, मैं यह सोचता था कि सत्ता पक्ष के लोग सदन में हमें जानकारी देंगे कि पिछले 13 महीने में कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान प्रदेश के लिये क्या काम किये- विकास के क्या काम किये, क्या योजना ये लेकर आये हैं? परन्तु मुझे इस बात का दु:ख है कि सत्ता पक्ष के जितने भी माननीय विधायकों ने अपनी बात को रखा, उन्होंने सिर्फ आलोचना की। एक बार भी अपने आंकड़े नहीं बताये कि राजस्थान प्रदेश को विकास की ओर किस प्रकार ले जाना चाहते हैं।

एक और बात मेरे सामने आई कि लोक सभा का चुनाव जीता, आपने निकाय का चुनाव जीता, आपने पंचायत राज चुनाव जीता। आपने यह बात

(श्री अशोक परनामी)

कही कि 13 महीने में जो हमने काम किये, उनको देखकर प्रदेश की जनता ने आपको जनादेश दिया। मैं आपको इस बात के लिये इंगित करना चाहता हूं, आपके नेताओं का भाषण उठाकर देख लीजिये, आपने निकाय के चुनाव, लोक सभा के चुनाव, पंचायतों के चुनाव कड़ी से कड़ी जोड़ने के नाम पर जीते हैं। आपने कहा, हम कड़ी से कड़ी जोड़ना चाहते हैं, आप हमें लोक सभा में जिताइये, केन्द्र में कांग्रेस की सरकार आएगी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, हम अच्छा काम कर पाएंगे। हमें निकाय के चुनाव जिताएं, प्रदेश में हमारी सरकार है, शहरों में विकास का अच्छा काम करेंगे। इसी प्रकार से पंचायतों में अच्छा काम करेंगे। राजस्थान प्रदेश की भोली-भाली जनता ने आपकी बातों में आकर आपको लोक सभा में जिता दिया, पंचायतों के चुनावों में भी जिता दिया और निकायों में भी जिता दिया।

मैं आपको यहां पर एक उदाहरण देना चाहता हूं, राजस्थान प्रदेश में पेयजल की भंयकर समस्या है और कहते हैं, वाटर वार भी होने जा रहा है। पूरा राजस्थान प्रदेश पानी के लिये त्राहि-त्राहि कर रहा है। पीने के लिये पानी नहीं है, किसानों की सिंचाई के लिये पानी नहीं है, मवेशियों के पीने के लिये पानी नहीं है। केन्द्र सरकार की एक योजना है जिसका नाम है राज्य ग्रामीण पेयजल योजना, इसको त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना के नाम से जाना जाता है और अब तो इसको राजीव गांधी ड्रिंकिंग मिशन के नाम से भी जाना जाता है। यह केन्द्र सरकार की योजना है, यह योजना 2004 में आई थी। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 2005-06 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हम 350 करोड़ रुपये की इस योजना को केन्द्र सरकार से लेकर आये, जबकि वहां पर कांग्रेस की सरकार थी। 2006-07 में हम 721 करोड़ की योजना यहां पर लेकर आये। 2007-08 में 872 करोड़ की योजना हम यहां पर लेकर आये और 2008-09 में 1014 करोड़ की योजना हम राजस्थान प्रदेश की जनता के लिये लेकर आये, मुझे इस बात का दु:ख है, आपको जानकारी देते हुए दु:ख हो रहा है, केन्द्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, मंत्री भी आपके आदरणीय सी.पी. जोशी साहब हैं, जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और इस मंत्रालय के मंत्री भी हैं, 2009-2010 में हम तो मानते थे कि 1014 करोड़ से बढ़कर 1500 करोड़ का बजट राजस्थान प्रदेश में लेकर आएंगे। परन्तु केवल मात्र 998 करोड़ का बजट केन्द्र सरकार ने स्वीकृत किया। अब मुझे इस बात की जानकारी नहीं कि

(श्री अशोक परनामी)

केन्द्र सरकार ने इस बजट में कटौती क्यों कर दी। यह तो आपके प्रदेश के मुख्य मंत्री बता सकते हैं या केन्द्र के मंत्री आदरणीय सी.पी. जोशी साहब बता सकते हैं। मुझे बताते हुए दु:ख है, जो कड़ी से कड़ी जोड़कर चुनाव जीतकर आये, राजस्थान प्रदेश की जनता को गुमराह करके आपने कड़ी से कड़ी जोड़ने का जो वादा किया, वह बजट 998 करोड़ से घटकर 470 करोड़ रुपये कर दिया गया। मैं सदन के माध्यम से, सभापति महोदय के माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्रीजी से यह सूचना चाहता हूं, जब वह अपना भाषण दें तो इस बात की जानकारी सदन को दें कि यह बजट किस प्रकार से कम हो गया। यह बजट क्यों कम हो गया? क्या राजस्थान प्रदेश में पेयजल की समस्या का समाधान हमने कर लिया? समाधन की बात आप करते हैं तो मैं आपकी जानकारी में यह भी दे देना चाहता हूं..(व्यवधान) मैंने 470 बोला है आपको। आप तो इसका जवाब दे दें कि 470 करोड़ हुआ या नहीं हुआ।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 340 करोड़।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): वह तो ठीक है। मैंने जो प्रश्न किया, उसका जवाब दे दो आप।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कल ही जारी किये हैं 340 करोड़।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ऐसा है, 998 करोड़ में से 340 जारी किये हैं। मार्च खत्म होने वाला है, बजट समाप्त होने वाला है। आदरणीय सभापति महोदय, राजस्थान प्रदेश में भीषण पेयजल की समस्या है। 222 शहर हैं, 222 शहरों में 58 शहर ऐसे हैं जिनमें राजस्थान की सरकार तीन दिन में एक बार आधा घंटे या एक घंटे पानी देती है, 18 शहर ऐसे हैं जिनमें तीन दिन में एक बार पानी की सप्लाई होती है और 9 शहर ऐसे हैं जिनमें चार दिन में एक बार पानी की सप्लाई होती है और 82 शहर ऐसे हैं जिनमें रोजाना आधे घंटे या एक घंटा पेयजल उपलब्ध है। फिर इस पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिये बजट क्यों कम हो गया?

सभापति महोदय, राजस्थान प्रदेश में पानी की 40 प्रतिशत छीजत हो रही है और यदि पूरे भारतवर्ष का आंकड़ा आप देख लें तो यह औसत 15 प्रतिशत आता है। आज यदि राजस्थान की सरकार इस छीजत को कम कर दे तो मैं समझता हूं, पानी की समस्या का काफी हद तक समाधान मिल जाएगा। हम कांग्रेस की सरकार को दूरदर्शी सरकार बताते हैं, आदरणीय मुख्य मंत्रीजी के कशीदे पढ़े जा रहे हैं, जो बजट दिया पिछली बार आपने, उसमें

(श्री अशोक परनामी)

ग्राउंडवाटर प्लान पर टोटल बजट का 80 प्रतिशत खर्चा बता दिया। नीचे जमीन का पानी तो वैसे ही कम हो रहा है, और भी कम होता जाएगा। एक ट्यूबवैल खोदते हैं और एक महीने बाद सूचना मिलती है कि उसमें पानी समाप्त हो गया। उसी को पुन: खोदते हैं और फर्जी बिल बनाते हैं। मैं आरोप लगा रहा हूं कांग्रेस की सरकार पर कि भ्रष्टाचार करने के लिये 80 प्रतिशत बजट इसमें दिया गया है। आज हमें जरूरत है सरफेस वाटर प्लान की, उस पर काम होना चाहिये। उस पर भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने काम किया है। (व्यवधान) अभी सुन तो लो, केकड़ी के विधायक महोदय।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सरफेस पर आपकी सरकार ने वाकई बहुत अच्छा काम किया था। सरफेस पर ही हुआ था सारा काम।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): अभी आप पर ही आ रहा हूं। थोड़ा सुन तो लीजिये आप। थोड़ा सुनने का माद्दा तो रखिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं। मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि सरफेस में आपकी सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): सभापति महोदय, मेरे दो मिनट बढ़ा देना। बीसलपुर परियोजना कांग्रेस की सरकार को लानी चाहिये थी, परन्तु कांग्रेस की सरकार जयपुर शहर की पानी की समस्या का समाधान नहीं करना चाहती थी। बीसलपुर की परियोजना लेकर आई तो वसुन्धराजी की सरकार लेकर आई। 1100 करोड़ रुपये की परियोजना को हम लेकर आये। हम पानी को जयपुर की धरती पर लेकर आ गये। पाइप लाइन का जाल बिछा दिया पूरे जयपुर शहर में। कांग्रेस की सरकार को केवल मात्र घर-घर तक पानी पहुंचाना था। तीन मार्च को आदरणीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोतजी ने मालवीय नगर में इसका उद्घाटन भी कर दिया और उद्घाटन करके जनता को इस बात के लिए आगाह कर दिया कि हम सितम्बर, 09 तक बीसलपुर का पानी जयपुर शहर के घर-घर तक पहुंचा देंगे। मुझे इस बात को कहते हुए दु:ख हो रहा है कि आज भी जयपुर शहर बीसलपुर के पानी से महरूम है। मैं सदन के माध्यम से यह बता देना चाहता हूं सरकार को, यदि बीसलपुर का पानी एक महीने के अन्दर-अन्दर जयपुर शहर की जनता को नहीं दिया गया तो जयपुर शहर में बहुत ही विषम स्थिति बन जाएगी, बहुत ही भयानक स्थिति बन

(श्री अशोक परनामी)

जाएगी। बीसलपुर के प्रति यह सरकार सावचेत नहीं है, बीसलपुर के प्रति यह सरकार संवेदनशील नहीं है। इस वर्ष 165 करोड़ रुपये का बजट बीसलपुर परियोजना के लिए रखा, 15 करोड़ रुपये का बजट और कम कर दिया। कम करने का कारण पता नहीं और अभी जनवरी तक केवल मात्र 75 करोड़ रुपया खर्च किया गया है, यह इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस की सरकार बीसलपुर का पानी जयपुर शहर में नहीं देना चाहती।

सभापति महोदय, हम लोकतंत्र और प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, मैं कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाता हूं कि न तो यह कांग्रेस सरकार प्रजातंत्र में विश्वास करती है और न लोकतंत्र में विश्वास करती है। मैं इस बात का आरोप ऐसे ही नहीं लगा रहा हूं, आपको मैं तथ्य देना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जयपुर शहर में नगर निगम के चुनाव हुए, चुनावों में जयपुर की जनता ने महापौर पद के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताकर भेजा। 77 पार्षदों में से 47 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आये, बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बना। पूरे म्यूनिसिपल कारपोरेशन को चलाने के लिए समितियों का गठन किया जाता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है, सभापति महोदय, बोलने दीजिए मुझको।

श्री सभापति: नहीं, आपको दो मिनट मिल गये हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): सभापति महोदय, समितियां बन जानी चाहिए 90 दिन के अन्दर....

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सभापति महोदय, उनका तो लम्बा-चौड़ा चिट्ठा है, वह पढ़कर बोल दिया सरकार की तरफ से। अब उसमें से कोई तो बात कहेंगे हम, उसके लिए अवसर ही नहीं है। आसन व्यवस्था को थोड़ा ठीक करे।

श्री सभापति: मेरे आदरणीय, वरिष्ठतम सदस्य हैं आप, आपका आदर और प्यार इस आसन के लिए दो बजे पहले जो रहता है, वही सहयोग आपसे अपेक्षित है, वह मुझे पूरा मिलता रहे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, बात मेरी समझ में नहीं आयी। आपने कहा कि ये लंच के बाद बदल जाते हैं जबकि व्यवहार बदलना चाहिए डिनर के बाद।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): सभापति महोदय, नगर निगम के एक्ट में इस बात का प्रावधान है, धारा 55(1), धारा 55(3) और धारा 55(4) के अन्तर्गत बोर्ड को अधिकृत किया गया है समितियां बनाने के लिए। कांग्रेस की सरकार की नाक के नीचे जयपुर राजधानी है, मुख्य मंत्रीजी यहां विराजते हैं, मंत्री यहां विराजते हैं परन्तु आज तक नगर निगम में समितियों का निर्माण कांग्रेस की सरकार ने नहीं करने दिया । एक्ट में इस बात का भी प्रावधान है कि 90 दिन के अन्दर अगर समितियों का गठन नहीं होगा तो समितियों का गठन राज्य सरकार करेगी। मुझे इसमें इस बात की बदबू आ रही है, राज्य सरकार चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड समितियां नहीं बना पाए और समितियों का गठन राज्य सरकार करे। अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक लाइन मैंने पढ़ी कि महापौर को शक्तियां देने जा रहे हैं । यह एक्ट हमने बनाया था, मैं उस बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमने 2008 में नया एक्ट बनाया था, उस एक्ट के तहत हमने 371 धाराएं दी थीं। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब पुन: कांग्रेस की सरकार ने पास किया तो इसमें से 28 धाराओं को विलोपित कर दिया और 28 धाराएं वही थीं जिसमें महापौर को हमने शक्तिशाली बनाया था। इस सरकार ने महापौर को बुद्धू बनाकर खड़ा कर दिया और इन 28 धाराओं को हटा दिया। इसके साथ-साथ हमने महापौर को और भी अधिकार दिए थे परन्तु इस कांग्रेस की सरकार ने आठ अधिकार ऐसे हैं, महापौर जिन पर हमने लिखा था उसमें से महापौर का नाम हटाकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर दिया। हम किसी बात को कैसे मान लें कि कांग्रेस की कथनी और करनी एक जैसी ही है? यह कांग्रेस न तो नगर निकायों को मजबूत होने देना चाहती है, न महापौर को शक्तिशाली बनाना चाहती है।

सभापति महोदय, यह कांग्रेस की सरकार रोजगार नहीं दे पाई, इसका उदाहरण मैं 23 फरवरी, 2010 के डेली न्यूज में खबर से देना चाहता हूं जिसमें लिखा था कि खाली पड़े एक लाख पद जो सरकार भर नहीं रही है। शिक्षकों के एक लाख 17,443 पद खाली हैं, परन्तु यह सरकार उन पदों को नहीं भर रही है।

श्री सभापति: माननीय विधायक, कृपया समाप्त करें।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): इसके अलावा आधा दर्जन ऐसे विभाग हैं जिनके बारे में अख़बार में लिखा है, मैं उसका बयान नहीं करना चाहता। उनमें भी 4 लाख 22 हजार पद स्वीकृत हैं जिनमें से एक लाख

(श्री अशोक परनामी)

7,644 पद खाली हैं। यह सरकार नौजवान विरोधी सरकार है, यह सरकार रोजगार नहीं देना चाहती है, यह सरकार युवा विरोधी है। आज हम कहते हैं कि राहुल गांधी युवाओं के मसीहा हैं, राहुल गांधी जब इस बात को पढ़ेंगे तो उनके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि राजस्थान की सरकार युवा विरोधी है, नौजवान विरोधी सरकार है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): आदरणीय सभापति महोदय, अब मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जब इसी सदन के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, तब इंगित किया था कि जो सदस्य नहीं हैं उनके बारे में कोई भाषण नहीं दिया जाए।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): मैंने कोई बुराई नहीं बोली है। मैंने राहुल गांधीजी की बुराई नहीं की, मैंने तो अच्छा ही बोला है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अच्छा बोलने के लिए हम लोग बैठे हैं, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं?

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): आप तो बोल नहीं रहे हो न । आप कर नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सदन में दो बातें हो सकती हैं क्या? माननीय उप नेता महोदय ने खुद इंगित किया है, फिर यहां दो बातें कैसे हो सकती हैं?

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): सभापति महोदय, यदि पिछले तेरह महीनों का सरकार का कार्यकाल देखेंगे तो कुल मिलाकर यह सरकार झूठी है, यह सरकार किसान विरोधी है, यह सरकार निकम्मी है, यह सरकार नौजवान विरोधी है, यह सरकार महिला विरोधी है, यह सरकार कानून विरोधी है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ...यह सरकार खण्डित जनादेश पर टिकी है, यह अलोकतांत्रिक है जिसने महामहिम राज्यपाल महोदय के मुखारविन्द से झूठ का पुलिन्दा इस सदन में पढ़वाया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। श्री नवल किशोरजी मीणा साहब।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): इसमें न तो कोई राज्य के विकास के लिए लिखा है, इसमें न कोई राज्य के विकास की दिशा है और न ही कोई दशा है।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें। अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्री नवल किशोर (बामनवास): सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय का राज्य सरकार के कार्यो के ऊपर जो अभिभाषण हुआ, उससे सहमत होते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि विपक्ष भी इससे सहमत है क्योंकि तेरह महीने तक हमारे विपक्ष ने सरकार के कार्यों के प्रति न तो कोई धरना दिया और न ही कोई प्रदर्शन किया। मैं यह मानता हूं कि यह आपकी मूक सहमति हमारी सरकार के साथ है। मैं बताना चाहता हूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अभी शहरों और गांवों में जो कांग्रेस की सरकार बनी है, उसमें जनता ने यह प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया है कि हमारी सरकार आम आदमी की सरकार है, जबावदेह सरकार है और संवेदनशील सरकार है। मुझे तीन-चार दिन से दुःख हो रहा था, सदन में मैं सुनता आ रहा हूं, मेरे को बहुत पीड़ा हुई। एक हमारे सीनियर सदस्य ने हमको नया सदस्य कहकर सम्बोधित किया, उससे मुझे पीड़ा हुई। एक मेरी आदिवासी महिला जब बोल रही थी तो हंस कर उसकी खिल्ली उड़ायी जा रही थी। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आदिवासी गरीब और किसान हो सकता है लेकिन भले ही सामने राजा-महाराजा हो, आदिवासी डरने वाला नहीं है। जब आदिवासी बोलेगा तो राजस्थान हिलेगा। तीसरा दर्द मेरा यह है, बार-बार राजीव गांधीजी का नाम लिया जा रहा है, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज देश 21वीं सदी में चल रहा है, 21वीं सदी में ले जाने वाला कौन है? राजीव गांधीजी, उन्होंने इस देश के लिए बलिदान किया। मैं तो आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि हमारे प्रतिपक्ष ने भी बहुत अच्छे काम किये, उनकी मैं सराहना करना चाहता हूं।

आपने काम किये, धर्मनिरपेक्ष देश में राम के नाम पर आपने वोट मांगे, बहुत अच्छे काम किये। आपने हमारे आदिवासी भाइयों को गुर्जरों से लड़वाया, बहुत अच्छा काम किया। आपने मीणाओं को गुर्जरों से लड़वा कर

(श्री नवल किशोर)

चोपड़ा कमेटी बनायी, बहुत अच्छा काम किया। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि गुर्जर और मीणा हम आपस में भाई हैं, हमारे भाई-चारे को आप कोई नहीं मिटा सकते। हम एक गांव में साथ-साथ रहते हैं, एक गांव में खेती करते हैं, एक थाली में हम खाना खाते हैं। एक मां ने हमको जनम दिया है और दूसरी मा ने हमको दूध पिलाया है, इसलिए हमारे प्रेम को आप नहीं तोड़ सकते। हमारे मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने गुर्जर-मीणा नेताओं को एक जगह बुलाया और हमारे गृह मंत्रीजी ने हमारे बीच में भाई-चारा पैदा किया, उसके लिए मैं आपका और हमारे मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभारी हूं। आप लोगों को मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे गुर्जर भाइयों के लिए जो आरक्षण दिया जा रहा है, उसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं। आज अख़बार में मैंने पढ़ा है, हमारी सरकार ने हाई कोर्ट में इसके समर्थन में पक्ष किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं गांव का, किसान का बेटा हूं, आपको यह दर्द हुआ कि 72 हजार करोड़ रुपये किसानों के माफ किये गये। पांच साल तक हमारे मुख्य मंत्रीजी ने बिजली की दर स्थायी की तो आपको दर्द हुआ। मैं यह कहना चाहूंगा, मैं सवाई माधोपुर का रहने वाला हूं, हमारे लिए आपने बहुत अच्छा किया। चम्बल पर हमारा हक है, बनास पर हमारा हक है, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने पालीघाट पर किसानों को पीने के पानी की व्यवस्था की, लेकिन उस समय यहां हमारी सरकार थी। बाद में सरकार ने उस योजना को निरस्त कर दिया, मैं उसकी निन्दा करता हूं। बीसलपुर का पानी है, बनास है, बनास पर हमारा अधिकार है। पूरा जिला हरा-भरा रहता था, उस पर बीसलपुर का बांध बना कर जयपुर, ब्यावर और अजमेर में पानी दिया जा रहा है। बार-बार हमारा विपक्ष यह कह रहा है कि बीसलपुर का पानी जयपुर को नहीं मिल रहा है, मैं भी हमारे मुख्य मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि आप गांवों को दीजिए उस पानी को, हमारे कई डैम सूखे पड़े हैं, हमारे किसान बहुत दुःखी हैं। उस पानी के लिए मैं हमारे मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, बार-बार मैं यह सुन रहा हूं कि नरेगा की आलोचना की जा रही है। हमारी नेता सोनिया गांधीजी की जो मंशा थी नरेगा की, उसका अर्थ अभी तक कोई समझा नहीं। नरेगा का हमारी नेता का जो आशय था वह यह है, एक आशय नकारात्मक था एक आशय सकारात्मक था। नकारात्मक आशय यही था, नरेगा का तात्पर्य यह है कि हमारी सरकार गांवों

(श्री नवल किशोर)

में इतना काम करा देगी, इतना विकास करा देगी, इतना रोजगार दे देगी, गरीबी को दूर कर देगी कि आगे किसी भी सरकार को काम करने के लिए कोई काम नहीं रहेगा। दूसरा सकारात्मक अर्थ यह है कि जो गरीब गांव से दिल्ली, जयपुर और मुम्बई काम करने जाते थे, वो गांव में ही हमेशा के लिए रहेंगे, वो हमेशा गांव में रह कर अपना रोजगार करेंगे, नरेगा का यही तात्पर्य है।

माननीय सभापति महोदय, नरेगा के लिए बार-बार कहा जा रहा है कि नरेगा में भ्रष्टाचार है। बिलकुल, मैं मानता हूं कि नरेगा में भ्रष्टाचार हुआ है लेकिन हमारी कांग्रेस सरकार ने जब यह योजना दी तो राजस्थान में यहां पर विपक्ष में बैठी भा.ज.पा. की सरकार थी और भा.ज.पा. सरकार की यह मंशा नहीं थी कि नरेगा का लाभ जनता को मिले। उस समय आपका जो भ्रष्टाचार का स्वर्ण काल रहा था, उस समय आपने हमारी इस योजना को भ्रष्टाचार में लिप्त किया, वो कैसे ? जहां 300 आदमियों की मस्टररोल हुआ करती थी, पांच लाख की मस्टर-रोल होती थी वहां जबरदस्ती आपके नेताओं ने, आपके कार्यकर्ताओं ने दस लाख की मस्टररोल ली और वो घर में बैठे रहे, जब मस्टररोल का भुगतान हुआ तो पांच लाख की मजदूरी जिन्होंने की है उनको 50 रुपया तो मिलना ही था।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी महिलाओं की बात है, आप कहते हैं 50 प्रतिशत आरक्षण। बिलकुल, मैं मानता हूं आपने 50 प्रतिशत आरक्षण कहा, मैं मानता हूं पांच प्रतिशत गुर्जरों को आरक्षण देने के लिए आपने कहा, 14 प्रतिशत स्वर्णों को आरक्षण देने के लिए आपने कहा। लेकिन आपने सिर्फ कहा और किया हमारे मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने। आप सिर्फ कहने में विश्वास करते हैं, कथनी में विश्वास करते हैं, हम करनी में विश्वास करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं गांव में रहता हूं, मुझे मालूम है कि गांव में जब महिला का प्रसव होता था तो चार-चार आदमी खाट पर लेकर आते थे। हमारे मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने 108 एम्बुलेंस सेवा चलायी, आज वे एम्बुलेंस गांव और ढाणियों में जा रही हैं और हमारी महिलाओं के लिए बहुत सुविधा हुई है।

माननीय सभापति महोदय, बार-बार महंगाई पर बात हुई कि कालाबाजारी हुई और जमाखोरी हुई, जब विपक्ष की सरकार ने न तो कोई स्टाक सीमा निश्चित की, न किसी बिक्री दर की अवधि को निश्चित किया।

(श्री नवल किशोर)

आज हमारे मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने स्टाक सीमा और बिक्री सीमा की अवधि को निश्चित कर महंगाई को कम किया।

माननीय सभापति महोदय, आखरी दुःख मेरा यह है, एक हमारी महिला ने एक स्लोगन पढ़ कर यह बताया, हमारा जो सम्मानजनक पद है राज्यपाल महोदय का, उनके लिए यह कहा कि उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने यहां पाप बोला। बिलकुल उन्होंने पाप नहीं बोला, लेकिन मैं पाप के लिए यह जरूर कहना चाहूंगा कि पाप से कोई वंचित नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, इसलिए वंचित नहीं है कि धरती के पाप छिपाने के लिए अम्बर होता है और मन के पाप छिपाने के लिए तन होता है। कब तक ये पाप छुपेंगे मेरे यारों, इसलिए हर अर्थी पर कफन होता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अंत में इस अभिभाषण का पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। राम-राम।

श्री सभापति: धन्यवाद। आदरणीय श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय सभापति महोदय, 13वीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र में राजस्थान की महामहिम राज्यपाल महोदया ने अपने अभिभाषण में कुछ वक्तव्य व्यक्त किये, सुना और पढ़ा भी। अनेक माननीय सदस्यों ने इस अभिभाषण के वाद-विवाद में भाग लिया लेकिन आज यहां पर सब के मन की बात को सुन कर लगा कि एक-दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाने के अलावा न तो गांव के किसान के बारे में हमारी चिंता है न गांव के गरीब के बारे में हम चिंता कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, अभी मेरे से पूर्व माननीय सदस्य ने अपनी बात रखी, वो बता रहे थे कि 108 एम्बुलेंस सेवा कांग्रेस की सरकार की देन है। मैं माननीय सदस्य की इस बात को नकरती हूं। जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यह इसी की देन है और उसी समय यह शुरू हो चुकी थी।

माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदया ने अपने वक्तव्य में कहा कि राज्य सरकार ने लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नये राजस्थान के निर्माण का संकल्प लिया। विगत एक वर्ष में सरकार ने राज्य की नीतियों और कार्यक्रमों का केन्द्र बिन्दु आम आदमी को बनाकर उसके उत्थान के लिए विशेष प्रयत्न किये जिनका सार्थक परिणाम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसके लिए सीधा-सीधा सा उदाहरण हमारे

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

पास है कि अगर नये राजस्थान का निर्माण करने के कुछ सार्थक परिणाम नजर आ रहे हैं तो ये हैं कि दाल अस्सी रुपये किलो हो गयी, शक्कर चालीस से पचास रुपये तक हो गयी।

आज सभी सदस्यों ने राजस्थान में नरेगा योजना चल रही है उसके बारे में अपने विचार रखे। हम लोग गांवों में घूमते हैं, यह कोई सुनी सुनाई बात या झूठी बात मैं नहीं बोलना चाहूंगी, मात्र जो गांवों में जाकर मैंने देखा है उसी बात को आज मैं यहां पर रखूंगी। माननीय पंचायत राज मंत्रीजी भी हमारे यहां विराजमान हैं, लगातार कोटा जिला परिषद की बैठकों में हमें साथ-साथ जाने का मौका मिलता है और अपनी बात को वहां पर पुरजोर तरीके से उठाने का मैंने प्रयास किया है। मैं नरेगा के बारे में बताना चाहूंगी कि अगर आज कहीं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार नजर आ रहा है तो वो नरेगा योजना में है। अभी दो दिन पूर्व ही मेरी खैराबाद पंचायत समिति से कुछ लोगों का फोन मेरे पास आया, विधायक महोदया त्यौहार आने वाला है, तीन-तीन मस्टररोल हो चुके हैं, अभी तक हमारा पेमेंट नहीं मिला। चुनाव से पूर्व भी गांवों में जाने का मौका मिला तब भी यही स्थिति थी। और तो और, बिना मेजरमेंट के मजदूरों का पेमेंट बन रहा है। दिन भर महिलाएं अपने बच्चों को छोड़कर जाती हैं, दिन भर मिट्टी खोदती हैं, इतना श्रम और परिश्रम करती हैं उसके बावजूद भी उनको 18 रुपये का पेमेंट नरेगा में मिल रहा है। मैं मानती हूं, यह मजदूरों का शोषण नरेगा के माध्यम से हो रहा है। हमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि यह नरेगा योजना वास्तव में मरेगा बनकर रह गयी है। इस नरेगा के माध्यम से जो भ्रष्टाचार राजस्थान में फैला है, मैं मानती हूं आने वाले समय में और ज्यादा फैलेगा, क्योंकि हमने वन विभाग के काम भी देखे, हमने पी डब्ल्यू डी के काम भी देखे, जो नरेगा के माध्यम से अभी हो रहे हैं, अनेकों काम देखने के बाद वास्तव में ऐसा लगा कि इसमें गरीब मजदूर का पूरा-पूरा शोषण किया जा रहा है।

अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि इस सरकार ने पीने के पानी की व्यवस्था करवा रखी है, मैं एक बात कहना चाहती हूं, गांव के गरीब व्यक्ति को पांच मूलभूत बातों की आवश्यकता होती है और पांच बातों के अलावा कोई दूसरी बात इस सरकार से वह व्यक्ति नहीं मांगता। उसे समय पर शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली और पानी चाहिए। मैं मानती

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

हूं, अगर पांच सुविधाएं उसे मिल जाती हैं तो किसी दूसरी व्यवस्था की बात वो नहीं करता।

आज सदन में सुनने को मिला कि पानी के लिए कोई आन्दोलन नहीं कर रहा, अगर माननीय सदस्य महोदय मेरे से इसके लिए कोई प्रूफ लेना चाहें तो हम बता देंगे कि हमने कोटा में पीने के पानी के लिए कितनी बार आन्दोलन किया, वह भी हजारों जनता के साथ। आज चम्बल के पानी को भीलवाड़ा ले जाने की पूरी तैयारी हो चुकी और रेल में भर-भर कर हम पानी पहुंचा रहे हैं, लेकिन जिस क्षेत्र से मैं बिलोग करती हूं, जिस क्षेत्र में मैं रहती हूं जो पंचायत की सीमा में पहले था और अब नया क्षेत्र नगर निगम की सीमा में आया है, उस क्षेत्र की यह स्थिति हो गयी कि उस क्षेत्र में पूरी पानी की टंकियां आज भी खाली पड़ी हुई हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस किताब में एक बात लिखी कि हम इतने-इतने हैण्ड पम्प लगा रहे हैं शहरी क्षेत्र में। लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि शहरी क्षेत्र में आपने हैण्ड पम्प भी लगाये, उनका दुरुस्तीकरण भी आप करा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे कोटा में दुर्दशा यह है कि अगर नगर निगम में उस हैण्ड पम्प को ठीक करने के लिए जाते हैं तो वहां से उन्हें यू आई टी भेजा जाता है और अगर यू आई टी में जाते हैं तो उन्हें नगर निगम में भेजा जाता है, ऐसी स्थिति हमारे पी एच ई डी की है।

एक बात और कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र में 175 करोड़ रुपये की पेयजल योजना स्वीकृत हुई थी और सारे गांवों में पानी भी पहुंच चुका था। लेकिन ऐसी ही एक और योजना हमारी थी बोराबास-अखेलगढ़ योजना, बोराबास-पदमपुरा योजना और अखेलगढ़-कथार योजना, उस योजना के टेंडर हो चुके थे लेकिन इस सरकार ने दुर्भावनावश उन टेंडरों को निरस्त कर दिया और आज उस क्षेत्र की यह दुर्दशा है कि जनवरी महीने से वहां पर टैंकर से पानी सप्लाई करके जनता को पिलाया जा रहा है।

चिकित्सा विभाग का इसमें दिया कि हम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का विकास एवं सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि मेरे रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र के हास्पिटल में आज भी मात्र स्टाफ की कमी से नवजात शिशुओं को होते ही कुत्ते उठाकर ले जाते हैं। यह

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

सबने देखा, अनेक अखबारों में छपा लेकिन उसके बावजूद कहीं भी हास्पिटल की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ।

हम एक बात बोल रहे हैं, राज्य सरकार ने कहा कि प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं महिला साक्षरता में वृद्धि के विशेष प्रयास किये हैं। राज्य में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अब तक 2,712 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आई टी सी परियोजना संचालित की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम शिक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी जो दुर्दशा आज शिक्षा विभाग की है, शायद ही किसी विभाग की होगी। आप सीधा-सीधा संस्कृत विभाग को लीजिए, पूरे राजस्थान में 4803 पद रिक्त हैं और 235 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें कोई एक टीचर भी नहीं है, जो शिक्षकविहीन हैं, ऐसी दशा संस्कृत विद्यालयों की है। मैं महाविद्यालयों के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगी।

श्री सभापति: माननीय विधायक महोदय, कृपया समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र का महाविद्यालय रामगंजमण्डी से नौ किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है, कांग्रेस के मंत्रीजी की मात्र एक छोटी-सी गलती की वजह से वहां के नौजवान भाइयों को, नौजवान छात्रों को इतनी बड़ी सज़ा कि नौ किलोमीटर की दूरी पर वह महाविद्यालय बना। उसके लिए न किसी प्रकार के वाहन की सुविधा। और तो और, सोलह पदों में से मात्र छह पद भरे हुए हैं, आप क्या महाविद्यालय की दशा सुधारने में लगे हुए हैं। हमने लगातार प्रयास किया कि वहां स्टाफ की वृद्धि की जाए, अनेकों बार मैंने लिखित में भी दिया लेकिन पूरा डेढ़ वर्ष होने के बावजूद भी एक भी नियुक्ति उस महाविद्यालय में नहीं दी गयी। माननीय पी एच ई डी मंत्रीजी से हमने कितनी ही बार कंटिजेंसी के हैण्ड पम्पों की मांग की और हमने धरना भी दिया विधान सभा में लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि कंटीजेंसी के हैण्ड पम्प जो विधायकों की राय पर दिए जाते हैं, वे

(समय : 18.00 बजे)

अन्य कार्यकर्ताओं के कहने पर दिये गये न कि मेरे कहने पर। मैं पूछना चाहती हूं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, अगर मंत्रीजी यहां बैठे हों तो मुझे बताएं, कि क्या आपने आपके कांग्रेस के विधायकों को ये हैण्ड पम्प नहीं दिये? लेकिन दुर्भावनावश मुझे भारतीय जनता पार्टी का होने के नाम पर इतना

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

बड़ा नुकसान मेरे विधान सभा क्षेत्र में दिया गया। हम महिलाएं हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय विधायक महोदया, अब कृपया समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): दो मिनट, दो मिनट में बोलकर अपनी बात को विराम दूंगी।

हम चाहते हैं कि गांव की जनता का सर्वांगीण विकास हो, गांव की जनता को मूलभूत सुविधाएं मिलें, इस तरह की दुर्भावना अगर हम रखेंगे तो नहीं मानती कि यह भारत जिसको विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं, वह दर्जा इस भारत को मिलेगा। यह कभी नहीं हो सकता। हम लगातार देखते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया। यह बात कहने में मुझे कोई दुःख नहीं है बहुत कुछ किया। हमने देखा शिक्षकों की भर्ती की, सब कुछ किया लेकिन शिक्षा विभाग से एक भी किसी भी शिक्षक को स्कूलों में नहीं लगाया गया। मैं फिर आपसे निवेदन कर रही हूं...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, कृपया समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): दो मिनट। सभापति महोदय, दो मिनट बोलने का मौका दिया है आपने, अपनी बात तो बोलने दीजिये।

मैं एक बात कहते हुए अपनी बात को विराम देना चाहूंगी, आज बिजली के बारे में हम देख रहे हैं कि किस तरह की दुर्दशा है। राजस्थान में बिजली की उत्पादन क्षमता बढ़ी है लेकिन उत्पादकता बढ़ने के बावजूद भी किसानों को समय पर बिजली नहीं मिली। जनवरी महीने में, दिसम्बर महीने में इतनी सर्दी के मौसम में किसानों ने रात को 3-3 बजे खेतों में जाकर अपनी फसल को पानी दिया। यह कौनसी सज़ा किसानों को दी गयी? जब बिजली उत्पन्न हो रही है तो क्यों नहीं उन्हें समय पर उचित बिजली मिली?

महामहिम राज्यपाल महोदया ने जो अभिभाषण यहां पर पढ़ा और व्यक्त किया, मैं उसकी घोर निन्दा करती हूं। इसी के साथ अपनी बात को विराम देती हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री संतोष कुमार सहारण।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): माननीय सभापतिजी, महामहिम राज्यपाल के 13वीं राजस्थान विधान सभा के चतुर्थ सत्र में दिये गये अभिभाषण पर हमारे केकड़ी के माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, कुछ व्यवस्थाएं कायम करें। सदन की मर्यादाएं टूट जाएंगी। जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों, सभापति और उनके बीच में कोई भी माननीय सदस्य जाता है, उसको नहीं जाना चाहिये। उनके पीछे से जाना चाहिये। यह नियम है। इसको आप जब तक बोलकर नहीं कहेंगे तब तक न तो आसन की परम्परा रहेगी और न सदन की रहेगी। ये कुछ बातें हैं उनका पालन करना चाहिये।

श्री सभापति: देखिये, जो परम्पराएं अधिकृत रूप से स्वीकार की हुई हैं, मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, उन परम्पराओं का सदन के अन्दर हर माननीय सदस्य पालन करें यह मेरी आपसे अपेक्षा है।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): हमारे केकड़ी के माननीय सदस्य द्वारा रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोकजी गहलोत की लोकप्रिय सरकार ने लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नये राजस्थान के निर्माण का संकल्प लिया है। बीते वर्ष राज्य सरकार ने राज्य की नीतियों और कार्यक्रमों का केन्द्र बिन्दु आम आदमी को बनाकर उसके उत्थान के लिये विशेष कोशिशें की हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारी लोक कल्याणकारी सरकार ने कृषकों के कल्याण, श्रमिकों की समृद्धि, गरीब व कमजोर वर्गों के आर्थिक व सामाजिक विकास के साथ-साथ मजबूत ढांचागत विकास की महती कार्य योजनाएं लागू की हैं। हमारी सरकार ने राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिये हर महकमे से जुडे हुए विकास कार्यों को पिछले वर्ष बखूबी करवाया है। समय-समय पर...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया व्यवधान नहीं बनाएं। कृपया।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): समस्त आंकड़े महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में बड़े खुलासे में अंकित हैं। राजस्थान में प्रथम बार कृषि नीति बनायी जा रही है। गांवों के लिये मास्टर प्लान बनाने का निर्णय लिया गया है। शहरों के सुनियोजित विकास के लिये प्रत्येक शहर का सिटी डवलपमेंट प्लान बनाने का निर्णय लिया गया है।

माननीय सभापतिजी, राज्य सरकार ने जल संरक्षण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये बूंद-बूंद सिंचाई, फव्वारा सिंचाई पद्धति का उपयोग करने वाले किसानों को प्राथमिकता के आधार पर कृषि कनेक्शन देने की

(श्री संतोष कुमार सहारण)

योजना प्रारम्भ की है। लोकप्रिय सरकार ने किसानों को दी जाने वाली बिजली की दरें अगले पांच वर्षो तक न बढ़ाने की महती घोषणा की है। सिंचाई सुविधा सुधारों को अपनाते हुए नहरों/खालों को पक्का कराने के लिये समुचित व्यवस्था की गयी है व की जा रही है। प्रदेश में मानसून की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा आभास हो रहा है कि आने वाले समय में सिंचाई के पानी की भारी कमी होने वाली है, ऐसे में होने वाली पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए मेरा एक सुझाव है ताकि कृषि के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के उत्पादों की कमी न हो। प्रदेश के किसानों को विश्वास में लेकर फ्लड इर्रिगेशन जो कि वर्षा की कमी के कारण सम्भव नहीं प्रतीत होता, ड्रिप, फव्वारा सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग के लिये डिग्गियों, सस्ती पावर सप्लाई व इन उपकरणों में अधिकतम सब्सिडी देकर प्रदेश के किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत व कायम रखने पर विचार करना चाहिये।

माननीय सभापतिजी, राज्य सरकार जन-जन तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है व विपरीत हालात में भी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने जा रही है। पीने के पानी की पाइप लाइन में अवैध कनेक्शन एक भारी समस्या है। विभाग इन पानी की चोरियों को रोक पाने में किसी सख्त कानून के अभाव में असमर्थ-सा नजर आता है। आपके माध्यम से मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि पी एच ई डी एक्ट बनाकर उसे प्रभावी रूप से लागू किया जावे ताकि टेल तक पीने का पानी पहुंच सके।

खुशी का विषय है कि लॉ एण्ड आर्डर की दृष्टि से स्थानीय निकायों के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुए, प्रदेश व खासकर मेरे विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर की बात कर रहा हूं जो कि पंजाब, हरियाणा व पाकिस्तान के बार्डर से लगता हुआ है। बीते वर्ष में हर तरफ शांतिपूर्ण वातावरण व भाईचारा बना हुआ है जबकि क्षेत्र की मंडी सादुलशहर पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय एशिया की स्मैक मंडी के रूप में विख्यात थी। ऐसा लेख इंडिया टुडे में भी आया था। उसमें स्मैक, पोस्त व अन्य नशों का व्यापार राजनीतिक वरदहस्त से खूब फलीभूत था। लोग जैसे सुबह-शाम पार्कों में घूमने आते हैं, उसी प्रकार आस-पास के शहरों के लोग स्मैक, पोस्त आदि के व्यसन को पूरा करने के लिये मंडी सादुलशहर आते थे व गलियों में पागल हुए कुत्तों की तरह दौड़ते थे। आम आदमी बहुत परेशान था। मुझे खुशी है कि

(श्री संतोष कुमार सहारण)

हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत के नेतृत्व में व गृह मंत्री शांति धारीवालजी की निगरानी में पुलिस द्वारा प्रदेश व खासकर मेरे इलाके में स्मैक, पोस्त जैसे व्यसनों पर रोक लगायी गयी है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय को तहे दिल से साधुवाद देता हूं। मैं पुनः हमारी सरकार को साधुवाद देता हूं कि प्रदेश के समग्र विकास में सभी को साथ लेकर चल रही है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को अपनी कुछ भावनाएं राजिया के एक दोहे के रूप में प्रेषित करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। गुरुजी अपने चेले से कहते है 'पान सड़े, घोड़ो अड़े, विद्या बिसर जाए, रोटी बले अंगार पर, किण बिद राजिया' ।

चेला उसका जवाब देता है गुरुजी 'बेरो नहीं'। जय हिन्द।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय सभापतिजी, माननीय सदस्य से पहले माननीय सदस्या ने संस्कृत के ऊपर कुछ आपत्तियां उठायी थीं, मैं उसके बारे में ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह काहे पर बोल रहे हैं ? यह काहे पर बोल रहे हैं? हमें पता तो लगे यह जो बोल रहे हैं। हम भी जानना चाहेंगे सदन की समस्याएं कि किस बात पर बहस ...(व्यवधान) इस बहस के ऊपर नयी बहस कहां से आ गयी ?

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): यह आपका ज्ञानवर्धन करने के लिये है।

श्री सभापति: कृपया आप बैठिये। मंत्री महोदय, बताना चाहेंगे आप किस बात पर बोलना चाह रहे हैं ?

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): राज्यपाल के अभिभाषण के पैरा 49 पर...(व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): इनको दे रही हूं। इनके विभाग ने उत्तर दिया है मेरे प्रश्न में...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): पैरा 49 में लिखा हुआ है, प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, आपको सब

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सदस्यों का उत्तर दिलाना पड़ेगा जो सवाल खड़े होंगे। यह क्या हुआ? यह कहां से टपक गए बीच में? यह क्या बात हुई? आप सबका जवाब दिलवाइए।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री सभापति: श्रीमती कमला मेघवालजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): ×××

श्री सभापति: यह व्यवस्था है कि इनका अंकित नहीं हो, कोई अंकित नहीं हुआ है। देखिए, मैंने बोल दिया है। माननीय सदस्य, मैंने बोल दिया है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): ×××

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकांताजी मेघवाल।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): कमसा मेघवाल। सभापति महोदय, कमसा मेघवाल।

श्री सभापति: नहीं। श्रीमती कमसा मेघवाल।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहती हूं कि 22 फरवरी को राजस्थान के महामहिम राज्यपाल द्वारा जो अभिभाषण पढ़वाया गया था, वह सरासर असत्य था और खोखला था। हमारे मारवाड़ी में कहावत है, थोथा चणा, बाजे घणा, इसकी पुरजोर जितनी आलोचना की जाए, उतनी कम है।

अभिभाषण के क्रम संख्या 2 पर महिला सशक्तिकरण की बात कही

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

जा रही है, बार-बार कही जा रही है कि महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया है। जबकि आप सबको मालूम है कि वसुन्धरा राजेजी सिंधिया के पिछले राज में ही महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दे दिया गया था। आप बार-बार असत्य बातें कह रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण देने का श्रेय पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी सिंधिया को जाता है क्योंकि उनके दिल में एक टीस थी कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। उनके मन में महिलाओं को आगे लाने का दर्द था, इसमें उनकी एक अहम भूमिका थी। अगर आप चाहते तो 45 साल, 50 साल से राजस्थान में कांग्रेस का राज रहा, पर आपने कभी महिलाओं को याद नहीं किया। अब आप महिलाओं का ढिंढोरा पीट रहे हैं। जब से यह सृष्टि रची है तब से महिला और पुरुष एक साथ इस धरती पर आए हैं, आपको महिलाओं की आज दिन तक याद क्यों नहीं आई? अब आप यह कह रहे हैं कि पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दे दिया, महिलाओं को सरपंच बना दिया, प्रधान बना दिया, जिला प्रमुख बना दिया। वे आज कुर्सियों पर तो बैठी हैं लेकिन घूंघट निकाल कर, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस पार्टी है क्योंकि महिलाओं को शिक्षा देने में, गांव की महिलाओं की शिक्षा के प्रति कभी सोचा ही नहीं गया कि बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। वसुन्धरा राजेजी सिंधिया की सोच थी कि अगर बच्ची ने दसवीं तक पढ़ लिया तो वह घर पर बैठ जाएगी। तो इसके लिए उन्होंने स्कूटी देने की व्यवस्था की, साइकिल देने की व्यवस्था की। जो बहन ढाणी से गांव तक पढ़ने के लिए आती है उसको साइकिल देने की व्यवस्था की। यह सोच माननीय वसुन्धरा राजेजी सिंधिया की थी।

अभी कहा गया कि 108 एम्बुलेंस कांग्रेस पार्टी ने चालू की है। आपको पता होना चाहिए कि 108 एम्बुलेंस तो खुली है, लेकिन जननी सुरक्षा योजना जो खुली थी, वह वसुन्धरा राजेजी सिंधिया ने महिलाओं की प्रसव पीड़ा को ध्यान में रख कर लागू की थी। आपको क्या पता, जाके पैर न फटी बिवाई बो क्या जाने पीर पराई? महिला मुख्य मंत्री बनते ही उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा और जननी सुरक्षा योजना लागू की।

राजीव गांधीजी के नाम से आप योजनाओं के नाम रख रहे हैं, स्वर्गीय राजीव गांधीजी देश के पूर्व प्रधान मंत्री रहे हैं, हम सब उनका मान और सम्मान करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप महिलाओं के हितैषी होते, आप बार-बार कहते हैं, देश में बलिदान किसने दिया, देश में

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

किसने क्या किया, मैं आपको बताना चाहती हूं कि देश की आजादी की लड़ाई में महिलाओं का बलिदान कभी कम नहीं रहा, रानी लक्ष्मी बाई योजना का आप नाम रखते। आपके मन में अगर महिलाओं की पीड़ा होती तो आप पन्नाधाय का नाम रखते, सावित्री बाई फुले का नाम रखते, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पत्नी रमा बाई के नाम पर रखते। लेकिन आपको तो सिर्फ दिल्ली में खुशी होनी चाहिए, दिल्ली नाराज नहीं होनी चाहिए, यह आपके मन में पीड़ा है, इसीलिए आपने यह सब किया है।

आप बार-बार कहते हैं कि गांवों के ग्रामीण भाई आगे आएं, गरीबों के लिए हम योजना बनाएं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं कि कैसा गांव का गरीब होता है, कैसी ढाणी होती है, आपने देखा है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में भुट्टों के खेतों में चलें तब आप दिन भर भूट निकालते रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि गांव और ग्रामीण कैसा होता है, भूट कैसा होता है, गांव का आपको पता नहीं है। 60 साल हो गये, कांग्रेस ने देश पर राज किया और अब भी आप कह रहे हैं कि गरीबी मिटाने के लिए हम योजनाएं बना रहे हैं। जितनी आप गरीबी को मिटाने की योजनाएं बना रहे हैं उतना ही गरीब नीचे डूबता जा रहा है। पता नहीं कौन ऊंचा जा रहा है और यह कांग्रेस का हाथ गरीब की गर्दन पर जकड़ा जा रहा है, यह पंजा गरीब को पकड़ रहा है बार-बार। क्योंकि गरीब कैसा होता है, यह आपको पता नहीं है। गांव की ढाणी में जाकर आप देखें, कहीं भी सड़क नहीं बनी है। आजादी के 60 साल में भी अगर सड़क नहीं बनी, देश 21वीं सदी में प्रवेश करने जा रहा है और आप गरीबी की बात कर रहे हो, कि गरीब आदमी को आगे आना चाहिए, कैसे गरीब आदमी आगे आएगा?

आपने एक साल पहले इसी विधान सभा में घोषणा की थी कि हर तहसील हैडक्वार्टर पर उप खण्ड कार्यालय खोला जाएगा, एक साल बीत गया, भोपालगढ़ तहसील जहां से मैं विधायक चुनकर आई हूं, अभी तक वहां पर उप खण्ड कार्यालय नहीं खोला गया है। आपने बिलकुल असत्य घोषणा की। और भोपालगढ़ में सिंचाई परियोजना का भी जिक्र किया गया, वह भी एकदम बंद पड़ी है। आपने बिलकुल असत्य बातें राज्यपाल से पढ़वाई हैं। बेरोजगारी मिटाने के लिए आप बार-बार कह रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की एक साल में आपने एक की भी भर्ती नहीं खोली है, सरकार खाली ढिंढोरा पीट रही है कि हम संवेदनशील हैं, पारदर्शी हैं लेकिन गांव की तरफ आपने देखा भी नहीं होगा।

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

नरेगा योजना का हम सब स्वागत करते हैं, इससे बिलकुल रोजगार मिलता है लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं कि कोई भी नरेगा वर्क पर आप किसी भी तालाब या नाड़ी पर गए होंगे, आप अपनी ईमानदारी से कह दें, पुरुष वहां बहुत कम काम करते हैं, नरेगा में सबसे ज्यादा महिलाएं काम करती हैं, आप कहीं भी चले जाएं। 100 प्रतिशत महिलाएं ही काम करती हैं, लेकिन उनको क्या मिला है एक साल के अन्दर? एक साल पहले उनको 100 रुपए मजदूरी मिलती थी, महिलाएं खुश थीं। घर पर जाती थीं तो सोचती थीं, 13 रुपए किलो शक्कर थी, दो-चार-पांच किलो शक्कर आ जाती और एक चाय की पूडी जो काला घोड़ा-लाल घोड़ा नाम से पीती हैं गांव के अंदर वह मिल जाती थी। आज स्थिति यह है कि गांवों के अन्दर जाते हैं तो महिलाएं पूछ रही हैं कि 100 दिन पूरे हो गए, पैसे नहीं मिल रहे हैं, क्या हुआ? मैंने कहा कि सी एम बदल गये, महिला मुख्य मंत्री नहीं रहीं जो महिलाओं की सोच करें, अब तो मुख्य मंत्री बदल गये हैं। सिर्फ 50-60 रुपए महिलाओं को मजदूरी मिल रही है। बहनों को भामाशाह योजना के तहत 100 दिन पूरे करने पर बेस या चुनरी दी जाती थी। हमारे एक साथी ने कहा था, 50 रुपए का बिलकुल कमजोर कपड़ा जिसको चुनरी या लूगड़ी कह दिया, मैंने यह जो ओढ़ रखा है वह 50 रुपए का है, लेकिन इससे महिला पूरी ढकी जाती है, पूरी उससे सुरक्षित रहती है, आपने वह क्यों बंद कर दी? आपको अगर इतना ही एतराज था तो आप इन्दिरा गांधीजी के नाम का बेस दे देते लेकिन महिलाओं को चुनरी और बेस जरूर दें।

हैण्ड पम्पों की जो बात कही, मेरे भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में एक पाइप भी, इतना भी पाइप नहीं लगा है कहीं भी पी एच ई डी से, कहीं भी ट्यूबवैल नहीं खुदा, कुछ भी नहीं किया फिर भी आप बार-बार कह रहे हैं कि गांवों का विकास होना चाहिए। आप किस गांव का विकास करना चाहते हैं, किस गरीब का भला करना चाहते हैं?

खाद्य मंत्रीजी से भी मेरा निवेदन है, जो यह आटा दे रहे हैं, आपने कभी नहीं देखा चूल्हे तक जाकर गरीब के घरों में कि कैसे उस आटे की रोटियां बनती हैं। उसमें इल्लियां, लट्टें और जो कहते हैं खापरिया, आपने नहीं देखा होगा, वह आटे के साथ में पिसा हुआ आता है, आज अपन सोचते हैं कि राजस्थान का बच्चा बुलंद होना चाहिए। अगर वह इतना कमजोर आटा खाता है तो उसका विकास कैसे होगा? कैसे यह राजस्थान विकसित होगा? उनको

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

इतना कमजोर आटा मिल रहा है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि उसकी जगह गेहूं दिया जाए और उस आटे को बन्द किया जाए जो बिलकुल खराब है।

मुख्य मंत्रीजी हरित राजस्थान की बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहती हूं कि हरित की जगह राजस्थान हैरत में पड़ गया है, इतना भयंकर अकाल पड़ा हुआ है और वह कह रहे हैं कि राजस्थान हरित होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, कैसे होगा? पानी पीने को नहीं मिल रहा है। अपन 60 साल के अन्दर गरीबी मिटा नहीं सके और अब कह रहे हैं, मैं आपको एक दोहा सुनाना चाहती हूं, ''बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से होय, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होय।'' आप चाहे कितने भी पौधे लगा लो, कुछ भी कर लो लेकिन जब ऋतु आएगी तभी फल होगा। आपने घोषणाएं कीं, हमारी कड़ी से कड़ी जोड़ दो, वार्ड पंच से लगा कर प्रधान मंत्री तक कड़ी जुड़ी हुई है। पांच साल में जब वसुंधराजी ने जब विकास किया था तब अशोकजी कह रहे थे, मुख्य मंत्री कह रहे थे कि केन्द्र में तो हमारी सरकार है तब राजस्थान में विकास हो रहा है। अब मैं आपको कहना चाहती हूं, मामारो ब्याव और मां पुसण हाली, अब भाणजा भूखा क्यों बैठा है? अब कहां कमी आ रही है? इस साल के अन्दर कुछ भी राजस्थान में विकास नहीं हो रहा है, अब राजस्थान की जनता चाहती है उस कड़ी को खोलो, उसकी चाबी को लगाओ और दिल्ली से पैसा लाकर राजस्थान का विकास करो। राजस्थान की जनता की कड़ी को आपने हथकड़ी में बदल लिया है। उस हथकड़ी को तोड़ो और राजस्थान का विकास करो। राजस्थान का आम गरीब आदमी चाहता है कि अब राजस्थान का विकास हो। आप समुद्र में रह कर भी प्यासे रह गये। अब केन्द्र में सरकार है, अब राजस्थान नहीं सुधरा तो कभी नहीं सुधर सकेगा।

बार-बार एससी, एसटी की बात कर रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहती हूं, भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने जब कानून लिखा था तो उसमें एससी, एसटी को आरक्षण दिया गया था लेकिन जब तक कांग्रेस का राज रहा वह आरक्षण लागू नहीं हुआ। पहली बार भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री बने और 33 परसेंट महिलाओं को, गरीबों को आरक्षण हुआ। उसमें मैं भी प्रधान बनी थी। यह भारतीय जनता पार्टी की देन है, कांग्रेस किसी तरह भी गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए विफल रही है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): मैं एक मिनट में मेरी बात को समाप्त कर रही हूं। सभी जगह विफल रही है। आपको ऐसी असत्य बातें कहने का कोई हक नहीं है। इस अभिभाषण का पुरजोर शब्दों में विरोध करते हुए जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद, श्री प्रदीप कुमार सिंह।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर केकड़ी से आने वाले विधायक महोदय द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया था, उसके समर्थन में निवेदन करना चाहता हूं।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर गहरी आस्था प्रकट करते हुए निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि राज्यपाल महोदय ने फर्माया कि राज्य सरकार संवेदनशील, पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है, यह एक वास्तविकता है और इसी का परिणाम है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जितने चुनाव हुए, उनमें अप्रत्याशित सफलता कांग्रेस को मिली है। यह राजस्थान की जनता ने अशोकजी गहलोत में जो विश्वास किया, उसी का प्रतिफल है। राज्य सरकार ने जनता के हित में जो काम किये हैं, उनको भी मैं गिनाना चाहूंगा। प्रतिपक्ष के लोग बार-बार कह रहे हैं कि यह सरकार विकास के कार्य करने में असफल रही है लेकिन ये सारी बातें मिथ्या साबित होंगी, आप मेरी बातों को सुनें।

राज्य सरकार ने जनहित के काम कृषकों के लिए जो किये हैं उनमें सबसे पहले घोषणा हुई थी, मेरे कई पूर्ववक्ता कह चुके हैं, कि विद्युत भार पांच साल में नहीं बढ़ाया जाएगा। कृषकों और श्रमिकों की चिंता हमारी सरकार ने की है, कृषि नीति हमारी सरकार बनाने जा रही है और स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिंचाई पद्धति पर सरकार का विशेष जोर है। इस चीज को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कृषि कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए भी पहल की है जो निश्चय ही किसान हित में सराहनीय बात है। सरकार किसानों, श्रमिकों, महिला सशक्तिकरण, युवा-युवतियों को शिक्षा एवं रोजगार के अवसर प्रदान करने को कृत संकल्प है। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अल्पसंख्यकों के उत्थान, रोजगार व शिक्षा हेतु भी सरकार ने गत बजट में बड़े प्रावधान किये थे। कल यहां पर एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए सरकार ने प्रयास नहीं किये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गत वर्ष के

(श्री प्रदीप कुमार सिंह)

बजट की प्रति को पढ़ कर देखें, उसमें कितने बड़े प्रावधान अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हमारे मुख्य मंत्रीजी ने किये हैं।

इसी तरह, मैं निवेदन करना चाहता हूं, वर्ष 2008-09 में राजस्थान को बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, यह अपने लिए एक सराहनीय बात है। पहली बार सरकार ने गांवों का मास्टर प्लान बनाने की बात सोची, उसी के साथ-साथ जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बना कर यहां पर दो महती योजनाएं लागू करने पर विचार चल रहा है जिसमें मैट्रो ट्रेन और मोनो ट्रेन शामिल हैं।

माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के सदस्य बार-बार असत्य आरोप लगा रहे थे कि सरकार जन हित के कार्य करने में असफल रही। मैं विद्युत के क्षेत्र में जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रयास किये हैं, उनको यहां बता देना आवश्यक समझता हूं। सर्वप्रथम तीन नये क्रिटिकल ताप बिजली घर-छबड़ा, सूरतगढ़ और बांसवाड़ा में स्थापित करने की स्वीकृति जारी कर दी गई है जिन पर 23,760 करोड़ रुपये व्यय होंगे। 232 केवीए के 4, 132 केवीए के 17 तथा 33 केवीए के 242 जीएसएस बनकर चालू हो गये हैं। रामगढ़, जैसलमेर के तृतीय चरण में 160 मेगावाट क्षमता का गैस आधारित तापीय विद्युत उत्पादन केन्द्र स्थापित करने तथा बांसवाड़ा में 1320 मेगावाट क्षमता की परियोजना की राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है। गुढा, पश्चिमी बीकानेर में 70 मेगावाट विद्युत उत्पादन इकाई की स्वीकृति सरकार ने प्राइवेट सैक्टर में प्रदान की है। इसके अतिरिक्त कई छोटी-मोटी योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। इन सब योजनाओं से प्रदेश में विद्युत आपूर्ति होने से विशेषकर किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और बिजली के संकट से जो प्रदेश गुजर रहा था, वह अपने पैरों पर खड़ा होने में सफल हो सकेगा। महोदय, 2 लाख 7 हजार 805 बीपीएल परिवारों को विद्युत कनेक्शन जारी किये गये हैं तथा 771 गांवों का विद्युतीकरण कर 82055 कुओं तथा 88 हरिजन बस्तियों को विद्युतीकृत किया गया है, यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है।

इसी के साथ-साथ सड़कों के क्षेत्र में भी सरकार ने महती प्रगति की है। गैर-जनजाति, गैर मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से 500 तक की आबादी वाले 617 गांवों को ग्रेवल सड़कों से जोड़ा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 433 किलोमीटर लम्बाई में सड़कों का निर्माण किया, 60 धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ा गया है। सड़क निधि के तहत 14 आरओबी, मेगा हाई-वे नाबार्ड योजना में 85

(श्री प्रदीप कुमार सिंह)

किलोमीटर सड़क बनी है। 12वें वित्त आयोग के तहत 764 किलोमीटर तथा नाबार्ड योजना में 1595 किलोमीटर लम्बी सड़कों का सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण किया गया है। प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत 5732 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण और उन्नयन किया गया है, यह अपने आप में एक कीर्तिमान है। राज्य योजनान्तर्गत 113 किलोमीटर लम्बाई में सीसी रोड का निर्माण कराया गया है। इसके साथ-साथ, राजस्थान में 239 पंचायतों को परिवहन सेवा से जोड़ने का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए।

जयपुर शहर में दूषित पानी को लेकर मजबूर थे, पिछली सरकार के समय में अथाह मौतें हुई। मेरे पूर्ववक्ता प्रतिपक्ष के लोग अभी बोल रहे थे, कहीं गन्दे पानी की बोतल लेकर आये थे लेकिन मैं कहता हूं कि हमारी सरकार ने, अशोक गहलोतजी की सरकार ने जयपुर में दूषित पानी से बचाने के लिए 15.75 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन बिछाकर 4648 नये कनेक्शन जारी कर दिये हैं। भीलवाड़ा में पेयजल हेतु कोटा से ट्रेन द्वारा पानी की व्यवस्था की जा रही है तथा स्थानीय समाधान हेतु चम्बल से पानी उपलब्ध कराने हेतु 102 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण योजना हाथ में ली गई है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़): वर्ष 2009-10 में 1062.31 करोड़ रुपये की लागत से 131 परियोजनाएं पूर्ण की जा रही हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गयी यह विश्व की सबसे बड़ी रोजगारोन्मुखी योजना है। इसमें 62 लाख 15 हजार परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। 41 करोड़ 87 लाख 14 हजार मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया गया है, यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। 221 करोड़ 34 लाख रुपये के 50659 नवीन आवासों का निर्माण इंदिरा आवास योजना के तहत किया गया है।

सभापति महोदय, बार-बार यह बात उठती है कि सरकार नाकारा है फिर इतने विकास के काम कैसे हुए, इसके लिए हमें विचार करना पड़ेगा। 249 पंचायत समितियों में एवं 9161 ग्राम पंचायतों में नरेगा के माध्यम से राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है उस पर क्रमश: 25 लाख 10 लाख रुपये व्यय होंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़): बिलकुल समाप्त कर रहा हूं।

माननीय अशोक गहलोतजी की सरकार ने किसानों की जमीनों को औने-पौने दामों पर बिकने से बचाया है, इसकी नीति निर्धारित की है। जबकि पिछली सरकार ने जयपुर के आसपास के किसानों की जमीन बेचकर उनको बर्बाद कर दिया था। इसलिए अशोक गहलोतजी की सरकार की जितनी तारीफ की जाए, वह कम है। आज प्रतिपक्ष जो सदन में अशोक गहलोत की सरकार की नीतियों का विरोध करता है, वह नेतृत्वविहीन प्रतिपक्ष है। उनका कोई नेता नहीं है, उन्हें किसी प्रकार का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इतनी ही बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय श्री कानसिंहजी कोटड़ी।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना): सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के अन्दर जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जो समग्र विकास को दर्शाया गया है, मैं उसके संबंध में मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आज हमारे किसानों का दुर्भाग्य है, माननीय अटल बिहारीजी का सपना सड़कों का पूरा हुआ, पर अगर नदी जोड़ने का सपना साकार हुआ होता तो आज मैं इस विधान सभा के अन्दर मेरे क्षेत्र की जो बात रख रहा हूं, यह रखने की आवश्यकता नहीं होगी।

सभापति महोदय, सिवाना बाड़मेर क्षेत्र का ग्रीनरी कहलाता था, लेकिन मेरे क्षेत्र के अन्दर लूणी और उसकी सहायक नदियां चलती हैं उनके कैचमेंट एरिया के अन्दर रोक होने के कारण नदियां बिलकुल सूख गयी हैं और जो दो फसली गांव हैं वे एक फसली होते जा रहे हैं। हम इसी बात के आधार पर इस विधान सभा के अन्दर पहुंचे हैं, यह हमारे क्षेत्र की प्रमुख समस्या है। माननीय सिंचाई मंत्रीजी विराजें हैं, अब समय आ गया है कि जिस तरीके से आप हमारी इन नदियों के बहाव को रोके जा रहे हैं, तो अब बांधों के अन्दर एक सीमा तय की जाए, उस सीमा के पश्चात् हमारी इन नदियों के अन्दर पानी आए ताकि किसान के जीवन में खुशहाली आए और आज जो हमारे क्षेत्र में विकट हालात हो रहे हैं, उनके अन्दर सुधार आए, इस प्रकार का निवेदन सरकार से और विशेष रूप से सिंचाई मंत्रीजी से करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर ये नदियां नहीं आने के कारण पानी की विकट

(श्री कानसिंह कोटड़ी)

समस्या उत्पन्न हो गयी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 365 करोड़ रुपये की उम्मेद सागर खंड पेयजल योजना हमारे क्षेत्र के लिए स्वीकृत की थी, आज वह मंथर गति से चल रही है, मात्र 14 करोड़ रुपये ही इस पेयजल योजना पर खर्च हुए हैं।

सभापति महोदय, मेरे साथी विधायक कल कह रहे थे कि यह योजना हमारे सिवाना और बालोतरा क्षेत्र के लिए बनी है और जो पोकरण फलसूंड की दूसरी योजना है वह मेरे क्षेत्र के लिए बनी है। उस पर तो काम ही नहीं हुआ है- तो मैं सरकार से और सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस योजना पर मंथर गति से काम हो रहा है उस पर तीव्रता लायी जाए। मेरे क्षेत्र के अन्दर 14 पंचायतें आती हैं जो फ्लोराइडयुक्त पानी पी रही हैं, खारा पानी पी रही हैं, उससे जनता को राहत मिलेगी यदि यह पेयजल योजना शीघ्र पूरी हो।

सभापति महोदय, तीसरा मेरा निवेदन यह है, हमारे मंत्रीजी विराजे हैं, कि आज बाड़मेर जिले के अन्दर 2179 गांव हैं, सारे गांव अकालग्रस्त हैं, जिनमें मेरा सिवाना क्षेत्र भी आता है। सिवाना विधान सभा क्षेत्र के सवा दो सौ गांव अकाल से प्रभावित हैं। भगवान तो रूठ ही गया है, राम रूठा परन्तु राज अभी तक रूठा, नहीं है, इसलिए सरकार से निवेदन है, आपने मात्र सात हजार लेबर स्वीकृत की है, मात्र 14300 की अनुग्रह सहायता जो प्रदान की है, अकाल की स्थिति को देखते हुए मजदूरों की सीमा बढ़ायी जाए।

सभापति महोदय, जो आपने टैंकरों की व्यवस्था की है, 10 लीटर प्रति व्यक्ति पानी आबंटित किया है जो माननीय वसुन्धरा राजेजी की सरकार के समय प्रति व्यक्ति 30 लीटर था, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि टैंकर के अन्दर प्रति व्यक्ति 30 लीटर की मात्रा बढ़ायी जाए ताकि हमारी जनता को उस खारे पानी से निजात मिले।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के अन्दर अभी जो चारा डिपो खुले हैं उनके अन्दर पर्याप्त चारा नहीं आ रहा है। चारा महंगा है, जबकि अकाल होने के कारण किसान की क्रय शक्ति में ह्रास हो चुका है, किसान चारा खरीदने में असमर्थ है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि चारे के अन्दर सब्सिडी बढ़ायी जाए ताकि किसान अपने मवेशियों को पाल सके। बाड़मेर जिले के अन्दर साढ़े 5 लाख पशु हैं, इन पशुओं की दृष्टि से हमारे यहां जो चारा डिपो की संख्या है, वह तत्काल बढ़ायी जाए ताकि हमारे पशुधन को हम बचा सकें।

(श्री कानसिंह कोटड़ी)

सभापति महोदय, माननीय वसुन्धरा राजेजी ने वर्ष 2004 के अन्दर फसल बीमा योजना लागू की थी, मैंने प्रश्नों के माध्यम से पूछा था कि 2007-08 के अन्दर सिवाना क्षेत्र के अन्दर बाजरी की फसली बीमा हमारे किसानों को प्राप्त नहीं हुआ। आज संपूर्ण क्षेत्र में खरीफ की फसल नहीं हो पायी है, सरकार स्वयं मानती है। आज बाड़मेर जिले के अन्दर मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है, पंचायत समिति सिवाना के अन्दर 129 गांव हैं, सिणधरी की भी मेरी पंचायत समिति में 10 पंचायत लगती हैं, करीब सवा 200 गांव अकालग्रस्त हैं। खरीफ की फसल चौपट होने के बाद में फसल बीमा के नाम पर किसानों को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार से और माननीय कृषि मंत्रीजी से निवेदन है कि जो अकाल प्रभावित किसान हैं, जिनकी खरीफ की फसल चौपट हो चुकी है, उन्हें फसल बीमा दिलाया जाए।

सभापति महोदय, माननीय परिवहन मंत्रीजी विराजे हैं, मेरे सिवाना विधान सभा के मात्र 12 गांवों में रोडवेज की बसें चल रही हैं। माननीय परिवहन मंत्रीजी से निवेदन है कि सिवाना जैसे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर बसों की संख्या बढ़ाएं। समदड़ी क्षेत्र जो बाड़मेर का अंतिम छोर है, वहां से जिले तक पहुंचने के लिए कोई रोडवेज की व्यवस्था नहीं है। जो रोडवेज की बसे हैं उनसे मेरे सिवाना क्षेत्र के मात्र 12 गांव ही लाभान्वित हैं, आपसे अनुरोध करूंगा कि सिवाना क्षेत्र के अन्दर रोडवेज की बसें शीघ्र शुरू करने की कृपा करें।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना): अंत में शिक्षा है, चिकित्सा है। शिक्षा के अन्दर मास्टरों की कमी है और चिकित्सा में डाक्टरों की कमी है। गत बजट के अंदर आपने सिवाना में एसडीओ कोर्ट की स्वीकृति प्रदान की थी, लेकिन वह कोर्ट अभी तक नहीं खुला है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोर्ट खुले। शिक्षा मंत्रीजी भी विराजे हैं, सिवाना जैसे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक भी कालेज नहीं है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना): सभापति महोदय, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे इस सिवाना क्षेत्र के अन्दर कालेज खुले। मैं इस अभिभाषण का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं, जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री जयदीप डूडी। मेरा निवेदन है कि वरिष्ठ सदस्य जरा परम्पराओं का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा।

श्री जयदीप (भादरा): माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं, आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पिछले 14 महीनों में जब से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आई है, बार-बार चुनाव हुए हैं। संसद के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव, सहकारिता के चुनाव और अभी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए हैं। बार-बार आचार संहिता लग गई थी, फिर भी कम समय में राजस्थान सरकार ने इन 13-14 महीनों में जो कुछ किया है, इसको गिनाने लगें तो मेरा सारा समय इसमें व्यतीत हो जाएगा। लेकिन कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा।

पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को। जब पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए, मैं मेरे इलाके की बात ही ज्यादा जानता हूं, मेरे तीन तरफ हरियाणा पड़ता है, आगे एक साइड में पंजाब पड़ता है, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव राजस्थान में और हमारे क्षेत्र में हुए हैं, इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमेशा चुनाव में हरियाणा के, और के असामाजिक तत्व आकर गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं, इस बार चुनाव में ऐसा कुछ नहीं हुआ, यह एक बहुत बड़ी बात है। इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मेरे क्षेत्र का सीधा-सा जिक्र किया गया है। सीएडी का काम, पिछले कई सालों से खालों का काम बंद पड़ा था, 95 करोड़ रुपये देकर क्षेत्र में खालों का निर्माण काफी तीव्र गति से हो रहा है। पक्के खालों से बहुत फायदा किसानों को होता है क्योंकि कच्चे खालों से काफी पानी सीपेज हो जाता है, पानी खेत तक पूरा पहुंचता नहीं, तीस प्रतिशत पानी रास्ते में ही रह जाता है। पक्के खालों का निर्माण होने से एरिया ज्यादा सिंचित होगा, ज्यादा सिंचित एरिया होने से फसल ज्यादा होगी और इससे किसानों एवं सरकार को फायदा होगा।

दूसरी बात इसमें ड्रिप इर्रिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम की बताई है, मैंने पिछले सत्र में भी इस बारे में निवेदन किया था, मैंने कहा था कि इसमें कुछ अनुदान बढ़ाया जाए, डिग्गी में अनुदान बढ़ाया जाए। तो माननीय मंत्री महोदय ही नहीं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस बात पर गौर करके डिग्गी पर भी अनुदान बढ़ाया है और फव्वारा सिस्टम पर भी अनुदान बढ़ाया है। यह एक और बहुत बड़ी बात है कि उस डिग्गी के कनेक्शन के लिए प्रायोरिटी राज्य सरकार ने निर्धारित की है कि सबसे पहले जो कनेक्शन

(श्री जयदीप)

मांगेंगे, उनको कनेक्शन दिया जाएगा। यह किसानों के हित के लिए बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से वातावरण असंतुलित हो रहा है, धीरे-धीरे पानी की कमी तो निश्चित रूप से आ रही है और पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए हमें इसके कुछ अल्टरनेटिव सोचने पड़ेंगे। फ्लड इर्रिगेशन पहला काम था, हमारे उस इलाके में पानी कम होने की वजह से कम जमीन सिंचित हो रही है और अब ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम से काफी एरिया कवर हो जाएगा। कम पानी जो आ रहा है उसकी पूर्ति हो जाएगी, फसलों की पैदा में कोई नुकसान नहीं होगा। यह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सरकार ने दिया है, यह बहुत बड़ी बात है।

जहां तक शराब की दुकानों की बात है, मैं जब यहां जयपुर में पढ़ता था और कालेज में संगरिया में पढ़ाता था तो मैंने देखा था कई साथियों को जो रात को 11-11, 12-12, 1-1 बजे तक मोटरसाइकिल पर नशे में घूमते थे, डोलते थे और ऐसी हालत होती थी कि एक्सीडेंट में दुर्घटना हो जाती थी, कैजुअल्टी हो जाती थी इस शराब की वजह से। रात को लड़कों का डोलना, रात को शराब पीकर एक्सीडेंट होकर मरना, यह कम हुआ है, राजस्थान सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है।

इसमें राजस्थान में एक ही राजकीय महाविद्यालय मिला है, वह हमारे हनुमानगढ़ जिले को राज्य सरकार ने दिया है उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं।

जहां तक कृषि का संबंध है, बरसात कम होने की वजह से कृषि की बुवाई कम हुई है और पानी भी नहर में कम आया है। क्योंकि जब बरसात होगी, बर्फ पिघलेगी, बर्फ पड़ेगी, डैम में पानी आएगा, तभी तो किसान के खेत में पानी आएगा। ऊपर मौसम की मार ऐसी हुई कि बरसात हुई नहीं। बरसात नहीं हुई...(व्यवधान) परिस्थिति नहीं हुई, बरसात हुई नहीं। सरसों की बिजाई पहले ही लोगों ने ज्यादा इसलिए की कि पानी कम मिलेगा। सरसों की फसल को तीन पानी मिला है। निश्चित रूप से कल माननीय सदस्य कह रहे थे कि एक पानी की गेहूं में तो आवश्यकता है लेकिन सरसों की कटाई कई जगह शुरू हो चुकी है और सरसों में तीन पानी पर्याप्त होता है। (व्यवधान) आगे की बात अलग है।

जहां तक पंचायती राज संस्थाओं का सवाल है, पंचायती राज मंत्री महोदय बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरपंच के पास विकास के लिए

(श्री जयदीप)

सीधा पैसा आ जाता है, गांव का विकास कराता है, लेकिन ब्लाक मैम्बर एक बीच में पंचायत समिति में प्रधान बनाने के लिए कर दिया, ब्लाक मैम्बर का प्रधान के लिए वोट डालने के बाद में कोई काम नहीं रहता है। फिर क्यों कोई चुनाव लड़े इसके लिए? इसलिए मैं पंचायती राज मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो नरेगा का सिस्टम है, नरेगा का जो काम है, ये जो आपने सहायक सचिव लगा रखे हैं, सहायक सचिव और नरेगा का काम आप पंचायत समिति सदस्यों को सौंप दें जिससे उनकी जिम्मेदारी बढ़ेगी और लोकतंत्र में उनका विश्वास भी ज्यादा मजबूत होगा। (व्यवधान) अब यह कोई इसमें नहीं है कि वो भ्रष्टाचार में शामिल हो जाएंगे। जांच करो उसकी, शिकायत करो उसकी। मेरे कहने का मतलब है कि यह मेरा सुझाव है, अगर इसमें हो सके तो आप इसको देखें।

पशुपालन की जहां तक बात है, मेरा निवेदन है कि दूध एक कम्प्लीट फूड है। आज हम स्कूल में पोषाहार दे रहे हैं, मेरा निवेदन है दूध की मात्रा को बढ़ावा दिया जाए। बढ़ावे में क्या दिक्कत आती है कि आपके चारा तो आ गया पर तूड़ी भट्टों पर चली गई। आज सारी ईंटें तूड़ी से बन रही हैं, तो एक तो इस पर रोक लगाई जाए तो सही रेट पर तूड़ी मिलेगी। आज 400 रुपये क्विंटल तूड़ी हो रखी है, 500 रुपये क्विंटल हो रखी है क्योंकि वह ईंट भट्टों पर चली गई। उस पर कम्प्लीट रोक लगाई जाए और जो लोग इस तरह का काम करते हैं उन पर मुकदमा दर्ज कराया जाए, पहली तो यह बात है। दूसरा मेरा इसमें सुझाव है कि हम लोग चारे पर स्प्रे करते हैं वह पशु के पेट में जाता है। पशुपालन मंत्री महोदय ने, राज्य सरकार ने हालांकि काफी कैम्प लगाये हैं, बहुत किसानों को लाभान्वित किया है लेकिन दिक्क्त कहां पर आती है कि जब भैंस और गाय ब्याणै के ऊपर होती है उस समय उनका सही तरीके से इलाज नहीं हो पाता। जिस तरह से हमने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एएनएम और जीएनएम गांव-गांव में एक-एक, दो-दो लगाई हैं, उसी तरीके से मेरा निवेदन है राज्य सरकार से कि गांवों में पशुओं के कम्पाउण्डर लगाये जाएं। इन दिनों ब्याने के वक्त में बहुत गाय-भैंसों की मौत हुई है, उसको रोकने के लिए इस तरह के कम्पाउण्डर लगाये जाएं जिससे दूध की मात्रा बढ़ेगी। दूध की मात्रा बढ़ेगी तो जो स्वास्थ्य के लिए आप इतने रुपये खर्च कर रहे हैं, वह बचेंगे। अगर दूध पैदा हो जाएगा, दूध ज्यादा हो जाएगा और जो पोषाहार हम स्कूल में दे रहे हैं वहां हम लोग एक गिलास दूध भी बच्चे को दे

(श्री जयदीप)

पाएंगे तो इससे बच्चा स्वस्थ होगा। दूसरी जगह ज्यादा दवाइयों पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो क्यों नहीं उसको पोष्टिक दूध ही दे दिया जाए? यह बहुत बढ़िया बात होगी, यह मेरा एक निजी सुझाव है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आपने यमुना का पानी भरतपुर लाने की बात कही है और 175 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। मेरा निवेदन है कि यमुना का पानी भरतपुर में लाने के साथ-साथ एक बहुत बड़ी स्कीम झुन्झुनूं के लिए भी बनी थी, उसमें चूरू के भी कुछ गांव थे जो हमारे लगते हुए हैं। इसमें जो सर्वे हुआ या जो भी आप इसमें कर रहे हैं, मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि भरतपुर के साथ-साथ झुंझुनूं और चूरू को भी इसमें जोड़ा जाए, उस पानी को वहां तक भी पहुंचाया जाए। सिंचाई नहीं होगी तो कम से कम पीने की व्यवस्था तो हो जाएगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री जयदीप (भादरा): मेरे यहां भादरा विधान सभा क्षेत्र में सिद्धमुख परियोजना चल रही है, इसमें पक्के खालों का निर्माण चल रहा है। 14 गांव सिद्धमुख से वंचित कर दिये गये, काट दिये गये। मेरा निवेदन है कि उन 14 गांवों को जोड़ने के लिए इस बजट में सर्वे का प्रावधान रख दिया जाए। अगर पानी उपलब्ध होगा तो राज्य सरकार सर्वे करवा ले, साहवा लिफ्ट से वे गांव जुड़ सकते हैं, यह मेरा निवेदन है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि मैंने जो सुझाव दिये हैं, उन पर आप गौर फर्माएंगे, यह बहुत बढ़िया अभिभाषण राज्यपाल महोदया से राज्य सरकार ने दिलवाया है, इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय सदस्य विट्ठल शंकर अवस्थीजी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपालजी ने जो अभिभाषण दिया और केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा, उस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। और जो धन्यवाद मांगा आपने, धन्यवाद लेने-देने की चीज है। (व्यवधान) सुन लो आप। हमारे गांव की एक घटना से मैं शुरुआत करता हूं। पिछली 15 अगस्त को हमारे स्कूल में कार्यक्रम था और एक बुजुर्ग ढोल बजाने के लिए आमंत्रित किया गया प्रिंसिपल के द्वारा। उसने कार्यक्रम में ढोल बजाया, प्रिंसिपल ने उसको बहुत बड़ा धन्यवाद दिया कि फतूला, आपने बहुत अच्छा ढोल बजाया, धन्यवाद। बुजुर्ग ढोल लेकर अपने घर गया। घर जाकर उनकी

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

पत्नी ने पूछा कि वह मेहनत से क्या लाया है? तो वह बोले कि मैं तो धन्यवाद लाया हूं। उसकी पत्नी ने कहा कि इस धन्यवाद को तो वापस प्रिंसिपल को देकर आओ और कुछ मेहनताना लेकर आओ, जिससे शाम को चूल्हा जले। सभापति महोदय, इन्होंने धन्यवाद मांगा है और उस बात के लिए मांगा है कि पिछले एक साल में इन्होंने क्या काम किये और आने वाले वर्ष में ये क्या काम करेंगे। मेरा निवेदन है, आगे तो जाने क्या करेंगे लेकिन पिछले एक साल में इन्होंने क्या किया है, इसका सच्चाई से लेखा-जोखा होना चाहिए। हजारों करोड़ रुपये का बजट पिछले वर्ष इन्होंने खर्च किया सरकारी खजाने से और आम आदमी की, गरीब की दुहाई देते-देते थक नहीं रहे तीन दिनों से, लेकिन वास्तव में हुआ क्या है? आम आदमी सुविधाओं में या शिक्षा में बढ़ा है या महंगाई से उसको मुक्ति मिली है या उसकी चिकित्सा व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है, इस पर पूरा विवेचन होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं भीलवाड़ा से आता हूं, मेरे यहां पर पिछले चार महीनों से पांच दिनों में एक बार पानी आता है। चार लाख की आबादी का शहर है, रोज लगभग चार करोड़ से पांच करोड़ लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है... (व्यवधान) आप सुनो, बिरलाजी से मत कहो, जिम्मेदार तो आप हो, उस जिले के मंत्री हो।

सभापति महोदय, उस शहर की हालत यह है कि वह भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। लगभग डेढ़-दो करोड़ लीटर पानी की आवश्यकता उद्योगों को पड़ती है लेकिन तीन महीने चिल्लाते-चिल्लाते हो गये, इन्होंने केवल एक ट्रेन तीन महीनों में चलाई है और उसमें केवल 14 लाख लीटर पानी आता है। एक झुनझुना थमाकर ये काम निकालना चाहते हैं, अपना टाइम पास करना चाहते हैं। पांच दिनों में आधा घंटा पानी आता है। प्रति व्यक्ति 100 लीटर पानी की मांग तो सरकार मानती है लेकिन पांच लीटर पानी भी प्रति व्यक्ति को नहीं दिया जा रहा है और ये धन्यवाद मांग रहे हैं।

सभापति महोदय, भीलवाड़ा में पिछले 13 महीनों में कानून-व्यवस्था की हालत आपके सामने बयान करता हूं। तीन बार साम्प्रदायिक तनाव की घटनाएं हुईं, वकील अमित का हत्याकांड हुआ, तीन पुलिस वालों पर मुकदमे दर्ज हुए। वे तीनों पुलिस वाले अभी तक फरार हैं। यह सरकार है, आज तक उन तीनों पुलिस वालों को नहीं पकड़ पाई है। कर्फ्यू लगा, तीन दिन भीलवाड़ा

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

शहर कर्फ्यू से ग्रसित रहा और सभापति महोदय, हद हो गई तब जब छोटी-सी बात पर पुलिस ने भयंकर लाठीचार्ज किया। होस्टलों में घुस-घुसकर छात्रों को मारा-पीटा गया और बस स्टैण्ड पर पकड़-पकड़कर निर्दोष लोगों को पीटा गया और उन पर झूठे मुकदमे लगाये गये उनकी हाई कोर्ट में जमानत हुई। मजबूरन मुझे चार दिन तक भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा तब जाकर घनश्यामजी तिवाड़ी भाई साहब के दखल के बाद कार्यवाही हुई है और यह सरकार धन्यवाद मांग रही है।

सभापति महोदय, पिछली सरकार के घोटालों की बहुत चर्चा करते हैं ये और यह कहते हैं कि पिछली सरकार घोटालों की सरकार थी। 14 महीने हो गये, अशोकजी गहलोत ने जब पहला भाषण दिया था, पिन ड्राप साइलेंस से सबने सुना था। हम सब नये-नये आये हुए लोग चिंतित थे कि सरकार में क्या इतने बड़े-बड़े घोटाले भी सरकारों में होते हैं। 14 महीनों में इन्होंने पूरे पहाड़ को खोद लिया और चुहिया भी नहीं निकाल सके आज तक। लेकिन, सभापति महोदय, इन्होंने क्या किया उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। भीलवाड़ा शहर के बीच में 52 बीघा जमीन है मेवाड़ मिल की, पिछले 25 वर्षों से वह मिल बन्द पड़ी थी। आनन-फानन में उसकी नीलामी निकाली गई और जो सरकार के उप शासन सचिव ने उसकी कीमत तय की 142 करोड़ 34 लाख 90 हजार 382 रुपये। राजस्थान के इतिहास में पहली बार सरकार की आंकी गई कीमत से भी 17 करोड़ कम पर बोली छोड़ी गई। 142 करोड़ रुपये की कीमत सरकार ने निकाली थी और 125 करोड़ रुपये किसी की मिलीभगत से यह जमीन बेची गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं आरोप लगाता हूं सरकार पर, बड़े-बड़े लोगों की इसमें मिलीभगत है। (व्यवधान) मैं नहीं कह रहा हूं। यह उप शासन सचिव का लैटर है और उन्होंने यह कहा है कि 15 मिनट में बोली को समाप्त किया गया। जब सरकार की चिट्ठी लेकर सरकारी अफसर गये आमेरिया साहब, तो उन्होंने 15 मिनट में बोली समाप्त कर दी। मैं तो दावा करता हूं कि आप चलो, पांच आदमियों की कमेटी बनाए यह सदन और इसकी निष्पक्ष रूप से जांच करें, अपने आप सब सामने आ जाएगा।

सभापति महोदय, शुद्ध के लिए युद्ध का एक साल से ढोल पीट रहे हैं कि शुद्ध के लिए युद्ध हमने बहुत जोरदार चलाया। आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि अगर आप चोरों को पकड़ने जाते हो, बेइमानों को पकड़ने जाते

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

हो, मिलावटखोरों को पकड़ने जाते हो तो एक महीने पहले उसके लिए ढोल बजाये जाते हैं कि हम तुमको पकड़ने आ रहे हैं, हम तुमको पकड़ने आ रहे हैं। आज तक एक भी पकड़े गये क्या? यहां पुलिस महकमे के आदमी बैठे हैं, चोरों को कभी यह कहकर पुलिस जाती है कि हम तुमको पकड़ने आ रहे हैं? तो क्या चोर पकड़ में आएंगे? केवल ईमानदार व्यापारियों को परेशान करने के लिए और इसमें इंस्पैक्टर राज को चलाने के लिए, उन लोगों की मंथली बांधने के लिए यह अभियान चलाया गया है। यह मेरा दावा है कि इसमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है और करोड़ों रुपयों का सरकारी खजाने का दुरुपयोग हुआ है इसमें।

सभापति महोदय, हरित राजस्थान, राजस्थान तो हरा-भरा जाने कब होगा, कुछ लोग जरूर हरे-भरे होते जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे माननीय मंत्रीजी बैठे हैं ये। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से दावा करता हूं, यह चलें मेरे साथ, भीलवाड़ा से लेकर ब्यावर तक 100 किलोमीटर का रूट है, इन्होंने बड़े-बड़े सीमेंट के खम्भे बनवाये, पट्टियां बनवाईं और पौधे लगवाये, प्रत्येक पौधे को पानी पिलाने का खर्चा अलग से दे रहे हैं, दस प्रतिशत पौधे भी अगर उनमें जीवित बता दें तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा। यह करोड़ों रुपये का घोटाला, सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया गया है पिछले पूरे वर्ष में। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

(समय : 19.00 बजे)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सुनिये साहब, सुनिये। (व्यवधान) प्रत्येक सदस्य ने नरेगा पर ढोल पीटे हैं। सब लोग मानते हैं यह योजना अच्छी थी, अच्छी योजना अच्छी नीति से बनाई गई थी। जिन लोगों ने भी यह योजना बनाई, हो सकता है उन लोगों के मन में बहुत सदभावना थी इस देश के गरीब के प्रति। लेकिन इन कांग्रेसी भाइयों ने इस पूरी योजना को वोट से जोड़ कर इसका सत्यानाश कर दिया। केवल चुनाव जीतने के लिए इस नरेगा का दुरूपयोग किया जा रहा है पिछले एक वर्ष से। राजस्थान में जब तक वसुंधरा की सरकार थी, पूरे देश में राजस्थान में अव्वल नाम था नरेगा को इम्प्लीमेंट करने में। जब से सी.पी.जोशी अपने केन्द्रीय मंत्री बने हैं उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि नरेगा के अंदर राजस्थान में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। भीलवाड़ा जिले में उन्होंने अपने स्तर पर जांच करवाई है और उसमें

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

सारी सच्चाई सामने आई है। (व्यवधान) इसी नरेगा से आये हो तो इसी नरेगा से मरोगे, यह श्राप देगी जनता आपको। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं फिर याद कराऊंगा, इसी सदन में माननीय प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय ने इस बात को इंगित किया था कि जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनको यहां पर नाम लेकर न बुलाया जाए। उनको लेकर, उनके बारे में चर्चा नहीं हो। इसी के साथ साथ...

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): वह हमारे सांसद हैं, सी.पी. जोशी केन्द्रीय मंत्री हैं नरेगा के। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): एक मिनट, आप सुन लें। पूर्व मुख्य मंत्री महोदया का नाम भी सम्मान के साथ लें। (व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, मैं इस पूरे सदन को विनम्र अनुरोध करूंगा, इस नरेगा पर अपने को सम्पूर्णता से विचार करना चाहिए। हजारों-हजार करोड़ रुपया जनता का इस नरेगा के नाम पर लग रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें अब, कृपया समाप्त करें।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अपनी आत्मा से पूछो, मैं पांच मिनट, तीन मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: नहीं-नहीं, तीन मिनट तो बहुत हैं, जल्दी समाप्त करें एक मिनट में।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): आज अभी सरपंचों के चुनाव निबटे हैं।

श्री सभापति: पहले मैं व्यवस्था दे दूं। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि परम्परा के बारे में पहले भी सवाल उठे हैं, तो जो भी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में टिप्पणी की गई है...

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सर, मैंने आलोचना नहीं की किसी की।

श्री सभापति: उसको एक्सपंज किया जाता है।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): केन्द्रीय मंत्री ने यह स्वीकार किया है, सर, कि नरेगा में भ्रष्टाचार है, यह उद्धरण दिया है मैंने। मैंने कोई आलोचना नहीं की है।

श्री सभापति: आप पहले अपना भाषण जारी रखिये, एक मिनट है आपका।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सर, आप बीच में टोकेंगे तो तीन मिनट तो आपको देने पड़ेंगे।

मेरा निवेदन है, नरेगा की सच्चाई यह है कि पूरे सौ दिन में सत्तर रुपये से ज्यादा औसत रेट नहीं पड़ती है और पूरे वर्ष का अगर रोजगार काउंट किया जाए तो लगभग सात हजार रुपये साल के एक व्यक्ति को मिलते है। साल का हो गया, वह सौ दिन का नहीं, सरकार की तरफ से पूरे वर्ष में सौ दिन दिया जाता है और प्रत्येक महीने का हिसाब लगाएं तो सात हजार का छह सौ रुपये प्रति माह पड़ता है और प्रति दिन का बीस रुपया उस व्यक्ति के हाथ में आता है, यह नरेगा की सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा हमको। हालात ये हैं, यह कह रहे हैं, हमने नरेगा चलाई, हमने नरेगा चलाई, हमने बहुत ऐसा काम कर दिया कि जिससे हमने जनता को और जग को जीत लिया है। जीत लिया एक बार तो, लेकिन इस देश का सत्यानाश यही नरेगा करेगी अगर आपने इसको चुनाव जीतने का माध्यम ही समझा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होगा, राष्ट्रीय चरित्र के साथ विश्वासघात होगा। आज फिर समय है, समय रहते अगर हमने इस नरेगा को पवित्र भाव से लागू किया तो हो सकता है यह नरेगा इस देश के लिए वरदान बने....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें अब।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): और अगर इसी नरेगा को हमने केवल जीतना है- राज तो आते-जाते रहेंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, इसको केवल चुनाव जीतने का अगर माध्यम माना गया तो इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप यह नरेगा होगी।

श्री सभापति: मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अब सदस्य को समाप्त ही करना है तो इस अभिभाषण का कठोर शब्दों में विरोध करते हुए मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। माननीय सदस्य भीलवाड़ा से जो चुन कर आते हैं, इन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है। मैं वहीं से मंत्री हूं, एक मिनट मेरे को बोलने की इजाजत चाहिए। (व्यवधान) इन्होंने कहा मेवाड़ मिल के लिए, मेवाड़ मिल आज से नहीं, बहुत बड़ी यूनिट जब भीलवाड़ा शुरू में छोटा था, तब से बनी। (व्यवधान) वर्षों तक इनकी सरकार रही, उससे पहले अशोक गहलोतजी की सरकार थी, हमेशा उसके मजदूरों का पैसा मांगते आ रहे थे और विरोध था। हाई कोर्ट के, कोर्ट के आदेश से...(व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): आप अपने विभाग के तो जवाब नहीं दे पाते...(व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): एक मिनट सुन लो। (व्यवधान) कोर्ट के आदेश से नीलामी हुई, सरकार ने सौ करोड़ कीमत रखी और एक सौ पच्चीस करोड़ रुपये आये। ये आये दिन साम्प्रदायिक दंगा भड़काते हैं, पुलिस का हमेशा, इनको पूछो...(व्यवधान) इनको पूछो, भीलवाड़ा के पानी की बात कर रहे हैं, इन्हीं की पार्टी के लोग इन्हीं का विरोध करते हैं एक तरफ कोटा में, दूसरी तरफ पानी की बात करते हैं। (व्यवधान) खुद का चालान हुआ, पुलिस में मुकदमा है, इनको पूछो, कितने मुकदमे दर्ज हुए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ऐसा लगता है, सारे घोटाले में कहीं...(व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): हाई कोर्ट के आदेश से हुई, सरकार के आदेश से नहीं हुई। कोर्ट के आदेश से नीलामी हुई। सरकार के आदेश से नीलामी नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): दस मिनट में आक्शन हो गया? दस मिनट में नीलामी खतम हो गई? दस मिनट में नीलामी खतम हो गई... (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): नहीं हुई।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):: कागज लेकर अधिकारी पहुंचा कि...

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): कटारियाजी, आप...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप नहीं बेचोगे और आपने दबाव देकर ....

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आप धरने पर बैठो न । आप धरने पर बैठो न। (व्यवधान) मैं आपकी कद्र करता हूं...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): कई प्रभावशाली लोग इसमें लगे हुए हैं, कई प्रभावशाली लोगों ने इसमें फायदा उठाया...(व्यवधान) दस मिनट में नीलामी कैसे खतम हो सकती है? दस मिनट में नीलामी कैसे खतम हो सकती है। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): बैठो, बैठो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): कैसे नीलामी दस मिनट में खतम हो सकती है? (व्यवधान)

श्री सभापति: आदरणीय पदमाराम मेघवालजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सरकार का नियम...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य पदमारामजी मेघवाल । (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सचिवालय से आदमी वहां पर पहुंचा...(व्यवधान) इतने से नीचे बोली नहीं छोड़ोगे..(व्यवधान) आपने दबाव देकर एक सौ पच्चीस करोड़ रुपये में एक सौ पचास करोड़ की सम्पत्ति... (व्यवधान)

श्री सभापति: आदरणीय कटारिया साहब, आदरणीय मंत्रीजी। (व्यवधान) आदरणीय मंत्रीजी को मैं कह रहा हूं, आदरणीय मंत्रीजी..(व्यवधान) कृपया शांति रखिये, कृपया शांति रखिये। (व्यवधान) पदमारामजी मेघवाल। आदरणीय सदस्य पदमाराम मेघवालजी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): नीलामी कोई दस मिनट में होती है, एक सौ पच्चीस करोड़ की नीलामी दस मिनट में। (व्यवधान)

श्री सभापति: आदरणीय मंत्रीजी। आसन पैरों पर है। आदरणीय मंत्रीजी। आदरणीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): चोर की दाढ़ी में कोई तिनका है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आदरणीय मंत्रीजी, आसन पैरों पर है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): दस मिनट में नीलामी नहीं होती है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है, शांति रखें। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री सभापति: पदमाराम मेघवाल। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है? (व्यवधान) यह कोई चोर की दाढ़ी में तिनका है।

श्री सभापति: कटारिया साहब...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): चोर की दाढ़ी में तिनका है। चोर की दाढ़ी में तिनका है, क्या बात कर रहे हैं। दस मिनट में नीलामी खतम हो जाती है? दस मिनट में इतनी बड़ी प्रापर्टी की नीलामी खतम हो जाएगी? अधिकारी रो रहा था, अधिकारी क्या करता...(व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आप धरने पर बैठो। (व्यवधान) कोर्ट के आदेश से नीलामी हुई है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): दबाव देकर नीलामी छुड़वा दी, अधिकारी यहां से जयपुर से गया, उसने ना कहा था, इस नीलामी में... (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आप धरने पर बैठिये। (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री सभापति: आदरणीय मंत्रीजी। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा, कृपया शांति बनाये रखें। पदमाराम मेघवाल ।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (राज्य मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क): ×××

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री सभापति: आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, कटारिया साहब। पदमारामजी मेघवाल। माननीय कटारिया साहब, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। (व्यवधान) आदरणीय मंत्रीजी, आदरणीय मंत्रीजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ×××

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ×××

श्री सभापति: आदरणीय मंत्रीजी, आदरणीय मंत्रीजी, मैं निवेदन कर रहा हूं, कृपया बैठें, कृपया बैठें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया शांति बनायें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

(सदन में पक्ष और प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर नारेबाजी)

श्री सभापति: The House is adjourned till tomorrow. ... (व्यवधान) The House is adjourned till tomorrow. सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.12 बजे शुक्रवार, दिनांक 26.02.10 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

पंचायत समिति रोहट (पाली) में सांसद एवं विधायक कोष से स्वीकृत अपूर्ण कार्य

41. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति रोहट, जिला पाली में सांसद एवं विधायक कोष से निर्मित होने वाले कौन-कौन से कार्य कितने-कितने समय में किन-किन कारणों से अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों के लम्बे समय से अपूर्ण रहने के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेवार हैं? क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(3) उक्त अपूर्ण कार्य अब कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) पंचायत समिति रोहट, जिला पाली में सांसद कोष से निर्मित होने वाले 1 कार्य पिछले 6 माह से एवं विधायक कोष से निर्मित होने वाले 1 कार्य पिछले 8 माह से संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं वार्ड पंच के आपसी विवाद के कारण अपूर्ण हैं तथा विधायक कोष का 1 कार्य भूमि विवाद के कारण अप्रारम्भ है। विवरण परिशिष्ट-1 पर अवलोकनीय है।

(2) उक्त कार्य अपूर्ण रहने के लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेवार नहीं हैं। उक्त विवाद को निपटाने हेतु संबंधित विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ अभियंता पंचांयत समिति रोहट द्वारा बार-बार प्रयास करने पर अब नवनिर्वाचित सरपंच एवं वार्ड पंचों द्वारा उक्त कार्य प्रारम्भ करने हेतु सहमत हो गये हैं।

(3) उक्त अपूर्ण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करवा दिये जायेंगे।

परिशिष्ट-1

अपूर्ण कार्यों का विवरण

योजना का नाम	अभिशंषा करने वाले सांसद/ विधायक	कार्य का नाम	स्वीकृति क्रमांक दिनांक	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	कार्य की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण रहने का कारण
सांसद कोष	श्री पुष्प जैन	सभा भवन शहीद गंगाराम समाधि के पास धोलेरियां शासन	2223/ 19-1-2008	431000	325000	प्लास्टर छत एवं फर्श का कार्य शेष	सरपंच एवं वार्ड पंचों में मुख्य द्वारा को लेकर विवाद के कारण 6 माह से कार्य बन्द है।
विधायक कोष	श्री ज्ञानचन्द पारख	सामुदायिक भवन आशापुरा मंदिर के पास गांव धोलेरियां जागिर ग्राम पंचायत धोलेरिया शासन	1936/ 5-10-2007	160000	105000	फर्श का कार्य शेष है	सरपंच एवं वार्ड पंचों में खारे पानी से निर्माण कार्य नहीं करवाने के लिए विवाद होने से कार्य 8 माह से बन्द पडा है।
विधायक कोष	श्री ज्ञानचन्द पारख	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य मेगवालों का बास ग्राम पंचायत खुण्डावास	5154/ 5-9-2008	200000	0		निर्माण कार्य स्थल को लेकर विवाद है।

अलवर जिले में जारी कृषि कनेक्शन

42. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत एक वर्ष में अलवर जिले में कितने कृषि कनेक्शन जारी किये गये हैं ? तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में अलवर जिले में ट्रांसफार्मर के बदले रिश्वत लेने के प्रकरण सामने आये हैं ? यदि हां, तो कितने ? उक्त प्रकरणों में अब तक क्या कार्यवाही अमल में लाई गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला अलवर में वर्तमान में कितने कृषि कनेक्शन के आवेदन लम्बित हैं तथा इनको सरकार द्वारा कब तक कनेक्शन जारी करने की योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में गत एक वर्ष में माह फरवरी 2009 से माह जनवरी 2010 तक कुल 8266 कृषि कनेक्शन जारी किये गये जिनका तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	तहसील का नाम	जारी किये गये कनेक्शनों की संख्या
1	अलवर	637
2	राजगढ़	550
3	लक्ष्मणगढ़	766
4	राजगढ़	601
5	तिजारा	681
6	किशनगढबास	588
7	कोटकासिम	644
8	बहरोड़	587
9	कठूमर	653
10	थानागाजी	385
11	बानसूर	1153
12	मुण्डावर	1021
कुल योग		**8266**

(ऊर्जा मंत्री)

(2) उक्त अवधि में अलवर जिले में वृत्त कार्यालय को ट्रांसफारमर के बदले रिश्वत लेने की कोई लिखित शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) अलवर जिले में दिनांक 31.1.2010 तक कुल 25109 कृषि कनेक्शन आवेदन लम्बित हैं।

विद्युत की उपलब्धता एवं भूजल स्तर को ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र लम्बित आवेदकों को चरणबद्ध तरीके से कनेक्शन देने की कार्यवाही की जावेगी ।

चौमूं तहसील (जयपुर) के चिकित्सालयों में महिला रोग विशेषज्ञ के पद का सृजन

43. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोविन्दगढ़ (जयपुर) में महिला रोग विशेषज्ञ का पद नहीं होने के उपरान्त भी 3-4 हजार प्रसव वार्षिक होते हैं ? क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोविन्दगढ़ (जयपुर) में महिला रोग विशेषज्ञ का पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में दिनांक 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक कितने प्रसव हुए ?

(3) क्या यह सही है कि चौमूं तहसील के ग्राम कालाडेरा, हस्तेड़ा, ईटावा भोपजी, खेजरोली एवं सामोद के चिकित्सालयों में भी महिला रोग विशेषज्ञ का पद सृजित नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार कालाडेरा, हस्तेड़ा, ईटावा भोपजी, खेजरोली एवं सामोद के चिकित्सालयों में महिला रोग विशेषज्ञ का पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोविन्दगढ़ (जयपुर) में गत 5 वर्षों की प्रसूति का औसत संख्या लगभग 682 वार्षिक रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोविन्दगढ़ (जयपुर) में 30 शैय्याएं स्वीकृत हैं। स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार 30 शैय्याओं वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कनिष्ठ रोग विशेषज्ञ (स्त्री रोग) का पद सृजित किये जाने का प्रावधान नहीं है, परन्तु

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत फर्स्ट रैफरल यूनिट के लिए सुदृढ़ीकरण (स्ट्रेन्थींग) किया जा रहा हैं, जिसमें संविदा पर महिला रोग विशेषज्ञ की अस्थाई नियुक्ति की प्रक्रिया विचाराधीन है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोविन्दगढ़ में 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक 949 प्रसव हुए हैं।

(3) जी हां। ग्राम कालाडेरा, हस्तेड़ा, ईटावा भोपजी, खेजरोली एवं सामोद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला रोग विशेषज्ञ का पद सृजित करने का प्रावधान नहीं है।

(4) जी नहीं। स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला रोग विशेषज्ञ का पद सृजित करने का प्रावधान नहीं है। इसलिए महिला रोग विशेषज्ञ का पद सृजित करवाया जाना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न संख्या-44

(स्थगित)

टोंक जिले में प्रवर्तन निरीक्षकों एवं कर्मचारियों के रिक्त पद

45. श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में मिल रही शिकायतों के निराकरण हेतु समयबद्ध तरीके से समय-समय पर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रवर्तन निरीक्षकों एवं अन्य स्टाफ की कमी के कारण कार्यवाही करने में समस्या रहती है? यदि हां, तो उक्त समस्या के निराकरण के लिये सरकार द्वारा क्या कोई कार्यवाही की जा रही है? स्वीकृत स्टाफ की श्रेणी एवं वर्गवार विवरण सहित रिक्त पदों के ब्यौरे सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विभागीय कार्यवाही के लिये पृथक से व्यवस्था नहीं होने तथा कर्मचारियों की कमी के कारण समय पर प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पाने के कारण ही टोंक जिले में पदस्थापित सर्वाधिक प्रकरणों में आरोपित प्रवर्तन निरीक्षकों के विरूद्ध कार्यवाही की जाने में शिथिलता बरती जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में मिल रही शिकायतों के निराकरण हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। खाद्य विभाग (मुख्यालय) पर इस हेतु सतर्कता प्रकोष्ठ गठित किया हुआ है, जिसके द्वारा जिला कलक्टर/जिला रसद अधिकारियों को शिकायत की जांच हेतु निर्देश दिये जाते हैं एवं शिकायत की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य विभाग मुख्यालय से जांच दल का गठन किया जाकर शिकायतों की समय-समय पर जांच कराई जाती है। शिकायतों के लिये मुख्यालय स्तर पर नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के तहत भी प्राप्त शिकायतों की जांच कराई जाती है। जिला रसद अधिकारियों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है तथा गम्भीर मामलों में निलम्बन/निरस्त तथा विभागीय कार्यवाही के तहत मुकदमे दर्ज कर निराकरण किये जाते हैं। इस हेतु जिला रसद अधिकारियों को भी विभाग द्वारा प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के लिये निर्देश प्रदान किये गये हैं। विभाग द्वारा दिनांक 02.9.2008, 14.11.2008, 28.1.2009, 07.7.2009, 20.7.2009, 06.8.2009 व 22.2.2010 को शीघ्र कार्यवाही संपादन के निर्देश जारी किये गये हैं, जिनकी प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्रवर्तन निरीक्षक/स्टाफ की कमी के कारण शीघ्र कार्यवाही करने में कठिनाई होती है। वर्तमान में विभाग के रिक्त पदों को भरने के लिये विभाग द्वारा कार्यवाही कर वित्त विभाग से वर्ष 2003-04 से वर्ष 2007-08 की अवधि के रिक्त 25 पद, वर्ष 2008-09 के रिक्त 30 पद एवं वर्ष 2009-10 के रिक्त 37 पद कुल 92 पदों को भरने की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। उक्त रिक्तियों को भरने के लिये नियमानुसार कार्मिक विभाग को सूचना प्रस्तुत की जा चुकी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग स्तर पर निरीक्षकों का चयन प्रक्रियाधीन है। उक्त रिक्तियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरा जा सकेगा। विभाग में स्वीकृत स्टाफ की श्रेणी एवं वर्गवार विवरण एवं रिक्त पदों का पृथक-पृथक ब्यौरा परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। प्रवर्तन निरीक्षकों के विरूद्ध शिकायत मिलने पर नियमानुसार जिला रसद अधिकारी/जिला कलक्टर तथा विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यवाही की जाती है। टोंक जिले में वर्तमान में पदस्थापित प्रवर्तन निरीक्षकों

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

के विरूद्व आरोपित होकर कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। इस संबंध में कोई शिथिलता नहीं बरती जाती है।

(प्रति/विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति धोद के मुख्यालय भवन निर्माण हेतु बजट आबंटन

46. श्री पेमाराम (धोद) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या सरकार पंचायत समिति धोद (सीकर) का स्वयं का मुख्यालय भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मुख्यालय भवन का निर्माण करने के लिये बजट का आबंटन कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों ?

(3) अब सरकार द्वारा उक्त पंचायत समिति का भवन निर्माण कब तक करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति भवन निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई हैं। (प्रति संलग्न)

(2) जी हां। भवन निर्माण हेतु दिनांक 31.03.2004 को राशि आबंटित की जा चुकी हैं।

(3) उक्त भवन का निर्माण कार्य दिनांक 31.03.2011 तक पूर्ण कर दिया जावेगा ।

राजस्थान-सरकार

कार्यालय जिला परिषद, सीकर

क्रमांक : एफ. () जिपसी/टी.एफ.सी./वि.स्वी./10/ दिनांक

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर की द्वारा प्राप्त राशि के अनुसार विकास अधिकारी पंचायत समिति द्वारा प्राप्त तकनीकी रिपोर्ट एवं विस्तृत तकमीना विवरण अनुसार कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है

क्र. सं.	कार्य का नाम	पंचायत समिति	प्रशासनिक स्वीकृत राशि लाखों में	तकनीकी स्वीकृति राशि लाखों में (क्रमांक दिनांक)	वित्तीय स्वीकृति राशि लाखों में			हस्तान्तरण योग्य राशि	कार्यकारी एजेन्सी
					श्रम	सामग्री	योग		
1.	पंचायत समिति धोद नवीन भवन का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) सीकर	धोद (सीकर)	5.00	185/18.02.2010 5.00 लाख	1.00	4.00	5.00	T2-167/31.03.2004 5.00 Lak पूर्व में हस्तान्तरित की जा चुकी है।	पं. समिति धोद
	योग-		**5.00**	**5.00**	**1.00**	**4.00**	**5.00**	**0**	

शर्तें :-

1. कार्य ठेके पर निष्पादित नहीं किये जा सकेंगे।
2. नियोजित किये जाने वाले श्रमिक बीपीएल चयनित अनुसूचित जाति/ जनजाति तथा महिलाओं को प्राथमिकता दी जावेगी।
3. योजना की जारी मार्ग निर्देशिका एवं ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुसार कार्य होगा। (श्रम सामग्री) ग्रामीण कार्य निर्देशिका अनुसार देय होगी।
4. स्वीकृत राशि से अधिक व्यय राशि अनुमत नहीं होगा।
5. कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र मय फोटो जी.के.एन. अनुसार उपलब्ध करवाने के पश्चात की राशि का समायोजन किया जायेगा।
6. कार्य 31.03.2011 तक पूर्ण कराया जावेगा।

ह.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिला परिषद, सीकर

दिनांक : 18.2.10

विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु नए पावर प्लांट की स्थापना

47. श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में बिजली की आपूर्ति कम उत्पादन के अभाव में बाधित हो रही है ? यदि हां, तो सरकार राज्य में नए पावर प्लांट किन-किन स्थानों पर लगाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में गत 2 वर्षों में कितनी मेगावट बिजली का उत्पादन कहां-कहां हो रहा है व कितनी मेगावट बिजली की आपूर्ति की कमी रह रही है? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गत दो वर्षों में अन्य राज्यों से बिजली खरीदी गई है? यदि हां, तो कौन-कौन से राज्यों से कितनी दर पर ? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान सरकार ने राज्य में विद्युत उपलब्धता की कमी को देखते हुये कुल 2890 मेगावट क्षमता की तीन विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति उत्पादन निगम को प्रदान की है। यह परियोजनायें क्रमश: 2×125 मेगावाट गिरल इकाई 3 व 4, 2×660 मेगावट छबड़ा इकाई 5 व 6, तथा 2×660 मेगावट सूरतगढ़ इकाई 7 व 8, वर्ष 2013-2014 से विद्युत उत्पादन संभावित है। इन परियोजनाओं का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

निरन्तर बढ़ती हुई विद्युत मांग को देखते हुये बारहवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार द्वारा अग्रिम कार्यवाही करते हुये कुल 4780 मेगावट क्षमता की राज्य क्षेत्र में स्थापित होने वाली कोयला/गैस आधारित निम्न छह नई विद्युत परियोजनाओं की सैद्वान्तिक अनुमति प्रदान की गई है-

सूरतगढ़ इकाई - 9 व 10 - 2×660 मेगावाट

रामगढ़ विस्तार चरण - IV - (50+110) मेगावाट

कालीसिंध इकाई - 3 व 4 - 2×660मेगावाट

धौलपुर विस्तार चरण - II - 3×110 मेगावाट

केशोरायपाटन गैस 3×110 मेगावाट

(प्रस्तावित निजी क्षेत्र में)

बासंवाड़ा परियोजना - 2×660 मेगावाट

(ऊर्जा मंत्री)

(2) उत्पादन निगम द्वारा राज्य क्षेत्र में स्थापित विद्युत संयंत्रों से गत दो वर्षों में मेगावाट बिजली उत्पादन का विवरण निम्न प्रकार है-

1. वर्ष 2007-08 3027.35 मेगावाट

2. वर्ष 2008-09 3152.35 मेगावाट

विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'ख' पर उपलब्ध है।

(3) जी हां, गत दो वर्षों में अन्य राज्यों से खरीदी गई बिजली एवं दर का माहवार विवरण परिशिष्ट 'ग' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रतापनगर (सांगानेर) में स्पाट बिलिंग में अनियमितताएं

48. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि स्पाट बिलिंग से उपभोक्ताओं को विद्युत उपभोग से अधिक राशि के बिल दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रताप नगर सांगानेर में स्पाट बिलिंग में गड़बड़ होने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो कितनी ?

(3) क्या सरकार स्पॉट बिलिंग की गड़बड़ियों को सुधारने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक किस प्रकार व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। स्पाट बिलिंग में उपभोक्ताओं को विद्युत उपभोग से अधिक राशि के बिल नहीं दिये जा रहे हैं। स्पाट बिलिंग में उपभोक्ता के समक्ष ही मीटर रीडिंग लेकर ही बिल जारी किये जाते हैं।

(2) जी हां। प्रताप नगर सांगानेर में 4 शिकायतें स्पाट बिलिंग संबंधी प्राप्त हुई थीं। जो मूलत: स्पाट बिलिंग मशीन खराबी के कारण थी। उनकी जांच करा ली गई थी एवं उनका निराकरण कर दिया गया है।

(3) जी हां। स्पाट बिलिंग व्यवस्था एक नई प्रणाली है व पुरानी प्रणाली से नई प्रणाली अपनाने की प्रक्रिया में प्रारम्भिक दौर में कुछ गलतियां हो रही हैं, जिन्हें नियंत्रण में लाया जा रहा है। नियंत्रण प्रक्रिया में निरन्तर सुधार आ रहा है।

बाड़मेर जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु सर्वे

49. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विद्युत से वंचित ढाणियों एवं बस्तियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युतीकृत किये जाने हेतु सर्वे किया जा रहा है ? यदि हां, तो बाड़मेर जिले में सर्वे का कार्य किस संस्था द्वारा किया जा रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि स्थानीय विद्युत विभाग के अधिकारियों की मोनिटरिंग उक्त सर्वेकर्ताओं के ऊपर नहीं है? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार सर्वे के कार्य को स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच, संबंधित विधायक एवं क्षेत्रीय सहायक अभियन्ता से अनुमोदित करने के पश्चात् ही अन्तिम रूप देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कैसे एवं कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रधानमंत्री ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के नाम से कोई योजना प्रचलन में नहीं है तथापि राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं पर कार्य चालू है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण में योजना 100 से अधिक आबादी वाली अविद्युतीकृत ढाणियों का विद्युतीकरण करना प्रस्तावित है। बाड़मेर जिले की स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की क्रियान्विति पीजीसीआईएल (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा की जा रही है। बाड़मेर जिले में उक्त सर्वे कार्य केन्द्र सरकार की नवरतन कम्पनी पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्यिा लि. के अधीन मै. ज्योति व आरपीजी लि. कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। फर्म द्वारा सर्वे का कार्य आर.ई.सी. के मापदण्डों के अनुसार किया जा रहा है एवं सर्वे कार्य पर विद्युत विभाग के अधिकारियों की मॉनिटरिंग रहती है।

(3) सर्वे कार्य को सहायक अभियन्ताओं द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इस कार्य के अनुमोदन हेतु सरपंच एवं विधायक को शामिल करने का वर्तमान में प्रावधान नहीं है।

फुलेरा में नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु फीडरों की स्थापना

50. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री निर्मल कुमावत)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 11 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन फीडर स्थापित कर विद्युत आपूर्ति हेतु वर्ष 2009-10 के बजट में प्रावधान रखा गया था?

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्ष 2009-10 में ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु 11 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन के कितने फीडर स्थापित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 11 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन के फीडर स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्ष 2009-10 में ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु कोई 11 के.वी. फीडर स्थापित नहीं किया गया है।

(3) जयपुर डिस्कॉम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पूर्व में ही फीडर रिनोवेशन का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका था, जिससे नियमित विद्युत आपूर्ति की जा रही है तथापि ग्राम पंचायत विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पंचायत के लिए अलग 11 केवी फीडर जो उस पंचायत के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों को विद्युत आपूर्ति करेगा, बनाना प्रस्तावित है एवं यह योजना 3 वर्षों में पूर्ण की जावेगी।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर शहर स्थित नवनिर्मित भवनों का उपयोग

44. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या सम्पदा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में ऐसे सरकारी भवन बने हुये हैं जिसका अब तक कोई उपयोग नहीं किया गया है? यदि हां, तो उक्त भवनों का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? गत पांच वर्षों में बने ऐसे भवनों का विवरण लागत राशि सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अब उक्त भवनों का उपयोग करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस भवन का किस-किस उद्देश्य के लिये व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार भवनों को उपयोग में लिया जायेगा।

परिशिष्ट 'क'

क्र. सं.	भवन का नाम	निर्माण पूर्ण वर्ष	निर्माण राशि लागत (लाखों में)	उद्देश्य
1	आई.टी. भवन	2009-10	548.00	स्टेट डाटा सेन्टर के रूप में उपयोग ।
2	मानस आरोग्य सदन	2008-09	2600.00	अस्पताल के रूप में उपयोग
3	रेडियोलोजी डिपार्टमेन्ट, टी.बी. क्लिनिक एण्ड कोटेज वार्ड	2008-09	126.74	जयपुरिया अस्पताल के विस्तार के रूप में उपयोग।
4	32 क्वार्टरों का निर्माण (विधान सभा के लिए)	2008-09	132.56	विधानसभा को क्वार्टर उपलब्ध हो सकेंगे।

जयपुर जिले में सीलिंग अधिनियम के तहत विचाराधीन प्रकरण

45. श्री बहादुर सिंह (वैर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला जयपुर के विभिन्न उप खण्डों में सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत कितने-कितने किस-किस प्रकृति के प्रकरण विचारधीन हैं? सूची क्र.सं./तहसील/उप खण्ड/भू-स्वामी का नाम/काश्तकार का नाम/रकबा/खसरा नं./वर्तमान स्थिति सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला जयपुर के उप खण्डों में सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत कुल 13 प्रकरण विचाराधीन हैं। प्रकरणों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उप तहसील रैणी (अलवर) का क्रमोन्नयन

46. श्री सूरजभान (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ की ''उप तहसील रैणी'' (अलवर) को ''तहसील'' का दर्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। भारत की जनगणना-2011 के संदर्भ में भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त ने यह निर्देशित किया है कि दिनांक 1.1.2010 से दिनांक 31.3.2011 की अवधि में प्रशासनिक इकाइयों (जिले, तहसील, ग्राम आदि) की सीमाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाये। अत: वर्तमान में कोई नई तहसील गठित नहीं की जा सकती है।

प्रदेश में किसान आयोग द्वारा सम्पादित कार्य

47. श्री अमराराम (धोद) एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में किसान आयोग का गठन किया गया है? यदि हां, तो कब? गठन के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) किसान आयोग के गठन से अब तक आयोग द्वारा क्या-क्या कार्य किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 8(4)कृषि-1/एम.सी/2005 दिनांक 27.2.2009 द्वारा किसान आयोग का गठन कर दिया गया है। आदेश की प्रति संलग्न है।

(2) किसान आयोग के सदस्यों/पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

राजस्थान सरकार

कृषि (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक 8(4)कृषि-1/एम.सी/2005 जयपुर दिनांक 27.02.09

आज्ञा

राज्यपाल महोदय, एतद्द्वारा राज्य में किसान आयोग के निम्नानुसार गठन की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. अध्यक्ष	
2. प्रगतिशील कृषक – एक	सदस्य
3. कृषि वैज्ञानिक – एक	सदस्य
4. कृषि आर्यशास्त्री - एक	सदस्य
5. जैवकृषि विशेषज्ञ – एक	सदस्य
6. डेयरी विशेषज्ञ – एक	सदस्य
7. पुष्प–उद्यानिकी विशेषज्ञ – एक	सदस्य
8. उद्यानिकी विशेषज्ञ – एक	सदस्य
9. प्रगतिशील महिला कृषक – एक	सदस्य
10. आयुक्त/निदेशक, कृषि, राजस्थान, जयपुर	सदस्य सचिव

यह आयोग राज्य में किसानों की दशा, किसानों पर कर्जा, ऋण व्यवस्था, उपज का मूल्य निधार्रण, मण्डी व्यवस्था, कृषि उत्पाद निर्यात, कृषि आधारित उद्योग, कृषि मजदूर आदि विषयों पर सरकार के समक्ष सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

आयोग के नियम, निर्धारित क्रिया-कलाप एवं शर्तें अलग से जारी की जायेंगी।

आज्ञा से

शासन उप सचिव

किशनगढ़-बास विधान सभा क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानें

48. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में उचित मूल्य की कुल कितनी दुकानें संचालित हैं? दुकान का नाम, नम्बर, संचालक का नाम, पता एवं उस दुकान से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या मय स्वीकृत स्थान के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दुकानों को वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में कितनी-कितनी सामग्री आबंटित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों के विरूद्ध अनेक प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त अवधि में किन-किन संचालकों के विरूद्ध किस-किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई तथा प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में कितनी उचित मूल्य की दुकानें स्वीकृत हैं और वर्तमान में कितनी दुकानें रिक्त हैं व कितनी नई दुकानें कहां-कहां खोला जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में कुल 91 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। दुकान का नाम, नम्बर, संचालक का नाम, पता एवं उस दुकान से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या मय स्वीकृत स्थान के नाम सहित विवरण सूची परिशिष्ट–क पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास की संचालित उचित मूल्य की दुकानों को वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में वितरित की गई सामग्री का विवरण परिशिष्ट–ख पर संलग्न है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के 11 उचित मूल्य दुकानदारों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतें एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

(4) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में 91 उचित मूल्य की दुकानें स्वीकृत हैं। वर्तमान में 3 दुकान रिक्त हैं। 11 नई दुकान खोला जाना प्रस्तावित है, जिसका विवरण परिशिष्ट–घ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजसमंद जिले में नकली गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति की रोकथाम

49. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि राजसमन्द जिले में तेल कम्पनियों के मार्का वाले नकली गैस सिलेण्डरों की सप्लाई हो रही है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त नकली गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति की रोकथाम हेतु क्या प्रयास किये गये?

उत्तर

जी नहीं। राजसमंद जिले में तेल कम्पनियों के मार्का वाले नकली गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति नहीं हो रही है। जिले में जांच के दौरान अभी तक नकली सिलेण्डरों की आपूर्ति की पुष्टि नहीं हुई है।

प्रदेश में स्वाइन फ्लू रोग पर नियंत्रण के उपाय

50. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में स्वाइन फ्ल्यू रोग की रोकथाम के लिए क्या-क्या उपाय किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार स्वाइन फ्ल्यू रोग को महामारी घोषित कर युद्ध स्तर पर त्वरित कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में स्वाइन फ्ल्यू की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रयास किये गये:-

<u>स्क्रीनिंग</u>

राज्य में जयपुर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एवं जोधपुर व बाड़मेर में मुनावबाव-खोखरापार थार एक्सप्रेस के सभी यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

राज्य में सभी चिकित्सा संस्थाओं, सभी विद्यालय, अति संवेदनशील 18 जिलों में घर-घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण करके मौके पर ही नि:शुल्क दवा देकर उपचार किया जा रहा है।

<u>ट्रेनिंग</u>

राज्य के समस्त जिलों में मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालयों के

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सक एवं नर्सिंग कर्मियों को स्वाइन फ्ल्यू नियंत्रण हेतु पृथक से ट्रेनिंग दी गयी।

राज्य के विभिन्न जिलों के स्कूल अध्यापकों एवं पर्यटन से जुडे होटल व्यवसायिओं को विस्तृत जानकारी दी गयी।

राज्य के निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सकों को आई.एम.ए. के माध्यम से रोग के रोकथाम हेतु भागीदार बनाया गया।

जांच सुविधाएं

राज्य में राज्य सरकार द्वारा सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज, जयपुर एवं डी.एम.आर.सी. जोधपुर के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जांच सुविधा दी जा रही हैं।

राज्य के जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर एवं कोटा मेडिकल कालेजों में जांच सुविधा प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राज्य में राज्य सरकार ने 3 निजी लैबोरेट्री क्रमशः डा. लाल पैथ, सुपर रैलीगेयर एवं एरोप्रोब के कुल 46 कलेक्शन सेन्टरों को सैम्पल लेने हेतु विभिन्न जिलों में अधिकृत किया।

उपचार

स्वाइन फ्ल्यू रोग के संदिग्ध रोगी पाये जाने की स्थिति में राज्य के समस्त जिला कलक्टरों को राज्य सरकार स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारी को अविलम्ब सूचित करने हेतु निर्देश जारी किये गये।

राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में उपचार हेतु पृथक से स्वाइन फ्ल्यू का आउटडोर प्रारम्भ किया गया एवं राज्य के समस्त मेडिकल कालेज, जिला चिकित्सालय, सब जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेटेलाईट चिकित्सालयों में एवं राज्य के 31 निजी चिकित्सा संस्थाओं में पृथक से आईसोलेशन वार्ड बना कर कुल 364 बैडस (240 सरकारी एवं 124 निजी क्षेत्र में) की व्यवस्था की गयी।

राज्य सरकार द्वारा सभी चिकित्सालयों में 60 नये वैनटिलेटर खरीद कर कुल 158 वैनटिलेटर द्वारा उपचार सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्य में स्वाइन फ्ल्यू से ग्रसित रोग पाये जाने पर अथवा मृत्यु होने पर क्षेत्र की सघन स्क्रीनिंग करवा कर सभी संदिग्ध व्यक्तियों को निःशुल्क दवाई उपलब्ध कराई जा रही है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

रोगियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में 263 निजी मेडिकल स्टोर को ऑस्लटामिविर टेबलेट, सिरीप बेचने हेतु अधिकृत किया गया।

राज्य के समस्त जिलों में पी.पी.ई. कीट, एन-95 मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क, ऑस्लटामिविर टेबलेट, सिरीप समुचित मात्रा में नि:शुल्क इलाज हेतु उपलब्ध कराई गयी।

<u>प्रचार प्रसार</u>

आमजन को स्वाइन फ्ल्यू की जानकारी नि:शुल्क प्रदान करने हेतु समस्त जिलों के जिला मुख्यालय पर, जैनपेक्ट जयपुर एवं निदेशालय स्तर पर 24 घण्टे चलने वाले कन्ट्रोल रूम स्थापित किये गये।

विभिन्न माध्यमों (टी.वी., एफ.एम रेडियो, इलैक्ट्रोनिक मीडिया, होर्डिंग एवं पैम्पलेट) द्वारा स्वाइन फ्ल्यू की रोकथाम हेतु आमजन को समय-समय पर जागरूक किया जा रहा है।

(2) राज्य में सरकार द्वारा स्वाइन फ्ल्यू रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राज्य में दिनांक 13.12.09 को ऐपिडेमिक एक्ट लागू किया गया है। एवं सभी जिलों के जिलाधीशों को जिले में महामारी रूप लेने पर एक्ट को प्रभावी बनाये जाने के लिये निर्देश दिये गये।

जयपुर में विचाराधीन आयुष भवन

51. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा जयपुर में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी के लिए कार्यालय संचालन हेतु आयुष भवन निर्माण कराने का निर्णय किया गया है? यदि हां, तो इसे कब तक निर्माण कराया जावेगा व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार द्वारा आयुष भवन को जयपुर में किसी स्थान पर बनाये जाने का निर्णय किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक निर्णय कर लिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। आयुष भवन निर्माण की प्राशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। भूमि का चयन होते ही निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जावेगा।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जयपुर में आयुष भवन के स्थान हेतु राजस्थान आवासन मण्डल एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्पर्क किया गया है। स्थान का निर्णय शीघ्र कर लिया जावेगा।

प्रदेश में नवीन मनोचिकित्सा केन्द्र की स्थापना एवं चिकित्सकों का पदस्थापन

52. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में मानसिक बीमारियों से ग्रसित मरीजों की संख्या कितनी है एवं उनके इलाज हेतु कितने व किन-किन स्थानों पर मनोचिकित्सा केन्द्र स्थापित हैं एवं उक्त में कितने चिकित्सक पदस्थापित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य में मनोरोगियों की संख्या के अनुपात में चिकित्सकों के पद न तो सृजित हैं एवं न ही चिकित्सक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं? क्या सरकार राज्य में मनोचिकित्सक व सहायक नर्सिंग स्टाफ के नये पद स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं कितने पद व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार प्रदेश में नये मनोचिकित्सा केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2009 में राजकीय चिकित्सा संस्थानों में मानसिक बीमारियों से ग्रसित 2 लाख 86 हजार 850 रोगी आउटडोर में पंजीकृत हुए हैं। इनके इलाज हेतु 2 मेडिकल कालेज से सम्बन्धित चिकित्सालय जयपुर एवं जोधपुर में संचालित है, इसके अतिरिक्त उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर एवं झालावाड़-मेडिकल कॉलेज एवं 27 जिला स्तरीय चिकित्सालयों में मनोचिकित्सा विशेषज्ञ के पद स्वीकृत हैं। जिला स्तरीय चिकित्सालयों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

उक्त चिकित्सालयों में 47 मनोरोग के विशेषज्ञ चिकित्सक पदस्थापित हैं।

(2) रोगियों की संख्या के अनुपात में चिकित्सकों के पद सृजित नहीं होते हैं। चिकित्सालयों में पदों का सृजन स्वीकृत शैय्याओं के आधार पर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार करवाने का प्रावधान है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

जी हां। प्रदेश के जिन जिला चिकित्सालयों में मनोरोग के विशेषज्ञ के पद स्वीकृत नहीं हैं, उन्हें स्वीकृत कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) प्रदेश के जिन जिला चिकित्सालयों में मनोरोग के विशेषज्ञ के पद स्वीकृत नहीं हैं, उन्हें स्वीकृत कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट-अ

निम्नलिखित स्थानों पर संचालित जिला स्तरीय चिकित्सालयों में मनोचिकित्सा इकाई स्वीकृत है

क्र. सं.	जिला स्तरीय चिकित्सालय का स्थान	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या
1	भीलवाड़ा	वरिष्ठ विशेषज्ञ	1	1
		कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	-
2	अलवर	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	1
3	भरतपुर	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	1
4	पाली	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	1
5	बांसवाड़ा	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	-
6	श्रीगंगानगर	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	-
7	सीकर	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	2
8	चित्तौड़गढ़	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	-
9	बारां	वरिष्ठ विशेषज्ञ	1	1
		कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	-
10	धौलपुर	वरिष्ठ विशेशज्ञ	1	-
		कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	-
11	सवाई माधोपुर	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	1
12	बाड़मेर	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	-
13	बूंदी	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	1
14	डूंगरपुर	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	
15	कोटपूतली	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	-
16	चूरू	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	1
17	टोंक	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	1
18	हनुमानगढ़	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	1

क्र. सं.	जिला स्तरीय चिकित्सालय का स्थान	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या
19	जैसलमेर	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	-
20	जालौर	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	1
21	झुंझुनूं	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	1
22	नागौर	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	1
23	करौली	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	-
24	सिरोही	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	-
25	किशनगढ़ (अजमेर)	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	1
26	दौसा	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	1
27	राजसमन्द	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	-
28	मनोचिकित्सालय, जयपुर	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2	1
29	मेडिकल कालेज, झालावाड़	सहायक आचार्य	1	1
		सीनियर रेजीडेन्ट	1	1
30	मेडिकल कालेज, अजमेर	प्रोफेसर	1	1
		एसोसियट प्रोफेसर	3	2
31	मेडिकल कालेज, बीकानेर	प्रोफेसर	1	1
		एसोसियट प्रोफेसर	3	2
32	मेडिकल कालेज, जयपुर	प्रोफेसर	4	4
		एसोसियट प्रोफेसर	8	8
33	मेडिकल कालेज, जोधपुर	प्रोफेसर	1	-
		एसोसियट प्रोफेसर	4	2
		असिस्टेन्ट प्रोफेसर	1	-
34	मेडिकल कालेज, कोटा	प्रोफेसर	1	1
		एसोसियट प्रोफेसर	2	3
		असिस्टेन्ट प्रोफेसर	1	1
35	मेडिकल कालेज, उदयपुर	प्रोफेसर	1	1
		एसोसियट प्रोफेसर	1	1
		असिस्टेन्ट प्रोफेसर	1	-

सामान्य चिकित्सालय अलवर की मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी का आय-व्यय विवरण

53. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर-शहर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सामान्य चिकित्सालय, अलवर में मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, अलवर का गठन कब किया गया? अब तक के संशोधन सहित विधान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सोसायटी के गत 10 वर्षों की आय-व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें

उत्तर

(1) राजकीय जिला चिकित्सालय, अलवर में मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी का गठन 13-11-1995 को किया गया तथा राज्य स्तर पर वर्ष 2007 में संशोधित नियमावली जारी की गई है उसकी अनुपालना में संशोधन करवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रति परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

(2) राजकीय जिला चिकित्सालय, अलवर में गठित मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के गत 10 वित्तीय वर्षों के आय-व्यय का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में स्टेट डेन्टल कौंसिल की स्थापना

54. श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार प्रदेश में राजस्थान स्टेट मेडिकल फार्मेसी व नर्सिंग कौंसिल की तर्ज पर राजस्थान स्टेट डेन्टल कौंसिल की स्थापना करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। राजस्थान स्टेट डेन्टल कौंसिल की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

जयपुर शहर के परकोटे क्षेत्र में भूमिगत विद्युत लाइन कार्य से अव्यवस्था

55. श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे :-

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में विद्युत तारों को भूमिगत किये जाने की योजना बनाकर सरकार द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया है? यदि हां, तो अब तक उक्त कार्य पर कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि परकोटा क्षेत्र में कार्य को अपूर्ण छोड़े जाने से दुर्घटनाएं हो रही हैं? यदि हां, तो उक्त कार्य को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि परकोटा क्षेत्र में कई स्थानों पर विद्युत तारों को भूमिगत करने के कारण से स्ट्रीट लाइटें बन्द हो गई हैं? यदि हां, तो इसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर शहर सौन्दर्यीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युत तारों को भूमिगत किये जाने का कार्य चल रहा है। अब तक इस कार्य पर 191-50 करोड़ रु. की राशि व्यय की जा चुकी है। जिसका विवरण परिशिष्ट- ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) परकोटा क्षेत्र में भूमिगत केवल डालकर ओवरहैड लाइन हटाने हेतु कार्य को संविदा के आधार पर करवाया जा रहा है, परन्तु तंग गलियों में व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण कई स्थानों पर कार्य नहीं हो पा रहा है । अब तक लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके कारण कोई विद्युत दुर्घटनाएं नहीं हुई हैं। शेष कार्य प्रगति पर है।

(3) परकोटा क्षेत्र में विद्युत तारों को भूमिगत करने के कारण स्ट्रीट लाइटें बन्द नहीं हुई हैं, जो डायरेक्ट पाइन्ट थे, जिन पर मीटरिंग नहीं थी वह ही बन्द हुए हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजसमन्द जिले की भील बस्तियों का विद्युतीकरण

56. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजसमन्द जिले के कुवरिया सीमावर्ती महासतियों की मादडी ग्राम पंचायत के खेमाखेड़ा व अखोटिया का खेड़ा गांव के मध्य बसी भील बस्ती का अभी विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(2) क्या सरकार उक्त भील बस्ती का विद्युतीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है महासतियों की मादडी ग्राम पंचायत के खेमाखेडा व अखोटिया का खेडा गांव के मध्य बस्ती भील बस्ती का अभी विद्युतीकरण नहीं हुआ है। यह बस्ती 15 घरों की है अत: वर्तमान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित नहीं है।

(2) मुख्य मंत्री सबके लिये विद्युत योजना के अन्तर्गत 10 आवेदकों के समूह में किये गये आवेदनों को कनेक्शन हेतु मांग पत्र जारी कर दिये गये हैं। मांग पत्र की राशि जमा होने पर नियमानुसार विद्युतीकरण कर कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगे।

बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

57. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में कुल कितने पशु चिकित्सा केन्द्र कहां-कहां स्थापित हैं तथा उक्त चिकित्सक व कम्पाउण्डरों के कितने-कितने पद स्वीकृत व रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों से वंचित गांवों में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां और कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में कुल 8 पशु चिकित्सा केन्द्र संचालित हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	पशु चिकित्सा केन्द्र	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु चिकित्सा अधिकारी		पशु चिकित्सा सहायक/पशुधन सहायक	
		स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
1	प.चि.बसेडी	1	-	1	1
2	प.चि.बोरेली	1	-	2	-
3	प.चि.सरमथुरा	1	-	2	1

1	2	3	4	5	6
4	प.चि.गोलारी	1	1	1	1
5	प.चि.पिपरान	1	-	1	-
6	प.चि.ताजपुरा	1	1	1	-
7	प.चि.उपकेन्द्र आंगई	-	-	1	-
8	प.चि.उपकेन्द्र झिरी	-	-	1	1
	कुल	**6**	**2**	**10**	**4**

(2) विभागीय पशु चिकित्सा संस्थाओं से वंचित गांवों में दिनांक 1 अगस्त, 2009 से ''पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार'' योजनान्तर्गत प्रतिमाह प्रति ग्राम पंचायत, एक पशु चिकित्सा शिविर आयोजित करवाकर पशु चिकित्सा सुविधा मुहैवा करवाई जा रही है। वर्तमान में नवीन पशु चिकित्सालय खोलना प्रस्तावित नहीं है।

सीकर एवं भीलवाड़ा जिले में महिला डेयरी अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी कर्मचारी

58. डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सीकर एवं भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों में महिला डेयरी परियोजना के द्वितीय चरण में वर्ष 1992 में किन-किन अध्किारियों/कर्मचारियों को किन शर्तों पर नियुक्ति दी गई थी ? नियुक्ति की शर्तों एवं नियुक्ति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परियोजना के तहत नियुक्ति अधिकारियों/कर्मचारियों में से कौन-कौन वर्तमान में कार्यरत हैं तथा किन-किन की सेवा समाप्त कर दी गई है? नाम, पद एवं सेवा अवधि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सीकर में महिला डेयरी परियोजना के द्वितीय चरण में नियुक्त कुछ कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर कुछ दिनों के

(डा. रघु शर्मा)

अन्तराल के उपरान्त दुग्ध संघ सीकर में ली गई ? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की नाम व पदवार सूची मय इस प्रकार रखे जाने से संबंधित आदेशों की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सीकर जिले में महिला डेयरी परियोजना वर्ष 1992-93 में राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन लि., जयपुर के आदेशानुसार शुरू की गई थी, इसके अन्तर्गत संघ के उप नियमानुसार महिला डेयरी परियोजना के अन्तर्गत संस्थापन समिति द्वारा निम्नानुसार नियुक्तियां की गई– संस्थापन समिति की बैठक दिनांक 8.5.1992 के द्वारा निम्न महिला अनुदेशिकाओं की नियुक्ति की गई।

क्र.सं.	पद	नाम	कार्यभार ग्रहण तिथि
1	महिला अनुदेशिका	श्रीमती सरोज	8.5.1992
2	महिला अनुदेशिका	मधुमालती शर्मा	8.5.1992
3	महिला अनुदेशिका	नीलम माथुर	19.6.1992

उक्त महिला अनुदेशिकाओं की नियुक्ति की शर्तें एवं नियुक्ति आदेश की प्रति प्रदर्श-''क'' पर संलग्न है।

उक्त महिला अनुदेशिकाओं को संघ की सामान्य सेवा शर्तों पर रखा गया है, इनके नियुक्ति पत्र में अनुबंध की शर्तें नहीं थीं। संघ की संस्थापन समिति की बैठक दिनांक 17.6.1992 के द्वारा महिला डेयरी परियोजना में अनुबंधित सेवाओं के अन्तर्गत सृजित सहायक प्रबंधक, महिला पद पर श्रीमती शाहिना जाहिद को दो वर्ष के लिए या परियोजना अवधि तक अनुबंधित आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है। श्रीमती शाहिना जाहिद द्वारा दिनांक 17.6.1992 को कार्य ग्रहण किया गया। श्रीमती शाहिना जाहिद की नियुक्ति की शर्तें एवं नियुक्ति आदेश की प्रति प्रदर्श-''ख'' पर संलग्न है।

भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., भीलवाड़ा में महिला डेयरी परियोजना के द्वितीय चरण वर्ष 1992 में निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों को नियुक्ति दी गई।

(डेयरी राज्य मंत्री)

क्र.सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम
1	श्रीमती आशा शर्मा	सहायक परियोजना अधिकारी
2	श्रीमती अंजना शर्मा	महिला अनुदेशक
3	श्रीमती वीणा खन्डेलवाल	महिला अनुदेशक

उपरोक्त की नियुक्ति की शर्तों व नियुक्ति आदेशों की प्रति परिशिष्ठ–''ग'' पर संलग्न है।

(2) भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में महिला डेयरी परियोजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	वर्तमान पद नाम	कुल सेवा अवधि
1	श्रीमती आशा शर्मा	उप प्रबंधक, (पी एन्ड आई)	1992 से निरन्तर
2	श्रीमती अंजना शर्मा	डेयरी पर्यवेक्षक-प्रथम	1992 से निरन्तर
3	श्रीमती वीणा खन्डेलवाल	डेयरी पर्यवेक्षक - द्वितीय	1992 से निरन्तर व वर्तमान में उदयपुर दुग्ध संघ में सम्मिलित

सीकर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. में महिला डेयरी परियोजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	वर्तमान पद नाम	कुल सेवा अवधि
1	श्रीमती सरोज	ग्राम प्रसार कार्यकर्त्ता	1992 से निरन्तर
2	श्रीमती मधुमालती शर्मा	ग्राम प्रसार कार्यकर्त्ता	1992 से निरन्तर

श्रीमती दुग्ध संघ में महिला डेयरी परियोजनान्तर्गत नियुक्त तीन कार्मिकों में से श्रीमती नीलम माथुर द्वारा अपनी सेवा से त्याग पत्र दिये जाने के कारण वर्तमान में सेवा में नहीं हैं।

(डेयरी राज्य मंत्री)

सीकर दुग्ध संघ में महिला डेयरी परियोजना के द्वितीय चरण की अवधि समाप्त हो जाने के कारण अनुबन्धित सेवा शर्तों के अन्तर्गत श्रीमती शाहिना जाहिद, सहायक प्रबन्धक की अनुबन्धित सेवा समाप्त कर दी गयी।

(3) जी नहीं।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जोधपुर जिले में नई ग्राम पंचायतों के गठन/पुनर्गठन के विचाराधीन प्रस्ताव

59. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 में राज्य में नई ग्राम पंचायतों का गठन एवं पुनर्गठन हेतु प्रस्ताव मांगे गये थे ? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में नई ग्राम पंचायतों के गठन हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कौन-कौन से ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिला जोधपुर में नई ग्राम पंचायतें बनाने व पंचायतों के पुनर्गठन का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। पत्र दिनांक 7-8-2009 के द्वारा समस्त जिला कलक्टरों से नई पंचायतों के गठन एवं पुनर्गठन के प्रस्ताव मांगे गये थे।

(2) जी नहीं।

(3) पंचायतों के पुनर्गठन का प्रश्न पूरे राज्य के लिए समान है। पंचायती राज अधिनियम, 1994 में यह व्यवस्था है कि किसी पंचायत का पुनर्गठन करने पर पंचायत भंग हो जाती है और 6 माह में नये चुनाव करवाया जाना आवश्यक हो जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव जनवरी-फरवरी, 2010 में सम्पन्न हुए हैं। अत: फिलहाल पुनर्गठन का कोई विचार नहीं है।

ग्राम पंचायत मुण्डवाड़ा के बी.पी.एल. परिवारों को इंदिरा आवास योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि

60. श्री पेमाराम (धोद) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला सीकर की पंचायत समिति धोद की ग्राम पंचायत मुण्डवाड़ा के बी.पी.एल. श्रेणी के परिवारों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा ग्राम पंचायत मुण्डवाड़ा के बी.पी.एल. श्रेणी के परिवारों को दिनांक 1 जनवरी, 2004 के बाद में किस-किस परिवार को कितनी-कितनी राशि इंदिरा आवास योजना के तहत स्वीकृत की गई ?

(3) क्या उक्त परिवारों ने इंदिरा आवास योजना के तहत भवन निर्माण पूर्ण कर लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों व हां, तो पूर्णता/उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सीकर की पंचायत समिति धोद की ग्राम पंचायत मुण्डवाड़ा के बी.पी.एल. परिवार की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत मुण्डवाड़ा के बी.पी.एल. श्रेणी के 54 परिवारों को दिनांक 1 जनवरी, 2004 के बाद लाभान्वित किया गया है, जिसकी सूची परिशिष्ट-2 पर संनग्न है।

(3) इंदिरा आवास के तहत स्वीकृत कुल 54 आवासों में से 27 परिवारों ने अपने आवास निर्माण पूर्ण कर लिये हैं। 20 आवास प्रगति में हैं, 7 लाभार्थियों ने कार्य प्रारम्भ नहीं किये जिनमें से 3 लाभार्थियों की राशि वापस प्राप्त हो गई है। पूर्ण हुए 27 आवासों के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट-3 पर संलग्न हैं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश के महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के स्थानान्तरण

61. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के महाविद्यालयों में विषयानुसार सृजित पद, कार्यरत व रिक्त पद कितने-कितने हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा रुक्टा राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष/महामंत्री सहित

(श्री वासुदेव देवनानी)

संगठन के विभिन्न दायित्वों के कितने अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये हैं ?

(3) उक्त स्थानान्तरण से सरकार के कोष पर कितना भार पड़ा है ?

(4) क्या ऐसे प्राध्यापकों के स्थानान्तरण भी किये गये जहां या तो उनका विषय ही नहीं है या उन विषयों में कोई पंजीकृत छात्र नहीं है ?

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। सरकार द्वारा रुक्टा राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष श्री ग्यारसी लाल जाट का राजकीय महाविद्यालय, सीकर से राजकीय महाविद्यालय, बयाना तथा महामंत्री श्री एम.एम. रंगा का स्थानान्तरण राजकीय महाविद्यालय, अजमेर से राजकीय महाविद्यालय, मालपुरा में किया गया है।

(3) राज्य सरकार के कोष पर पड़ने वाले भार की गणना हेतु महाविद्यालयों से सूचना प्राप्त की जा रही है।

(4) व्याख्याताओं के स्वीकृत रिक्त पदों पर ही स्थानान्तरण किये गये हैं। निम्नलिखित राजकीय महाविद्यालयों में उनके सम्मुख दर्शाये गये विषयों के पद तो स्वीकृत हैं, लेकिन छात्रों के उस विषय में पंजीकृत नहीं होने की सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण से निम्नलिखित व्याख्याताओं के स्थानान्तरण किये गये:-

महाविद्यालय	विषय	स्थानान्तरित व्याख्याता का नाम
मालपुरा	वनस्पतिशास्त्र	श्री रामकरण गहलोत
मालपुरा	भौतिकशास्त्र	श्रीमती वंदना रंगा
मालपुरा	प्राणीशास्त्र	श्री एम.एम. रंगा
बारां कन्या	व्या. प्रशासन	श्री अशोक केवलरमानी
भवानीमंडी	गणित	श्री आर.पी. सोमानी

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

उच्च शिक्षा सुधार आयोग का गठन

62. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(1) क्या सरकार प्रदेश में उच्च शिक्षा सुधार आयोग के गठन का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आयोग के गठन के लिए बजट में प्रावधान किया गया है ? यदि हां, तो कितना-कितना, किस-किस कार्य हेतु ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आयोग का कार्य क्षेत्र क्या रहेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। बजट घोषणा संख्या 156 में उच्च शिक्षा सुधार आयोग के गठन का निर्णय लिया गया था। लेकिन उसके बाद राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी शिक्षा एवं साक्षरता मिशन का गठन दिनांक 19.1.2010 से किया गया है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि मिशन के अन्तर्गत ही उच्च शिक्षा सुधार हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न के बिन्दु संख्या 1 के उत्तर के अनुसार लागू नहीं।

अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों को यू.जी.सी. वेतनमान

63. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कुल कितने अनुदानित महाविद्यालय संचालित हैं तथा उनका अनुदान प्रतिशत क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अनुदानित महाविद्यालयों को वर्ष 2009-10 में उनके अनुदान प्रतिशत के अनुसार अनुदान दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षक को निश्चित प्रतिशत में अनुदान नहीं देने एवं संस्था द्वारा अपनी ओर से वेतन में राशि नहीं देने से उन्हें मात्र वेतन का 50 प्रतिशत ही भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि अनुदानित महाविद्यालय शिक्षकों को भी यू.जी.सी. वेतनमानों का सम्पूर्ण लाभ प्राप्त हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रदेश में कुल 71 अनुदानित महाविद्यालय संचालित हैं तथा 55 महाविद्यालयों को 80 प्रतिशत, 11 को 70 प्रतिशत एवं 5 को 60 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

(2) जी नहीं। वर्ष 2009-10 के अन्तर्गत उनके अनुदान प्रतिशत के आधार पर वास्तविक देय अनुदान सहायता राशि की गणना कर उपलब्ध बजट के आधार पर अनुपातिक रूप से दिया जा रहा है।

(3) जी नहीं।

(4) अनुदानित महाविद्यालय शिक्षकों को भी यू.जी.सी. वेतनमानों का लाभ देने हेतु 27.10.2009 को राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किये जा चुके हैं।

जोधपुर में नरेगा योजनान्तर्गत कार्यों में अनियमितता की प्राप्त शिकायतों की जांच

64. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में गत दो वर्षों में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत करवाये जा रहे कार्यों में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त शिकायतों के आधार पर जांच कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो, कितनी शिकायतें सही पाई गई, कौन-कौन दोषी पाये गये तथा दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि जोधपुर जिले में नरेगा योजना अन्तर्गत गत दो वर्षों में आज दिनांक तक 711 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि शिकायतों की जांच करवायी गयी प्राप्त शिकायतों में 34 शिकायतें सही पायी गयी। सही पायी गयी शिकायतों में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-''ब'' पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-38 की सूची)

अलवर जिले में पुनर्वास भूमि के 13577 खातेदार कृषकों का तहसीलवार विवरण

क्र.सं.	नाम तहसील	संख्या
1	अलवर	2513
2	रामगढ़	3773
3	किशनगढ़बास	2345
4	राजगढ़	228
5	लक्ष्मणगढ़	1534
6	तिजारा	653
7	बहरोड़	87
8	बानसूर	82
9	कठूमर	422
10	कोटकासिम	858
11	मुण्डावर	1082
12	थानागाजी	0
	कुल प्रकरण	**13577**

परिशिष्ट-ब

भरतपुर जिले में पुनर्वास भूमि के 13577 खातेदार कृषकों का तहसीलवार विवरण

क्र.सं.	**नाम तहसील**	**संख्या**
1	भरतपुर	146
2	बयाना	406
3	बैर	332
4	नदबई	320
5	डीग	0
6	कुम्हेर	74
7	नगर	2235
8	रूपवास	263
9	कामा	702
10	पहाड़ी	2011
	कुल प्रकरण	**6489**

परिशिष्ट-2

नियम 295 के तहत

विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गयीं

बीकानेर कोआपरेटिव बैंक घौटाले के दोषियों को दण्ड व खाताधारियों को भुगतान

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं नियम प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं कि बीकानेर अरबन को-आपरेटिव बैंक बीकानेर में सन 2000 के पश्चात् लगभग 15 करोड़ रुपये का घपला हुआ है, जिस कारण लगभग 10 हजार खाताधारियों का लगभग 10 करोड़ का भुगतान बाकी है। बैंक कर्मचारियों को लगभग 31 माह से वेतन भुगतान नहीं हुआ है, व न ही कर्मचारियों का अन्यत्र कहीं समायोजन किया गया है । वेतन संबंधी मांग को लेकर कर्मचारी व भुगतान की मांग को लेकर खाताधारी दिनांक 03/11/2009 से लगातार जिला कलेक्ट्रेट, बीकानेर में धरना दे रहे हैं।

इस संबंध में खाताधारी एवं कर्मचारी अनेक बार राजस्थान के मुख्य मंत्री, सहकारिता मंत्री एवं अन्य मंत्रियों को अवगत कराने के बावजूद सरकार इस मुद्दे पर मौन है।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार करोडों के घोटाले करने वाले अधिकारियों को सरकार ने खुले आम घूमने की इजाजत दे रखी है। अत: आपसे विनम्र निवेदन है कि बीकानेर को-आपरेटिव बैंक के घोटाले में लिप्त अधिकारियों को दण्डित करें एवं खाताधारियों को उनका भुगतान व कर्मचारियों को शीघ्र भुगतान करवायें ।

पवन दुग्गल

(अनूपगढ़)

बिलाड़ा क्षेत्र के मंदिरों का जीर्णोद्धार

महोदयजी,

मैं इस विशेषज्ञ उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार एवं माननीय पर्यटन मंत्री से पुरजोर मांग करता हूं की :-

जोधपुर जिले के खजुराहों की तर्ज पर बने बिलाड़ा पंचायत समिति के हर्षादेवल शिवमन्दिर/लाम्बा शिवमन्दिर/बूचकला शिवमन्दिर/बोयल शिवमन्दिर/आईमाता डींगड़ी माता गुफा मन्दिर/बाणगंगा शिवमन्दिर, समूह जीणोद्धार के अभाव में खण्डहर होने जा रहे हैं। यह मन्दिर समूह प्रदेश के पुरातत्व और केन्द्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञों का सहयोग लेकर कायाकल्प करना अतिआवश्यक हैं। सरकार को इसके लिए जल्दी से जल्दी प्रस्ताव बनाकर केन्द्र सरकार को भेजने चाहिए। तथा राशि प्राप्त कर तुरन्त प्रभाव से इन खण्डहर के मन्दिरों का जीणोद्वार शुरु करना अत्यावश्यक है।

जोधपुर जिले के मण्डोर स्थित शिव मन्दिर, हर्षादेवल शिवमन्दिर/लाम्बा शिवमन्दिर/बुचकला शिवमन्दिर/बोयल शिवमन्दिर/आईमाता डींगडी माता गुफा मन्दिर/बाणगंगा शिव मन्दिर, पूर्व मध्यकालीन तथा पूर्ण हिन्दू शैली में निर्मित हैं तथा शिल्पकला का बेजोड़ नमूना हैं। ये मन्दिर बिलाड़ा पंचायत समिति के अधीन एन.एच.-112 के इर्द-गिर्द समतल भू-भाग पर स्थित हैं। इनका निर्माण मध्यकालीन के इन्टरलॉकिंग सिस्टम (पत्थरों को कैचीनुमा फंसाकर) किया गया है। यहां एक साथ 3-4 मन्दिरों का समूह हैं।

पुरातत्व विभाग ने 1991-92 में इन मन्दिरों पर कुछ नाम मात्र की राशि स्वीकृत कर इनकी सम्पर्क सड़कों का सा.नि.वि. के माध्यम से निर्माण करवाया गया लेकिन मन्दिरों की स्थिति जस की तस ही रही एवं पुरातत्व विभाग गत 1990 से इसके जीणोद्धार के लिए प्रयासरत हैं इसके लिए प्रस्ताव बनाकर अनुमानित 5 करोड़ की राशि का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा बताया। राज्य सरकार को तुरन्त इस राशि को स्वीकृत करनी चाहिए। ताकि इन खण्डहर हो रहे पुरातत्व विभाग के मन्दिरों का कायाकल्प हो सके।

इन मन्दिर समूहों के लिए मन्दिरों के प्रत्येक हिस्से को खोला जाए। एक एक पत्थर को हटाने से पहले उसकी वीडियोग्राफी और स्केच तैयार कराया जाये ताकि पुन: पत्थर तोड़ते समय इनकी मदद मिल सके और कोई खामी नहीं रहें। इसके लिए सबसे पहले इन मन्दिरों की बारीकी से वीडियोग्राफी फोटोग्राफ और स्केच तैयार करवाये जाऐं।

यहां मिले शिलालेख के अनुसार इन मन्दिर समूह का निर्माण बगड़ावतों ने/पाण्डवों ने/नाथों ने मारवाड़ के राजाओं पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष में जहां सेना का पड़ाव रहा वहां अपने ईष्ट देव शिव को प्रसन्न करने के लिए कराया गया था।

अर्जुन लाल गर्ग

(बिलाड़ा)

वैर में निर्मित 33 के.वी.ए. ग्रिड जब स्टेशन का प्रारम्भ

महोदय,

उपरोक्त संदर्भ में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र वैर में अलीपुर, अलूपुरा, सलैमपुर खुर्द, धरसोनी, नावर, आदि ग्राम पंचायतों में 33 के.वी.ए. के ग्रेड सब स्टेशन करीब 2 साल से बनकर तैयार खड़े हुये लेकिन अभी तक चालू नहीं हुये हैं जिसके कारण क्षेत्र में पूरी बिजली सप्लाई नहीं मिल पा रही हैं। जिसके कारण किसान की फसल सूख गई जिससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है तथा इन सभी क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई सही नहीं आने के कारण पीने के पानी की भी गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाती है आगे आने वाले गर्मी के मौसम में आम जनता एवं पशुओं के पीने की पानी की बहुत बड़ी किल्लत रहती हैं। जिसके कारण क्षेत्र में गम्भीर समस्या पैदा हो जायेगी अगर इन विद्युत सब स्टेशनों को चालू करा दिया जाता है तो क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या का हल हो जायेगा।

सधन्यवाद ।

बहादुर सिंह
(वैर)

मारवाड़ जंक्शन के बोरनड़ी, दादिया व राजोला में ट्यूबवैल व हैण्डपम्प की स्वीकृति

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के कन्टालिया बांध से ये संचालित होने वाली पेयजल योजनाएं पानी समाप्त हो जाने की वजह से सभी योजनाएं बन्द हो चुकी हैं। जिससे बोरनड़ी, दादीया, राजोला, सेवाज, गुडांगिरि, मेलावास, मूसालिया, धुंधला, सवराड, रिसाणिया, भींवली, हमीरवास, शेखावास, गोलाई, माण्डा इन सभी गांवों में आम जनता को पीने के पानी एवं पशुओं के पीने के पानी की भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई है। आने वाली गर्मी में उक्त समस्या विकराल रूप ले लेगी।

अत: जल संसाधन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि समय रहते बोरनडी, दादीया, राजोला में एक-एक ट्यूबवैल खोदने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें तथा उपरोक्त सभी गावों में 10-10 हैंडपम्पों की स्वीकृति करावें ताकि समय रहते आने वाली गर्मी से निजात मिल सके।

केसाराम चौधरी
(मारवाड़ जंक्शन)

सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में राशन व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताएं

महोदय,

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में करीबन 50 गावों में राशन डीलर्स की नियुक्ति नहीं की गई है अथवा हटा दी गई है। इन गांवों के लोगों को राशन प्राप्त करने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निकट के राशन डीलर को इन गावों में राशन वितरण की व्यवस्था न देकर सादुलपुर शहर की चल इकाई को वितरण व्यवस्था सौंप कर नियम विरुद्ध कार्य किया गया। इस चल इकाई द्वारा इन गावों में विशेषकर भोजान, बेवड़, रामपुरा, किरतान, कालानाताल, साखनताल, दोकवा के ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर से यह गांव 10-60 किमी. की दूरी पर स्थित है। ए.पी.एल. का गेहूं एफ.सी.आई. गोदाम से उठकर सीधा मण्डी में जा रहा है। कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। विद्यार्थियों को मिलने वाला केरोसिन उन्हें ना मिल कर केरोसिन डीलर्स सीधे ही ट्रेक्टरों एवं जीपों के मालिकों को उच्च भावों को बेच रहें हैं। ऐसी स्थिति में मैं सरकार से मांग करती हूं कि सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र की राशन वितरण व्यवस्था को तुरन्त व्यवस्थित करावें व कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाऐं।

कमला कस्वां

(सादुलपुर)

भरतपुर के मथुरा गेट थाना में दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 698/09 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत उल्लेख किया जाना है कि :-

भरतपुर जिले में विगत एक वर्षों से अपराधों यथा हत्या, डकैती, लूट-पाट, बलात्कार एवं चोरी की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है और कानून व्यवस्था ठप्प हो गई है। जघन्य अपराध घटित होने के उपरान्त स्थानीय पुलिस मूक दर्शक बन जाती है और इस प्रकार ऐसे नृशन्स अपराधियों के हौंसले बुलन्द होते जाते हैं और वह अपराध करने में हिचकिचाते नहीं हैं। भरतपुर में गैंगवार पनप रही है और यहां तक कि जिले में राजस्थान राज्य से

बाहर यानि अन्य जिलों से गुण्डा तत्व आते हैं और खुलेआम घटना कर खुले घूमते है और यह कहा जा सकता है कि स्थानीय पुलिस की इसमें मिलीभगत है। इसका ज्वलन्त उदाहरण है कि मथुरा गेट थाना, भरतपुर के एक हत्याकाण्ड में अभियुक्तगण खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर परिवादी को डरा धमकाकर जबरन बयान कर हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रही है।

थाना मथुरा गेट, भरतपुर में दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 698/09 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के ग्राम सरौठ थाना शादाबाद जिला हाथरस के नामजद अभियुक्तगणों ने दिनांक 29.10.2009 को श्री माधोसिंह नाम के व्यक्ति को भरतपुर में स्थित बजाज मैरिज होम, मडरपुर रोड पर खुलेआम गोली मार के निर्मम हत्या कर दी थी। मृतक के भाई श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री वेदप्रकाश जाति जाट निवासी सुभाष नगर द्वारा उक्त हत्या की एफ.आई.आर. कराने के उपरान्त अभियुक्तों को नामजद कर लिया गया और मौका मुआयना कर गवाही भी ले ली गई उसके उपरान्त भी बड़े ही दु:ख की बात है कि संबंधित थानाधिकारी एवं अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और वह आज दिनांक तक खुलेआम घूम कर परिवादी को डरा-धमका कर चुप रहने को मजबूर कर रहे हैं। पुलिस द्वारा उक्त कृत्य कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और इससे स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि भरतपुर में अपराधों की वृद्धि का कारण स्वयं वहां की स्थानीय पुलिस ही है जो कि कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए जिम्मेदार है और रक्षक ही भक्षक हो रहा है।

उपरोक्त घटना में मुल्जिमों को गिरफ्तार नहीं किये जाने से स्थानीय लोगो में संबंधित थाने के विरुद्ध भारी रोष व्याप्त हो गया और यदि अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार नहीं किया गया तो संबंधित पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सम्मुख धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।

अत: गृह मंत्रीजी का व्यस्ततम ध्यान आकृष्ट करते हुए उल्लेख है कि तत्काल संबंधित थाने के थानाधिकारी एवं अनुसंधान अधिकारी को निलम्बित करते हुए तत्काल मुल्जिमों को गिरफ्तार करने के सख्त निर्देश जारी करावें।

विजय बंसल

(भरतपुर)

रेवदर में चारा डिपो की स्थापना

महोदय,

1. यह सर्वविदित है कि इस वर्ष पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण राज्य में अकाल की स्थिति है जिसके कारण पानी और चारे का संकट उत्पन्न हो गया है।

2. इस समस्या से सिरोही जिला भी अछूता नहीं है, यहां भी पानी और चारे की समस्या बनी हुई है।

3. रेवदर विधान सभा क्षेत्र भी इस जिले का भाग है वह भी पानी और मवेशियों हेतु चारे की समस्या से जूझ रहा है।

4. इस विधान सभा क्षेत्र की अधिकांश आबादी अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है, जिनकी आजीविका का जरिया खेती और पशुपालन है।

5. लेकिन इस अकाल की स्थिति में उनके लिए अपने मवेशियों हेतु चारे पानी की व्यवस्था मुश्किल हो गई है। जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने अपने मवेशियों को या तो आवारा छोड़ देते हैं या तो जिसे तस्कर कत्ल खाने में भेज देते हैं या दूसरे राज्य में पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं।

6. इस मुश्किल घडी में मवेशियों के लिए चारा न मिलने से भी इस संकट को बढ़ावा मिला है। राज्य सरकार द्वारा भी इस दिशा में अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया हैं। अभी तक सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र में सरकार की तरफ से किसी भी चारा डिपो का संचालन नहीं किया जा रहा है। जिससे समस्या और बढ़ गई है।

7. अत: श्रीमानजी से निवेदन है कि मवेशियों को बचाने हेतु रेवदर विधान सभा क्षेत्र में जल्द से जल्द चारा डिपो खुलवाने के आदेश करावें और चारा डिपों में सरकार अनुदान देकर मापदण्ड तय किये जावें। ताकि सस्ते दर पर किसानों को चारा उपलब्ध हो सके। जिससे किसानों को राहत मिल सके।

जगसीराम कोली

(रेवदर)

जोधपुर जिले के किसानों को 15 की बजाय 5/3 हार्स पावर के बिजली कनेक्शन

मान्यवर,

श्रीमानजी 15 वर्ष पूर्व जोधपुर जिले के किसानों ने कृषि कनेक्शन लेने हेतु आवेदन किये थे। उनको अब कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं।

15 वर्ष पूर्व जमीन के नीचे पानी ज्यादा मात्रा में था इसलिये किसानों ने 15 हार्स पावर के लिए आवेदन किया था लेकिन किसानों को 15 वर्ष बाद कनेक्शन दिये जा रहे हैं जबकि जमीन में पानी की मात्रा बहुत कम रह गई है। अब किसानों को 15 हार्स पावर के कनेक्शन की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 या 3 हार्स पावर के कनेक्शन की जरूरत है। किसानों से 15 हार्स पावर के पैसे लिये जा रहे हैं। जबकि वर्तमान में इसकी आवश्यकता ही नहीं है।

अत: किसानों को 15 हार्स पावर की जगह 5 या 3 हार्स पावर के कनेक्शन दिये जावें और डिमांड राशि भी 15 की बजाय 5 या 3 हॉस पावर का ही लिया जावे और डिमांड राशि जमा करवाने की अन्तिम तिथि 28 फरवरी, 2010 को आगे बढ़ाया जाकर किसानों को राहत प्रदान करावें।

कमसा मेघवाल

(भोपालगढ़)

पोकरण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र पोकरण में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोकरण की समस्याओं के बारे में ध्यानकर्षण करना चाहता हूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोकरण में चिकित्सकों के आधे से ज्यादा पद लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं। जिसके कारण पोकरण की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। पोकरण उपखण्ड जैसलमेर जिले का सबसे बड़ा उपखण्ड है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग 15 से जुड़ा हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र पोकरण में विश्व प्रसिद्ध बाबा रामदेवजी का पवित्र स्थल है जहां पर हर वर्ष मेला भरता है। जिसमें राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत के कोने कोने से श्रद्वालु बाबा रामदेवजी के दर्शन करने आते है जिनको चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है पोकरण उपखण्ड के नजदीक कोई दूसरा बड़ा हास्पीटल नहीं है। यहां के वासियों को 110 किलोमीटर जैसलमेर या 200 किलोमीटर दूर जोधपुर जाना पड़ता है।

पोकरण सामुदायिक केन्द्र में वर्तमान में 11 पद चिकित्सकों के स्वीकृत है जिसमें से 5 पद वर्तमान में भरे हुये तथा 6 पद लम्बे समय से

रिक्त चल रहे हैं। जिनको शीघ्र भरे जाने की व्यवस्था की जावे। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोकरण में वर्तमान में शैय्याओं की संख्या 50 है जिनको बढ़ा कर 100 किया जावे तथा पोकरण स्वास्थ्य केन्द्र में ट्रोमा सेन्टर खोला जावे।

अत: इस प्रस्ताव के माध्यम से मेरा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी से अनुरोध है कि शीघ्र मेरे विधान सभा क्षेत्र सामुदायिक स्वा0 केन्द्र में रिक्त चिकित्सकों के पद शीघ्र भरे जावें।

शाले मोहम्मद

(पोकरण)

बाली के क्षतिग्रस्त फूटिया व लाटाडा बांधों का जीर्णोद्धार

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत लोक महत्व के विषय पर विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राज्य स्तरीय कमेटी की दिनांक 18/08/2008 की आयोजित बैठक में राशि रुपये 220.00 लाख का अनुमोदन मेरे विधान सभा क्षेत्र बाली के क्षतिग्रस्त फूटिया बांध के लिए किया गया था । लेकिन राजनैतिक द्वेसता के चलते दिनांक 2 मार्च 2009 को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में सम्पादित कराई जाने वाली सिंचाई परियोजना की जारी सूची में फूटिया सिंचाई परियोजना को सम्मिलित नहीं किया गया। इसके बाद से फूटिया सिंचाई परियोजना का प्रशासनिक तखमीना लागत राशि रुपये 214.79 लाख लघु सिंचाई योजना में दिनांक 30/08/08 स्वीकृति है। लेकिन कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया है।

वर्ष 2002-003 की वर्षा/बाढ में 5 फीट की ऊंचाई तक आज भी क्षतिग्रस्त पड़े हुये लाटाडा बांध के रेस्टोरेशन एवं जीर्णोद्धार हेतु वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर योजनान्तर्गत राशि रुपये 42 लाख की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा जारी की गई थी लेकिन नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायता नहीं मिलने का बहाना बनाकर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। विभागीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि लाटाडा बांध के जीर्णोद्धार का कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्लान में इस कार्य को लागत राशि 40 लाख का सम्मिलित कर किया जाना बताया गया है।

उक्त दोनों ही अति महत्वपूर्ण बांधों के कार्य की आवश्यकता को

देखते हुए स्वीकृत किये गये थे लेकिन कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये। इससे इन बांधों के सिंचित क्षेत्र में गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। तथा पेयजल स्तर भी काफी नीचे जा चुका है। अतः दोनों ही बांधों का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जावे।

पुष्पेन्द्र सिंह
(बाली)

किशनगंज के सहरिया परियोजना क्षेत्र में अधिकांश पद रिक्त

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगंज जिला-बारां में शाहाबाद एवं किशनगंज तहसीलों में निवासरत सहरिया आदिम जाति जंगलों में निवास करती है। सहरिया जाति मूल भूत सुविधाओं से काफी पिछड़ी हुई है। सहरिया परियोजना क्षेत्र में अधिकतर पद रिक्त चल रहे हैं। राज्य सरकार को रिक्त पदों को शीघ्र भराने की व्यवस्था की जावे ताकि सहरिया जाति को वक्त रहते उस परियोजना का मूलभूत लाभ मिल सके साथ ही जिले की शाहाबाद एवं किशनगंज तहसीलों में राजकीय सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली नियुक्तियों की 25 प्रतिशत नियुक्तिया स्थानीय सहरिया आदिम जाति के अभ्यार्थियों से भरी जावें।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से मेरा जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि शीघ्र अतिशीघ्र मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में रिक्त सहरिया परियोजना पद शीघ्र भरे जावे तथा

1. सहरियाओं को 25 प्रतिशत आरक्षण का पूर्ण लाभ दिलाया जावे।
2. शाहाबाद/ किशनगंज के मा बाड़ी शिक्षा सहयोगियों को प्रबोधक के पद पर नियुक्ति दी जावें।

धन्यवाद।

निर्मला सहरिया
(किशनगंज)

आसींद के गांवों में अकाल की विकट समस्या

महोदय,

उपरोक्त विषय में सादर निवेदन है मेरे विधान सभा क्षेत्र में आसीन्द हुरड़ा व बदनोर तहसील क्षेत्र के सभी ग्राम व ढाणियों में लगातार अकाल से भंयकर पेयजल व घास की समस्या उत्पन्न हो गई है गांवों में पानी उपलब्ध

नहीं हो पा रहा है लम्बी दूरी से ग्राम वासियों को पानी लाना पड़ रहा है। पानी के टैंकर अविलम्ब ग्रामवासियों के मांग के अनुसार चालू किया जाये।

सरकार पशुओं को पानी उपलब्ध करावे ताकि पशुधन को बचाया जा सके। क्योंकि सरकार मनुष्यों के तो 10 लीटर प्रति व्यक्ति जनसंख्या के आधार पर पानी देती है किन्तु जानवरों को नहीं ऐसा क्यों?

अत: जानवरों को भी पानी की व्यवस्था करें। घास की भी विकट समस्या है डीपो खोले हैं, और भी आवश्यकता अनुसार नये घास डीपो खोलें तथा खांकला, चारा पर 50 रुपये से 60 रुपये ही प्रति क्विंटल ही अनुदान देय है।

इस भयंकर अकाल में कास्तकारों व गौशाला को महंगा घास खिलाने में समस्या झेलनी पड़ रही है।

अत: घास व बांटे पर 50 प्रतिशत छूट की व्यवस्था करावे जिससे घास खरीदने में आसानी रहे प पशुधन को बचाया जा सकें।

आसीन्द विधान सभा क्षेत्र में सम्पूर्ण गांवों में अकाल की विकट समस्या है। अकाल राहत पर जिनको 100 दिन रोजगार गारंटी के पूरे होने पर महीने में 10 दिन कार्य पर लग सकते हैं। जबकि अकाल राहत के कार्य पर लगातार लगाया जाय जिससे अकाल आसानी से निकल सके।

पेयजल के लिए हुरड़ा का अभी 7-8 दिन में एक बार मिल रहा है जबकि हुरड़ा तहसील हैडक्वाटर है तथा गुलाबपुरा के बाद यही सबसे बड़ा गांव है, इनके 3 किमी. दूर पर ही बीसलपुर की पाइप लाइन का पानी आ रहा है, अत: इस लाइन से इसको जोड़ा जाये।

आसीन्द विधान सभा क्षेत्र के सम्पूर्ण गांवों आसीन्द, हुरड़ा व बदनोर तहसील क्षेत्र के सभी शहर, ग्रामों को चम्बल से सुविधा अविलम्ब उपलब्ध कराई जाय ताकि स्थाई निदान हो सके।

इसी आशा के साथ।

धन्यवाद

राम लाल गुर्जर

(आसींद)